राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

बृहस्पतिवार

दिनांक 24 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरूंलाल मीणा।

चित्तौड़गढ़ में जिंक स्मेल्टर की स्थापना

118. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने जिंक स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़ के पास स्थापित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका कार्य प्रारम्भ करने में विलंब क्यों किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विशेषज्ञों ने भी तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ के पास ही यह संयंत्र लगाने को सही माना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसकी धातु जावर माइन्स राजपुरा दरीबा एवं मटून की खानों से निकाली जाती है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से उदयपुर के आस-पास में ही सुपर स्मेल्टर लगाया जायेगा या चित्तौड़गढ़ के पास ? इसका कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) यह प्रकरण अभी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) नया स्मेल्टर मुख्यत: रामपुरा-आगूंचा जिला भीलवाड़ा तथा बरोई जिला उदयपुर में प्राप्त जिंक-लैड भंडारों पर आधारित होगा तथा राजस्थान एवं गुजरात की कुछ अन्य लैड-जिंक खानों का कच्चा माल भी इस स्मेल्टर में ले जाया जायगा। मटून खान सीसा-जस्ता खान न होकर रॉक फास्फेट खान है। सुपर स्मेल्टर का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् प्रारम्भ किया जावेगा।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैंने पूर्व में भी इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रश्न

Page No.2

(श्री भैरूंलाल मीणा)
किया था। हमें जितनी धातु मिलती है उदयपुर के आसपास मिलती है और गुजरात बोर्डर पर मिलती है। दूसरे उदयपुर क्षेत्र पूरा आदिवासी क्षेत्र है। इन सारी बातों को देखते हुए धातु जहां से निकलती है उस जिले में ही इसको लगाया जाए, यह हमारी मांग है। यह स्मेल्टर उदयपुर में ही लगाया जाए क्योंकि उदयपुर के अलावा और किसी जगह लगाने से हमारे क्षेत्र के साथ न्याय नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : इससे पूर्व क्या राज्य सरकार ने उदयपुर में जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए कोई पत्र व्यवहार केन्द्रीय सरकार से किया था ? दूसरे, उस समय जो आपने पत्र लिखे थे, उनमें उदयपुर में लगाने का आधार क्या था ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या इस सुपर स्मेल्टर को जावर माइन्स या उदयपुर जिले में जयसमन्द उदयपुर के आसपास या जयसमन्द में लगाने के लिए पहले वहां के प्रतिनिधियों ने भी मांग की थी ? यदि की थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए विचार किया गया या नहीं ? वह आदिवासी बहुल इलाका है और व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी दिलाने की दृष्टि से, सरकार का खर्चा कम करने की दृष्टि से उदयपुर की जो पूर्व में मांग थी उसके आधार पर क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखेगी या लिखने का इरादा रखती है ?

खनिज मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : हमने उत्तर में स्पष्ट बताया है कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन इस सुपर स्मेल्टर को चित्तौड़गढ़ में लगाने के लिए आई है। माननीय सदस्यों ने कहा कि उदयपुर में लगाया जाए। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया ? उस संदर्भ और आज के संदर्भ में अंतर आ गया। जब उदयपुर की बात कही गई तब आगूंचा में जिंक-लैड मिलेगा, यह मालूम नहीं हो पाया था। अब आगूंचा में भी जिंक-लैड है। सबसे बड़ा भंडार वहीं पर है। आज जो सुपर स्मेल्टर लगेगा वह केवल उदयपुर के आसपास मिलने वाले माल के आधार पर नहीं लगेगा बल्कि उसमें आगूंचा का भी काफी माल आएगा। इस सारी स्थिति को देखते हुए पूर्व में जब आगूंचा में जिंक-लैड नहीं मिला था तब ठीक था, सारा माल गुजरात और उदयपुर से मिलता उस समय ठीक था। पानी की समस्या को देखते हुए एक बार यह भी विचार चल रहा था कि जयसमंद के पास लगाया जाय लेकिन जयसमंद भी दूर पड़ता है। आगूंचा का माल उदयपुर और गुजरात से आने वाले माल से ज्यादा होगा। एक्सपर्ट ओपीनियन यह है कि स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में लगे। फाइनल निर्णय नहीं हुआ। इस पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। यही कारण है, एक्सपर्ट्स ने ओपीनियन दी है उसका आधार है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह स्मेल्टर ऐसी जगह लगेगा जहां चारों तरफ जिंक-लैड निकलता है। इन्फ्रा स्ट्रक्चर स्मेल्टर के लिए मिल जाए। सबसे बड़ा सवाल पानी का है उसको देखते हुए एक्सपर्ट ओपीनियन चित्तौड़गढ़ के लिए है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चित्तौड़ में आपने पानी का सोर्स बताया कि गोसुंडा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
में पानी की उपलब्धि होगी। पूर्व में देवास योजना, जो 1966-67 में बनना प्रारम्भ हो गई थी, का फर्स्ट फेज पूरा हो गया। वह केवल इसलिए अपनाई जा रही थी कि सुपर जिंक स्मेल्टर को पानी सप्लाई हो तो गोसुंधा में क्या खर्चा होगा और आज जो योजना बन रही है उसके बनने से खर्चे में क्या अंतर आने वाला है ?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सुपर जिंक स्मेल्टर का जो कारखाना है तकनीकी दृष्टि से एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है कि वह चित्तौड़गढ़ में गोसुंधा तहसील में बनाया जाना चाहिए परन्तु राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री माथुर साहब क्या चाहते हैं ? आगूंचा में भारी मात्रा में जिंक-लैड मिला है तो बजाय गोसुंधा के यह स्मेल्टर का कारखाना आगूंचा भीलवाड़ा जिला में लगवाना चाहते हैं ?

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : मेरे पास पत्र है कि चित्तौड़गढ़ में लगाने के लिए निर्णय किया गया। तो क्या यह चित्तौड़गढ़ में लगाया जाएगा ?

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) : गोसुंधा में जो बांध बन रहा है यह सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाने के पानी की समस्या की पूर्ति करता है इसलिए यह कारखाना चित्तौड़गढ़ जिले में ही लगना चाहिए।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : जिंक का भंडार आगूंचा में जब सबसे ज्यादा है जैसा मंत्री महोदय ने कहा तो फिर यह कारखाना भीलवाड़ा में न लगे, इसके क्या कारण हैं ?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि पहले आगूंचा में भंडार नहीं था इसलिए उदयपुर के लिए सोचा। अब आगूंचा में भंडार मिल गया इसलिए शायद चित्तौड़गढ़ में नहीं लगे। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार को अभी तक यह मालूम नहीं है कि आने वाले 5 साल में कहां भंडार मिल जायगा। यदि कहीं और मिल गया तो फिर इसको चेंज करेंगे। विशेषज्ञों की राय है, तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से जब सुपर जिंक स्मेल्टर का कार्य प्रारम्भ हुए बहुत समय हो चुका है, इन्फ्रा स्ट्रक्चर उदयपुर में डवलप कर दिया गया, टेक्निकल नो हाउ उदयपुर में ज्यादा है, जितनी मिनरल रेवेन्यू हो रही है उसके मुकाबले आदिवासियों की पर-कैपिटा इनकम कम है, 24 लाख की जनसंख्या है, उदयपुर का 2½ लाख निकालें तो 20-22 लाख आदिवासी रह जाते हैं, ऐसे इलाके में जहां पर–कैपिटा इनकम कम है, राजस्थान की सारी इकानामी उदयपुर पर डिपेंडेंट है उस आधार पर मंत्री महोदय विश्वास दिलायेंगे कि टेक्निकल नो हाउ के आधार पर या भविष्य में और कहीं पार्टेशियल मिल जाएगा तो भी इसको बदला नहीं जाएगा ?

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह सुपर जिंक स्मेल्टर जो लग रहा है इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, अभी जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि आगूंचा में जिंक लैड निकला है वह विश्व में सबसे बड़ी खानों में से है। वह भीलवाड़ा में मिला है। भीलवाड़ा में जब वह उद्योग लगाया जाना चाहिये तो उसको उठाकर चित्तौड़गढ़ ले जाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

(श्री बिहारी लाल पारीक)

दूसरा मेरा प्रश्न यह भी है, यह भी कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ के आस-पास भी जिंक लैंड मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि अभी तक मंत्री महोदय की जानकारी में यह नहीं है कि वहां पर या उसके आस-पास और जिंक लैंड मिलने की सम्भावना है। जब भीलवाड़ा में आगूंचा में आलरेडी काफी बड़ा भण्डार मिला है तो फिर क्या कारण है कि उसको भीलवाड़ा में ही नहीं लगाया जा रहा है? दूसरी जगह तो अभी मिला नहीं है। अगर मिलेगा तो आगे की बात आगे देखी जायेगी। लेकिन अभी जहां पर बहुत बड़ा भण्डार मिला है तो फिर इसको भीलवाड़ा में ही क्यों नहीं लगाया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सुपर जिंक-स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ की जगह भीलवाड़ा मे ही लगाया जाय। जैसा कि आपने कहा कि चित्तौड़गढ़ में पानी की कमी नहीं है तो मेरा यह निवेदन है कि भीलवाड़ा में भी पानी की कमी नहीं है। इसलिये इस कारखाने को भीलवाड़ा में ही लगाया जाय। आगे और कोई भण्डार जिंक-लैंड के वहां मिल सकते हैं जहां पहले से ही काफी मात्रा में भण्डार हैं। अगर भीलवाड़ा में यह उद्योग लगाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आयेगा चित्तौड़गढ़ के बजाय। अत: इसको भीलवाड़ा में ही लगाया जाय ।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुपर जिंक स्मेल्टर के कारखाने के लगाने के लिये समस्या है। इसको वहां पर ही लगाया जाय जहां पर कि इस उद्योग का रॉ मैटीरियल मिले जैसे पहले दरीबा में यह निकाला गया तो उसका कारखाना उदयपुर में लगा। अब आगूंचा में भण्डार मिला है या जहां पर यह माल मिलने की सम्भावना है उसके आस-पास ही लगाया जाना चाहिये। इससे यह फायदा होगा कि वहां पर रॉ मैटीरियल मिल जायेगा और वह उद्योग भी पनप सकेगा। अगर इस उद्योग को इधर-उधर ले जाया गया तो फिर उसमें व्यवधान पैदा हो जायेगा। उसके लगने में देरी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : हां, खून खच्चर हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से आपको निवेदन कर रही हूँ।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हुई कि एक आदमी आम का पेड़ लगाये और आम कोई खाये। वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने उन खानों को खोदा और खोदते समय जो लोगों को बीमारियां हो जाती हैं वह हुई। अब उद्योग लगाने की बात हुई तो सुपर जिंक स्मेल्टर उदयपुर की जगह चित्तौड़गढ़ में लगाने की मांग की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि इसको उदयपुर में लगाया जाय।

(व्यवधान)

Page No.5

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, आज का युग विज्ञान का युग है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको पॉलीटिकल बंदरबांट नहीं बनाकर इसे वहां पर लगाया जाय जहां पर कि इस प्रोजेक्ट को लगाया जाना उपयुक्त है जो रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की आयी है। दूसरे वहां के सोशियो-इकानामिक बेनीफिट देखकर ही लगाया जाय। जो विशेषज्ञों की राय आयी बताते हैं, तो कौन-कौन से विशेषज्ञों ने राय क्या दी और वह क्या राय थी, यह भी बतावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से भीलवाड़ा के आगूंचा में इसकी खान है। अभी रामपुरा में भी इसका बहुत बड़ा भण्डार मिला है। ऐसा अनुमान है कि और भी उसके आस-पास बहुत सारे भण्डार मिलने की सम्भावना है। चूंकि आगूंचा में भण्डार मिले हैं वह विश्व के सबसे बड़े जिंक लैड के भण्डारों में से है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस उद्योग को भीलवाड़ा में ही लगाया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में ग्रु र जिंक स्मेल्टर का कारखाना लगाने की यहां पर बात की। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको उदयपुर में लगाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको उदयपुर में ही लगाया जाय। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको चित्तौड़गढ़ में लगाया जाय। आगूंचा भीलवाड़ा जिले में है तो वहां के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसको भीलवाड़ा में लगाया जाय। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दरीबा में पहले यह पाया गया था अतः उदयपुर में इसका कारखाना लगाया गया क्योंकि वहां रॉ मैटिरियल मिलता था। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने पहले बताया, इसमें वैज्ञानिकों की यह राय है, जहां माल निकलता है वहीं लगाया जाय, तो कोई उपयोगी नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स का मतलब है, जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों। उन्होंने राय दी है उसके अनुसार इस कारखाने को चित्तौड़गढ़ में लगाया जाना चाहिये। उन्होंने इस मामले को सभी तरह से एग्जामिन करके यह निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष : लगेगा तो राजस्थान में ही।

श्री हीरालाल देवपुरा : लगेगा तो राजस्थान में ही, अध्यक्ष महोदय, पर यह तो काम्पलेक्स लगेगा, इसके लिये माननीय सदस्य, जो उदयपुर से आने वाले हैं, ने कहा कि उदयपुर के पास आलरेडी कारखाना लगा हुआ है। पहले यह तय हो चुका था कि इसको उदयपुर में ही लगाया

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जाय पर उस वक्त यह बात पता नहीं थी कि आगूंचा में इतनी बड़ी भारी मात्रा में भण्डार मिल जायेंगे। वह स्थिति दूसरी थी। फिर भी मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तक यह मामला फाइनल स्टेज, फाइनल स्थिति में नहीं है। आगूंचा में माल मिला है तो भीलवाड़ा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको भीलवाड़ा में ही लगाया जाय। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि और भी दूसरी जगह पर यह माल मिलने की सम्भावना है। उदयपुर के आसपास या जहां भी इसका सर्वेक्षण हो, जहां पर माल मिले तो जहां आवश्यकता हो वहां पर यह उद्योग लगाया जाय। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं, हम तो यह चाहते हैं कि यह उद्योग जल्दी से जल्दी लगे। जो एक्सपर्ट्स की राय है वह सही है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया इसको लगाने की कार्यवाही कर रही है। उसमें अगर देरी हो गयी तो इस उद्योग के लगने में काफी समय लगेगा और हम इस उद्योग को लगाने से वंचित रह जायेंगे। हम यह चाहते हैं कि इस उद्योग को लगाया जाय ताकि हमारे यहां विकास हो सके। हमें क्षेत्रीय भावना से नहीं सोचना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब ज्यादा समय न लें। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने इस प्रश्न पर काफी समय दे दिया है। माननीय सदस्य

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। आर्डर आर्डर। नहीं मैं किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप इस प्रश्न को और भी किसी माध्यम से उठा सकते हैं। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब जो आना था वह आ गया।

अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। आप अन्य किसी तरीके से इसी प्रश्न को उठायें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जवाब नहीं देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने बहुत समय दे दिया इस प्रश्न पर। मैंने बीस मिनट से ज्यादा दे दिये हैं सप्लीमेन्ट्री के लिये। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी।

लूणकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित क्षेत्र

119. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी व माइनरों का निर्माण कार्य किस-किस तिथि को पूर्ण हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लूणकरणसर लिफ्ट मुख्य नहर व इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी व माइनरों के तहत कितना क्षेत्र सिंचित करने की योजना है ? अब तक कितने क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु सिंचाई की जा रही है ? कृपया चकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में अलग अलग शाखाओं पर कितनी भूमि सिंचित होने योग्य है ?

राजस्थान नहर मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी व माइनरों के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की तिथि निम्न प्रकार है :

1.	मुख्य लिफ्ट नहर –	1976-77
2.	फूलेजी माइनर	1974-75
3.	चारण डिस्ट्रिब्यूटरी	1976-77
4.	चारण माइनर	1976-77
5.	भाडेरा डिस्ट्रिब्यूटरी	1975-76
6.	भाडेरा माइनर	1975-76
7.	मलकीसर डिस्ट्रिब्यूटरी	1977-78
8.	मलकीसर माइनर	1975-76
9.	लूणकरणसर डिस्ट्रिब्यूटरी	1976-77
10.	फूलदेसर माइनर	1974-75
11.	डेलाना डिस्ट्रिब्यूटरी	1976-77
12.	दुलमेरा माइनर	1976-77
13.	जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी	1979-80
14.	खिचिया माइनर	1976-77
15.	घोलेरा माइनर	1977-78
16.	डूंगरसर माइनर	1976-77
17.	नागासर माइनर	कार्य प्रगति पर है।
18.	बीकानेर माइनर	कार्य प्रगति पर है।
19.	बीकानेर सब माइनर	कार्य प्रगति पर है।

(2) लूणकरणसर लिफ्ट नहर व इसकी डिस्ट्रिब्यूटरी व माइनरों के तहत कुल 1,18,987 एकड़ भूमि सिंचित करने की योजना है। मार्च, 82 तक भूमि कार्य हेतु 19500 एकड़ सिंचाई की जा चुकी है, जिसका चकवार विवरण प्रपत्र (अ) में संलग्न है।

(3) उपरोक्त में अलग अलग शाखाओं पर जितनी भूमि सिंचित होने योग्य है उसका विवरण निम्न है :

1.	लिफ्ट नहर के सीधे मोगा	40924 एकड़
2.	फूलेजी माइनर	3861 ,,
3.	चारण वितरिका	5205 ,,
4.	चारण माइनर	1015 ,,
5.	मलकीसर शाखा	7866 ,,
6.	लूणकरणसर वितरिका	5089 ,,
7.	बोडेरा वितरिका	5749 ,,
8.	बोडेरा माइनर	3382 ,,
9.	फूलदेसर माइनर	4191 ,,
10.	डेलाना वितरिका	3161 ,,
11.	दुलमेरा माइनर	1788 ,,
12	जामसर वितरिका	15109 ,,
13.	खिचियां माइनर	3885 ,,
14.	घोलेरा माइनर	1772 ,,
15.	डूंगरसर माइनर	1665 ,,
16.	नागासर माइनर	2195 ,,
17.	मलकीसर उपशाखा	1387 ,,
18.	बीकानेर माइनर	3248 ,,

(श्री चन्दनमल बैद)

19. बीकानेर सब माइनर 7425 एकड़

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे में जाना नहीं चाहता, जैसा आप फर्माते हैं एक चावल देखने से पूरी खिचड़ी का पता लग जायेगा।

जामसर डिस्ट्रिब्यूटरी के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि 1979-80 में उसका निर्माण हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, इनकी रिपोर्ट के अनुसार 19 से लेकर 28 तक के खालों से एक भी बीघा जमीन सिंचित नहीं हो रही है। उसका प्रमाण मंत्री महोदय देखना चाहें तो यह उनकी रिपोर्ट में है। वे खाले टूटे पड़े हैं। अभी तक उनकी रिपेयर नहीं हुई है। वहां पर बिल्कुल समतल मैदान है परन्तु एक भी काश्तकार को पानी नहीं मिल रहा है और जमीन सरकार के द्वारा उनको आवंटित हो चुकी है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके सिंचाई विभाग को 19 से लेकर 28 तक के खालों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन टूटे हुए खालों के लिए जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

दूसरे आप कृपया यह बतायें कि सिंचाई का पानी देने से पूर्व इनका खर्च कौन वहन कर रहा है ? 19 से लेकर 28 तक के खालों को कब से पानी देना शुरू किया ? यह आप बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं अपने प्रश्न के उत्तर में ही मान चुका हूं कि जितनी सिंचाई होनी चाहिये उतनी सिंचाई इससे नहीं हो रही है। 1,18,987 एकड़ में से केवल 19 हजार 500 एकड़ में ही सिंचाई हुई थी। इस साल हमारा लक्ष्य 25 हजार एकड़ का है। मुझे आशा है कि 25 हजार एकड़ में इस साल सिंचाई हो जायेगी।

सिंचाई पूरी नहीं होने के कई कारण हैं। एक तो यह है कि वह जगह बड़ी ऊबड़ खाबड़ है उसको साफ करने में किसानों को बहुत समय लग जाता है। ज्यों ज्यों सफाई करते जा रहे हैं सिंचाई बढ़ती जा रही है।

दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर आंधी ज्यादा चलती है और नहरें बुर जाती हैं, धूल भर जाती है, और खरपतवार और बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। उसकी सफाई की जाती है। पिछली साल सफाई की गई और इस साल भी की जा रही है। इससे पहले भी सफाई की गई। इसके अलावा लेवल कुछ खराब बनी है, उसकी जांच की गई है। इसके लिये जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लिया जा रहा है। कई कारणों से पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है। केवल पानी कम या केवल लेवल खराब होना या केवल नालियां टूट जाना ही कारण नहीं है। सब कारण मिलने से कमी हुई है। पूरी कोशिश की जा रही है और जो पक्के खाले बने हुये थे उनकी मरम्मत की जा रही है। काफी की तो की जा चुकी है। यह सब कारण मिलकर जितनी सिंचाई वहां होनी चाहिये उतनी नहीं हो रही है। इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की क्षमता वहां बढ़ती चली जाये।

Page No.9

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो सिर्फ 19 से लेकर 28 आर.डी. के बारे में कह रहा हूं। दो सत्र से मैं बराबर प्रश्न उठा रहा हूं। वहां समतल जमीन नहीं है। यह कहते हैं कि कालोनाइजेशन विभाग ने आवंटन लोगों को कर दिया है। लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिला है। उसके बारे में आपके विभाग को पूर्व में कई शिकायतें की जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप दूसरे कारण बताते हैं, वह कतई नहीं हैं। आपका विभाग इस ओर कतई ध्यान नहीं देता। आप बता दें कि आप अब पानी कब देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर के बारे में प्रश्न था। एक विशेष आर.डी. का प्रश्न होता तो मैं उसकी जानकारी करके आता।

श्री अध्यक्ष : इसमें, माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदय को जानकारी दीजिए फिर यह देख लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, फिर भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिस आर.डी. के बारे में या खाले के बारे में मुझे सूचना देंगे मैं पूरी जांच करूंगा और शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : जब इनके पास सूचना आ चुकी है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : इसमें माइनर्स और दूसरी कई नहरें होती हैं। यह तो मंत्री महोदय ने कबूल किया है कि केवल 19 हजार एकड़ में पानी पहुंचा है। इस साल और बढ़ाने की योजना है। तो उसमें किसी एक माइनर या किसी ब्रांच की शिकायत है तो आप बता दें। सारी व्यवस्था ठीक है या नहीं है यह न पूछ करके आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो उसके बारे में आप सूचना दीजिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : 223 मद है इसमें। एक एक मद में किस लैन्थ पर काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी तो मेरे पास इस समय नहीं हो सकती।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने पूछा है कि क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं बराबर दो सत्र से कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : सभी तरह के और अधिक प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें से एक कम्पलीट करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए एक की खास तौर से शिकायत है तो पूछ लीजिये। उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेंगे मंत्री महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्न तो शुरू में ही मेरा काट दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा पूछिए, मदद कर देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल के लिए बिजली से पम्पिंग होता है तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके लिए विभाग ने क्या सोचा है, विद्युत फेल हो जाती है तो उसका आल्टरनेटिव क्या होगा और उनको किस प्रकार से पानी दिया जाएगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह भी एक कारण है, बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण से भी पूरा पानी नहीं चल पाता है लिफ्ट चैनल में। उसके लिए अलग से लाइन डाल रहे हैं। यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे राजस्थान नहर में या उसकी वितरिकाओं में जहां जहां फाल्ट हैं उनके द्वारा भी बिजली पैदा की जाये और उसका उपयोग लिफ्ट इरिगेशन को चैनल में किया जाये। इसके बारे में माननीय विद्युत मंत्री जी ने एक बयान भी दिया है। वह कह रहे हैं कि इससे काफी बिजली का उत्पादन होगा। इस काम में उसका उपयोग किया जायेगा।

श्री देवीसिह भाटी : मैं यह कहना चाहता हूं कि जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्दर टेल एण्ड के ऊपर लोग आज भी प्यासे हैं वहां व्यवस्था कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं उसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा और जरूर इन्तजाम करवा दूंगा।

श्री देवीसिह भाटी : वहां पर सारे किसान एक महीने से प्यासे पड़े हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बता दें कि 19 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है और 1 लाख 18 हजार एकड़ इससे प्रस्तावित है। इस वर्ष आपने 25 हजार करने का इरादा किया है। क्या राज्य सरकार 1 लाख 18 हजार क्षेत्र को सिंचित करने का कोई प्लान बना लिया है? कितने वर्ष में आप करने वाले हैं। कोई वर्षवार प्लान बन गया है? सवाल नम्बर एक···

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा नहीं होगा। समय बहुत हो गया है। मैं मानता हूं आपकी जानकारी सभी क्षेत्रों में है। आपके अनुभवों से भी हम लाभ उठाना चाहते है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिए इम्पार्टेन्ट है कि वेस्टेज हो रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं वहां···

श्री अध्यक्ष : 1985 में राजस्थान नहर को कम्पलीट कर रहे हैं। इसको जल्दी करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री को सूचना देना चाहूँगा कि 1977-78 में 1855 एकड़ में सिंचाई हुई वह बढ़कर 1978-79 में 6,961 एकड़ हुई। 1979-80 में 13,503। यह आपका कार्यकाल है····

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इरिगेशन में कुछ दखल रखते हैं तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से कन्सल्ट तो कर लीजिए। ऐसा ही होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। अन्य माननीय सदस्यों को शिकायत रह जायेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा की जाये।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से दरख्वास्त दें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, लूणकरणसर में कितना किया है, कितना खर्चा आया है व किसने बनाई है ?

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिए तो मुझे नोटिस चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रंगजी मीणा। श्री कैलाश मेघवाल।

कामकाजी महिलाओं के आवास हेतु अतिरिक्त होस्टल

120. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के आवास के लिए पांच होस्टल निर्माण करने की स्वीकृति दी है ?

(2) क्या इन होस्टलों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो ये कहां कहां बनाये जा रहे हैं और कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

(3) क्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में ऐसे होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति बहुत कम संख्या में हुई है ? यदि हां, तो इस संख्या को बढ़वाने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयत्न कब कब किये हैं ?

उप मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने राजस्थान में सात स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिये आवास के लिये छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है।

(2) निर्माण की प्रगति की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) कुछ राज्यों के मुकाबले राजस्थान में कम स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। क्योंकि संस्थाओं या स्थानीय निकायों को भूमि व निर्माण लागत की 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था करनी होती है। स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं नगर विकास न्यासों तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं को यह योजना हाथ में लेने हेतु निवेदन गत वर्ष से किया जा रहा है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान की आबादी हिन्दुस्तान की आबादी का 5 प्रतिशत है ? देश में इस तरह के जो कुल 300 छात्रावास स्वीकृत हुए हैं उनमें से राजस्थान सरकार बहुत कम ले पाई है ? राज्य सरकार ने इस विषय में क्या क्या प्रयत्न किये हैं और कब से किये हैं ? इस तरह के कामकाजी महिलाओं के होस्टल कहां कहां खोले जायं, क्या स्थान तय करने के लिये कोई मापदण्ड रखे गये हैं ? महिला विद्यापीठ, उदयपुर को होस्टल बनाना उस योजना का उद्देश्य नहीं था। वनस्थली होस्टल बनाना उस योजना का उद्देश्य नहीं था। क्या जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, जहां आवश्यक है कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल बनाना, में होस्टल बनाने का राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : पहले स्थान कौन कौन से हैं, यह आप बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : जो स्वीकृत हैं, वह हैं अलवर, श्री गंगानगर, वनस्थली, भुसावर, अजमेर, जयपुर, सांगरिया।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

आपने प्रथम प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में बहुत कम खुले हैं। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान 15 प्रांतों से आगे है। 15 स्टेटों से ऊपर है।

श्री कैलाश मेघवाल : कुल कितने मंजूर हुए और राजस्थान में कितने खुले ?

श्री छोगाराम बकोलिया : राजस्थान में कुल 7 स्वीकृत हुए हैं। दूसरी स्टेट्स में कहीं एक एक, दो दो स्वीकृत हुए हैं। हमारे यहां स्वीकृत हुए हैं। हमारा राजस्थान पीछे नहीं है। बल्कि 15 प्रान्तों से आगे है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रश्नों के ऊपर माननीय सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जायें। कृपया बैठ जायें

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री कंवरिया।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि किस किस प्रकार की नौकरी करने वाली महिलाएं कामकाजी महिलाओं में शामिल होंगी ? क्या सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी करने वाली या खुली मजदूरी करने वाली महिलायें भी उसमें शामिल होंगी ?

श्री छोगाराम बकोलिया : भारत सरकार की स्कीम के अनुसार जिनकी बेसिक पे 750 हो या कन्सोलिडेटेड 1500 से ज्यादा न हो, डाइवोर्स हों या अनमेरिड हों, जिन महिलाओं का वहां पर घर न हो, परिवार से दूर जाकर आजीविका के लिये सेवा करती हों उन महिलाओं के लिये होस्टल का प्रोविजन है वह होस्टल में रह सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रश्नों के माध्यम से बहुत सी मंत्री जी को भी जानकारी होती है।

71 से अब तक भारत सरकार ने होस्टलों पर राजस्थान में इतना खर्चा किया फिर भी नहीं चल रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं, जो काम-काजी महिलाओं के होस्टल खोले हैं मंत्री महोदय बता दें क्या एक भी होस्टल चल रखा है ?

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : इसका मापदण्ड क्या है ? भुसावर में कितनी महिलायें है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कैलाश मेघवाल ने पूछा है, क्या समाज कल्याण विभाग ने कोई कोशिश की है तो मेरा निवेदन यह है कि 22-2-82 को स्वायत्त शासन विभाग की मार्फत म्यूनिसिपेलिटी, यू. आई. टी. और नगर परिषद की एक बैठक बुलाई। उनको हमने कहा कि कोई स्वयं सेवी संस्था अगर होस्टल बनाना चाहती है भारत सरकार 75 पर्सेन्ट पैसा अनुदान के रूप मे देगी और 25 पर्सेन्ट संस्था को देना पड़ेगा। इसके बाद मीटिंग

(श्री दुलाराम)

भी बुलाई। मीटिंग में अलग अलग उनसे निवेदन किया। नगरपालिका उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर सबसे निवेदन किया है। अलग अलग संस्थाओं को लिखा है। राजस्थान सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। 75 प्रतिशत भारत सरकार देती है, 25 प्रतिशत स्वयं सेवी संस्था ही खर्च करती है।

अब जहां तक राजस्थान में कम खोलने की बात है, हमने बार बार निवेदन किया है कि कोई संस्था आगे आना चाहे और 25 प्रतिशत पैसा खर्च करना चाहे तो हम भारत सरकार को लिख सकते हैं...

(व्यवधान)

आप मुझे कहने तो दें।

एक उदयपुर में महिला मण्डल का निवेदन आया था। इसको हमने 24-12-82 को भारत सरकार को भेज दिया है। कोई स्वायत्त शासन संस्था आगे आने को तैयार है तो हम भारत सरकार को अनुदान के लिए लिख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, यदि आपके पास ऐसी कोई संस्था हो जो 25 प्रतिशत अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूशन दे सकती हो तो मंत्री महोदय अपनी सिफारिश के साथ उसे भारत सरकार को भेज सकते हैं...

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। कोई संस्था लायें जो 25 प्रतिशत देने को तैयार हो तो मंत्री जी तैयार हैं...

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अजमेर में होस्टल...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्या।

कृपया बैठ जाइये।

श्री चाव खां।

अंकुर सिनेमा, जयपुर

121. श्री चाव खां (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अंकुर सिनेमा, घाटगेट जयपुर, वक्फ की जमीन पर तामीर किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह सिनेमा सरकार की मंजूरी से बनाया गया है ? अगर हां, तो मंजूरी किसके द्वारा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सिनेमा की बावत अदालत में मुकदमा चल रहा है ? इस मुकदमे में वक्फ का अब तक कितना खर्चा आया है ?

(4) यदि इस सिनेमा की मंजूरी वक्फ के किसी अधिकारी द्वारा दी गई है और आज वक्फ द्वारा ही मुकदमा चलाया जा रहा है, तो खर्च होने वाली रकम की जिम्मेदारी किसकी होगी ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No.14

वक्फ मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) :
(1) जी हां। उक्त भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा लीज पर दी गई है।

(2) जी हां। सिनेमा निर्माण की मंजूरी सम्बन्धित एक्ट के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई है वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं।

(3) जी हां। इस मुकदमे में प्राप्त सूचना अनुसार अब तक वक्फ बोर्ड का 600) रु. खर्च हुआ है।

(4) जी नहीं। उक्त मुकदमा श्री मोहम्मद अब्दुल गफ्फार नामक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वक्फ बोर्ड तथा राज्य सरकार तथा अन्य के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्री चाव खां : अभी जैसा मंत्री महोदय ने बताया, इस सिनेमा की जमीन के लिए तो माना, जमीन हमारी है। यह भी तस्लीम किया है कि इसको लीज पर दिया है, तो मंत्री महोदय यह बतायें, जब इसको लीज पर दिया है तो वक्फ बोर्ड का खर्चा मुकदमे में क्यों किया जा रहा है ? यह जो पैसा खर्च हुआ वह क्यों हुआ ? यह भी बतायें, कितने साल के लिए लीज पर दी है? जो वक्फ बोर्ड द्वारा पैरवी की जा रही है वह किस हैसियत से की जा रही है ? मालिक को पनपाने के लिए की जा रही है या जमीन हड़पने के लिए की जा रही है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अंकुर सिनेमा जिस भूमि पर बना है वह भूमि वक्फ की और कब्रिस्तान फैज मोहम्मद खां के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन वक्फ बोर्ड ने इस जायदाद की एक इन्तजामिया कमेटी तशकील की जिसने इस भूमि को मैसर्स ए.एच. खान ब्रादर्स को लीज पर दिये जाने की मंजूरी वक्फ बोर्ड से तलब की। बोर्ड ने 26-7-1975 को इस जमीन को लीज पर दिये जाने की मन्जूरी दे दी। कमेटी ने तारीख 13-8-75 को पचास साल के लिए दो हजार रुपये माहवार पर लीज पर दे दी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कब्रिस्तान को लीज पर दे दिया आपने ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आप सुनिये आगे।

इस बीच में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हो गया। नये बोर्ड ने तारीख 30-10-78 को इस मामले पर विचार किया और इस लीज को नाजायज, बेअसर और कल अदम करार दिये जाने की तजवीज पास की।

इसी दरमियान एक शख्स श्री मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट याचिका नं. 791/1978 दायर कर दी। इसमें राजस्थान सरकार, वक्फ बोर्ड तथा मैसर्स ए. एच. खान ब्रादर्स को नान पिटीशनर बनाया गया है। यह रिट अभी राजस्थान हाई कोर्ट में जेर गौर है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान ही दे दिया लीज पर।

श्री चाव खां : यह जायदाद कब्रिस्तान की है तो मेरी समझ में नहीं आता है क्या यह हमारा काम है कि जायदाद की हिफाजत करें ? ये स्वयं कब्रिस्तान पर ऐसी इजाजत दे सकते हैं तो क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, असल में इस जमीन पर फैज मोहम्मद खां की कब्र थी वह अलग से रख दी गई है।

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)
अन्यत्र खुली जमीन पर सिनेमा बनाने की इजाजत राज्य सरकार ने दी है, हमने नहीं दी...

(व्यवधान)

वक्फ बोर्ड ने नहीं दी है...

(व्यवधान)

वक्फ बोर्ड ने इजाजत नहीं दी है। कलेक्टर ने दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सीकर में सूचना केन्द्र की स्थापना

122. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर में सूचना केन्द्र बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भवन के अभाव में अभी तक सूचना केन्द्र का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सूचना केन्द्र के लिए किराये का भवन देख लिया है तथा अधिशासी अभियन्ता, सीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किराया स्वीकृति हेतु पत्रावली जयपुर भेज दी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक लापरवाही से बारह महीने से किराये की स्वीकृति नहीं हुई है और इस कारण सूचना केन्द्र प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके सूचना केन्द्र चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री सुरेन्द्र व्यास) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। भवन के अभाव में भी सूचना केन्द्र की गतिविधियां आंशिक तौर पर जन सम्पर्क कार्यालय, सीकर में ही शुरू कर दी गई थीं।

(3) जी हां। सूचना केन्द्र के लिये भवन किराये पर ले लिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां, कार्यवाही कर दी गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कब प्रारम्भ किया ? विधान सभा प्रारम्भ होने से पहले तो नहीं हुआ था। कब चालू हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न का असर हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आंशिक तौर पर जब भवन उपलब्ध नहीं था तो भवन किराये पर ले लिया गया है। अब भवन उपलब्ध हो गया है और पूरा स्टाफ पहुंच गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। 12 महीने से लगातार इसके लिये कहा जा रहा है। जब यह प्रश्न गया तो प्रश्न के जाते ही अधिशाषी अभियन्ता को बुलाया गया और कहा गया कि स्वीकृति ले जाओ। उसके बाद चार दिन में सारा काम हो गया। इस तरह 12 महीने तो ये सोते रहे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्यवीर। श्री अनंग कुमार।

निगम की बसों के लिये उपकरणों की कमी

123. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में टायरों व उपकरणों की कमी से कितनी बसें बेकार पड़ी हुई हैं ? प्रत्येक डिपो की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कमी की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राजस्थान पथ परिवहन निगम में कोई भी वाहन टायर एवं उपकरणों के अभाव में आफ रोड नहीं है। दिनांक 7-2-83 को आगारों में 73 वाहन आफ रोड हैं जो सामान्य रख रखाव, बाडी मरम्मत एवं उपकरण बदलने की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निगम में टायर एवं उपकरणों का अभाव नहीं है। यदि कोई वाहन उपकरण के अभाव में बेकार हो जाता है तो तुरन्त ऐसे उपकरण का प्रबन्ध करके वाहन को संचालन योग्य बना दिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ डिपो में वर्कशाप में पिछले एक वर्ष में कितने टायरों की मांग की गई और कब-कब सप्लाई किये गये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में सेन्ट पर्सेन्ट नेशनलाइज रूट्स हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माह दिसम्बर और जनवरी में झालावाड़ डिपो द्वारा कई बार टायरों की मांग की गई है। टायरों के अभाव में कई वाहन खड़े रहे हैं और उन्हें चला नहीं पा रहे हैं। जब आप झालावाड़ दौरे पर पधारे थे तब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायतें भी की थीं। उनके बारे में आपने क्या प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ का बता रहे थे तो क्या आपने वहां के डिपो का निरीक्षण किया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वहां 17 बसें बेकार पड़ी हैं। जब माननीय मन्त्री महोदय ने वहां के डिपो का निरीक्षण किया तो टायरों और उपकरणों के अभाव में बसें खड़ी हुई थीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि झालावाड़ जब मैं गया था तो मैंने डिपो का निरीक्षण किया था। वहां पर कुछ बसें टायरों के अभाव की वजह से और दूसरे उपकरणों की वजह से खड़ी हुई थीं। मैंने आकर यह आदेश दिया कि झालावाड़ के डिपो की व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए वहां पर टायर और दूसरे उपकरण, जो बसों के लिए चाहिए, भेज दिये जायं। आज की जो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सूचना मेरे पास है उसके आधार पर झालावाड़ डिपो में जो आफ रोड बसेज हैं, वह अधिक नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जो हालत थी, उसको निरन्तर हम सुधारने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यह हमारा प्रयत्न है कि आफ रोड जो बसेज हैं, वह ज्यादा नहीं रहें। आफ रोड बसों की संख्या मैंने आपको दी है। 2500 बसों में से 73 बसें आफ रोड हैं। कुछ नाकारा बसें हो गयी हैं। बाकी बसें आफ रोड ज्यादा संख्या में नहीं हैं। जो आपको आफ रोड नजर आती हैं वह हैं जो हमने 10 पर्सेन्ट सरप्लस दे रखी हैं।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिह : इन 73 में से परमानेन्ट कितनी बसें बेकार हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप इसको देखिये, लिस्ट को मंगाकर।

श्री अध्यक्ष : इस पर पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर डिपो पर···

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। समय कम बचा है। एक दो प्रश्न और हो जायें।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी अव्यवस्था कभी नहीं हुई। उदयपुर डिपो में एक भी···

श्री अध्यक्ष : आप इस समय बैठ जायें। आर्डर प्लीज, प्रश्नों की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, परमानेन्ट बसेज खराब पड़ी हैं, वह कब से पड़ी हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़।

माध्यमिक विद्यालय, गोगुन्दा को भू-आवंटन

124. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोगुन्दा के भवन निर्माण तथा खेल के मैदान के लिए 40 बीघा भूमि सेमटाल गांव में आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या भूमि स्कूल को सुपुर्द कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय को भवन व खेल मैदान के लिये आवंटित 40 बीघा भूमि सुपुर्द करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, दिनांक 28-2-1961 को 30 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोगुन्दा को आवंटित करने की स्वीकृति जारी की गई। स्कूल को यह भूमि सुपुर्द नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ भूमि काश्तकारों के खाते की थी जिसका उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा।

(2) विद्यालय भवन गोगुन्दा में बन चुका है जिसके लिए अब पृथक् भूमि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। खेल मैदान के लिए यदि शिक्षा विभाग की ओर से मांग की जावेगी तो नियमानुसार भूमि आवंटित की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था मूल कि कितनी जमीन स्कूल के लिए और कितनी जमीन बच्चों के खेल के मैदान के लिए अलाट की गयी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधान ने अपने चहेतों को जमीन अलाट की ? उन्होंने जो जमीन को अलाट करवा दी आज वह जमीन इसीलिये खाली नहीं करवायी है कि उस पर प्रभावशाली लोगों के चहेतों का कब्जा है ? दूसरा यह कि क्या स्कूल जो हैं वह बहुत पुराना पहले से बना हुआ है ? हायर सैकण्डरी स्कूल के लिए नयी जमीन की आवश्यकता थी और यही जमीन मांगी गयी थी ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह 1961 का मामला है। 1961 के बाद में स्कूल की बिल्डिंग बन चुकी, सारी की सारी। आज हायर सैकण्डरी स्कूल गोगुन्दा का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। गोगुन्दा कस्बे में बिल्डिंग बन चुकी है। यदि भवन की मांग ही नहीं थी तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल यह है कि आन्सर में हमने कहा है कि भूमि मैदान के लिए प्रस्तावित की गयी थी, अलाट की गयी थी, 39 बीघा, वह किसानों की जमीन थी। चूंकि वह एक समिति के मार्फत अलाट हुई थी, इसलिए उसका हर्जाना नहीं दिया जा सकता है। उसके बदले में जो जमीन उनको दी गयी थी उस पर वह किसान जाना नहीं चाहते थे इसलिए कब्जा नहीं छोड़ा। इसलिए दूसरी जगह स्कूल बन गया। शिक्षा विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में मांग नहीं आयी इसलिए रेवेन्यू विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी। जहां तक कब्जे का सम्बन्ध है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि जो मैदान और स्कूल के लिए दी गयी थी उस जमीन पर प्रधान के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है इसलिए खाली नहीं करवा पा रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कब्जा किसका है, यह तो सूचना आपने मांगी नहीं। यह तो सूचना उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं खाली की है, इसका कारण बताया। जब इन से जमीन ली गयी थी, उस समय इनको जो जमीन बतायी थी वह इनको पसन्द नहीं थी, उस जमीन पर वह नहीं जाना चाहते थे तो खाली नहीं की। कम्पेन्शेसन देने की स्थिति में सरकार नहीं थी, क्योंकि समिति जो बनी थी····

श्री मेघराज तावड़ : यह जमीन बिना नाम की थी। यह बिलकुल गलत तरीके से जमीन दी है। जो उत्तर दिया गया है क्या

(श्री मेघराज तावड़)
कार्यवाही करने को तैयार हैं और जमीन खाली करवाने के लिए तैयार हैं ? स्कूल बच्चों के लिये मैदान नहीं हैं · · · ·

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

घोड़ी गांव (कोटा) में खेत सुधार कार्यक्रम

125. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले में घोड़ी गांव में खेत सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य हुआ है ?

(2) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के पूर्व सिंचित 100 एकड़ भूमि में प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के बाद समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं, सिंचाई सुविधा जारी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कब इनको सिंचाई मिली ?

श्री अध्यक्ष : जारी है। यह आपने पूछा ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रश्न आ गया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह कुल जमीन 155.2 एकड़ है, इसमें से 73.2 एकड़ में सी. ए. डी. का काम हुआ। उस सी.ए.डी. के काम में पहले सिंचाई की गहनता 76 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर 133 पर्सेन्ट हो गई। बाकी 82 एकड़ जमीन रही जिसमें कि वहां 76 पर्सेन्ट गहनता होनी चाहिए। उसके हिसाब से 44 एकड़ को जितना मिलना चाहिए उसमें 37 एकड़ को पानी मिल चुका है और बाकी 7 एकड़ को दिया जाना शेष है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : खेत सुधार कार्यक्रम, इसके अभाव में जो जमीन सिंचित होती थी, वह सिंचाई से वंचित रह गई क्या ? इन्टेन्सिटी कितनी बढ़ाई है मेरा प्रश्न यह नहीं है, 60 से जमीन जोती जा रही है, 300 बीघा जमीन ओ. एफ. डी. के बाद भी सिंचाई से वंचित रह गई। मैंने सिंचाई विभाग से निवेदन किया तो मुझे उन्होंने बताया कि इसका अनुमोदन सिंचाई ओ. एफ. डी. ने नहीं दिया और ओ. एफ.डी. से पूछा तो वह कहते हैं कि यह दूसरे का काम है। इसी लड़ाई में 300 बीघा जमीन सिंचित नहीं की है। इसका किसानों को शुल्क पूरा देना पड़ेगा जिसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? इससे किसानों की फसल सूख गयी तो कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : जिस माइनर का नाम आपने बताया है, वह एक आउटलेट है। 1800 आर. डी. से आउटलेट में 155.2 एकड़ में सिंचाई की जानी है। इसकी गहनता जो तय की हुई है, वह 76 पर्सेन्ट तय की हुई है · · ·

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं गहनता नहीं पूछ रहा हूं, 300 बीघा की बात पूछ रहा हूं। आप प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उससे जो पानी दिया जाना चाहिए उसमें और भी ओपल वर्क चल रहा है, उसकी गहनता 76 से बढ़कर 133 पर्सेन्ट हो गयी। बाकी जिस कैचमेण्ट एरिया में ओ. एफ. डी. वर्क नहीं हुआ है, 37 एकड़ में पानी दिया जा रहा है, 44 को देना था, और 7 को देना है। यह जो कहा जा रहा है कि एक दफा पानी क्यों दिया गया और बाद में पानी क्यों नहीं दिया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक सक्यूंलर है जो सिंचाई विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप चाहें तो मैं सक्यूंलर को पढ़कर सुना दूं। उसमें कहा गया है, चूंकि इस साल नहरों में पानी कम आया है इसलिए रबी में केवल एक पानी दिया जायगा। इस वास्ते उसी तरह की बुवाई करें जो एक पानी से पक जावे। इस वास्ते पहले ही सरकार द्वारा एक ही पानी देने की बात है और एक ही पानी दिया गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह सरासर गलत है। आप जो कह रहे हैं कि एक परिपत्र जारी हुआ है जिसमें किसानों को सूचित किया गया है कि एक पिलाई ही होगी, यह बिल्कुल गलत है। आपको धोखे में रखा गया है। इस परिपत्र के अलावा भी एक परिपत्र जारी हुआ है, 30 मार्च तक खेतों को पानी देने का परिपत्र जारी हुआ है। उसकी कापी मेरे पास है। आप गलत सूचना दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वह शुरू-शुरू का परिपत्र है। उसके बाद में एक परिपत्र और जारी हुआ है कि 30 मार्च तक पानी दिया जायगा। कौनसी माइनर किस-किस तारीख को चलेगी इसकी सूचना सरपंचों, किसानों, सभी को दी गई है। किसानों ने उसी के आधार पर गेहूं की बुवाई की है। मैं आपको पुनः कहता हूं कि इस तरह का परिपत्र मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि मार्च तक पानी दिया जायगा और माइनर कौन-कौन सी तारीख को कब-कब चलेगी। यह मंत्री महोदय को गुमराह किया गया है और मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग ने मुझे इसी परिपत्र की जानकारी दी है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस विभाग की तरफ से एक और परिपत्र जारी हुआ है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और किसी भी आफिसर ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जायगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जिनकी फसलें सूख गईं उनका क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीगोद क्षेत्र में फसलें सूख रही हैं . . .

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : क्या उस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है . . .

Page No.21

श्री वाऊदयाल जोशी : आपको गुमराह किया गया है, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूँ। जो विभाग से मुझे सूचना मिली है उसी सूचना के आधार पर मैंने अध्ययन किया है और उसी अध्ययन के आधार पर मैंने जवाब दिया है। जब आप इसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि इसके बाद दूसरा सर्क्यूलर निकला है। तो मैंने आपको आश्वासन दिया है, फ्लोर आफ दी हाउस पर आश्वासन दिया है कि अगर सिंचाई विभाग से ऐसा कोई दूसरा सर्क्यूलर भी निकला है तो जिस अधिकारी ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की है उसके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री वाऊदयाल जोशी : दीगोद क्षेत्र को कहीं पानी नहीं दिया गया है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री वाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है। आसन पैरों पर है ....

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री वाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय ले रहे हैं। अंकित नहीं हो।

श्री महाराम चौधरी : आप अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने में सक्षम नहीं हैं ...

श्री अध्यक्ष : यह वाद-विवाद करने का कौनसा तरीका है? माननीय सदस्य ने कारगर ढंग से बात कह दी, मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया, उसके बाद में कौनसा प्रश्न रह जाता है ...

(व्यवधान)

बैठ जावें। मुझे अफसोस है कि इतनी तीखी जुबान में कहना पड़ता है। आप सब समझदार हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया उसके बाद क्या बिन्दु रह जाता है? यह प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.22

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण कार्य

99. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982–83 में 31 दिसम्बर, 1982 तक राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में कितने किलोमीटर लम्बाई की वितरक प्रणाली व कितने किलोमीटर लम्बे पक्के खालों का निर्माण कार्य पूरा किया गया ?

(2) उक्त अवधि में ही राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कितने कि. मी. मुख्य नहर कितनी वितरक प्रणाली तथा कितने लम्बे पक्के खालों का निर्माण किया गया ? उक्त अवधि में निर्मित कार्य से कितनी भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चालू वर्ष 1982–83 में 31 दिसम्बर, 1982 तक राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 18.5 किलोमीटर लम्बाई की वितरक प्रणाली व 350 किलो मीटर लम्बे पक्के खालों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

(2) उक्त अवधि में राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में मुख्य नहर पर 12 किलोमीटर और वितरक प्रणाली पर 9 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य पूरा किया गया। द्वितीय चरण में पक्के खाले अभी नहीं बनाये जा रहे हैं, उक्त अवधि में निर्मित कार्य से होने वाली सिंचाई क्षमता में वृद्धि की सूचना वर्ष 1982–83 की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् अप्रेल, 1983 में उपलब्ध होगी।

लूणकरणसर लिफ्ट योजना की जामसर वितरिका का निर्माण

100. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूणकरणसर लिफ्ट योजना की जामसर वितरिका (जे. एम. डी.) का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ व किस तिथि को पूर्ण हुआ ?

(2) जे. एम. डी. कुल कितने किलोमीटर बनी है तथा इसकी शाखाओं का कितने किलोमीटर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है ? कृपया शाखावार दूरी मय प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) वर्तमान में जे. एम. डी. के पूर्व प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में से कुल कितने क्षेत्रफल में सिंचाई साधन उपलब्ध हैं व कितने क्षेत्रफल में सिंचाई द्वारा मौके पर खेती की जा रही है ? कृपया चकवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 23 जे. एम. डी. खाले के निर्माण से अब तक किसानों को पानी नहीं दिया गया है ?

(5) यदि हां, तो 23 जे. एम. डी. खाले का निर्माण कार्य कब व किन-किन अधिकारियों व ठेकेदारों की देख-रेख में पूर्ण हुआ ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(6) क्या इस खाले के निर्माण में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) क्या विभाग जे. एम. डी. के क्षतिग्रस्त खालों का पुनः निर्माण करवा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस का ?

(8) इस क्षेत्र में सुचारू रूप से कब तक पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जामसर वितरिका का निर्माण कार्य 1970-71 के वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ तथा पूर्ण निर्माण कार्य नवम्बर, 1979 में पूर्ण हुआ।

(2) उक्त वितरिका कुल 32.06 कि.मी. बनी है इसकी शाखाओं का कुल 8.64 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। इसकी पहली शाखा बिचिया माइनर व दूसरी शाखा धोलेरा माइनर है जिसकी शाखावार लम्बाई तथा प्रस्तावित सिंचाई निम्न है :—

नाम	लम्बाई	सिंचित क्षेत्र
बिचिया माइनर	5.73 कि.मी.	3855 एकड़
धोलेरा माइनर	2.91 कि.मी.	1772 एकड़

(3) वर्तमान में उक्त वितरिका के पूर्व प्रस्तावित सारे सिंचित क्षेत्र में सिचाई साधन उपलब्ध हैं। चकवार मौके पर हुई खेती का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(4) 33 जे.एम.डी. खाले में टूट-फूट थी जो कि सही करवा दी गई है तथा पानी टेल तक चला दिया गया है। परन्तु किसी काश्तकार ने इस खाले से सिंचाई नहीं की है।

(5) 23 जे.एम.डी. खाले का निर्माण कार्य मार्च, 81 में पूरा हुआ था। खाले का निर्माण विभागीय तौर पर किया गया था न कि ठेकेदार द्वारा। संबंधित सहायक अभियंता श्री रघुवीरसिंह एवं अधिशाषी अभियंता का नाम श्री एस.पी. सिंह है।

(6) इस खाले के निर्माण में कोई अनियमितता नहीं थी केवल मात्र टूट-फूट के बारे में शिकायत थी जो कि टूट-फूट का समस्त कार्य पूर्ण करवा दिया गया है तथा खाले की टेल तक पानी चला दिया गया है।

(7) जी नहीं, खालों का पुनः निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। खालों में जहां कहीं टूट-फूट है उसका मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है।

(8) इस क्षेत्र में चक्रीय प्रणाली के अनुसार पानी सुचारू रूप से दिया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजसमन्द क्षेत्र में मार्बल खनिज के पट्टे

101. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के राजसमन्द क्षेत्र में मार्बल खनिज के

(श्री रामकिशोर मीणा)
पट्टे योजनाबद्ध तरीके से दिये जाने हेतु डेलिनियेशन हेतु सुरक्षित क्षेत्र में से पट्टा दिये जाने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खनिज अभियन्ता ने अस्वीकृत कर दिये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस पर अस्वीकृति के लिए विरुद्ध प्रार्थियों ने खान निदेशालय में अपील की और उनकी अपीलें स्वीकार कर उन्हें पट्टा स्वीकृति के आदेश दिये गये ?

(3) ये अपीलें किस-किस प्रार्थी ने कब कब की थीं और उन्हें स्वीकृत किये जाने के क्या आधार थे ? क्या अपील स्वीकृति के आदेश के बाद पट्टा देने के एग्रीमेंट हो चुके हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि कुछ मामलों में अपीलें स्वीकार कर उन्हें खनन पट्टा स्वीकृत हेतु आदेश दिये गये।

(3) ऐसी अपीलें, जिनमें निर्णयों के उपरान्त स्वीकृतियां जारी की गई हैं, की सूची साथ में संलग्न है जिसमें एग्रीमेंट की स्थिति भी अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

खनिज मार्बल के अवैध खनन का मामला

102. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अली मोहम्मद आमेटवाला के विरुद्ध गांव कोटड़ी, जिला उदयपुर में खनिज मार्बल का अवैध खनन करने का मामला विभाग द्वारा चलाया गया था ?

(2) यदि हां, तो यह मामला कब बनाया गया और इसमें कितनी पेनल्टी लगाई गयी और क्या खनन कार्य बन्द करने के आदेश भी दिये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री अली मोहम्मद द्वारा खनिज निदेशालय में अपील करने पर वहां पर भी उसकी अपील खारिज हुई ?

(4) यदि हां, तो कब ? और अब तक उससे पेनल्टी की राशि वसूल क्यों नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये अवैध खनन के क्षेत्र में से ही एक प्लाट 60×60 क्षेत्रफल का पट्टा दे दिया गया है ? यदि हां, तो इसका प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और वह कब, किसके द्वारा स्वीकृत किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री अली मोहम्मद के विरुद्ध दिनांक 6-10-78, 13-12-78 व दिनांक 4-4-81 को पंचनामे बनाये गये तथा 95,244 रुपये 44 पैसे की मांग कायम की गई। श्री अली मोहम्मद को अनधिकृत खनन कार्य बन्द करने हेतु भी आदेश दिये गये।

(3) जी हां।

(4) अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के अपील पर निर्णय के विरुद्ध पार्टी ने राज्य सरकार के यहां अपील दायर की, जिसे

Page No.25

(खनिज मंत्री)

राज्य सरकार ने अपने निर्णय दि. 29-9-82 द्वारा श्री अली मोहम्मद के पक्ष में मंजूर कर लिये जाने के कारण पार्टी द्वारा किया गया खनन् कार्य अनधिकृत नहीं रहा एवं स्वीकृत क्षेत्र वही माना गया। मामला समाप्त होने से अब वसूली का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(5) यह सही नहीं है कि श्री अली मोहम्मद को इस अवैध खनन् क्षेत्र में 60×60 मी. क्षेत्रफल का एक खनन् पट्टा स्वीकृत किया गया है। लेकिन श्री अली मोहम्मद को दिनांक 28-9-81 को एक खनन् पट्टा स्वीकृत किया गया है जिसका क्षेत्रफल 1788.75 व.मी. है। यह क्षेत्र पूर्व में स्वीकृत क्षेत्र से भिन्न है। तथापि इस क्षेत्र में भी श्री अली मोहम्मद दिनांक 4-4-81 को अनधिकृत खनन् करते पाये गये और उनके विरुद्ध पंचनामा बनाया गया व केस न्यायालय में दायर किया गया है। श्री अली मोहम्मद ने उक्त क्षेत्र हेतु दिनांक 8-4-81 को 60×70 व. मी. क्षेत्र के लिए खनिज मार्बल हेतु एक आवेदन-पत्र सहायक खनि अभियन्ता, राजसमन्द कार्यालय में प्रस्तुत किया था और उक्त आवेदित क्षेत्र में से 1788.75 व.मी. क्षेत्रफल का खनन् पट्टा सहायक खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 28-9-81 को स्वीकृत किया गया है।

टौंक जिले में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम

103. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

टौंक जिले में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में किन-किन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन अथवा कितनी-कितनी भूमि का नियमन किया गया? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टौंक जिले में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 15 फरवरी, 1983 तक की अवधि में कुल 11,828 व्यक्तियों को 19,986 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है एवं 684 अतिक्रमण के मामलों में नियमन किया है। जिसका विवरण संलग्न प्रेषित है।

नोट:–जिला टौंक में 1092 ग्राम हैं उनमें उपरोक्त व्यक्तियों को प्रत्येक को ग्रामवार कितनी भूमि आवंटित की गई है या नियमन की गई सूचना एकत्रित करने में बहुत अधिक समय की आवश्यकता है व काफी कर्मचारियों को भी काम में लगाना पड़ेगा। उसे अल्प समय में एकत्रित नहीं किया जा सका। अतः सूचना तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में रोड लाइट व पाइप लाइन की सुविधा

105. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में रोड लाइट व पाइप लाइन की सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) यदि हां, तो टौंक जिले में विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सी बस्तियों में कब-कब बिजली व पानी की सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं और किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सी बस्तियां उक्त सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें उक्त सुविधायें कब तक सुलभ करादी जायेंगी ? कृपया सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री माधोपुर में हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कालोनी का निर्माण

106. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर (सीकर) में हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कोई कालोनी बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा ?

(2) क्या उक्त कालोनी के लिये फार्म भराये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितने फार्म भरे जा चुके हैं ?

(3) क्या इस हेतु भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो किस स्तर पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है। लेकिन निर्माण कार्य कम से कम 200 आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।

(2) जी हां, दिनांक 30–11–82 से दिनांक 15–2–83 तक 14 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(3) कार्यालय नगर परिषद्, श्री माधोपुर को भूमि उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया था। नगर परिषद् ने बताया है कि भूमि अभी उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद् द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

आवासन मण्डल के मकानों का आवंटन

107. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य आवासन मण्डल ने अब तक राज्य में कुल कितने मकान बना कर अलॉट किए हैं ?

(2) प्रदेश भर में आवासन मण्डल के पास इस समय कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र मकान हेतु पंजीकृत हैं ?

(3) प्रतिवर्ष आवासन मण्डल कितने मकान बनाकर देने की स्थिति में है ? उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक मकान उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(4) इस वित्तीय वर्ष में आवासन मण्डल ने कितने मकान बनाये, कितने नये स्थानों पर आवासन मण्डल के कार्य का विस्तार किया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

Page No.27

(आवासन मंत्री)

उत्तर

(1) आवासन मण्डल ने राज्य के विभिन्न शहरों में 19-2-83 तक विभिन्न आय वर्ग के 35407 मकानों का आवंटन किया।

(2) प्रदेश भर में मण्डल के पास इस समय 69147 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र मकानों हेतु पंजीकृत हैं।

(3) आवासन मंण्डल प्रतिवर्ष 12000 के लगभग मकान निर्माण करने की स्थिति में है। उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को मंण्डल लगभग छः सात वर्षों में मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है क्योंकि मकान बनाने हेतु जमीन तथा वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है जिसमें समय लगता है।

(4) वर्ष 82–83 में माह दिसम्बर, 82 तक विभिन्न शहरों में 8845 मकान निर्मित हुए। प्रदेश के 95 शहरों/कस्बों के नये पंजीकरण खोले गये जिनमें 15 फरवरी, 83 तक 36334 प्रार्थना-पत्र सामान्य पंजीकरण योजना में तथा 478 प्रार्थना-पत्र विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए हैं। पंजीकरण कराने की अन्तिम तिथि 15-3-83 तक है। उक्त 95 शहरों/कस्बों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची का नाम परिवर्तन

108. श्री भैरू सिह गुर्जर (खारची): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख पंचायत समिति एवं तहसील किस शहर या कस्बे के नाम से है?

(2) क्या सरकार निर्वाचन आयोग को खारची क्षेत्र का नाम, तहसील एवं पंचायत समिति के आधार पर, मारवाड़ जंक्शन रखने हेतु सिफारिश करने का प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति व तहसील मारवाड़ जंक्शन के नाम से हैं।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन डीलिमिटेशन अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 76 आफ 1972) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम बदलने का क्षेत्राधिकार भी उसी आयोग का है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है।

परिवहन निगम में परिचालकों के निलम्बन के मामले

109. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां डिपो में गत 2 वर्षों में किन-किन परिचालकों को निलंबित किया गया है? कृपया डिपोवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिचालकों में से अधिकतर लोगों को निलंबन के कुछ समय बाद पुनः सेवा पर ले लिया

Page No.28

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया ? यदि हां, तो कितने लोगों को और किस आधार पर ?

(3) क्या उक्त निलंबित परिचालकों में से किन्हीं परिचालकों को सेवा मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कितनों को तथा कितनों की जांच विचाराधीन है ? कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन निगम के कोटा (बारां यूनिट सहित) बून्दी, झालावाड़ आगारों में गत दो वर्षों में निलम्बित किये गये परिचालकों की आगारवार व वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। निलम्बित परिचालकों में से अधिकतर लोगों को पुनः सेवा में न लिया जाकर इन 2 वर्षों में कुल निलम्बित 390 परिचालकों में से 116 परिचालकों को पुनः सेवा में लिया गया है। जिसका आधार निम्न प्रकार है:—

(1) कुछ परिचालकों को जांच पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार निर्णय घोषित कर बहाल किया गया।

(2) जिन परिचालकों के खिलाफ गम्भीर मामले नहीं थे उन्हें परिचालकों की कमी के कारण संचालन में व्यवधान उत्पन्न न होने देने की दृष्टि से अपूर्ण जांच में बहाल किया गया।

(3) जी हां। वर्ष 1981 में 19 परिचालकों एवं 1982 में 32 परिचालकों को सेवापृथक् किया गया है तथा वर्ष 81 में निलम्बित किये गये 163 परिचालकों में से 133 एवं वर्ष 1982 में निलम्बित किये गये 227 परिचालकों में से 170 परिचालकों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है। वर्षवार सेवापृथक् किये गये तथा जांच विचाराधीन वाले परिचालकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

चौमूं से विभिन्न स्थानों के लिए बसों का संचालन

110. **श्री तेजपाल यादव (चौमूं)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौमूं से हस्तेड़ा, बधाला, दांतारामगढ़ व चौमूं से खेजरोली, विवराला मरूमुण्डरू कितनी बसों के परमिट किन-किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जितने परमिट जारी किये गये हैं उनमें से 30 प्रतिशत बसें भी रूट पर नहीं चलती हैं, जिससे बसों में क्षमता से काफी अधिक सवारियों के बैठने से आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं।

(3) गत वर्ष में उक्त क्षेत्र में बसों में क्षमता से अधिक सवारियों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा कितने लोग मरे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) वस्तुतः ये निम्नांकित तीन विभिन्न मार्ग हैं:-

1. चौमूं से हस्तेड़ा-बधाला-दांतारामगढ़ ।

(यातायात मंत्री)

2. चौमूं से दिवराला-अजीतगढ़ ।

3. चौमूं से खेजरोली-मुण्डरू-जोरावर सिंह की ढाणी ।

इन मार्गों पर कुल 19 परमिट स्वीकृत किये हुए हैं। मार्गवार बसों व परमिट धारियों की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। केवल दो बसें, जिनका पंजियांक आर. आर. एल. 997 एवं आर. जे. बी. 1970 है, परमिट की अवधि समाप्त हो जाने तथा दुर्घटना के कारण नहीं चल रही हैं।

(3) गत वर्ष में चौमूं से दांतारामगढ़ जाने वाली बसों में अधिक सवारियों के कारण जो दुर्घटनायें हुई उनमें पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

अलवर जिले में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पकड़ी गई प्राइवेट बसें

111. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में सन् 1981-82 एवं 1982-83 में कितनी प्राइवेट बसें अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती हुई पकड़ी गई ? कृपया बस नम्बर एवं मालिक के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त अवैध रूप से चलने वाले वाहनों से कितने रुपये जुर्माने के रूप में वसूल हुए ? कृपया जुर्माने की राशि, वाहन नम्बर एवं मालिक के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सन् 1981-82 एवं 1982-83 में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चलती हुई 654 निजी बसें पकड़ी गयीं। सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में दर्शा दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के भारत एलम्स एण्ड कैमिकल्स फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न गैस से फसलों के नष्ट होने के विषय में।

(2) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर फ्लाइंग क्लब की ग्लाइडिंग विंग को बन्द किया जा रहा है, इस विषय में।

(3) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की सांगोद तहसील में मसूर की फसल के बीमारी लग जाने से नष्ट हो जाने के विषय में।

Page No.30

(श्री अध्यक्ष)

(4) सर्वश्री रामकंवार बैरवा व गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चाकसू तहसील में अनेक गांव अकालग्रस्त घोषित होने पर भी वहां पर अकाल राहत कार्य खोलने में भेदभाव बरतने के विषय में।

(5) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में अनेक अनियमितताएं होने के विषय में।

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में भारी मात्रा में हरी खेजड़ों की कटाई हो रही है, इस विषय में।

(7) श्री बालचन्द्र आर्य वीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के जलदाय विभाग की ओर से गांवों को पूरा पानी न मिलने के बावजूद मिनिमम चार्ज वसूल करने के विषय में।

(8) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर में सन् 1965 व 1971 में आये हुये शरणार्थियों को सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार की सहायता न देने के विषय में।

(9) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सीरावास रौंध तहसील अलवा में अनुसूचित जातियों की जमीन अन्य लोगों द्वारा छीने जाने के विषय में।

(10) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने में अनियमितताएं व अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार से वंचित रखने के विषय में।

(11) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ की 11 तहसीलों में 11 लाख जनता में से केवल 4 प्रतिशत लोगों को राहत कार्य में लगाने के विषय में।

(12) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में रूपारेल नदी से अलवर जिले में हो रही सिंचाई पर घाट खूंटेटा पर पानी को रोकने से सिंचाई की सुविधाओं में अवरोध किये जाने के विषय में।

(13) श्री मेघराज तावड़ व डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में राजपूताना आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कालेज के छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(14) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन में घटिया किस्म के पाइप लगाने तथा लेवल ठीक ढंग से नहीं होने के विषय में।

(15) श्री लच्छूराम व हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 20 फरवरी को जिला सवाई माधोपुर में जिला प्रमुख द्वारा श्री गोपीसिंह, क्लर्क को हिण्डौन बुलाये जाने के बाद से उनके लापता होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

Page No.31

(श्री ग्रध्यक्ष)

(16) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कोटा नगर में सड़कों की हालत ठीक नहीं होने के विषय में।

(17) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से सिकराय पंचायत समिति के विकास ग्रधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के सम्मन तामील करने गये एक युवक की पिटाई करने के विषय में।

ये दोनों स्थगन प्रस्ताव ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं ग्रतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं।

(18) श्री हीरालाल ग्रार्य, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से पीपल्दा क्षेत्र में ग्राम इटावा के खसरा नम्बर 709 में एक व्यक्ति द्वारा लगाये गये कारखाने को ग्राम पंचायत द्वारा नियमित न करने के विषय में।

यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है ग्रौर मैं इसे स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं तथा इस पर चर्चा के लिये अनुमति भी नहीं होगी।

पूर्व में प्राप्त कुछ स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ग्रोर से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री गुलाबचन्द कटारिया-बेरी वेतन ग्रायोग की रिपोर्ट के बाद वैद्यों के वेतनमान में परिवर्तन न करने के विषय में। सरकार की ग्रोर से बताया गया है कि वैद्यों के वेतनमान संबंधी प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ग्रौर शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(2) सर्वश्री ग्रनंग कुमार जैन व बालचन्द्र ग्रार्यवीर-झालावाड़ जिले के ग्रकालग्रस्त घोषित होने के बावजूद ग्रकाल राहत कार्य शुरू न करने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि 76.34 लाख रुपये की लागत के ग्रकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें उनके कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है ग्रौर शेष शीघ्र ही प्रारम्भ किये जायेंगे।

(3) सर्वश्री भंवरलाल शर्मा, व डा. उजला ग्ररोड़ा-जयपुर में भूमि रूपान्तरण के नाम पर राशि जमा हो जाने के बावजूद निर्मित भवनों की तोड़फोड़। सरकार ने सूचित किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद किये गये कुछ ग्रवैध निर्माण कार्यों को नोटिस देने के बाद तोड़ा गया है किन्तु पूर्व में बने ग्रवैध मकानों को फिलहाल तोड़ा नहीं जा रहा है।

उपरोक्त कारणों से मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं। ग्रब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने ग्रस्वीकार कर दिया है वे माननीय सदस्य दो दो मिनट तक बोलेंगे। वे माननीय सदस्य भी जिनके स्थगन प्रस्तावों को शासन ने ग्रस्वीकार कर दिया है राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके, दो दो मिनट तक बोल सकेंगे।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था ही नहीं दी है।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, न तो राज्य सरकार को भेजा, न उसको रिजेक्ट किया। उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में था स्थगन प्रस्ताव ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर इण्डस्ट्रियल अरबन कोआपरेटिव बैंक के मामले में था।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा...

श्री अध्यक्ष : अभी अभी मैं आपको समझाता हूं। थोड़ी देर बाद आपको उत्तर दूंगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): हमारे वाले का क्या हुआ, राज्य सरकार को भेज दिया ?

श्री त्रिलोक सिंह : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? भाखरा के बारे में था। जो लाखा किसानों की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है। किसान बरबाद हो गये हैं, फसल बरबाद हो गई, सरकार एक हफ्ते से जवाब नहीं दे रही···

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये। उस पर सरकार से वक्तव्य दिलाऊंगा।

श्री त्रिलोक सिंह : कब देगी ? अगली साल ? फसल तो बरबाद हो गई, सरकार यहां बैठी है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही व्यवस्था कर रहा हूं मैं।

श्री त्रिलोक सिंह : यह क्या जल्दी हुई, हमारी तो समझ में नहीं आया। यह किसान की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है, लाखों की फसल बरबाद हो गई है, किसान बेकार हो गया···

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं वक्तव्य दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है, मुझे मालूम है···

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी, बीकानेर जिले में हरी खेजड़ी काटी जाती है···

श्री अध्यक्ष : उसमें सरकार से जानकारी···

श्री देवीसिंह भाटी : लगातार चौथा सत्र है, अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार इस प्रश्न को उठाता हूं, उसके उपरान्त कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या उस पश्चिमी क्षेत्र को बरबाद करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, उस पर भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य, कार्यवाही थोपें नहीं। भाषण नहीं होगा। पहले भी हमने कार्यवाही की होगी। आप कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप प्राथमिकता में देते उसको।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री बैठे क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या किया गया?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, भाषण नहीं। कृपया बैठ जायें। चाहे आपने आज प्रस्ताव दिया है, अभी एक आधा घंटा हुआ है, उस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, पेड़ काटे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर। माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। कार्यवाही थोपें नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार से जानकारी चाही है।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव केक प्लेनडेड मुलजिम को ले जाने के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप जानती हैं कि प्रतिदिन 15 से लेकर 20 के बीच में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। उन पर अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती हैं। चार पांच दिन में कितने स्थगन प्रस्ताव आये, उन पर क्या व्यवस्था दी, तत्काल मेरे लिये कहना कठिन है। यदि उसके बारे में आप...

सुश्री पुष्पा जैन : आपने सरकार को जानकारी के लिये भेज दिया। मैं जानना चाहती हूं सरकार की तरफ से क्या जवाब आया?

श्री अध्यक्ष : वह मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। वह तो हमारा विषय हो गया।

सुश्री पुष्पा जन : मैं रिजेक्ट करने के लिये नहीं कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका कुछ देर से प्राप्त हुआ था इसलिये उस पर कल व्यवस्था दी जायगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने टाइम पर दे दिया था, सरकार को भेजना हो तो आज ही भेजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी। अब यूं नहीं होगा। माननीय सदस्य, कल आ जायगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, घना हत्याकाण्ड पर हमारे एडजार्नमेंट मोशन, काल अटेन्शन मोशन थे। घना हत्याकाण्ड पर जब से यह मोशन गया है, उसके बाद लोगों को..

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था जब तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद चलता है, तब तक औपचारिक कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य हाथ में लिया नहीं जा सकता। कल वह समाप्त हो जायगा। उसके बाद जैसी कि पूर्व में परम्परा रही है, हमेशा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक आध वक्तव्य की हम व्यवस्था करेंगे। जितने में सरकार से जानकारी आ जायेगी। मैं खुद चिन्तित हूं इस मामले में।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से मोशन दिया है, प्रश्न मेरा गया है, उसके बाद वहां लोगों को गांव में जाकर तंग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में तो कोई व्यवस्था करवायें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : वक्तव्य होना चाहिये उस पर, यह बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : सब पर जवाब आ जाय उसके बाद में वक्तव्य के लिये देखूंगा, मैंने आपसे निवेदन कर दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री दाऊ दयाल जोशी। कोटा नगर की सड़कों के बारे में, संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस प्रश्न को खड़ा ही नहीं करता, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन यह है कि कोटा नगर की पांच लाख की आबादी की यह सड़कें हैं उन पर चार फीट के, डेढ़ फीट के और एक फीट के ऊपर 14 गड्ढे हैं। प्रत्येक सड़क पर आपको अनगिनत संख्या में गड्ढे मिल जायेंगे। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हालत यह है कि एक्सीडेन्ट इसलिये नहीं होता कोई बस आकर, ट्रक आकर किसी व्यक्ति से टकरा गया। कोटा में ऐसे एक्सीडेन्ट हुए हैं, स्कूटर पर चलता हुआ व्यक्ति गड्ढे में गिरा उचक कर सामने जा गिरा, सामने से ट्रक आ रहा था वह उस पर चढ़ गया और एक्सीडेन्ट हो गया। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, राज्य सरकार इस बात की चिन्ता करे, जो हालत कोटा की सडकों की हो गयी है उसके कारण से पिछले दो सालों में 150 दुर्घटनाएं हुई हैं, 100 लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कभी कोटा पधारें...

श्री अध्यक्ष : मैं कोटा जाता रहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं एरोड्रम से झालावाड़ तक जो सड़क है...

श्री अध्यक्ष : वहां भी गया हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 12 खूनी सड़क कहलाती है। वहां किसी से पूछ लीजिये खूनी सड़क कौनसी है, वह तुरन्त बता देंगे एरोड्रम से झालावाड़ रोड जो नेशनल हाइवे नम्बर 12 है। एरोड्रम से चौराहे पर डी.सी.एम. की तरफ जाने वाली सड़क है, यहां हर दिन 10 हजार लोग आते जाते हैं फैक्ट्री में, उसकी हालत खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं उनसे इन सड़कों की मरम्मत करो, नगर न्यास, नगर परिषद्, हाउसिंग बोर्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह बात ही नहीं करते....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तो एक मिनट ही नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो ही बातें कह रहा हूं। यह चारों विभाग एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

अभी दो वर्ष पूरे हुए हैं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 1981-82, 1982-83 में 85 लाख रुपये खर्च करने के आर्डर पास किये गये किन्तु आज सड़कों को जाकर देखें, केवल 2-2½ इंच सड़क वहां पर बनी हुई है। वह 85 लाख रुपया कहां गया ? भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने पैसा खाया है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जब हमने रोड टैक्स के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि एक वर्ष में एक-डेढ़ करोड़ रुपया कोटा नगर के वाहनों ने भरा है।

श्री अध्यक्ष : विस्तार में न जायं। विस्तृत चर्चा तो आप राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कर सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इतना सब कुछ होने के पश्चात् ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की घटनायें न हों इसके लिये राज्य सरकार प्रयत्न करे। नगर परिषद् को इस सम्बन्ध में कहें, ठीक से डीमार्केशन कर दें कि कौन सी सड़क किसके पास रहेगी, इसकी ठीक व्यवस्था करें। सड़क का निर्माण कम से कम ऐसी जगह हो और वह 2-3 महीने में ही समाप्त हो जाय। जलदाय विभाग सड़क खोद कर चला जाता है। आज सीवरेज चल रहा है उसमें कहीं किसी परिषद् से पैसा नहीं लिया लेकिन कोटा नगर परिषद् से पैसा ले रहे हैं। इसके बावजूद भी सीवरेज की जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। सिर्फ आधी सड़क पर चलने का साधन है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा व्यावसायिक, व्यापारिक नगर है। वहां इंडस्ट्रीज हैं, पांच लाख की आबादी है, उसकी तरफ कुछ तो ध्यान दें। नगर परिषद् के चुनाव ही करा दीजिये। चुन कर आयेंगे वे कम से कम प्रयत्न तो करेंगे कि किस प्रकार सड़कों की मरम्मत करें और लोगों को राहत दें। वह भी सरकार नहीं कर पा रही है। यही नहीं, राजनैतिक कारणों से पिछले चार बार वार्डों का विभाजन बदल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर परिषद् के चुनाव भी टाल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें केवल 2 मिनट का समय होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस तरह के इंडस्ट्रियल सिटी में कम से कम सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था तो करें ताकि लोगों के जीवन के साथ खेला नहीं जा सके।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): आज के दैनिक समाचार पत्रों में, अध्यक्ष महोदय, दीनता के प्रतीक दो फोटो छपे हैं। एक आसाम की घटना पर और...

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप कोटा की सड़कों के बारे में

श्री दाऊदयाल जोशी : वही निवेदन कर रहा हूं।

उसमें बताया गया है कि मां और बच्ची दोनों एक साथ ही, एक जगह पर सड़क टूटी हुई होने के कारण दुर्घटना में मर गईं।

श्री अध्यक्ष : कोटा में ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जी हां, कोटा में। यही निवेदन कर रहा हूं कि श्री जे.पी. शर्मा की 35 वर्षीय पत्नी और उसकी 11 वर्ष की बच्ची जैसा कि आसाम का जिक्र है, दोनों को ठाठी पर रख कर ले जा रहे हैं, वही स्थिति इस चित्र के माध्यम से प्रतीत हो रही है। आखिरकार कोटा की सड़कें कितने लोगों के प्राण लेंगी ? इस अहम् प्रश्न को लेकर लोग नगर परिषद् का घेराव कर रहे हैं। नगर विकास न्यास के जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। यू.आई.टी. कहता है पी.डब्ल्यू.डी. करेगा और पी.डब्ल्यू.डी. कहता है कि नगर परिषद् करेगी। कोटा की नगर परिषद् संपन्न है। आखिरकार इनकी कोई न कोई देखभाल तो करे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां हैं नहीं, डेढ़ महीने पहले सड़क बनी और सारी टूट-फूट कर खराब हो गई। चित्ता से लेकर गढ़ तक की जो सड़क 35 लाख रुपये लगाकर बनाई गई थी वह सड़क समाप्त हो गई।

श्री अध्यक्ष : विस्तार में नहीं जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि कोटा की काली-कलूटी सड़क पर कल की तारीख में जो गड्ढा बना हुआ था वह खून के सिन्दूर से भर गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, राज्य सरकार को इंगित करें कि कोटा की सड़कें कोटा की संपन्न नगर परिषद् की अयोग्यता के कारण ठीक नहीं हो पा रही हैं। मेरा यही आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है, सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट के सम्मन ले जाने वाले व्यक्ति की अपने कमरे में बन्द करके बुरी तरह से पिटाई की गई।

श्री अध्यक्ष : तो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का केस चला देगा।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके यहां भी उसका कंटेम्प्ट का केस विचाराधीन है। उस तारीख को पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई। आपके आदेश 14 तारीख को हुए।

श्री अध्यक्ष : यह मामला व्यक्तिगत है। इसमें ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इससे पांच सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक आफिसर का सार्वजनिक जीवन होता है। उसके बुरे कर्म सार्वजनिक असर करते हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : कृत्य उसके सार्वजनिक हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। इतना भेद हम कर सकते हैं। मैंने इजाजत दे दी है। दो मिनट में कह दीजिये।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के सम्मन ले जाने वाले व्यक्ति को कमरे में बन्द करके बुरी तरह से पिटाई की गई उसके पीछे कारण यह था कि 17 तारीख की मीटिंग उन्होंने बुलाई जो कि आपके द्वारा · · ·

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं। हमारे आदेशों की अवहेलना की है तो उसकी कार्यवाही हम कर लेंगे।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसकी भूमिका में यही है। उसका आधार यह था कि बगैर प्रधान की सहमति के पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई वह अवैधानिक थी · · ·

श्री अध्यक्ष : वह विचारधीन है मसला।

श्री राम किशोर मीणा : लेकिन उस मामले में हाई कोर्ट में रिट की गई कि इस मीटिंग को अवैध घोषित किया जाय, इसके निर्णयों को अवैध घोषित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप व्यक्तिगत मामला कह कर टालते हैं। इस बारे में बांसवाड़ा कलेक्टर की रिपोर्ट है · · ·

श्री अध्यक्ष : आप विस्तार में नहीं जायेंगे। मैंने अस्वीकार कर दिया। किसी व्यक्ति की पिटाई की है तो आप दो शब्द कह दीजिये।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय इस बारे में पुलिस कार्यवाही की व्यवस्था की गई। उसके बाद एस. डी. एम. और डी. एस. पी. वहां पर रात को गये। सारी कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। करीब 100 आदमी झगड़े में शामिल हो गये। कुछ गुण्डा तत्वों को ले आये। इस कारण एक व्यक्ति का प्रश्न न होकर यह एक पोस्ट की गरिमा का प्रश्न हो गया है। नीति संगत नियमों को ताक में रख कर एक व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है और उसकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। इसके विरोध में पूरा सिकराय बन्द रहा। इसको वहां से जल्दी से जल्दी हटाया नहीं गया, इस मामले का निपटारा नहीं किया गया तो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मामला किसी एक व्यक्ति से संबंधित है और उसका जमीन का विवाद है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसका एक मात्र कारखाना है पूरी तहसील में। मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार तो व्यक्तिगत मामले आने लग जायेंगे कि उसने मकान नहीं छोड़ा, उसने किराया नहीं दिया, उसने जमीन नहीं छोड़ी। माननीय सदस्य, सरकार के कानून बने हुए हैं। अदालत में चाराजोई करें।

श्री दाऊदयाल जोशी। वैरी वेतन आयोग की वैद्यों के वेतनमान के बारे में रिपोर्ट।

(श्री अध्यक्ष)
श्री गुलाबचन्द कटारिया भी। दो-दो मिनट का समय।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सक लगातार 13 वर्ष से अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार से जद्दोजहद. . . .

श्री अध्यक्ष : लेकिन सरकार की ओर से बताया गया है कि वैद्यों के वेतनमान सम्बन्धी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आश्वासन तो जब मैंने पिछली बार सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा था तब भी दिया गया था।

आज वैद्य आन्दोलनरत हैं, पांचों आयुर्वेदिक कॉलेज पौने दो महीने से बंद पड़े हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। सारे राजस्थान के विभिन्न कोने से नियमित रूप से आकर वैद्य राजस्थान विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्चर्य और दुःख की बात है कि एलोपैथी चिकित्सा के नर्स और कम्पाउन्डर्स को जो ग्रेड दी जाती है वह ग्रेड आयुर्वेद के चिकित्सक को दी जा रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो अपने बच्चे को आयुर्वेद कॉलेज में प्रवेश दिलाकर वैद्य बनाने की कोशिश करता है उसको बड़ा दुःख होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा एलोपैथी डाक्टर के लिये जा एम.वी.बी.एस. की योग्यता है, फर्स्ट ईयर पास करके युवक मेडिकल कालेज में चला जायेगा और 5–6 वर्षों में एम.बी.बी.एस. बनकर निकल जायेगा लेकिन आयुर्वेदाचार्य बनने के लिये हायर सैकण्डरी करके लगातार 6 वर्ष और 6 महीने तक आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययन करना पड़ता है। उसको उसके बाद क्या ग्रेड दी जाती है? नर्स के बराबर।

यह प्रस्ताव आने के बाद मंत्री महोदय ने गुलाबचन्द कटारिया को बुलाया और कहा था कि तीन चार दिन में आपकी बात को हम निश्चित रूप से केबीनेट के सामने प्रस्ताव के रूप में रख देंगे····

श्री अध्यक्ष : फिर तो ठीक है। आप इस बात को खराब मत करो। जरा सा धैर्य रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं दिलाया है इसलिये आज भी टेन्ट लगाकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो विश्वास दिलाओ आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : कैसे विश्वास करें, साहब। वे तो बार बार आश्वासन देते रहे हैं। यह आश्वासन बार-बार आता रहा है कि अगले सत्र में कर देंगे, इससे अगले में कर देंगे। पता नहीं कौनसा अगला वे कहते हैं। आज 13 साल तो हो गये इस संघर्ष को चलते हुए। हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स में, गुजरात में समान काम के आधार पर दोनों को समान वेतन दिया जाता है, बिहार में समान वेतन मिल रहा है, मध्य प्रदेश में समान वेतन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है। केवल राजस्थान में नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है, आयुर्वेद मंत्री जी तो वहां पर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैं नहीं लेकिन खेतसिंहजी बैठे हैं, ये हर मामले में दखल रखते हैं, मैं माननीय खेतसिंहजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वैद्यों के वेतनमानों को आने वाले दो तीन दिन में ही निश्चित रूप से बढ़ाकर लागू करने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे संघर्ष के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि वेरी वेतन आयोग आपके बारे में विचार कर रहा है, वह जो निर्णय करेगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। वेरी आयोग ने अपने निर्णय में जो वेतनमान दिये उसमें उसने 800–1500 रुपये का ग्रेड वैद्यों के लिये और "ए" श्रेणी के वैद्यों के लिए 900–1600 की ग्रेड लागू करने की सिफारिश की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उसको घटाकर 640–1150 की ग्रेड घोषित कर दी। यह वैद्यों पर अत्याचार है। वे इतने वर्षों के बाद, इतने लम्बे संघर्ष के बाद तो इस स्थिति में आये थे। हमारी सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हरिदेवजी जोशी ने भी एक बात स्वीकार की थी कि वैद्यों को वेटेरिनरी डाक्टर के समान वेतन देंगे। यह स्वीकार किया था लेकिन बार-बार आन्दोलन होने पर भी उनको डाक्टरों के बराबर ग्रेड नहीं दी। राज्य सरकार का सारा गुस्सा, सारा घाटा वैद्यों के ऊपर ही निकाला है। वास्तव में कोई विश्वास नहीं करेगा, गरीब की सेवा करने वाला तो वही एक है, वह गरीब का दूर दराज के गांवों तक में इलाज करता है। जिस डाक्टर को आप इतना पैसा देते हो वह तो गांवों में जाता ही नहीं है, वह तो शहर में ही रहना चाहता है। यह वैद्य ही है जो जाता है फिर भी उसके साथ ही अन्याय किया जा रहा है और उसको डाक्टर के बराबर वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। कैसा अन्याय है! अगर वास्तव में चाहते हैं कि गरीब लोगों को इलाज प्राप्त हो, वह अपना इलाज दो रुपये की पुड़िया से करवा ले तो वह यह वैद्य ही कर सकता है। उसको आप कम वेतन देते हैं डाक्टर से, दोनों के वेतनमान में काफी अन्तर है जब कि दोनों की पढ़ाई में एक सा समय लगता है, एक सी योग्यता है और एक सा ही खर्चा पड़ता है। जब हिन्दुस्तान की 11 स्टेट्स दे रही हैं तो फिर राजस्थान ही ऐसा कौनसा गया बीता है जो नहीं दे सकता है? और सेवाओं के मामले में राजस्थान का नंबर भारत में तीन के बाद में चौथा आता है। 11 राज्यों में वैद्य को डाक्टरों के बराबर 1100–1600 का वेतनमान दिया जाता है, तो वह राजस्थान के वैद्यों को भी दिया जाय। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर। झालावाड़ जिले में अकाल के सम्बन्ध में।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से जो जानकारी आई है वह बिल्कुल असत्य है। झालावाड़ जिला सम्पूर्ण रूप से अकालग्रस्त है और 1544 गांव अभावग्रस्त हो चुके हैं। सरकार के द्वारा बार-बार स्टेटमेंट दिया गया कि दिसम्बर में अकाल राहत काम चालू कर देंगे, फिर कहा गया कि 1 जनवरी से चालू कर देंगे, फिर 15 जनवरी से लागू

(श्री अनंगकुमार जैन)

करने की बात कही गई लेकिन 9-2-83 तक, जब झालावाड़ जिला बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक हुई तब तक, काम शुरू नहीं हुआ था। उसके अन्दर वृजसुन्दर शर्मा जी भी आये हुए थे। उसके अन्दर सभी जन प्रतिनिधियों ने, समिति के सब सदस्यों ने मांग की कि जब पूरा जिला अकालग्रस्त घोषित है, हजारों लोग जिले से पलायन कर चुके हैं, दूसरे जिलों में काम के लिये जा रहे हैं, दूसरी जगह मजदूरी की तलाश में जा रहे हैं, हजारों लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं तब भी वहां पर अकाल राहत कार्य क्यों शुरू नहीं किये जा रहे हैं ? 9-2-83 को जब समिति की बैठक हुई तब तक एक भी गांव में राहत कार्य शुरू नहीं किये गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो सूचना दी है वह बिल्कुल गलत है। उसने यह कहा है कि 76.34 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सब कागजों में ही हो रहा है। जिस प्रकार 1544 गांवों को कागजों में ही अकालग्रस्त घोषित किया गया है, उसी प्रकार से यह 76 लाख रु. भी कागजों में दिये गये हैं। आज तक इस नाम से कोई बजट रिलीज नहीं किया गया है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है यह स्वीकृति महज कागजी ही रहेगी। आज दिन तक भी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया गया है कि अकाल राहत कार्य विभाग के द्वारा होगा। पहले जब पंचायतों के द्वारा कार्य होता था तो किस प्रकार से...

श्री अध्यक्ष : सरकार ने लिखा है कि कार्य प्रारम्भ हो गये हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : 15 तारीख तक तो नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद हो गये होंगे।

श्री अनंगकुमार जैन : नहीं हुए हैं। 18-19 को हुए होंगे। लेकिन मान भी लें तो, अध्यक्ष महोदय, जो काम हाथ में लिया गया होगा वहां पर कैम्प लगा दिया होगा। परिचय-पत्र जारी करने में ही 8 दिन लगा दिये जाते हैं। गांव में आदमी जिस दिन से भी काम करना चाहता है उसको उसी दिन से मजदूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि आदमी दिन भर कमाता है तभी उसको शाम को रोटी मिलती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर गरीब लोगों को, आम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि काम शुरू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आप बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक की जो मिनट्स आयी हैं वह देख लें। मैं बृज सुन्दरजी से निवेदन करूंगा कि आप यह....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। लम्बा कर दिया आपने भाषण को। घुमा फिराकर एक ही बात कह रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा

Page No.41

(श्री अनंगकुमार जैन)
कि जो जनता की परेशानी है उसको दूर करने की कृपा करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्वीकृति दी गयी है, वह जो सूचना दी गयी है, गलत है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि पिछले साल जो काम हुए थे उनकी मजदूरी आज तक भी नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अलग है ? क्या यह अकाल राहत की बात नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर झालावाड़ जिले में गरीब मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जायेगी तो फिर इसका क्या मतलब है। वहां पर न पीने के पानी की व्यवस्था है और न मजदूरी की। गरीब लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मजदूरी नहीं दी है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपको सूचना दी गयी है कि 76 करोड़ मंजूर किये गये हैं, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, किन्तु अभी झालावाड़ के लोग आये थे, उन्होंने बताया कि कहीं भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुए। हजारों लोग, लाखों लोग अकाल की वजह से पीड़ित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल में कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। मेरे क्षेत्र में एक डिपो बनाया गया था वहां मजदूरों को पूरी मजदूरी अभी तक नहीं दी गयी है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, झालावाड़ जिले में तुरन्त चारे का डिपो खोला जाय। मजदूरों को मजदूरी देने के लिए शीघ्र राहत केन्द्र खोले जायं और जो बजट मंजूर किया गया है उसके अन्तर्गत शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जायं ताकि मजदूरों को शीघ्र राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री भंवरलाल शर्मा; डा. उजला अरोड़ा। जयपुर में भूमि रूपांतरण राशि जमा होने के बावजूद निर्मित भवनों की तोड़फोड़ के बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): गत 10 तारीख को 7 मकानों को तोड़ा गया···

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो सूचना दी, वह मैंने निवेदन की थी। आपका स्थगन प्रस्ताव है जयपुर में भूमि रूपान्तरण के नाम पर राशि जमा हो जाने के बावजूद निर्मित भवनों की तोड़-फोड़। सरकार ने सूचित किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद किये गये कुछ अवैध निर्माण कार्यों को नोटिस देने के बाद तोड़ा गया है। पूर्व में बने अवैध मकानों को फिलहाल तोड़ा नहीं जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी इसी के बारे में। उन्होंने ता यह भी लिखा है कि ताले बंद मकानों को नहीं तोड़ा है। आप शायद पढ़ नहीं पाये हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ताले बंद मकानों को भी तोड़ा गया है। वहां पर उन मकानों के निवासी नहीं थे अगर वह होते तो सम्भवत: नहीं तोड़े जाते या फिर प्रभावशाली व्यक्ति होते या पैसे टिका देते तो नहीं तोड़े जाते। मान्यवर, गये साल तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री ने घोषणा की थी, वह मैं बताना चाहती हूं। उन्होंने कहा था, 23 करोड़ 60 लाख रुपये जमा हुए हैं, कन्वर्शन के। जल्दी से जल्दी मकानों का नियमन। अन्तिम पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में यह कहा गया उनके द्वारा। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर में 50 हजार मकानों का अवैध निर्माण हुआ जो कि कुल राज्य का 50 प्रतिशत है। इन निर्माण कार्यों में तोड़फोड़ से बहुत बड़ी मात्रा में हानि होगी। सरकार ने मौके पर जाकर नियमन करने का निर्णय लिया है। यह माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का है, मेरा नहीं है। जो जन सम्पर्क कार्यालय से रिलीज हुई, वह विज्ञप्ति है, जो यहां भाषण देने के बाद प्रचारित की गयी। मैं कहना चाहती हूं न तो नियमन किया गया। सब डिवीजन फीस के नाम पर, मान्यवर, मेरे पास उन मकानों की रसीद हैं। सब-डिवीजन फीस जमा करा दी। कन्वर्शन और सब डिवीजन की फीस लेने के बाद, विकास प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी नहीं है कि नियमन करे? मकानों को तोड़े, क्या यह उसकी जिम्मेदारी है? मान्यवर, मैं आपको दिखा सकती हूं प्लिंथ लेवल तक ही नहीं छत तक बने मकान थे, जिनके ताले लग गये, निवासी वहां थे नहीं, उनकी एब्सेन्स में मकान तोड़े गये। यह किस तरह से तोड़े? यह कहां का मजाक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यदि कोई मकानों का सवाल है उसको अवैध तरीके से तोड़ा गया है तो उस प्रश्न तक सीमित रखें। अवैध कब्जे, भूमि रूपान्तरण की नीति, इतने बड़े प्रश्न को छोटे माध्यम से नहीं कहें। या तो जिनकी शिकायतें हों, 5–10–20 की शिकायतें लेकर लिख देना चाहिए कि यह तथ्य हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: सातों मकानों के तथ्य मैंने आपको बताये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मुझे नहीं बताये। सूचना आयी थी कि 7 मकान थे, इस तरीके से निर्मित हुए पहले के हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैंने स्थगन प्रस्ताव में सातों का उल्लेख किया था इसको बहुत सीमित उन्होंने करके दिया है। उन्होंने खुद दिया है, कन्वर्शन और सब डिवीजन के बाद तोड़े जा रहे हैं। मान्यवर, जब लोग घर पर नहीं थे, इनकी फाइलें देखकर, जो औरतें थीं, जिनके नाम मकान हैं, उनके नाम मुकदमें दर्ज कराये हैं। श्रीमती विमला देवी··

श्री अध्यक्ष: इतने विस्तार में जाने से यहां कोई समस्या का हल हो नहीं सकता। माननीय सदस्या, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से···

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आप दूसरी तरह इजाजत दीजिए··

(व्यवधान)

जिनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है ऐसे मकानों को भी तोड़ दिया। उन सब को तबाह कर दिया। लोगों के मकान भेदभाव पूर्ण तरीके से तोड़ दिये। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने····

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरे सामने भैरूंलाल जी भारद्वाज बैठें है, जिन्होंने अभी मकान बनाया है, बना रहे हैं। जो गैर कानूनी मकान बना रहे हैं, वह टूट रहे हैं ? मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे तत्वों से दूर रहें। मैं नहीं चाहती कि उनके टूटें लेकिन इस तरह भेदभाव पूर्ण तरीके से, इस बस्ती में 14 मकान थे, केवल 7 मकान तोड़े गये। इस छोटे से हिस्से में 14 मकानों का ब्लाक था उसमें से 7 तोड़े गये। गैर कानूनी कार्यवाही नगर विकास न्यास, जयपुर आये दिन कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी इस तरह अनाप-शनाप कार्य नहीं करने दिये जायेंगे। अगर लोगों को सड़कों पर लाना चाहेंगे तो वह सड़कों पर भी आ जायेंगे। मैं कहना चाहूंगी, स्वायत्त शासन मन्त्री यहां पर नहीं हैं, भविष्य में किसी विभाग के स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दें तो उस विभाग के मंत्री यहां हों, यह तो व्यवस्था आप निश्चित रूप से यहां पर करेंगे···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, मेरी बात सुन लीजिये। ऐसा है कि माननीय भंवरलालजी शर्मा के स्थगन प्रस्ताव में, यह बात सही है, 7 नाम दिये हैं। इसका उत्तर है उसका अध्ययन करें। उसके बारे में अगर उत्तर नहीं दिया है तो मैं उत्तर मंगवा लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, उत्तर मंगवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी। बात मेरी समझ में आ जाती तो मैं आपको कह देता। उसके बारे में दो मिनट कह कर आपकी समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल हो, उसके साथ न्याय हो, ऐसो व्यवस्था करूंगा।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रगति प्रतिवेदन 1982–83 सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद-विवाद।

श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में पेश किया, उसमें सरकार की उपलब्धियों का एक ब्यौरा और अगले साल में क्या करने जा रही है सरकार, उसकी आशाओं का संकलन पेश किया है। इस अभिभाषण में आंकड़ों को देखते हुए, इस अभिभाषण में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसको देखते हुए ऐसा चित्र बनता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वास्तव में खुशहाली के रास्ते पर अग्रसर हुआ। ऐसा

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

चित्र बनता है कि राजस्थान में अकाल नहीं होता तो सरकार राजस्थान की हर समस्या को हल कर सकती है। ऐसा भी चित्र बनता है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का हर वर्ग खुशहाली के कगार पर खड़ा होकर माथुर सरकार का अभिवादन कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा आत्म विश्वास का ताबूद किन तथ्यों पर इन्होंने खड़ा किया है, उन तथ्यों को थोड़ा थोड़ा इस अभिभाषण में खोजने में मुझे 4 दिन हो गये हैं, किन्तु अभी तक एक भी तथ्य ऐसा नहीं मिला है जिस पर कम से कम हमारा आत्मविश्वास का ताबूत खड़ा हो सके। यह अभिभाषण केवल एक प्रचार मात्र है इन उपलब्धियों के बावजूद मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि जनता में सरकार के प्रति एक शंका और अविश्वास का वातावरण राजस्थान में क्यों फैला हुआ है? क्या सरकार यह समझती है कि सरकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति कोई विश्वास पैदा हुआ है? क्या जिन शर्तों पर उन्होंने अपना आन्दोलन वापस लिया था उन शर्तों को पूरा किया है? सरकार की साख बढ़ी है या घटी है? क्या सरकार ने पंचायती राज के बारे में जो बीकानेर के मेले में कई संकल्प लिये थे, उन संकल्पों के सम्बन्ध में कोई अग्रेत्तर कदम उठाये हैं? यह सरकार या राजस्थान की जनता यह विश्वास करती है कि जो संकल्प बीकानेर में लिये थे उससे पंचायती राज कोई सशक्त हुआ है? क्या सरकार किसानों को बिजली देने की समस्या का कोई समाधान कर सकी है? उनके उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिये कोई निर्णय कर सकी है? या राजस्व अभियान के अन्तर्गत कृषकों के लिये, किसानों के लिये कोई संतोषजनक कदम उठा सकी है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि पढ़ने वाले छात्रों के लिये, नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिये क्या सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाये हैं जिनसे वह विश्वास लेकर चल सकें? क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज के लोग यह आशा लेकर चल सकते हैं कि उनको सुरक्षा मिलेगी या सरकार की तरफ से कोई न्याय मिलेगा?

प्रश्न सरकारी आंकड़ों का नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सरकार के प्रचार का है। प्रश्न यह है कि इस अभिभाषण में जितने भी आंकड़े दिये गये हैं, जो आंकड़ों का ब्यौरा है उससे आम जनता में सरकार की साख बढ़ी है या घटी है? इसी कसौटी पर इस अभिभाषण के आंकड़ों को अपने को कसना पड़ेगा।

(12.52 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सर्वप्रथम तो मैं सरकारी कर्मचारियों की बात लेता हूँ। जिन सरकारी कर्मचारियों ने मार्च, 1982 में हड़ताल की थी, एक आन्दोलन चालू किया था उस आन्दोलन के समय जो सरकार ने आश्वासन दिया था, उस आन्दोलन को हटाने के लिये जो शर्तें मंजूर की थीं क्या उन शर्तों को सरकार ने अब तक पूरा किया है? बेरी वेतन आयोग के बारे में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायेगा। तो उसके साथ-साथ

Page No.45

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

एक समानान्तर वेतनमान की लिस्ट, सूची जो उन्होंने निकाली है, क्यों निकाली है ? सरकारी कर्मचारी जहां कहीं भी बैठते हैं, जहां कहीं भी इकट्ठे होते हैं उन सब में यह धारणा है कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। उनकी जितनी भी शर्तों के लिये आश्वासन दिया था उनमें से किसी को उन्होंने पूरा नहीं किया है। क्या सरकार यह समझती है कि सरकारी कर्मचारियों में जो असंतोष है उसको नजरअन्दाज करके सरकार चला सकेगी ? आज की स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के एक अंग बन गये हैं, वह इस व्यवस्था के एक अंग हैं उनको संतुष्ट रख कर ही वह जनता के हित का काम करवा सकती है। अगर सरकार यह समझती है कि केवल अफसरशाही के कंधों के बल यह सरकार चल सकती है, सरकारी कर्मचारियों को इगनोर कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार केवल अफसरशाही के चक्कर में है। सरकार अभी तक यह नहीं महसूस कर सकी है कि कम्यूनिकेशन गैप उन्होंने बढ़ाया है। क्या कम्यूनिकेशन के रास्ते सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित सरकार के बीच में होने चाहिये, उनको पूरा किया है ? उन रास्तों को खोलने के महत्व को जब तक महसूस नहीं करेंगे, सरकार जब तक सरकारी कर्मचारियों में चुस्ती और उत्साह नहीं बढ़ायेगी तब तक सरकारी कर्मचारी चुस्त होकर काम नहीं करेंगे। इससे सरकार को तो नुकसान होता है परन्तु आम जनता पर भी इसका असर पड़ता है। आम जनता के काम में रुकावट पड़ती है। आम जनता के जो इन्ट्रेस्ट हैं उसको निर्वाचित सरकार को सर्वप्रथम और सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिये। क्या सरकार समझती है कि कर्मचारियों को विश्वास में न रखकर ही जनता का कार्य पूरी तरह से सुचारु रूप से चला सकती है ?

माननीय सभापति महोदया, प्रशासन की यह पुरानी चाल है कि जब हड़ताल तुड़वानी होती है तो वह कई तरह के आश्वासन दे देती है। जब आश्वासनों को पूरा करने का समय आता है, तो उनको किसी न किसी बहाने धीरे-धीरे लागू करने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों या हड़ताल पर जाने वाला जो वर्ग है उसको एक तरह से सजा देने का मानस होता है, उसी मानस की वजह से सरकार ने जिन शर्तों को मंजूर किया था उसको सजा के तौर पर धीरे-धीरे लागू करना चाहती है। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं, सरकार यह भूल गई है कि आज जनतन्त्र की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, जनता में जो अनपढ़ वोटर हैं वह भी आज अपने राइट्स और अधिकार को समझते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों का जो वर्ग है एक जागरुक वर्ग है, कितने ही सालों से इस व्यवस्था का एक अंग है, वह जानता है कि उसके क्या अधिकार हैं। उन अधिकारों के लिये वह लड़ता है। इसलिये जिन शर्तों के लिये उनको आश्वासन दिया है उन शर्तों को आपको पूरा करना चाहिये। उनको विश्वास में लेकर उन्हें पूरा करना चाहिये। अगर आपने कोई आश्वासन नहीं दिया है तो आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि हमने कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई कम्प्रोमाइज

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

नहीं किया। उनके साथ कोई कम्प्रोमाइज करें नहीं करें, कम से कम कम्यूनिकेशन के जो रास्ते हैं, कम्यूनिकेशन की जो चैनल्स हैं उनको खुला रखना चाहिये। जब तक उनको विश्वास में नहीं रख सकते कम्यूनिकेशन खुला नहीं रख सकते और खुला नहीं रखेंगे तब तक जो विवाद सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच में है...

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री की अनुपस्थिति

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर। इस वक्त में ट्रेजरी बैंचेज पर कोई केबिनेट स्तर के मंत्री नहीं बैठे हुये हैं। जो स्टेट मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं वह आपस में बात करने में मशगूल हैं। क्या धन्यवाद प्रस्ताव की यह औपचारिकता मात्र है? कम से कम केबिनेट स्तर के एक मंत्री को यहां बैठना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदया, बराबर बैठे हुये हैं और सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : The points raised by the hon. members, I have noted. लेकिन, माननीय सभापति महोदया, मेरे लिये यह बड़ी एम्बैरेसिंग बात है कि कोई माननीय सदस्य मेरे पास आये और मैं उससे बात नहीं करूं। यह पहले भी निर्णय हो चुका है कि केबिनेट की जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। मैं यहां बैठा हुआ हूँ और पूरी बात सुन रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसका उत्तर देना भी मेरे लिये बड़ी एम्बैरेसिंग पोजिशन है...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : लेकिन मैंने यह निवेदन किया है कि केबिनेट स्तर के मंत्री सदन में होने चाहिये उसका उत्तर नहीं आया...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप केबिनेट स्तर के मंत्रीजी को बुला लीजिये चेम्बर में से।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो आदेश दिया है वह ठीक है मैं बुला लेता हूं लेकिन इसके पूर्व भी यहां पर निर्णय हो चुका है केबिनेट की जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है...

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदया, क्या ऐसी स्थिति में सरकार का जो रवैया है कर्मचारियों के प्रति, उससे उनमें विश्वास बढ़ा है या घटा है, इस प्रश्न को सरकार को सोचना चाहिये।

जहां तक पंचायती राज का सवाल है, माननीय सभापति महोदया, अभिभाषण में ऐसा लिखा गया है कि "लोकतंत्र के प्रति समर्पण की भावना के साथ पंचायती राज को पुनः सक्रिय किया गया है।" माननीय सभापति महोदया, बीकानेर में जो बहुत बड़ा मेला आयोजित किया गया था उसमें जितने

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

भी संकल्प सरकार ने लिये थे, हम पंचायती राज को सुदृढ़ बनायेंगे, प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करेंगे, ऐसी बड़ी-बड़ी आशायें उससे सरकार ने बंधाने की कोशिश की थी। इस किताब में भी सभी आदेशों का संकल्प दिया है, इस किताब के सिवाय ऐसा...

(व्यवधान)

मुझे नहीं दिखता है।

माननीय सभापति महोदया, जहां तक सरपंच का सवाल है जहां तक पंचायत का सवाल है जो इस विकेन्द्रीकरण की प्रथम इकाई है, उस सरपंच या पंचायत की स्थिति वही है जो 1958 से 78 तक रही है। सरपंच की स्थिति तो सरकारी चपरासी की स्थिति से गई बीती है। आज सरकारी चपरासी को डिसमिस करना चाहें, बरखास्त करना चाहें तो उसके नियम बने हुए हैं। सारे नियमों की पालना के बाद ही उसको बरखास्त कर सकते हैं किन्तु आज सरपंच को धारा 17(4) के अन्तर्गत एक सिम्पल दरखास्त के ऊपर राजस्थान सरकार बरखास्त कर सकती है। वह जनप्रतिनिधि है, वह वोट लेकर आता है, सरपंच बन कर जनता का सेवक बना है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वह केवल राजनीतिक दया पर जिन्दा है। माननीय सभापति महोदया, जहां तक सरपंच का सवाल है, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि सरपंच को 1978 से पहले वाली स्थिति में धकेलना चाहती है सरकार ताकि सरकार की या शासन पार्टी की जो राजनीतिक आवश्यकतायें हैं उन आवश्यकताओं को वह पूरा करती रहे। अगर वह पूरी नहीं कर सकते हैं तो उनकी अवहेलना की जाती है। जो हारा हुआ सरपंच है उसकी अध्यक्षता में समानान्तर नई समिति बना कर विकास के कार्य उसको सौंप दिये गये हैं। ऐसे हजारों केसेज राजस्थान में हुए हैं, बीकानेर सम्मेलन के बाद में हुए हैं। आज भी ऐसी स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति इसलिए चल रही है कि सरपंच जो है, उसका राजनैतिक रंग सरकारी शासन पार्टी से मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम इकाई जो है, लोकतन्त्र की प्रथम इकाई है, विकेन्द्रीकरण की प्रथम इकाई है, पंचायती राज की जो प्रथम इकाई है वह इतनी कमजोर है। नींव इतनी कमजोर है तो इस पर पंचायती राज कैसे खड़ा रहेगा। माननीय सभापति महोदया, यह सरकार क्या यह स्पष्ट कर सकती है? आखिरकार जब किसी इन्स्टीट्यूशन को बनाते हैं, संस्था को बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिये। जब नींव ही मजबूत नहीं है तो, माननीय सभापति महोदया, केवल एक पंचायती राज की कब्र...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें धीरे-धीरे करें। आर्डर प्लीज। एक मिनट। यहां तक डिस्टर्बेन्स नहीं हो। माननीय सदस्य, जो बोल रहे हैं, को व्यवधान न हो।

श्री कमलेन्द्र सिंह : कब्र के लिए कोई नींव की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती है, ऊपर ही पत्थर लगाने पड़ते हैं। माननीय सभापति महोदया, 17 (4) में जो अधिकार सरकार ने ले रखे हैं उनके बारे में जब तक पुनर्विचार नहीं होगा तब तक विकेन्द्रीकरण

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

की जड़, विकेन्द्रीकरण की नींव पक्की नहीं हो सकती। सरकार ने बीकानेर सम्मेलन के बाद जो संकल्प लिये हैं उनके अन्तर्गत यह भी प्रश्न लाया गया कि 17 (4) के अन्दर जो अधिकार सरकार के हैं उन पर पुर्नविचार होगा। बलवन्तराय मेहता कमेटी की जो प्रथम रिपोर्ट पंचायती राज पर थी उसमें यह स्पष्ट रूप से सिफारिश थी कि सरपंच को बरखास्त करने का जो अधिकार है वह सरकार को नहीं होगा। क्योंकि उसमें राजनीति आती है। उसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा, उसके सामने सरपंच की शिकायत जायेगी, पंचायत की शिकायत जायेगी और जो कुछ भी निर्णय करेगा वह ट्रिब्यूनल करेगा। उसके निर्णय के हिसाब से कार्यवाही होगी। क्या सरकार इसे मन्जूर करने को तैयार है? अगर यह मन्जूर नहीं करती, यह सरकार पुर्नविचार नहीं करती है तो स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि बीकानेर में संकल्प जो लिये हैं उन संकल्प का कोई असर नहीं पड़ेगा। पंचायती राज इतना कमजोर रहेगा जितना इतने साल तक चलता आया है। केवल इस मंशा से शासन पार्टी यह करना चाहती है कि जो सरपंच है वह पार्टी का पुर्जा बना रहे। पंचायती राज संस्था के प्रति मैं पूछना चाहूंगा कि पंचायतों के प्रति जनता की कोई आशा या आस्था बढ़ी या नहीं, इसका विचार सरकार को करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, किसानों के बारे में अभिभाषण में कहा गया है कि इतने गांवों का विद्युतीकरण हो रहा है, इतने कुओं का विद्युतीकरण हो गया है, उनको उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार सक्रिय है।

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

45 मिनट हैं, माननीय सभापति महोदया

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री कमलेन्द्रसिंह : मेरे 45 मिनट हैं, माननीय सभापति महोदया।

श्री सभापति : आपकी पार्टी से पहले कोई नहीं बोला। आगे कोई नहीं बोलेगा?

श्री कमलेन्द्र सिंह : कोई नहीं बोला है।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था तीन चीजें अभिभाषण में लिखी गई हैं, बिजली के लिये साधन किये जा रहे हैं, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जायगी, उचित भाव की व्यवस्था की जा रही है, तीसरा रेवेन्यू अभियान की वजह से किसानों को बहुत राहत मिली है। माननीय सभापति महोदया, मैं बिजली के बारे में यह कहना चाहूंगा। इस सदन में आज ही नहीं, जब मैं मेम्बर बना हूं 1977 से लेकर आज दिन तक हर साल, हर सैशन में यह प्रथम प्रश्न आता है किसानों के बारे में कि किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती, किसानों को दो बजे रात को बिजली मिलती है, कड़ाके की ठण्ड में बिजली मिलती है। तीसरा पाइन्ट हर वक्त

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

यह आता है कि मिनिमम चार्जेज के बारे में किसान आब्जेक्शन करता है। इतनी बार सदन में यह क्वेश्चन आया है, दो दो सरकार निकल चुकी हैं लेकिन किसानों को बिजली की समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। दो दिन पहले जो प्रदर्शन किसानों ने किया था उसमें भी यह मांग आई। इसके पहले जितने भी हल निकले हैं, जितनी भी बार सदन बैठा है यह मांग आई है। आज आप विद्युतीकरण कर रहे हैं गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं, कुओं पर बिजली दे रहे हैं किंतु जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं उनको बिजली मिल रही है या नहीं? इस पर सरकार विचार करती है या नहीं? मिनिमम चार्जेज का जहां तक सवाल है किसान ने हर वक्त यह आब्जेक्शन किया है, एतराज किया है कि हम मिनिमम चार्जेज इसलिए नहीं देना चाहते कि आर. एस. ई. बी. मिनिमम सर्विस नहीं दे सकती। जिस जगह मिनिमम सर्विस नहीं मिलती है मिनिमम चार्जेज लेने का कोई अधिकार न तो सरकार को है, न आर. एस. ई. बी को है। जब मिनिमम चार्जेज का सवाल आता है सरकार एक चीज हर बार कहती रही है, जो भी सरकार आयी है यह कहती है कि आर एस. ई. बी. वाणिज्य संस्थान है, यह कमर्शियल कन्सर्न है। क्योंकि यह वाणिज्य कन्सर्न है इसलिये मिनिमम चार्जेज की आवश्यकता पड़ती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको आप वाणिज्य संस्थान मानते हैं, इसको कमर्शियल कन्सर्न मानते हैं तो असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत आर.एस. ई. बी. को लाना चाहिये, इसके परव्यू में लाना चाहिये और यह मिनिमम सर्विस नहीं दे सकता है तो सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। असेन्सियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत एक व्यापारी के ऊपर फाइन कर सकते हैं, उसका चालान कर सकते हैं, उस पर क्रिमिनल केस चला सकते हैं, उसी तरह से आर. एस. ई. बी. के खिलाफ क्रिमिनल केसेज चलाने का अधिकार किसानों को होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि आर. एस. ई. बी. को वाणिज्य संस्थान कहा जाता है तो असेन्सियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उसको लेकर किसानों को भी छूट होनी चाहिये। उनकी फसल सूख जाय, उनकी फसल बिजली के अभाव में सूख जाय तो उनको भी यह अधिकार होना चाहिए जैसा कि व्यापारी के खिलाफ कहीं पर भी इण्डियन पेनल कोड की धारा 425 और 430 के अन्तर्गत क्रिमिनल केस चला सकते हैं उसी तरह से आर. एस. ई. बी. के खिलाफ भी क्रिमिनल केस चलाने की छूट हो। वह सरकारी डिपार्टमेन्ट नहीं है इसलिये उसके खिलाफ केस चलाने के लिए परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। यह मांग किसान आज पांच छः साल से लगातार करते आये हैं किन्तु सरकार ने इसके बारे में, इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाये नहीं हैं। माननीय सभापति महोदया···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया इतनी जोर से बात न करें।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : जो यह बोल रहे हैं वह नोट हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप क्षमा करें। आप सदन में बैठकर सदन के नियमों की पालना कीजिये, सहयोग दीजिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदया, अभिभाषण में किसान के उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिए सरकार ने एक लाइन जरूर लिखी है। मैं केवल उत्पादन की एक ही बात करता हूं, वह है गन्ने का उत्पादन। केन्द्र सरकार ने 13 रु. प्रति क्विन्टल सपोर्टिंग प्राइस रखी है गन्ने की। राजस्थान सरकार ने अपनी मिलों को छूट दे दी कि वह कितनी ही सपोर्टिंग प्राइस रख सकती है। सभी मिलों ने मिलकर केवल 16 रुपये प्रति क्विन्टल रखी है इस साल के लिए। क्या सरकार यह समझती है कि यह उचित कीमत है? अगर समझती है कि उचित कीमत है तो उसको किसान को खुल्लमखुल्ला कहना चाहिये कि हम 16 रुपये से ज्यादा आपको नहीं दिला सकते। हरियाणा सरकार ने अपने किसानों के लिए मिलों को यह आदेश दिया है कि वह 20 रुपये प्रति क्विंटल सपोर्टिंग प्राइस रखे। हरियाणा सरकार पर केन्द्र सरकार ने दबाव डाला कि सपोर्टिंग प्राइस कम करके 16-17 रुपये कर दो किन्तु हरियाणा सरकार ने इसको नहीं माना। राजस्थान सरकार क्या ऐसा आदेश नहीं निकाल सकती कि हमारे किसान को भी 20 रुपये क्विंटल मिले? जब सरकार कहती है कि उचित मूल्य देने को हम तैयार हैं, देने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं तो उचित मूल्य 16 रुपये न रखकर के 25 रुपये करें। यह सरकार 25 रुपये देने में अक्षम है तो कम से कम 20 रुपए करने या कुछ न कुछ पैसा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिये। लेकिन सरकार नहीं कर सकती। केशोरायपाटन में सभी काश्तकारों ने एक आन्दोलन किया था। केशोरायपाटन से आने वाले हमारे दल के माननीय सदस्य ने गिरफ्तारी भी दी थी। इतना एजीटेशन होते हुए भी सरकार की आज दिन तक आंखें नहीं खुली हैं, कान नहीं खुले हैं। किसानों के लिए उन्होंने किसी तरह भी रियायती दर 16 रु. से बढ़ाने का कोई कदम नहीं उठाया है। जहां तक मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर का सवाल है, माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार पूरी तरह से उस सेठ को प्रोटेक्शन दे रही है। वह तीन-तीन साल तक किसानों का पैसा नहीं चुकाता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। मुख्य मंत्री जी और सभी मन्त्री महोदय जब टूर पर वहां जाते हैं, भोपाल सागर के आसपास के किसान, जिनको तीन-तीन साल का पैसा नहीं मिला, उनको ज्ञापन देते हैं। लेकिन आज दिन तक सरकार सेठ को अनुशासित नहीं कर सकी, क्योंकि वह व्यापारी है और शासक पार्टी को वह चन्दा देता है इसलिए उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है।

इसमें रेवेन्यू अभियान की बात कही गई है। मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर साल की तरह जो भी आंकड़े इस अभिभाषण में आये हैं उसमें यह लिखा है कि इतने लाख मामलों का निपटारा हुआ है। यह राजस्व अभियान आज से नहीं 1978 से चला आ रहा है। 1978 में भी ऐसे फिगर्स दिये गये थे कि इतने लाख मामले निपटाये हैं। 1978 के

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

बाद हर साल यह रेवेन्यू अभियान होता है हर साल सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि इतने लाख मामले निपटाये गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पांच सालों में इतने लाख मामले निपटा दिये हैं, क्या आप यह फीगर्स दे सकते हैं कि कितने करोड़ मामले अभी बाकी हैं और उनके लिये सरकार क्या कर रही है ? मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे सकता हूं। उदयपुर क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र से आज बल्कि 1933 में जब प्रथम सेटलमेंट हुआ था उस सेटलमेंट में जिनके नाम और जमीन दोनों दर्ज हुई थी उनकी चार पीढ़ी खप गई, लेकिन आज दिन तक विरासत का पहला खाता अलग-अलग नहीं हुआ है। जो विरासत का खाता सबसे साधारण खाता है, जिसको चेन्ज करने का सिस्टम बहुत सिम्पल है आज दिन तक वह विरासत के खाते नहीं खुले हैं। आदिवासी क्षेत्र के लाखों मामले अभी तक पेण्डिग हैं। ऐसे पेण्डिग हैं कि पचास-पचास साल में रेवेन्यू रिकार्ड को पलटा नहीं गया सुधारा नहीं गया जबकि सरकार का यह काम है। इस वजह से क्या नतीजा निकलता है ? मैं सरकार को कहना चाहता हूं, उसका नतीजा यह है कि जिस आदिवासी की जमीन साहुकार के पास पड़ी है जिस पर किसी दूसरे ने उसके नाम से लोन लिया है, वह आदिवासी आज पुलिस को रिपोर्ट नहीं दे सकता कि मेरी जमीन पर फलां ने लोन लिया है। उसके नाम खाता नहीं है वह रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जा सकता है। सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसके पास उसके नाम का खाता नहीं है वह तो उसके दादा पड़दादा के नाम से चल रहा है। उसका उसमें कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति वहां पर है। यह रेवेन्यू अभियान आप कितना भी चला लें जब तक सरकार इन समस्याओं पर नहीं सोचेगी जब तक इसका समाधान निकालने का कोई रास्ता नहीं निकालेगी तब तक इस रेवेन्यू अभियान से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज स्थिति यह है कि किसान जितने भी हैं वह सब जगह यह कहने लगे हैं कि पहले प्रशासन का पुतला तहसील हैड क्वार्टर पर बैठता था, उसको सरकारी गाड़ी के द्वारा सरकारी पेट्रोल के द्वारा, टी.ए.डी.ए. के द्वारा उठाकर आज गांव की चौपाल पर बैठा दिया गया है। जो रिश्वत वह आफिस में खाता था वह आज गांव की चौपाल में खा रहा है जो प्रशासन गांवों की ओर गया हुआ है वह रिश्वत खोरी के लिए गांवों की ओर पहुंचा है। रेवेन्यू अभियान का यही नतीजा निकला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठकर बातें न करें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : अन्त में, सभापति महोदया, मैं पहले वाले मूल प्रश्न पर आता हूं कि जनता का कोई ऐसा वर्ग है जिसका सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा हो ? कोई वर्ग नहीं है जिसके मन में सरकार की साख बढ़ी हो। मैं दो वर्ग ऐसे बता सकता हूं जिनके मन में सरकार की साख बढ़ी है। एक तो है अफसरशाही जो माथुर सरकार से बेहद खुश है, क्योंकि राजस्थान में आज तक कोई निर्वाचित सरकार शायद ही आयी होगी जो 100 प्रतिशत केवल अफसरशाही पर निर्भर हो। यह अफसरशाही जो है केवल

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

अपनी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खुश करती है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। आज वह एयर-कण्डीशन कमरे में बैठते हैं, जिसमें धूल का एक कण भी नहीं जाता, जनता की आवाज भी उस वातानुकूलित कमरे में नहीं पहुंचती। माननीय सभापति महोदया, एक और वर्ग ऐसा है जो बिलकुल माथुर सरकार से सन्तुष्ट है, वह है पूंजीपति वर्ग। आज एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि राजस्थान में जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने एक रिपोर्ट पेश की थी, राजसमन्द कस्बे जहां 23 हजार की जनसंख्या है, में पानी जून महीने में पर्याप्त नहीं होगा। उनका एस्टीमेट यह है कि जून महीने में राजसमन्द का जो लेवल होगा वह केवल छः इंच होगा उस सारे कस्बे को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पी.एच. ई. डी. के पास कोई साधन नहीं है। इसके बावजूद, माननीय सभापति महोदया, जे. के. फैक्ट्री जो वहां पर है उसको पानी देने का निर्णय सरकार ने लिया है। उनका कान्ट्रेक्ट है कि उनको उस लेवल तक पानी मिलेगा, सीम लेवल तक जो कैनाल में रहता है। सीम लेवल तक तीन-चार मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलता रहेगा, उस सीम लेवल से आज भी फरवरी के महीने में पांच फीट पानी हो गया है तो भी जे. के. फैक्ट्री को पूरा पानी मिल रहा है।

सभापति महोदया, चिंता का विषय यह है, पी. एच.ई.डी.की एक मीटिंग हुई थी, उसमें पी.एच.ई.डी. के इंजीनियर थे, जे.के. फैक्ट्री के मालिक सिंघानिया भी थे और स्वयं मुख्य मंत्री महोदय मौजूद थे। उसके मिनिट्स की दो लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :–

"The Chief Minister feel that the water programme should be a part of the expansion programme of the J.K. factory. Shri Singhania, however expressed his inability to find funds and pleaded that the State Government should bear the cost of the same."

पी. एच. ई डी. के आबजेक्शन में यह लिखा था :–

"Water supply to the tyre factory was sought because inadequate facilities of water were available at Kankroli and Rajsamand."

किन्तु चीफ मिनिस्टर ने अपने निर्णय में, अपने निर्देश में क्या कहा ?

"Chief Minister also directed that the water supply to the power plant should not be discontinued. The Chief Minister desired that the Industries Department give an assurance to J.K. Industries, Kankroli that in the event of scarcity, priority will be given for water supply to the plant."

सभापति महोदया, मुख्य मंत्री साहब इस मीटिंग में खुद मौजूद थे, उनकी मन्शा स्पष्ट नजर आती है कि कांकरोली की 27 हजार जनसंख्या को पानी नहीं मिले उसके लिये कोई महत्व नहीं है, महत्व इस चीज का है कि सिंघानिया की फैक्ट्री को पूरा पूरा पानी जून के महीने तक मिलता रहे। सिंघानिया ग्रुप पर, ऐसा लगता है, सरकार

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

की कोई विशेष कृपा है। कोटा में चार हजार मजदूरों को जे. के. सिंथेटिक्स ने बर्खास्त कर दिया जो 20-20 साल से जे.के. सिंथेटिक्स में काम करते थे। उन पर आश्रित जो परिवार हैं उन लोगों की संख्या 25 हजार के करीब होनी चाहिये, ये 30 हजार आदमी कोटा में सड़कों पर बेकार होकर फिरेंगे, बेरोजगारी के शिकार होंगे। उनको एक, एक को, दो-दो को 1200-1200, 1500–1500 रुपये की तनख्वाह मिलती है। ऐसी स्थिति में वे अपने बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे, उस बारे में सरकार ने क्या सोचा है। जहां तक जे. के. का सवाल है, सिंघानिया ग्रुप का सवाल है उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। वे पूंजीपति हैं उनको तो अपने मुनाफे की परवाह है। चूंकि सिंथेटिक में आजकल मुनाफा कम मिलता है इसलिये उन्होंने यह कोशिश की है कि इस फैक्ट्री का काम कम करके जितना भी पैसा इकट्ठा हो जाता है वह इकट्ठा करके कानपुर में लोहिया मशीन्स, जहां वैस्पा स्कूटर बनने वाला है, 51 प्रतिशत शेयर्स खरीदें ताकि सिंघानिया के ग्रुप के कब्जे में एक और कम्पनी आ जाय। उनको इसकी चिंता है। यह चिंता नहीं है कि राजस्थान में जो 4 हजार मजदूर बेकार होंगे उनका क्या होगा ?

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का सामाजिक दायित्व है कि उन चार हजार मजदूरों के लिए कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह एक सामाजिक समस्या है, उनके जो आश्रित परिवार हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उस बारे में राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है वह केन्द्रीय सरकार का विषय है, राजस्थान का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सिंघानिया की फैक्ट्री केन्द्रीय सरकार का विषय हो सकता है किन्तु राजस्थान के 4 हजार मजदूरों की समस्या तो राजस्थान सरकार का सबजेक्ट है। राजस्थान सरकार को इस पर कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। उनमें कम से कम यह तो कर सकते हैं कि राजस्थान के जिन मजदूरों के पसीने से, राजस्थान के जिन मजदूरों की मेहनत से जे. के. सिंघानिया ने जो पूंजी बनाई है उस पूंजी को रोककर कानपुर में न लगाकर कोटा में लगाने के लिए उसको बाध्य करें। कम से कम यह तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई योजना सरकार ने बनाई हो, कोई विचार किया हो तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसको निश्चित तौर से जोडना चाहिए था।

अन्त में यह कहना चाहूंगा कि केवल पूंजीपति और अफसरशाही वर्ग सरकार से खुश है क्योंकि उन पर न तो अकाल का कोई असर पड़ता है न राजस्थान की दयनीय आर्थिक स्थिति का असर पड़ता है। उनकी एयर कन्डीशन्ड सुविधाओं को चालू रखने के लिए राजस्थान का मजदूर मेहनत करता है। जहां राजस्थान की जनता के पसीने से एयर कन्डीशन्ड फैक्ट्रियां चालू रख रखी हैं, वहां क्या सरकार इस स्थिति में कोई परिवर्तन लाने की मन्शा रखती है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई संकल्प करती है ? अगर संकल्प सरकार करती है, संकल्प लेती है तो इस अभिभाषण में संकल्प को जोड़ना चाहिए और अगर यह सरकार

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

संकल्प लेने को तैयार नहीं है, जोड़ने को तैयार नहीं हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इस अभिभाषण में जो कुछ भी लिखा गया है वह महज आशाओं का दस्तावेज बनाने के लिये है। ऐसी अवस्था में हर जन प्रतिनिधि का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करे।

श्री सभापति : माननीय श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहली बात जो अर्ज करना चाहूंगा इस अभिभाषण के बारे में वह यह है कि अभिभाषण और इस पर चर्चा औपचारिकता मात्र रह गई है। हर वर्ष हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, लगभग उसमें वही रिपीटिशन होता है, स्टीरियो टाइप रिपीटिशन जिसे बोलते हैं, जो पिछले साल देखा, जो इन सालों पहले सालों में देखा वही बातें होती हैं और जो आशा की जा सकती है, कोई आशा की किरण, कोई राहत की हवा इस सदन के द्वारा इस अभिभाषण से यहां की नीतियों से, यहां के कार्यों से, साधारण जनता को पहुंचेगी, मैं स्वयं आपसे ही कहता हूं जो ट्रेजरी बेंचेज में, सरकारी पक्ष में बैठे हुए हैं, वह स्वयं सोचे कि क्या इस अभिभाषण से और हमारे और आपके भाषणों से कोई राहत किसी किस्म की मिल रही है या मिलेगी? देश की समस्याओं को जाने दीजिए उनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन जो चर्चाएं मैं करूंगा वह होंगी जिनसे स्वयं हम प्रभावित हैं। अपनी बातें देखें, बर्निंग प्राबलम्स क्या हैं। आज ज्वलंत समस्यायें क्या हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहुत अदब के साथ ऐसी समस्यायें क्या हैं जिनको क्रानिक प्राबलम्स कहा जा सकता है। क्रानिक भी होंगी, जैसे आपके अकाल की है, सूखे की है। पानी न मिलने की है, अकाल राहत की है, ये क्रानिक प्राबलम्स हैं। बर्निंग प्राबलम्स वह हैं जो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। मैं उनको गिनाऊंगा लेकिन शनैः शनैः। इतना कहना चाहूंगा कि यह जो बार-बार अकाल आता है, सूखा पड़ता है, पानी की भीषण समस्या होती है, स्वयं मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि 250 फीट तक पानी नहीं मिलता है, बोरिंग फैल हो जाते हैं, उनके बारे में क्या मौलिक रूप से कोई विचार हुआ है? हम लोग यहां सुझाव देते हैं उन सुझावों पर कोई दृष्टि डाली गई है? मैंने सुझाव दिया था कि सूखे की समस्या को, अकाल की समस्या को, रेगिस्तान की समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाय। राज्य के पास साधन नहीं हैं जो इस समस्या का समाधान कर सके। इसलिए इनको राष्ट्रीय समस्या माना जाए। कभी एक शब्द भी लिखा गया है इस बारे में? कहा तो गया एक बार कि हमें कहेंगे कि, साहब, यह राजस्थान कैनाल से लेकर डेजर्ट रिक्लेमेशन, यह सारी मरु भूमि के जो उद्धार का कार्य है इसको हम केन्द्र को सौंपेंगे। लेकिन आपके पास साधन नहीं हैं, नतीजा क्या है? 11 जिले आपके मरुस्थल से प्रभावित हैं और 10 तो हमेशा सूखे से प्रभावित रहते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया है। 21 जिले तो ऐसे हैं जिन पर हमेशा आपको खर्चा करना ही करना है इन कार्यों पर। बाकी कमाऊ पूत रह गए 6। उन 6 से कितना आप चूसेंगे कितना आप लेंगे? मेरी समझ में नहीं आता,

Page No.55

(श्री राज बहादुर)

एक लफ्ज जवाब में भी नहीं आता। हम लोग बार बार कहते हैं, भाई, कुछ करो उसका जवाब तो दे दो कम से कम, नहीं करना है, हिमाकत की बात इधर से हो रही है तो यह कह दो हिमाकत की बात है, आप क्या बात करते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा। आप बदले का इस्तेमाल न करिये कुछ अदब कर लीजिये लेकिन यह लफ्ज कहिये कि, साहब, यह तो वाहियात बात है आप क्या कह रहे हैं लेकिन मुझे बताइये कोई रास्ता है आपके पास कोई रास्ता है, आपने जवाब दिया इस बात को कभी सोचा? इस बात को इसलिए कहता हूं, यह औपचारिकता मात्र है, यह हाई एण्ड ड्राई अन्कन्सर्न्ड रह जाता है। जो दर्शक यहां देखने आता है। क्या यहां बातचीत हो रही है, क्या चर्चा हो रही है। समस्या लीजिये आप बेकारी बेरोजगारी के आपने कुछ आंकड़े दिये हैं। आंकड़े तो आप हर वर्ष देते हैं हमारा जवाब भी वही होता है। उदाहरण के लिये एक मात्र एक ही आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। आप कृपा करके गौर कीजिये, यह पिछले अभिभाषण में भी था और अब भी है। हमारा जवाब भी जो पहले था वही जवाब अब है। आपने पहले आंकड़े क्या दिये। आंकड़े यह दिये कि, राज्य निरन्तर अकाल से प्रभावित होता है संवत् 2038 में 26 जिलों के 23 हजार 246 गांव अभाव ग्रस्त थे और इस साल 26 जिलों के 22 हजार इत्ते अभाव ग्रस्त हैं। सिवाय भरतपुर को छोड़कर सभी जगह पर अकाल है। गनीमत है आपने भरतपुर को अकाल से बरी कर दिया, चलिये कोई बात नही। लेकिन जवाब क्या है; जवाब में आपने कहा है, आप कहते हैं आगे का 1 करोड़ 69 लाख 57 हजार लोग इस अकाल से प्रभावित हैं और 2 करोड़ 59 लाख 18 हजार पशुधन प्रभावित है सूखे की इस स्थिति से निपटने के लिये हमने अभी तक तीन हजार एक सौ 26 कार्य स्वीकृत किये हैं जिनमें 94 हजार आदमी लगेंगे। एक करोड़ 69 लाख में 94 हजार ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। अगर एक लाख के ऊपर आप पांच आदमी भी मान लें एक परिवार में तो पांच लाख का फायदा हो जायेगा बाकी एक करोड़ 64 लाख लोगों का क्या करेंगे। कुछ है एक करोड़ 64 लाख का इसमें इन्डीकेशन? उनको पानी भी कैसे पहुंचायेंगे? क्या संतोष है आपको इस बात का? अनएप्वाइमेन्ट की बात है. आपके मैनिफेस्टो भी, मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने कहा था मैनिफेस्टो में कि बेकारी को दूर करने के लिए एक परिवार में कम से कम एक आदमी को हम एम्पलायमेंट दे देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपके ही मैनिफेस्टो की बात कही है मैंने कि आप एक परिवार में कम से कम एक आदमी को रोजगार दे देंगे। आपने क्या यह पूरा किया है या पूरा करने के दिशा में चले हैं? तीन वर्ष तक आपको हो चुके हैं। यह हम शायद अभिभाषण इस बार सुन रहे हैं। 80 का सुना, 81 का सुना, 82 का सुना, 83 का सुना। मैंने तब भी यही जवाब दिया था और आज भी यही जवाब दे रहा हूं। तो यह पुनरावृत्ति कोई हमारे पास ही है यह नहीं है यह पुनरावृत्ति वह सभी देख रहे हैं, सारे राजस्थान की जनता देख रही है कि भाई, भाई यह कुछ कहते हैं आप कुछ कहते हैं, कह सुनकर पार हो जाते

(श्री राज बहादुर)

हैं और हम जहां के तहां खड़े रहे जाते हैं हमें कोई राहत नहीं मिलती। नदी बह जाती है, नहीं बहती है तो सूखा पड़ जाता है, नहीं पड़ता है हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आपने बहुत सी बताई कि हमने यह किया, यह किया। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक मोटा सा फ्रेज है अंग्रेजी का क्वालिटी आफ लाइफ। जीवन के गुणात्मक इम्प्रूवमेन्ट के लिए सुधार के लिए आपने क्या किया।

(व्यवधान)

इसमें से कुछ झलकता है? जो दशा एक किसान की, एक मजदूर की, एक खेतीहर मजदूर की, एक हरिजन की, एक जनजाति के व्यक्ति की तब थी कुछ थोड़ा बहुत इन वर्षों में आजादी के बाद कुछ हुआ है, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कुछ नहीं हुआ लेकिन गुणात्मक चैन्ज कोई नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखलें और समझ लें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री राज बहादुर : रेमपेन्ट एम्प्लायमेन्ट है, तो रेमपेन्ट करप्शन भी है। रेमपेन्ट करप्शन जो है पहले पहले लोग छुप-छुप कर बात करते थे अब खुल कर बात करते हैं। और मन्त्रिगण बुरा न माने तो वे साफ कह दें, मन्त्रिगण के बारे में उनके ही कर्मचारी, उनके ही अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो लेना पड़ता है क्योंकि मंत्री को देना पड़ता है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप ...

(व्यवधान)

यह जन भावना है जो वर्षों में सुनने को मिलती है जो ट्रेनों में सुनने को मिलती है। तो क्या इसका इलाज है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Sweeping charges. I do think, it is proper. I refute it.

श्री राज बहादुर : ईश्वर न करे कि मुझे इस बात पर मजबूर होना पड़े। आप रिफ्यूट कर दीजिये इस बात को, रिफ्यूट करने की बात जो कुछ भी हो लेकिन आपके रिफ्यूट करने से वैसे ही हो जायेगा जैसा कि अभी सभापति महोदया, ने कहा था कि भाई कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहां आकर बैठ जाओ तब यह प्रभाकर जी आ गये। बड़ी गनीमत है, बड़ा शुभ है लेकिन कितनी देर बाद।

खैर, मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान की जो मौलिक, बर्निंग समस्यायें हैं, क्रानिक बैकवर्डनेस है। हम लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाता है। हमारा कल्चर कितना ऊंचा है, हमारा साहित्य कितना ऊंचा है, संस्कृति कितनी ऊंची है वह तो सब बात रखी रह जाती है पर हम रह जाते हैं बैकवर्ड के बैकवर्ड। इसको दूर करने के लिये क्या कुछ किया गया। कभी कोई बात आती है तो जैसे होता है ना कि गोल्डन गोली है। सब चीज का एक इलाज कर देती है। एक हकीम जी थे उन्होंने गोल्डन गोली निकाली, मैं एक ड्रामा की बात कह रहा हूं उन्होंने कहा गोल्डन गोली से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। कभी कोई बात आती है, तो

(श्री राज बहादुर)

फौरन, ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम सामने रख दिया जाता है कि ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम से सारी समस्याएं हल हो जायेंगी। अरे, साहब कैसे हल हो जायेंगी, कैसे हल नहीं होंगी जरा सोचें इस चीज को। मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि आप देखिये, मैंने आपसे अकाल के बारे में बात कही, पेयजल के बारे में बात कही मैंने आपसे। मैं आता हूं आपका उत्पादन जो कृषि का हुआ है वे आंकड़े आपके सही नहीं मालूम पड़ते। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय को बचाऊंगा केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो योग आपने दिये हैं उनको दुबारा दोहरा लीजिये। यह निश्चित बात है कि खाद का उपयोग जो आप कहते हैं कि 24.6 प्रतिशत बढ़ा है वह आल इन्डिया के आंकड़ों से भी मेल नहीं खाता और पेस्टीसाइड का कितना पर्सेन्ट बढ़ा है वह भी नहीं खाता। बल्कि बात यह है कि आपने फर्टिलाइजर के भाव इतने बढ़ा दिये हैं कि उनकी खपत और कम हुई है। उत्पादन का टार्गेट तो आप स्वयं बताते हैं। फिर आप कहते हैं कि आपने पानी भी भिजवा दिया फर्टिलाइजर भी बढ़ गये, मुझे पता नहीं लगता कि फर्टिलाइजर की खपत होने पर और पानी भी देने पर 34 लाख टन की टार्गेट की जगह पर आपका 21.84 लाख टन का टार्गेट है। यह क्यों है, कैसे है? पृष्ठ चार के अभिभाषण में लिखा गया है कि राज्य सरकार सीमित जल स्रोतों का समुचित विकास कर अधिक से अधिक सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। "अव्वल तो समुचित विकास उन श्रोतों का हुआ है क्या?" मैंने कल भी कहा था आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत से साधन हैं हमारे स्वयं के जिनको मुहं नहीं देखना पड़ता किसी और का चम्बल में कोटा, के नीचे 2.2 MAF पानी मौजूद है। क्या हमने इस्तेमाल किया है? अब सुना है कि धौलपुर के लिये कोई लिफ्ट स्कीम आ रही है। लेकिन लिफ्ट स्कीम की जहां बात आती है, तो वहां भीलवाड़ा की आई है, उदयपुर की आई है, किसी और दो-तीन जगह की आई है। चम्बल के किनारे पर जो जगह है वहां नहीं है। लिफ्ट स्कीम जहां सबसे ज्यादा कामयाब हो सकती है वहां क्यों नहीं है? क्या कारण है उसका? चम्बल के अलावा मैं गंगा जमुना की बात करूंगा सिंचाई की बहस के दरमियान। लेकिन निश्चित बात है कि गंगा और जमुना के नाम पर आप खाली राज बहादुर को जोड़ लेते हैं कि राज बहादुरजी उठाते हैं इस सवाल को, उन्होंने कह रखा है। अगर गंगा से पानी आपको नहीं मिलना है तो यह बतायें 6 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि में से आप एक करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि को पानी दे सकेंगे, कुल सारे साधनों से जो आपको बताये हैं, मय रावी व्यास के, मय राजस्थान नहर के, मय चम्बल के। 5 करोड़ एकड़ भूमि राजस्थान की अभी तक ग्रसित रहेगी इस सूखा से, इस अकाल से इसका क्या होगा? इसका मतलब यह है कि आप कोई साधन करना नहीं चाहते, कोई प्रयत्न नहीं है। और प्रान्त, और प्रदेश लड़ रहे हैं अपने-अपने अधिकारों के लिये पानी के लिये। लोग गंगा का पानी कावेरी में ले जाने को तैयार हैं प्रधान मन्त्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि गंगा को कावेरी

(श्री राज बहादुर)

से मिलाया जा सकता है लेकिन गंगा को लूनी से नहीं मिलाया जा सकता। उसके लिये लिखा जाय। तो आपने कोई लिखा क्या पुख्ता? जमुना का बंटवारा नहीं होता है। मैं सन् 63 और 72 की बात कहता हूं, 72 से बराबर आपकी गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ हूं कई चिट्ठियां लिखी हैं। मुतावाविर मिल कर आया हूँ कि भाई जमुना के पानी का बंटवारा तो करालो, वहां तो तुम्हारा हक है। उसके लिये भी एक पत्र नहीं है। यह कह दिया बाद में देखेंगे। बात तक में शामिल नहीं किया जाता। उधर पूर्वी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाना जमुना के पानी को प्रयोग में ला रहे हैं। और फिर एक दिन मना कर देंगे। माही को लीजिये। माही के बारे में आपने लिखा है कि "माही का बान्ध जून, 83 में पूर्ण हो जाने पर नहरों के प्रथम सैक्टर का कार्य पूर्ण करके···।" पहले तो बान्ध पूरा हो, फिर नहरों का कार्य पूरा हो और फिर रबी 83 में 24 हजार हैक्टर में पानी देंगे। रबी 83 का शायद आपका मतलब यह नहीं है कि अप्रेल जो आ रही है। मतलब आप को शायद रबी 83 का नवम्बर में जो ड्यू होगी उसको रबी 83 बोलेंगे आप, जबकि वह रबी 84 होगी। लेकिन यह कोई जादू की लकड़ी है कि साइमलटेनियसली एक साथ मुतवाविर सारे काम हो जायं बान्ध भी बन जाय, नहर भी बन जाय और पानी भी दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने खुद ने वहां का मौका देखा है इसलिये मुझे जानकारी है कि साइमलटेनियसली वहां पर काम चल रहा है। I am not interrupting you, but this is not my department.

श्री राज बहादुर : राजस्थान कैनाल के बारे में आपने अपने भाषण में पहले यह कहा था कि आप इस राजस्थान कैनाल को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करेंगे पर आज आपने कह दिया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा कर देंगे 85 तक। फिर इसमें कोलोनाइजेशन भी है; डवलपमेंट भी है। रीहबीलिटेशन भी है और फिर जब 7 वीं से उठा कर छठी में ला रहे हैं आप तो उसके लिए साधन क्या हैं? वही कठिनाइयां हैं फण्ड्स की, वही कठिनाइयां हैं कोयले की, वही कठिनाइयां हैं सीमेंट की। इसके बारे में, आप स्पेसिफिकली बतायें। दूसरी यह कि इस आर्गयूमेन्ट को पंजाब के अकाली दल के लोग इस्तेमाल करेंगे। यह स्वयं आपने कहा था कि 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम काम करेंगे। खैर, वह मैंने खाली आपको चेतावनी के रूप में कहा है।

जहां तक लिफ्ट योजना का है, मैं कह चुका हूं उदयपुर में हो सकती है, चित्तौड़ में हो सकती है, भीलवाड़ा में हो सकती है लेकिन चम्बल के किनारे नहीं हो सकती है। हम हाइड्रोम को नहीं समझते हैं हाइड्रोम एक नया तरीका है।

एम्पलायमेंट के बारे में मैंने आपसे कह दिया कि आज एम्पलायमेन्ट की कुछ मांग इतनी बढ़ रही है, खास तौर से आप सब जानते हैं इस बात को कि रोजमर्रा सवेरे

Page No.59

(श्री राजबहादुर)

जो लोग आपसे मिलने आते होंगे आधा दर्जन तो कम से कम वह बच्चे होंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके सामने समस्या है कि कहां जायें और कहां रोजगार पायें। सर पैमल हाल को मैंने पहले भी कोट किया फिर कोट करता हूं: "Education and unemployment are the greatest and the most mischievious explosives."

सबसे ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव्स होते हैं। इसलिए इस बेकारी की और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप इसका कुछ इन्तजाम नहीं कर सकते हैं? मैं मांग करता हूं या तो कुछ इन्तजाम कीजिए और अगर बेरोजगारी और बेकारी का इन्तजाम नहीं होता है तो आपको भत्ता देना पड़ेगा। अन-एम्पलायमेंट डोल कहिये उसे अन-एम्पलायमेंट अलाउन्स कहिये या कुछ भी कहिये, उस नाम से रखिये आप लेकिन उनको देना पड़ेगा तब आप थोड़ी बहुत राहत पहुंचा सकेंगे वरना नव जवान बच्चे हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं जो मां-बाप को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उल्टे उनके ऊपर भार होते हैं तो हर परिवार की समस्या आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है।

इसके अलावा एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक तिहाई भू-भाग वनों के मुकाबले में 10.8 प्रतिशत भाग है। 10.8 प्रतिशत वनों को याद करते ही मुझे घना की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी चर्चा अलग से होनी है इसलिए आज कुछ नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि बड़ी दर्दनाक बात थी। वहां घना को भी काटा गया है। घने के जितने पुराने वृक्ष थे वह काटे गये हैं और नये वृक्ष नहीं लग रहे हैं। घना का अब के हुआ है यहां आप पुछवा भी लीजिए किसी जानकार से कि अब की वर्ड्स का आगमन भरतपुर की सेंचुरी में बहुत कम हुआ है। इतना कम मैंने कभी नहीं देखा लेकिन वनों के बारे में कहना चाहूंगा।

पावर के बारे में जितना गैप है डिमाण्ड और सप्लाई में उसकी चर्चा क्या की जाये वह तो सामने है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: I don't want to disturb you, Sir, but the opinion of the experts, who have just attended the sanctuary in Bharatpur, is contrary to what you have asserted.

श्री राज बहादुर: namly? that the trees have not been felled.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: No. I am talking about the population increase of the birds which have visited Bharatpur.

श्री राज बहादुर: Perhaps I may say with all due humility and respect to you, Mr. Bhati, that the foreign experts, who came and gave this opinion, might have seen it for the first time. They have not seen it earlier. May be, they have seen it earlier. Therefore, their comparisons are more favourable and more pleasing to the host, rather than about the actual position. Their imagination might have taken the better of their devotion to truth.

Page No.60

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : May I once again inform you that the person by the name of Standbee, who has been visiting this country, an Australian, and who has filmed two or three excellent film of Bharatpur, his assertion is also the same.

श्री राज बहादुर : I don't for a moment dispute at all that the bird sanctuary at Bharatpur is not the one of the most magnificent in the world, the most pleasing sight in the world, but the question is relating to the number of birds that have visited the sanctuary this year. I may say with all my honesty and I have got some evidence with me, I have travelled a long road in the sanctuary with the Maharaja, and the Maharaja's own opinion was the same. unfortunately perhaps the birds were hiding to please you as well as they came out to please the others. Pardon me to make this remark.

अब मैं दूसरी बात करता हूं बिजली के बारे में। बिजली के बारे में आप कितना उत्पादन करते हैं कितना उत्पादन नहीं करते हैं.....

श्री महाराम चौधरी : काम की बात कहिए, साहब, आप तो।

श्री राजबहादुर : वही कह रहा हूं। मैं पहली बात तो यह कह रहा हूं....

श्री महाराम चौधरी : पहले वाली बेकार की बातें हैं। आम जनहित की नहीं हैं। बिजली, पानी यह तो आम समस्या की बातें हैं।

श्री राज बहादुर : मैं तो पानी की ही बात कर रहा था आपने सुना नहीं और शायद उस समय आप थे नहीं। मैं रोजगार की बात कर रहा था। रोज़गार की बात यदि जनहित की बात नहीं है, बेहूदा बात है, बेकार बात है। मैं आपसे कह रहा था, जो समस्या जलती हुई है, उसके बारे में कह रहा था, उनको क्या बेकार कहेंगे।

खैर, आपको किसान कि बिजली की बात सबसे प्यारी है तो मैं उसके लिए कहता हूं आप उसका समर्थन कीजिए। यह मैं कहना चाहता हूं। लेकिन पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बिजली की बात है "Centre blames Rajasthan for power crisis" मैं एक दो लाइन ही पढ़ूंगा। यह है दिसम्बर 31, 1982 का फाइडे का पेट्रीयट शायद पेट्रीयट पढ़ते न हों आप लोग।

"The Centre has held mismanagement of the Rajasthan State Electricity Board responsible for the power crisis. While reviewing the power situation in the State during 1980-81 and 1981-82, the Union Energy Minister....

No less a person then the Energy Minister himself. " blamed the Board for the artificial power crisis and the resultant heavy losses of industrial production."

(श्री राज बहादुर)

"The meeting took serious note of the 50% power cut on the basic industries."

नतीजा उसका क्या हुआ है ? यह मेरा कहना नहीं है, यह तो मैं आपको बता रहा हूं कि पावर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यह बात कही है और उस बारे में उस कन्टेक्स्ट में सोच लीजिए। क्यों, महाराम जी, यह तो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है ?

अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बराबर यह मांग चल रही है कि किसान को दिन में बिजली दीजिए। चल रही है कि नहीं चल रही है ? क्या यह असम्भव बात है ? अव्वल उसकी जो मांग है उसको आप मानिये। मैं कहता हूं किसान नहीं हूं लेकिन मैं कहता हूं कि बिजली बिना उसका काम चल नहीं सकता। वह रात में, कीचड़ में, कादे में, कीड़े में, कांटे में जाये और पानी की नालियां बनायें, पानी भरे यह कहां तक पासिबल है। क्या यह नहीं हो सकता कि बाई डे दीजिए किसानों को और बाई नाइट दीजिए इन्डस्ट्रीज को। पूरा इन्तजाम हो सकता है। लेकिन आप करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों ? इसीलिए तो हमारे कमलेन्द्र राव साहब ने कहा है कि आप पूंजीपतियों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, किसानों का ध्यान नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप किसानों को दिन में बिजली दीजिए। दिन में नहीं दे सकते, तो ऐसा कीजिये कि 5 बजे सवेरे से 1 बजे तक तो किसानों को दीजिए और 1 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनको दीजिए :......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सर, इरिगेशन एक्सपर्ट्स की ओपीनियन है कि...

श्री राज बहादुर : कि रात में ही पानी अच्छा लगता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं कम्पेयर टू डे रात में अगर आप पानी दें तो ड्योढ़ा पानी चलता है खेत में। 3 घंटे या 5 घन्टे अगर बिजली आ रही है, और सपोज आप 10 बीघा पा सकते हैं दिन में तो रात में अगर पानी मिलेगा तो 15 बीघा पा पायेंगे।

श्री राज बहादुर : फिर भी एक दफा मैं आपको हकीमजी कह दूं।

श्री मेघराज तावड : आपने राज्य में कभी पानी चलाया हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेघराजजी, आप तो सब जानते हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, ध्यान रखिये सारा राजस्थान सुन रहा है आपकी बात। सारा राजस्थान सुन रहा है कि रात को बिजली देंगे तो पानी कम लगेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैडम, पानी ला नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि Intensity of irrigation will increase. इवेपोरेशन कम होगा।

श्री राज बहादुर : मेरी बात सुन लीजिए। हकीमजी ने मुझे दवा दी, कड़वी दी, मुझे पसन्द नहीं आई। मैंने कहा कि भाई, आपकी दवा नहीं करूंगा और की करूंगा। किसान को रात को बिजली नहीं चाहिए। किसान को दिन में बिजली चाहिए। वह मांगता है आप उसकी बात रखेंगे या एक्सपर्ट की बात रखेंगे ?...

श्री महाराम चौधरी : यह तो एक्सपर्ट की बात मानेंगे। किसान की जरूरत की बात नहीं करेंगे। एक्सपर्ट की बात रखेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। No interruption.

श्री राज बहादुर : दूसरी बात आप बिजली देते हैं एक घंटे के लिए फिर रोक दी। उस बेचारे को फिर पानी चलाना है नाली में होकर, जहां तक दे चुका, फिर भरना है फिर देना। आप कन्टीनुअस सप्लाई तो दीजिए, लगातार, रुके नहीं उसमें बाधा नहीं आये, यह भी नहीं होता है। मैं तो कहता हूं, एग्री की बात नहीं आपको दिन में पानी देना पड़ेगा, दिन में वरना इस वक्त राजस्थान में एक मांग गूंज रही है। आप याद रखिये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, पानी नहीं देने के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ और पानी नहीं होने के खिलाफ सारा राजस्थान गूंज रहा है। समय पर आप को चेतावनी दे रहा हूं, आपतो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो आप जाने आपका काम जाने। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, फिर आप कर नहीं पायेंगे।

तीसरी बात मैं कहता हूं, वोल्टेज काफी नहीं होता है। उन बेचारों के पम्प जल जाते हैं, नुकसान होता है। तीसरी चीज, काश्त बोते समय जितनी बिजली मिलनी चाहिये उससे दुगुनी मिलनी चाहिए जब कि काश्त पकाव पर आये वह भी नहीं मिल पाती। यह मांगें हैं जो कि बराबर आती हैं सामने। फसल तैयार होने के दौरान बिजली का वोल्टेज पूरा होना चाहिये।

इसके बाद फिर अकाल की बात आ गयी। अकाल की बात है लेकिन अकाल के साथ साथ वसूली जारी है। हमारे 27 जिलों में से 26 जिलों में अकाल हैं लेकिन वसूली भी जारी है। आप वसूली तो बन्द कर दीजिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, महाराम जी।

श्री महाराम चौधरी : आप बात तो सभी सही कह रहे हैं।

श्री राज बहादुर : अच्छी बात है।

फिर कुएं गहरे करने के लिए बोरिंग नहीं मिलता उनको। यह तो चीज ऐसी है कि जिसका इन्तजाम कर सकते हैं। और तो और, किसानों ने मुझ से कहा, मैं न तो कुत्ते पालता हूं न बिल्ली पालता हूं। साहब, शहरों में बड़े-बड़े आदमियों के कुत्ते-बिल्ली पालने के लिये वेटरिनरी डाक्टर मिल जाते हैं लेकिन हमारे ढोरों और पशुओं के लिए वेटरिनरी डाक्टर नहीं मिलते हैं। यह क्यों है, साहब ? इसका इलाज भी कीजिए, कोई ढोर डाक्टर साहब है यहां पर। ढोर डाक्टर नहीं तो ढोर डाक्टर साहब के मंत्री हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुन रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी देंगे तब आपकी बात का उत्तर दिया जायगा।

श्री राज बहादुर : अच्छी बात है।

श्री महाराम चौधरी : प्रशासन गांवों की ओर के साथ साथ इनको भी गांवों में भेज दिया गया है..

श्री राज बहादुर : कब्रिस्तान की बात चल रही थी, साहब..

Page No.63

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रशासन गांवों की ओर से आप क्यों नाराज हो रहे हो।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री मेघराज तावड़ : गोटेवाला साहब, पशु गायब नहीं हो जायें इसका जरा ध्यान रखिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपका ध्यान ज्यादा रखता हूं। आप और मैं पहले फेलो ट्रेवलर रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री राज बहादुर : मैं पावर के लिये कह रहा था।

दूसरी बात मैं कहूंगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। यह कब और कहां बनने हैं, कैसे बनने हैं, कितनी तेजी से काम हो रहा है इसके बारे में कुछ प्रकाश पड़ जाता तो अच्छा था।

आखरी बात मैं कहूंगा लेबर रिलेशन के बारे में। आखिरी बात तो नहीं, मुझे निवेदन और भी करना है। लेबर रिलेशन का हाल यह है कि लगभग जे.के. सिन्थेटिक्स में छंटनी कर दी, राजस्थान रोडवेज में छंटनी हो गई, आपकी जयपुर स्पिनिंग वीविंग मिल्ज बन्द पड़ी है। पावर नहीं मिलने से छोटे-बड़े उद्योग 100-150 के करीब बन्द पड़े हैं। कितना मजदूर बेचारा परेशान होगा जिसके पास घर में खाने को कुछ नहीं है। आप खुद सोचें। तो मजदूरों की मांग जो मोटी है, जे.के. सिन्थेटिक्स को खुलवाइये, जे.के. सिन्थेटिक्स में छंटनी बन्दी की, छंटनी बन्द करने का समय नहीं है। यह रोजगार पैदा करने का समय है; रोजगार बरबाद करने का समय नहीं है। इसलिये जहां तक यह बात है उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

तीसरी चीज, अभी एक बात कही थी हमारे मित्र कमलेन्द्रसिंह जी ने, वह बात ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। मैं ब्यूरोक्रेसी की रक्षा तो नहीं करता लेकिन मैं जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी बेचारी बिटविन डेविल एण्ड डीप सी है। वह डेविल कौन है, डीप सी कौन है यह कहने की, मैं समझता हूं, जरूरत नहीं है। लेकिन यह निश्चित बात है कि अगर स्टील फ्रेम जो सर्विसेज का है इनको सुरक्षित नहीं रखा गया, तो निश्चित रूप से फ्रांस में कितनी बार इलेक्शन हुआ, नहीं चल रही थी सरकार, नहीं बन रही थी सरकार, स्टील फ्रेम ने चलाया। यह वही स्टील फ्रेम है जिसको सरदार पटेल ने कहा था चूंकि मेरा सम्बन्ध रहा है, थोड़ा बहुत दिन सत्ता में रहा हूं, वक्त दिया है उन्होंने कहा इसके बारे में "they are worth their weight in gold" मैं सबके लिये नहीं कह रहा लेकिन यह निश्चित बात है, आप इनकी इन्डीपेन्डेन्स और इम्पार्शियलिटी सुरक्षित रखते हैं क्या ? नहीं रखते। आज आप तो सब सत्ता में हैं लेकिन मुझ जैसे आदमी के पास कम से कम 10-15 आदमी रोजमर्रा इसलिये आते हैं कि मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर कौन करेगा। यही करेंगे। कोई आपका इन्तजाम नहीं बन रहा है ट्रांसफर की बीमारी, महामारी को कैसे रोका जाय। आप एक नीति नहीं बना सकते कि

(श्री राज बहादुर)

हम ट्रांसफर इस आधार पर करेंगे, इस आधार पर नहीं करेंगे। यह भी नहीं है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं आप उनकी इन्डीपेन्डेन्स रखेंगे या उन्हें कमिटमेंट चाहेंगे, कमिटमेंट काहे के लिये। कमिटमेंट आफ लायबिटी मांगते हैं। और एक मंत्री हमारे तीन मुख्य मंत्री हुए थे, केन्द्र में हुए थे, हुए तो और प्रान्तों में भी हैं लेकिन मैं नाम उनका नहीं लूंगा। बख्शी गुलाम मोहम्मद अब नहीं है स्वर्गीय हैं, सरकार प्रतापसिंह केरो नहीं हैं। उन्होंने पहली बार कहा था कि पालिटिकल आफिसर्स डिपार्टमेंट के आफिसर्स हमारे साथ काम करेंगे। इसी से बीमारी केन्द्र में भी आ गई ललित नारायण मिश्र ने भी स्पष्ट कहा, जो हमारा साथ देगा, हमारी बात मानेगा, हमारे कहे काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, उसको तरक्की मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको तिरस्कृत किया जायेगा। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वालों का, गवर्नमेंट का, मन्त्रिमण्डल का यह रवैया है तब तक कोई न्याय नहीं हो सकता, न यह इन्डीपेन्डेन्ट रह सकते हैं। और न मैं इनकी खुशामद ही करता हूं, मैं कहता हूं यह भी बहुत गड़बड़ करते हैं। किसी मन्त्री को प्लीज करने के लिये सिद्धांतों से समझौता करते हैं। मन्त्री को प्लीज करना उनका कम नहीं है जो रूल्स-रेगुलेशन्स को बाई पास कर दे लेकिन जो मैन्डेट है उसका पालन करें, उसका जी जान से पालन करो, चाहे उनके खिलाफ ही जाता हो। इसलिये मैं राव कमलेन्द्र जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सर्विसेज है उनको आज एक साथ ब्लेम कर दिया जाये। इतना जरूर कहूंगा कि यह चीज ऐसी है जिसके बारे में खूब सोचविचार कर बात करें।

मैं एक बात कहूंगा, मुख्य-मुख्य बातों के बारे में मैंने कह दिया। अब मैं कहूंगा थोड़ी बातें वह जो दिन रात आती रहती हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट के बारे में बहुत सी चर्चा आई है, मैं लम्बा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या कारण है कि मथुरा रिफाइनरी को चालू हुए, करीब-करीब साल-डेढ-साल, दो साल हो गये, एक भी इन्डस्ट्री जो उस पर बेस्ड हो सकती है उसके बारे में नहीं सोचा। आप अपने क्षेत्र में नहीं रहे, भई भरतपुर से बहुत दुश्मनी है, मत रखो भरतपुर में, सवाई माधोपुर में रखो जयपुर में रखो, टोंक में रखो, इस सारी रिपोर्ट में नाम सब जिलों का आ गया है लगभग भरतपुर का नाम आया है केवल एक पोलिटेक्निक का। पोलीटेक्निक के लिये धन्यवाद देना पड़ता है शिवचरण जी माथुर को नहीं, श्री जगन्नाथ पहाड़िया को, उन्होने पोलीटेक्निक की घोषणा की लेकिन आज तक वह कार्यान्वित नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको फुरसत है क्या? आपको अपने झगड़ों से ही फुरसत ही नहीं है। आपका जो वाद-विवाद है उस से ही फुरसत नहीं है। तीन साल बीत गये। अगला बजट और आयेगा, अगला, एक और होगा। फिर चुनाव की हवा लहर हो जायेगी फिर न आपको फुरसत होगी, किसी को फुरसत होगी नहीं। यह मैं और बता दूं कि आप लोगों में से कोई भी आ जाये, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट बना नहीं सकता, क्योंकि जो आज बनाता है वह कल फिर आयेगा। मैं तो आपके अन्दरूनी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं प्लीज

(श्री राज बहादुर)

बीवेयर, अभी समय रहते हुए वरना आपका जो कुछ होगा, होगा लेकिन सारे प्रान्त का, सारे प्रदेश का क्या होगा और क्या व्यवस्था होगी, यह अभी नहीं कह सकते। मैं आपको कोई अनिवार्य नहीं मानता कि आप कोई इनडिस्पेन्सबल हैं। हमेशा ईश्वर कुछ न कुछ व्यवस्था करता है लेकिन यह निश्चित बात है, अब देखिये, मुझ जैसा आदमी अत्यन्त सम्मान रखता है गवर्नर साहब का, मैं कदापि उस दिन यह नहीं सोचता कि मुझे बहिर्गमन करना है लेकिन वह चीज ऐसी है जो हमारे देश की एकता और हमारे देश के विधान, दोनों के ऊपर बड़ा भारी खतरा आया था। आज भी खबरें सुनें, हमारा रेडियो तो पूरी खबर देता नहीं लेकिन आप मजबूरन सुनें, कल रात को कहा कि बराबर वही कतल और खून जारी है। कल पचास एक आदमी खतम हुए। दो-तीन इलेक्शन हो गए, इलेक्शन गवर्नमेंट बन भी जायेगी तो कैसे चलेगी। जो हार गये हैं उनका क्या होगा। फिर यह बताइये कि कान्स्टीट्यूशन क्या है? क्या कान्स्टीट्यूशन में क्या यह है कि 10 पर्सेन्ट या 5 पर्सेन्ट से वोटिंग हो, 71 हजार जहां वोटिंग स्ट्रेन्थ है वहां पर खाली 1334 वोट दें और 60 हजार में से 500 दें। आपको एक न एक दिन सारी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, इसको परखना पड़ेगा और देश को खतरे से बचाना पड़ेगा। मुझे आपके माध्यम से अपनी चिन्ता, जो सब लोगों को सता रही है, कहना पड़ेगा, कितनी जानें गई हैं वहां। क्या जानें नहीं बच सकती थीं। जरूर बच सकती थीं। जो समझौता, जो फैसला अब करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा वह पहले भी कर सकते थे। मैं आपसे यह एक और बात पूछता हूं।

फिर आता हूं विकास की ओर। मैंने खाली इण्डस्ट्रीज के बारे में कहा है। हमने बहुत मांग की थी ड्राई पोर्ट हमारे यहां हो। ड्राई पोर्ट हमारे यहां तो नहीं हुआ, दिल्ली वालों ने तरकीब निकाली, उन्होंने कन्टेनर बनाना शुरू कर दिया। कन्टेनर बहुत बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जो ट्रकों पर लाद कर ले जाये जा सकते हैं। क्या वह हमारे यहां नहीं बन सकते। हमारे यहां बने और कस्टम की छूट दे दी जाय, ड्राई पोर्ट बन जाय, जिससे कितना व्यापार बढ़ता है। कम से कम ड्राई पोर्ट से 10 हजार से 50 हजार आदमी तक को रोजगार मिल सकता है, इन इण्डस्ट्रीज से एक एक से मिल सकता है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है।

भरतपुर के किले का बुरा हाल है। मैं कुछ बात करता हूं क्षमता की भी आप सब जानते हैं। नहर वहां सड़ रही है, नहर सड़ रहा है, उसके लिये मन्जूरी केन्द्र से आ चुकी है लिखित चिट्ठी मेरी चिट्ठी के जवाब में आई है, जो भी खर्चा इस पर होगा इस खर्च को केन्द्र देगा। लेकिन उस चिट्ठी को आये हुए भी शायद साल भर के लगभग हो गया, उसकी नकल दी गई, अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब क्या है, आपको फुरसत नहीं है कि कौनसी चीज कहां बिगड़ रही है, कौनसी चीज क्या हो रही है। आप अपने ही झगड़ों में फंसे हुए हैं, अपने द्वन्द्व में फंसे हुए हैं, इसका नतीजा होने वाला क्या है, मुझे तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं

(श्री राज बहादुर)

फिर आपसे विनती करूंगा कि इस राज्यपाल के अभिभाषण को औपचारिकता मत बनाइये। कुछ ऐसी नीतियां निकालिये, कुछ ऐसे मुद्दे निकालिये, अब भी कहिये कि आप क्या करने जा रहे हैं। राजस्थान की हालत सुधारने के लिये, प्रशासन की हालत सुधारने के लिये। इन ट्रांसफरों की महाबीमारी को बन्द करने के लिये, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिये, मजदूरों को राहत देने के लिए विद्यार्थियों को, बेरोजगार जवान जो हैं उनको भत्ता देने के लिये, क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, किस पर जिम्मेदारी है? आप सोच कर इस पर निर्णय नहीं लेंगे तो क्या होगा।

मैं इन शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदया, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदया, इस सदन के पावन प्रांगण में महामहिम राज्यपाल महोदय ने गत 17 तारीख को जो अभिभाषण दिया उसके संबंध में कुम्हेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उस प्रस्ताव में मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं। कुम्हेर से आये हुए माननीय सदस्य, श्री हरिसिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में अभिभाषण प्रस्तुत किया जाये:–

"इस सत्र में एकत्रित, हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति आभारी हैं।" मैं इस प्रस्ताव में "आभारी" शब्द की जगह "धन्यवाद" शब्द जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये हैं उन सभी ने इस प्रस्ताव को धन्यवाद प्रस्ताव कहा है और बात भी सही है। जब से मैं इस सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं तब से लेकर आज तक तीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आ करके अभिभाषण द्वारा इस सदन को सम्बोधित किया है।

माननीय सभापति महोदया, यह एक विडम्बना ही है कि राज्यपाल महोदय जब पधारते हैं तो बड़े स्वस्थ और प्रसन्नचित्त से इस सदन में आते हैं। पधारने के बाद वर्तमान चिकित्सा मंत्री जी उनको अस्वस्थ घोषित कर देते हैं। सर्व प्रथम मैं इस सदन में आया तो महामहिम राज्यपाल, रघुकुल तिलक यहां पधारे, तो आते ही उनको अस्वस्थ घोषित कर दिया। गत सत्र में माननीय शर्मा साहब पधारे तो उनको भी आते ही अस्वस्थ घोषित कर दिया। अभी 17 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे, बड़े चुस्त दिखाई दे रहे थे, ज्योंही आसन पर गये कुर्सी पर बैठे तो हमारे दयालु चिकित्सा मंत्रीजी ने उनको भी अस्वस्थ घोषित कर दिया।

श्री सभापति : यह चिकित्सा मंत्रीजी का अधिकार है वे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय सभापति महोदया, तीनों राज्यपालों को

Page No.67

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)
अस्वस्थ ही घोषित नहीं किया, उनको इस सदन में बैठने की भी स्वीकृति दे दी । यही नहीं, हमने उनके भाषण को बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ मान लिया । सदन के अन्दर यह जो हम एक परम्परा कायम कर रहे हैं मैं उसको उचित नहीं मानता । पिछली दफा भी मैंने निवेदन किया था कि इस सदन में जो माननीय सदस्य विराजमान हैं वे सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं । महामहिम राज्यपाल जब इस द्वार से प्रवेश करते हैं और जब हमको सूचना मिलती है कि महामहिम राज्यपाल महोदय पधार गये हैं सारा राजस्थान उनकी अगुवाई के लिये, उनके स्वागत के लिये उत्तिष्ठ हो जाता है, हम सब खड़े हो जाते हैं। जब सारा राजस्थान उनकी सेवा में खड़ा है, स्वागत में खड़ा है तब अनावश्यक रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय को अस्वस्थ घोषित करके अभिभाषण बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ मान लिया जाता है, यह जो परम्परा है, गलत है । यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था जो हम यहां कर रहे हैं; मुझे तो मालूम नहीं है इस सदन में कहना उचित है या नहीं ।

(व्यवधान)

हां, वही ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषण कन्टीन्यू रखें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप भाषण चालू रखें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मेरी भावनाओं को सारा सदन समझ गया ।

सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पधार कर कोई इस सदन के ऊपर आभार नहीं किया, हमको सिर्फ कृतार्थ किया है इसके बदले में धन्यवाद ही काफी है । आभार शब्द बहुत वजनदार है इसलिए, सभापति महोदया, मैंने इस प्रस्ताव में संशोधन किया है । इसको धन्यवाद प्रस्ताव ही कहते हैं और धन्यवाद ही लिखा जाता है ।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से जो प्रस्तावक महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा आभार शब्द की जगह वे धन्यवाद शब्द जोड़ दें । इस अभिभाषण को मैंने आदि से लेकर अन्त तक पढ़ा । इसमें गत वर्ष की उपलब्धियों का समावेश है अग्रिम वर्ष के लिए दिशा-निर्देश है । आंकड़ों का बहुत बड़ा जंजाल इसके अन्दर निहित है । उन सब में मैं नहीं जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास की ओर इशारा इंगित किया गया है । भावना यह है कि सारे राजस्थान को एक मानकर के जहां जिसको जो आवश्यकता है और हमारे जो साधन हैं उनके मुताबिक सारे राजस्थान का चहुंमुखी विकास और उत्थान किया जाय ।

इस अभिभाषण में अकाल के बारे में भी जिक्र किया गया है । सभापति महोदया

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)
आप तो जानती हैं कि राजस्थान तो हमेशा ही अकाल से घिरा हुआ रहता है। यह अकाल कोई अस्थाई रोग नहीं है, यह तो स्थाई रोग हो गया है और इसका उपचार भी सरकार को स्थाई ही करना चाहिये। जब तक हम इसके ऊपर बहुत गंभीरता से चिन्तन मनन नहीं करेंगे और अस्थाई इलाज करते रहेंगे तो पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा। इन्होंने लिखा है, "काफी अकाल के काम शुरू कर दिये गये, किये जा रहे हैं।" बहुत बड़ा राजस्थान है, हो सकता है, सब जगह की मुझे जानकारी न हो लेकिन, सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में तो कोई काम चालू नहीं हुआ है। कहां शुरू हुए हैं? और यह भी मैं कहूं कि 15 तारीख तक चूरू जिले में काम प्रारम्भ नहीं हुआ। इसके आगे मेरा कहना जिम्मेदारी का नहीं होगा। हो सकता है इसमें दो ऐसे जिले हैं जिन का बार-बार नाम आया है...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): भीलवाड़ा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया: हां, एक तो आप बता रहे हैं वही।

(व्यवधान)

एक आपने बताया। इन दो जिलों का नाम इसमें कई बार आया है वहां पर या तो पोलीटेक्निक कालेज खोल रहे हैं या अकाल का काम खोल दिया गया है, कुल मिलाकर भूत और वर्तमान दो ही स्थानों का नाम आया है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): आपके जिले से कोई केबिनेट मंत्री है या नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया: उनको मैं धन्यवाद दूंगा।

एक माननीय सदस्य: कालेज के बारे में?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया: कालेज के बारे में कुछ लिखा नहीं। मैं अभिभाषण के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इस अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 5 पर लिखा है, "सिद्धमुख केनाल"। इस तरह की कई योजनायें बताई हैं लेकिन उन योजनाओं की प्रगति के बारे में नहीं बताया। सिद्धमुख, नोहर फीडर तथा साधू वाली लिंक नई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया है। यह चूरू जिले के लिए एक वरदान की बात है। हमारे जिले के जो मिनिस्टर हैं, उनको फावड़ा और तगारी का थोड़ा-सा आनन्द इस अभिभाषण में आया है। उन्होंने सिद्धमुख और नहर, इन दोनों का कार्य चालू कर दिया है। मैं समझता हूं कि 2-4 साल में जब भी यह पूर्ण होगी। इससे राहत मिलेगी। आज सदियों से चूरू जिला पीने के पानी के लिए तरस रहा है और जगह-जगह गांवों में खारा पानी पिया जाता है, उन गांवों में पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सकेगा। यह बहुत खुशी की बात है। इसी कार्य के लिए राजस्थान में जो सिद्धमुख नहर खोल रहे हैं। कौन ला रहा है? नहर मंत्रीजी न...

एक माननीय सदस्य: राजस्थान सरकार।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया: राजस्थान सरकार के नहर मंत्रीजी, श्री चन्दनमल जी वेद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)
कि उन्होंने चूरू जिले को पेयजल की समस्या को हल करने के लिए आंशिक रूप से प्रयत्न किया।

श्री सूरजपाल सिंह : मानसिक या आंशिक ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मतलब अभी शुरू ही किया है न। आंशिक ही किया न, पूरा नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें। समय का ख्याल रखें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अरे, साहब, मैं क्या करूं। जारी तो रखूं लेकिन रखने दें तब न।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : बहुत अच्छा भाषण हो रहा है, माननीय सभापति महोदय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपसे तो अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : एक जगह यह भी अंकित किया है कि मण्डी क्षेत्र में माल की आवक बढ़ाने के लिए गांवों का सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिये कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें बनायी जा रही हैं। चालू वर्ष में लगभग 250 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कें 4 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। राजस्थान में जहां कहीं भी यह सड़कें बन रही हैं, बहुत खुशी की बात है लेकिन मेरे क्षेत्र में तो कहीं पर भी ऐसी सड़कें न तो कृषि मण्डी की तरफ से बनी हैं और न बन रही हैं।

एक माननीय सदस्य : न सम्भावना है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : नहीं, आदमी को आशावान तो रहना चाहिए। सम्भावना तो हो सकती है।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माण्डलगढ़ में बनने के बाद बनेगी।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरे नम्बर पर आये तब भी कोई बात नहीं है। सभापति महोदया, इस अभिभाषण में एक लाइन लिखी है, "भारतीय चिकित्सा पद्धति".. लाइन ही नहीं मिल रही है, अरे, देखूंगा मैं...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पढ़ा हुआ माना जाय।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : यह पेज 21 पर है, सभापति महोदया, "बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के अन्दर व्यापक रूप से कार्य हुआ है, उसमें हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना समुचित योगदान दे रही है।" इस बात को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति से उनका मतलब आयुर्वेद से ही होगा क्योंकि पूर्व में भारत में, इस देश के अन्दर जो चिकित्सा पद्धति थी वह आयुर्वेद की थी। आज आयुर्वेद के

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

छात्र और वैद्य अपने वेतन के लिए आतुर हैं, मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आयुर्वेद के एक वैद्य, भिषगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य को एक कम्पाउण्डर के स्तर की तनख्वाह मिले, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। हमारी इस भारतीय संस्कृति, भारतीय चिकित्सा पद्धति को जीवित रखने के लिए, पनपाने के लिए और सम्मान प्रकट करने के लिए यह जरूरी है कि वैद्यों का वेतनमान भी दूसरे डाक्टरों के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह उनके साथ अन्याय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राज्य सरकार इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय ले क्योंकि, सभापति महोदया, आज गांवों में जितने लोग बसे हुए हैं, उनको यदि कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त है तो वह आयुर्वेद की है। डाक्टर तो गांवों में जाना नहीं चाहते और मान लीजिये राज्य सरकार यदि उनका गांवों में किसी केन्द्र, उप-केन्द्र पर ट्रान्सफर कर भी देती है तो वह छुट्टी लेकर या तो शहर में आ जाते हैं या जाते ही नहीं हैं, अपनी उपस्थिति वैसे ही दिखा देते हैं। इस तरह से गांवों में जो किसान, मजदूर और शोषित पीड़ित वर्ग के व्यक्ति आबाद हैं, उनको यदि किसी चिकित्सा पद्धति से लाभ है तो वह आयुर्वेद है। गांवों में बैठे हुए वैद्य ही वहां प्रारम्भिक चिकित्सा करते हैं इसलिए उन वैद्यों की उपेक्षा श्रेयस्कर नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह अन्तिम रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सदन में अपने स्वरूप को समझते हुए, सदन की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए अच्छी परम्परा कायम करें, इस बात का ध्यान रखा जाय। जहां भी कोई शुद्ध परम्परा के विरुद्ध आचरण हो, खुलकर उस बात को कहना चाहिए। वैसे मेरी इस बार बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि यह तो बहुत बुरा हो रहा है, आगे आने वाले लोग कहेंगे कि सारा राजस्थान जहां बैठा है वहां सम्बोधित करने वाला व्यक्ति बैठे-बैठे अभिभाषण करे, यह अच्छा नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या राज्यपाल महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्वेश्चन तो प्रश्न काल में पूछ लीजिए, अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : मेरा समय समाप्त हो गया क्या? हो गया हो, तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आपकी आज्ञा हो तो बैठ जाऊं, मैं तो एक मिनट नहीं बोलूंगा आपको आज्ञा के बगैर। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे ही करूंगा मैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त भी करिये। माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री जयदव प्रसाद इंदोरिया : मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इस अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव का हार्दिक रूप से समर्थन करते हुए

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

आशा करता हूं, संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको आप मंजूर करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको हार्दिक धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सुश्री पुष्पा जैन। माननीय सदस्या, पार्टी का समय जो दिया गया है, उसमें से काफी समय लिया जा चुका है, बहुत संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में जो अभिभाषण पढ़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने अपने लिये अधिकारियों से एक प्रशस्ति पत्र लिखवा लिया और उसे महामहिम की जुबान से यहां पढ़वा दिया। सभापति महोदया, जैसा कि मेरे कई अन्य साथी कह चुके हैं इस अभिभाषण में कई बिन्दुओं की ओर संकेत दिया गया है, खास तौर से जिन बातों के डंके बजाये गये हैं उसमें एक है प्रशासन गांवों की ओर गया उसमें क्या हुआ? सभापति महोदया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी एक क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करती हैं, आपको स्वयं अच्छी तरह से मालूम है। प्रशासन गांवों की ओर गया। लोगों को जमीनें आवंटित हो गई थीं लेकिन कब्जे नहीं मिले थे। उसमें आपने एक बिन्दु रखा कि जिन लोगों को कब्जे नहीं मिले प्रशासन गांवों की ओर जाएगा उसमें उनको कब्जे दिलवायें जायेंगे। मैं बताना चाहूंगी, सभापति महोदया, दिनांक 28–6–81 को हनुमानसिंहजी को जमीन अलाट हुई थी, खोरा मीणा पंचायत कूकस में से करीब पांच बीघा जमीन आवंटी को अलाट की गई। उसके कब्जे के लिये आज करीब तीन साल हो गये, अलाटी बार-बार कलेक्टर, एस. डी. एम. और तहसीलदार सब के दरवाजे पर जा चुका। कैम्प लगा प्रशासन गांव की ओर गया। लिहाजा उसने दरख्वास्त की कि मुझे कब्जा दिलवाया जाय। मुझे दो बीघा के करीब जमीन तीन साल के लिये आवंटित हुई है। तीन साल पूरे होने वाले हैं, मुझसे कब्जा ले लिया जायगा जबकि कब्जा मुझे दिया ही नहीं गया। दो बीघा जमीन और मुझे तीन साल के लिए आवंटित हुई है उसका भी कब्जा नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने दरख्वास्त को लेकर फाड़ दिया और कहा कि खबरदार अगर कभी कब्जे की बात की। यह बड़ी संगीन बात है। सभापति महोदया, यदि यही करना है, तो प्रशासन गांवों की ओर गया के डंके इस अभिभाषण में क्यों बजवाये और महामहिम राज्यपाल ने अपने संदेश में क्यों पढ़ा, मैं समझ नहीं पाई।

एक बिन्दु यह भी दिया गया था कि रास्ते खुलवाये जायेंगे। सभापति महोदया, पूरे राजस्थान में क्या हुआ मुझे इसका इल्म नहीं लेकिन मेरे क्षेत्र में लबाना पंचायत ग्राम गुनावता में एक रास्ता बन्द था। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के स्वार्थवश उस रास्ते को बन्द कर दिया गया। पूरे गांव की पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया कि यह आम रास्ता है। रिकार्ड पर आम रास्ता है। इस रास्ते को खुलवाया जाय। कलेक्टर ने भी माना कि रिकार्ड पर आम रास्ता है। एस. डी. एम. ने भी माना,

(सुश्री पुष्पा जैन)

तहसीलदार ने भी माना, सारे प्रशासन ने माना कि ग्राम रास्ता है बावजूद इसके उस रास्ते को नहीं खुलवाया गया। बार-बार प्रार्थीगण को लिख कर दिया गया कि फलां समय पर पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा और रास्ता खुलवा दिया जाएगा। सारा गांव मौजूद हो गया। वहां पर वार्ड पंच इकट्ठे हो गये। पूरा ग्राम शाम तक? रात तक इन्तजार करता रहा कि पता नहीं प्रशासन कब आएगा और कब रास्ता खुलेगा। 22 तारीख को ग्राम लबाना में प्रशासन गांव की ओर, राजस्व अभियान में कैम्प लगा। 22 जनवरी को सारे लोगों ने वहां ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर दिया। मेरी मौजूदगी में अधिकारियों से दरख्वास्त की कि आज तो प्रशासन गांव की ओर आ गया, आपकी इस किताब में बिन्दु दिया गया है कि जो रास्ते अनावश्यक रूप से बन्द कर दिये गये हैं उन रास्तों को खुलवाया जाय। एस. डी. एम. ने मेरी मौजूदगी में कहा कि आज हमारे पास पुलिस नहीं है, लिहाजा जब हमारे पास पुलिस उपलब्ध होगी, पुलिस की मौजूदगी में रास्ता खुलवा दिया जाएगा। वहीं पर उन्होंने जिस व्यक्ति ने रास्ता बन्द कर रखा था उसको बुला कर कहा कि यदि तुम्हें कोई उज्र है, तो जाकर स्थगन-आदेश ले आओ। सभापति महोदया, मैं समझ नहीं पाई कि यह कैसा प्रशासन है कि जो समस्या को सुलझाना चाहता है या समस्या को उलझाना चाहता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिलाधीश महोदय ने ए. डी.एम. से कहा कि हो सके, तो इसे किसी तरह से स्टे दे दीजिए। ए. डी. एम. ने उस रास्ते के बारे में स्टे दे दिया। सर्टिफाइड कापी मेरे पास है, मैं जरा सा पढ़कर सुनाना चाहूंगी:–

"26-.-83, प्रार्थी के वकील उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। वकील का कथन है कि आर. जी. खसरा नम्बर 138 का प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है और लगान जमा कराता है। इस समय गेहूं, सरसों की काश्त कर रखी है। ग्राम पंचायत इसमें से रास्ता निकालना चाहती है। रास्ता निकाल दिया तो प्रार्थी को क्षति होगी। "उसकी ताईद में शपथ-पत्र भी पेश किया गया।" अतः आज्ञा है कि ग्राम पंचायत लबाना को आदेश दिनांक 30-12-82 के तहत जो आदेश दिया गया है वह अपील के निर्णय तक स्थगित किया जावे।"

सभापति महोदया, यहां विधायक के रूप में कई काबिल वकील भी बैठे होंगे। मैं पूछती हूं, क्या कभी ऐसा स्टे हुआ है कि ला-फैसला अपील तक स्टे कर दिया जावे? और वह भी महज एक शपथ-पत्र पर। आपको ताज्जुब होगा कि ए.डी.एम. ने इससे सम्बन्धित फाइल को भी नहीं मंगवाया। फाइल आज तक एस. डी. एम. के पास पड़ी हुई है। ए. डी. एम. ने एक शपथ-पत्र के ऊपर ला-फैसला अपील तक स्टे दे दिया। मैं समझ नहीं पाती हूं कि इस तरह का अगर शासन होगा तो प्रशासन गांव की ओर जाकर क्या करेगा, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकती हैं। सभापति महोदया, इसमें एक बिन्दु यह भी था कि मंदिर माफी की जमीन के ऊपर अगर गलत कब्जे हो गए हैं तो उन्हें खुलवा दिया जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्राम नीदड, आमेर पंचायत समिति में एक जमीन करीब 50 साल से मंदिर माफी की जमीन थी। उस पर

Page No.73

(सुश्री पुष्पा जैन)

वहां के महन्त सेवा पूजा करते हैं, ग्राम की जनता उस मंदिर की पूजा करती है। वहां जाती है। आज तक पांच सरपंच ग्राम नींदड में हो चुके हैं। किसी के समक्ष वर्तमान सरपंच ने दरख्वास्त नहीं दी थी कि यह जमीन मेरी है या मेरे बाप की है, लिहाजा इसका नामान्तरकरण खोल दिया जावे। आपको ताज्जुब होगा, पहली बार वह सरपंच बना और सरपंच बनते ही उसने पहला काम यह किया कि उस मंदिर माफी की जमीन का नामान्तरकरण स्वयं अपने नाम पर खोल लिया। यह 'प्रशासन गांव की ओर' चल रहा है। जब प्रशासन गांव की ओर गया तो ग्रामवासियों ने दरख्वास्त पेश की कि यह मंदिर माफी की जमीन है लिहाजा सरपंच का नामान्तरकरण रद्द करके इसका कब्जा जनता को दिलवाया जाय, मंदिर के नाम पर जमीन रखी जावे। दरख्वास्त को लेकर फाड़ दिया गया। उन्हें डांटा गया कि क्या फालतू बातें करते हो, प्रशासन गांवों की ओर आया है तो कोई काम की बात करो। इससे ज्यादा काम की बात और क्या हो सकती है। सभापति महोदया, मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि मुझे मेरे क्षेत्र की तो जानकारी है ही, पूरे दावे के साथ पूरे राजस्थान के बारे में कहना चाहती हूं कि महज कुछ थोथे नामान्तरकरण खोलने के अलावा जो प्रशासन गांवों की ओर गया उसमें उसने कुछ नहीं किया उल्टे मामलों को और उलझाया। उन्होंने आगाह किया, लोगों को एक तरफ तो यह कहा कि आप कोर्ट में आइये, आपको इसके बदले में कोई न कोई राहत मिलेगी, यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ थोथा नामान्तरकरण किया। अगर किसी का बाप मर गया तो बेटे के नाम नामान्तरकरण वैसे ही खुलेगा। प्रशासन गांवों की ओर गया। हजारों रुपया, लाखों रुपया, बेचारे गरीब काश्तकारों की कमाई का आपने टी. ए., डी. ए. के रूप में वसूल किया। किसकी वजह से ? क्यों ? फिर आप नारा देते हैं कि प्रशासन गांवों की ओर गया और आपने राहत दिलाई महामहिम राज्यपाल से यह अभिभाषण पढ़वाकर हमसे धन्यवाद का प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं। सभापति महोदया, इतने हम अनाड़ी नहीं, राजस्थान की जनता अनाड़ी नहीं है कि आपकी किसी बेतुकी बात की ताईद करके यहां धन्यवाद का प्रस्ताव पास कर दे।

(2.25 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पठासीन)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : प्रद्युम्नसिंह जी कुछ जवाब दो।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, यही नहीं, प्रशासन जिस तरह की आपाधापी कर रहा है उसको सुन कर और जानकर ताज्जुब होगा आपको। मेरे क्षेत्र में नांगल सुसावता पंचायत में ग्राम चमनपुरा में एक जमीन थी। इस जमीन को हड़पने के लिए राज्यपाल महोदय के सैक्रेटरी ने कई बार प्रयास किया कि यह जमीन उन्हें किसी तरह से आवंटित हो जावे या किसी तरह से हाथ में आ जाय। राजस्व अभियान में बार-बार किसी व्यक्ति को किसी बेनामी व्यक्ति को खड़ा करके इस जमीन को अलाट कराने का एक तरीका ईजाद किया गया। प्रशासन जमीन को अलाट करना ही चाहता था। जिसके नाम आवंटित करना चाहते थे, मैंने कहा, भाई, तुम कहां के हो, तुम आमेर के तो दिखाई नहीं देते। उस अलाटी ने

(सुश्री पुष्पा जैन)

कहा कि, महोदय, मैं तो टोंक का हूं। मुझे फलाने अफसर ने यहां भेजा है, मेरे नाम जमीन अलाट होगी और उस जमीन का कब्जा दे लेंगे। लिहाजा मैंने एस.डी.एम. से कहा कि आप जमीन अलाट नहीं कर सकते। इस तरह से वह अलाटमेंट कैंसिल कर दिया गया। दूसरी बार कलेक्टर महोदय से कहा गया, दुबारा कैम्प रखवाया गया और दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि इसके नाम जमीन अलाट कर दी जाय क्योंकि यह आमेर में चाय की दुकान करता है। बदकिस्मती थी उनकी कि वह व्यक्ति मेरे ही क्षेत्र जयपुर तहसील का था। आमेर के एस.डी.एम. को मालूम नहीं था कि जयपुर तहसील का व्यक्ति एम.एल.ए. साहब के क्षेत्र का ही होगा वह पहचान जायेंगे। मैंने कहा कि एस.डी.एम. साहब, आप बात क्या कर रहे हैं यह व्यक्ति तो मेरे क्षेत्र का हीं है, धानकिया गांव में रहता है, जयपुर तहसील का है, झोटवाड़ा पंचायत समिति का है इसका यहां पर किस तरह से हक पैदा हो गया ? किस हक के नाते यह यहां पर जमीन लेना चाहता है ? एस.डी.एम. का मुंह फक हो गया। कहने लगे कि हमें तो यह मालूम नहीं, तहसीलदार ने यह सर्टिफिकेट दे रखा है उसमें कह रखा है कि बराबर यहां 15 साल से चाय की दुकान कर रहा है। बेचारे अलाटी का मुंह फक हो गया। उसने कहा कि, महोदय, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मुझे तो यहां भेजा गया है। मैंने चीफ सैक्रेटरी को दरख्वास्त दी और निवेदन किया कि यह बार-बार जो उल्टे-सीधे तरीके से अधिकारीगण अपने नाम जमीन अलाट कराना चाहते हैं इस मंसूबे को आप सफल न होने दें, आप इसमें इण्टरवीन करें। मैं आभारी हूं चीफ सैक्रेटरी की कि उन्होंने इण्टरवीन किया और इसको रुकवाया लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके बावजूद सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि यह जमीन चमनपुरा में है, नांगल सुसावता पंचायत है और पूरी की पूरी पंचायत शिड्यूल्ड ट्राइब की है। उस जमीन पर जो काबिज लोग हैं मैं जरासा उनका भी हवाला देना चाहूंगी। सभापति महोदय, करीब 18 बिस्वा जमीन पर नानगा पुत्र श्योनारायण मीणा, चन्दा पुत्र श्योनारायण मीणा, मंगला पुत्र श्योनारायण मीणा, गिरधारी, पांचू, रिछपाल पिता श्योनारायण इस तरह से ये छः भाई काबिज हैं। उनकी खातेदारी में सिर्फ 5 बीघा जमीन है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन अलाट नहीं की गई। बार बार मैंने कहा कि इस व्यक्ति को अलाट क्यों नहीं की जाती है। कहने लगे कि इसने कोई फार्म ही नहीं भरा। उस बेचारे गरीब से पूछा गया तो वह रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने कितनी बार फार्म भर कर दिया। पटवारी और तहसीलदार ने मुझे डांटा कि अगर तुमने इस जमीन के अलाटमैंट के लिए फार्म भरा तो तुम्हारी वह दशा की जावेगी कि जिन्दगी भर याद रखोगे। इसकी एक जमीन करीब चार बीघा और है। मंगला पुत्र नानछा, दूला पुत्र नानछा, रामपाल पुत्र नानछा उस पर काबिज हैं, नांगल सुसावता पंचायत के वह भूमिहीन व्यक्ति इस जमीन पर काबिज हैं, उनकी जमीन को एक राजकीय आदेश के जरिए किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को अलाट कर दिया जाये, मैं नहीं समझ पाती,

(सुश्री पुष्पा जैन)

यह किस तरह का न्याय है, सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं जरासा पढ़ना चाहूंगी, उपरोक्त प्रसंग के अन्तर्गत निदेशानुसार प्रार्थी श्री सतीशचन्द्र शर्मा की खातेदारी भूमि सं. 1799/4730 ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर स्थित 7 बीघा भूमि के बदले में ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर की भूमि क्रमश: 4 बीघा 2 बिस्वा व 18 बिस्वा कुल 5 बीघा भूमि विनिमय की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, कहां का व्यक्ति कहां, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ग्राम चिमनपुरा का जो व्यक्ति उस जमीन पर काबिज है, वह भूमिहीन आदि-वासी है, उसकी जमीन छीन कर आपने पढ़े लिखे धनाढ्य व्यक्ति को दे दी। इसके पीछे एक अधिकारी का हाथ है, वह जमीन देना चाहते हैं। जिसे जमीन देना चाहते हैं वह आज की तारीख में महामहिम राज्यपाल महोदय के सैक्रेटरी का काम कर रहा है। यह कहां का न्याय है ? राज्य सरकार से मैंने कई बार कह दिया लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई वहां तो सिर्फ एक नारा दिया जा रहा है, गरीबों के लिये प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में कहें।

सुश्री **पुष्पा जैन** : सभापति महोदय, जल समस्या की ओर बड़े जोर से डंडे बजाये गये। मैं बताना चाहूंगी, राजस्थान में हरिजन बस्तियां जल के अभाव में प्यासी हैं। एक भी हैण्ड पम्प नहीं है। जिस सरपंच की मर्जी आयी, जिस प्रभावशाली व्यक्ति की मर्जी आयी उसने अपने घर के बाहर हैण्ड पम्प लगवा लिया और सरपंच से लिख कर दिलवा दिया कि हैण्ड पम्प यहां लगा दिया। इस सरकार की जिम्मे-दारी हो जाती है कि वह देखे कि हैण्डपम्प का महत्व कहां पर है, किस जगह पर है। हरिजन बस्तियों में है या उन धनाढ्य व्यक्तियों की बस्तियों में है या उनके घर के बाहर है जो अपनी रोजी-रोटी अच्छी तरह से कमा सकते हैं। उसकी जरूरत हरिजन व्यक्तियों को है जिनको पानी पीने के लिये नसीब नहीं होता लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

अकाल की दशा क्या है, सभापति महोदय, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खास तौर से आप जिस डिविजन, जिस क्षेत्र से जीतकर आये हैं, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन जिलों में अकाल की क्या स्थिति है यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। ईमानदारी से आप अन्तर्मन से जानते हैं। अकाल होने के बावजूद वहां पर कितने काम हो रहे हैं, क्या हो रहा है इस बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बेचारे गरीब लोग बेकार हैं। अकाल की स्थिति में उनके पास खाने को दाना नसीब नहीं है, पीने को पानी नहीं है लेकिन सरकार को फुरसत नहीं है कि वह उनको रोजगार दे सके, अकाल के समय कोई काम खोल सके ताकि उन्हें कोई मजदूरी मिल जाय। इस काम की फुरसत नहीं है, यहां प्रशस्ति पत्र लिखवा कर महामहिम राज्यपाल महोदय से पढ़वाने की फुरसत है।

सभापति महोदय, भरतपुर में एक कांड हुआ। बेचारे गरीब लोग जो पशु-पालन का धंधा करते थे उन्होंने मांग की कि महज पशुओं की चराई के लिये हमें यह

(सुश्री पुष्पा जैन)

जगह दी जाय। उनको जगह नहीं मिली। उसके बदले में मिला क्या ? 6 लोगों की मौत। गोली चलायी गई निरपराध लोगों पर, 6 लोग मारे गये और कई लोग अस्पताल में भर्ती कराये गये। जब जनता ने वहां पर एजीटेशन किया, आंदोलन किया तो कई लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। हमारे कई विधायक साथी भी जेलों में थे। उन्हें जब 19 दिन के बाद छोड़ा गया तो सशर्त छोड़ा गया था कि आप लोगों को छोड़ने के बाद जिन लोगों पर हमने अनावश्यक मुकदमे बनाये, जिन लोगों को अनावश्यक जेलों में रखा है, उन्हें छोड़ दिया जायगा और उनके मुकदमे समाप्त कर दिये जायेंगे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज तक मुकदमे समाप्त नहीं किये गये है बल्कि उन लोगों पर मुकदमे बनाये जा रहे हैं। उनमें एक आत्मासिंह, जो बेचारे उस दिन मौजूद नहीं थे, गोली कांड के दिन कहीं बाहर गये हुए थे, उनको दूसरे दिन बुला कर बड़ी बेदर्दी से मारा गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके साथ अपमानजनक सलूक किया गया। आज तक उनकी जान के लाले पड़ रहे हैं और बेचारे इधर उधर फरियाद करते घूम रहे हैं कि मेरी जान और माल की रक्षा की जाये लेकिन न कोई सुनने वाला है उस फरियादी की फरियाद, न कोई रक्षा करने वाला है उसकी जिन्दगी की।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

सुश्री **पुष्पा जैन** : सभापति महोदया, मुझे थोड़ा सा समय ईजाद फरमायें, मैं कोई बेकार बातें नहीं कहूंगी।

सभापति महोदय, गंगानगर में एक बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ कांता हत्याकांड। सभापति महोदय, एक ससुर ने अपनी बहू के साथ वह जघन्य अपराध किया जिसे कहते हुए भी शर्म आती है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने उसे कई दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। इसके लिये गंगा-नगर में बहुत बड़ा एजीटेशन चला, आंदोलन हुआ। कई लोगों की पिटाई हुई पुलिस के द्वारा। कई लोगों को जेलों में ठूंसा गया। बाद में जब सरकार को लगा कि विधान सभा चल रही, विधायक लोग पहुंच गये हैं, सब तरफ से हमको लज्जित किया जा रहा है, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई आज मुझे यह कहते हुए फक्र है उस अपराधी की जमानत सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट में मंजूर नहीं हुई। यह एक अलग बात है कि मुकदमा चल रहा है लेकिन मैं पूछती हूं जिन पुलिस अधिकारियों की बदौलत अपराधी को कई दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया, कई लोगों को अनावश्यक रूप से जेलों में ठूंसा गया, कई निरपराध लोगों की पिटाई की गई, उन पुलिस अधि-कारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई आज तक ? इसके लिये कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं।

सभापति महोदय, मेरे पास समय कम है। मैं सब महकमों की तरफ आपका ध्यान नहीं दिला सकती।

श्री सभापति : दो मिनट।

सुश्री पुष्पा जैन: दो मिनट।

एक महकमा जो टूरिज्म विभाग है, मैं उसकी ओर आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगी। यहां बड़ा अजीबोगरीब हाल है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

जिसको जिस पद पर तैनात किया गया उसको उस पद का काम नहीं दिया जा रहा है। उसके बदले एडीशनल डायरेक्टर सर्वे सर्वा बना हुआ है। वह सब काम करेगा। पब्लिसिटी एण्ड प्रमोशन आफिसर की पोस्ट क्रियेट की गई इसके लिये डी. पी. आर. से डेपुटेशन पर एक व्यक्ति लिया जाता है। आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर एक व्यक्ति है। जिसका काम है पब्लिसिटी और प्रमोशन करना लेकिन आज की तारीख में वह व्यक्ति बिलकुल बेकार बैठा है। वहां से तनख्वाह ले रहा है उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका काम बेचारे एडीशनल डायरेक्टर साहब अपने सिर पर लादे घूम रहे हैं।

एक दूसरी पोस्ट 79 में क्रियेट की गई, प्रोग्राम्स आफिसर-फेयर्स एण्ड फेस्टिवल के लिये। उस अधिकारी ने एक नारा दिया "We promote our culture" सभापति महोदय, मुझे कहते हुए फक्र होता है, उस अधिकारी ने काम किया उसकी वजह से डिपार्टमेंट को कई तरह के अवार्ड मिले। बावजूद इसके आज उसको बिलकुल बेकार करके बैठा दिया गया है। वह तनख्वाह ले रहा है। लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है। बावजूद उसके डायरेक्टर ने कई तरह के प्रशस्ति पत्र दे दिये, "आप बड़े होशियार है, आपका काम बहुत अच्छा है।" टैक्निकल रूप से वह क्वालीफाइड व्यक्ति है। उसका काम कौन देख रहा है? एडीशनल डायरेक्टर महोदय। सभापति महोदया, जिस प्रोग्राम को यह व्यक्ति, यह आफिसर 30 हजार रुपये में करता है, उसी प्रोग्राम को 50 हजार रुपये में किया गया मरु मेले को, मुझे कहते हुए ताज्जुब होता है कि बाहरी संस्थाओं से वह मेला आयोजित करवाया गया जबकि टूरिज्म विभाग में वह विभूतियां मौजूद हैं जो उसको करा सकती हैं टूरिज्म विभाग की अपनी लाइफ्स है, अपनी पेंशियस है, उनके कराने वाले हैं लेकिन उन सबको नजर अंदाज करके बाहर के लोगों को ले लिया गया। इस तरह से गरीब जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है। यह किस अधिकार के माध्यम से किया जा रहा है? क्या इसे कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। टूरिज्म विभाग को फुरसत नहीं है। किस लिये? क्या सिर्फ इसलिये कि बाहर की पार्टी को जो प्रोग्राम्स दिये गये हैं वह पार्टी मिनिस्टर साहब की रिश्तेदार है? "अंधा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे"। सभापति महोदय, यह सब तरीका चल रहा है, इन सब के बावजूद अगर कोई यह कहे महामहिम राज्यपाल महोदय के इस प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाये, मैं इसको उचित नहीं समझती।

सभापति महोदय, आप भी रामलीला मैदान से गुजरते होंगे। वहां एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का गणतंत्र मेला चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता इतने लंबे अर्से से गणतंत्र मेला चल रहा है, यहां अश्लील तरह के डांस होते हैं, कई तरह की अश्लील बातें होती हैं, जुएबाजी होती है उसके बावजूद इसका एनटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया गया। किस अधिकार के बाबत? क्या सरकार को इसकी फुरसत नहीं कि वह देखे? वह गणतंत्र मेला पास में चल रहा है, रोज आपके कई लोग आते हैं, जाते हैं, उसके बावजूद आपको कोई मालूम नहीं। सरकारी जमीन पर गणतंत्र मेला चल रहा है, अनाप-शनाप तरह के वहां कारनामे हो

(सुश्री पुष्पा जैन)

रहे हैं, उसका एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया गया है इसके मायने साफ है सरकार की उन लोगों से मिली भगत है। सभापति महोदय, मैं अभी टूरिज्म विभाग की बात कह रही थी। जिन-जिन अधिकारियों, कर्मचारियों के जो काम हैं। उन कर्मचारी अधिकारियों के काम एडीशनल डायरेक्टर ने अपने जिम्मे ले लिये लेकिन डी. पी. आर. में एक अजीब सा ही करिश्मा चला है। डी. पी. आर. के सारे पावर जोइंट डायरेक्टर को दे दिये गये। पी. आर. साहब को एक मूर्ति बना कर, माधो की मूर्ति बना कर कुर्सी पर बैठा दिया गया। किस लिये? अगर डी. पी. आर. की जरूरत नहीं है, मैं कहती हूं डी. पी. आर. की पोस्ट को खतम कीजिये। आपने अनावश्यक खर्चा क्यों बढ़ा रखा है। डी. पी. आर. की पावर जोइंट डायरेक्टर को दे रखी है। यह कौन सी आपकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है या क्या हो गया है आपको, मुझे समझ में नहीं आता। इन सारी बातों के बावजूद, सभापति महोदय, मुझे अफसोस है राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं तो क्या, किसी तरह से भी उचित नहीं समझती कि सदन का कोई भी मेरा साथी समर्थन करे। मैं इसका घोर विरोध करती हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूलाल!

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस पुस्तिका में राज्यपाल जी ने जो कुछ कहा, किताब में तो अच्छी बातें लिखी हैं और कुछ बातें अच्छी हुई भी हैं। इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद मुझे जो महसूस हुआ उन बातों पर मैं जाऊंगा। जन जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना के बारे में इस किताब में लिखा है। 50 प्र. श. से ज्यादा योजनाओं में जनजातियों का नाम है और विधान सभा के आंकड़ों में भी 50 प्र. श. से ज्यादा आंकड़ों में आदिवासियों का नाम लिया जाता है। सिंचाई के क्षेत्र में भी 50 प्र. श. से ज्यादा आंकड़े आदिवासियों के नाम से अंकित किये गये हैं। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं। उस क्षेत्र की बात करूंगा। वैसे तो पूरा उदयपुर जिला ही आदिवासी क्षेत्र है परन्तु मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर नेता विधान सभा में आदिवासी का नाम लेता है, मैं समझता हूं कि पिछड़े को पहले के बारे में बोलते-बोलते हर आदमी के मन में भावना होती है कि आदिवासी आगे बढ़े हैं लेकिन मैंने यह समझा है कि जितना नाम लिया उतने आदिवासी पीछे चले गये। इसका एक कारण है, सही बात कहने से चूकना नहीं चाहिये कि आदिवासियों के कन्धे पर बन्दूक रख कर लाभ उठाया जाता है जैसा माननीय सदस्या बोल रही थी कि हैण्ड पंप संपन्न लोगों, धनवानों के घरों के आस-पास लगते हैं। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं आदिवासियों के नाम पर पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आता है। यदि किसी ढाणी में चार आदिवासी होंगे और पांच दूसरे लोग होंगे तो उस पैसे से वे फायदा ले लेते हैं। जहां पर 100 प्र. श. आदिवासी रहते हैं, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिये लेकिन मेरी

(श्री भैरूलाल मीणा)

आत्मा बड़ी दुखी है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, जहां पर 100 प्र. श. आदिवासी रहते हैं वहां उनको फायदा नहीं होता है। जहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं घग्गर बान्ध माही डैम आदि ...

(2.45 म. प.)

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह, सभापति, पदासीन)

वहां आदिवासियों के झोपड़े, जमीन डूब गई। संपन्न लोग जाकर अपने नाम जमीन अलॉट करा लेते है, जिनके पास धन संपत्ति है वह जमीन और पानी को उपयोग में लेंगे और आदिवासी पहाड़ों में चले जायेंगे। मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दें। आदिवासी पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां जैसे-तैसे करके जमीन काबिल काश्त बनाते हैं। अभी इसी वर्ष राजस्व अभियान में सरकार की ओर से "प्रशासन गांवों की ओर" का अभियान चलाया था। मैं खुद दो-चार पंचायत समितियों में गया वहां पर मैंने देखा कि भले ही आदिवासी जमीन काबिल काश्त की रखते होंगे लेकिन पटवारी के रिकार्ड में काश्त की भूमि नहीं लिखी है। मौके पर जरूर खेती करते हैं, कुआ, मकान बना हुआ है लेकिन खाते में लिखा है कि काश्त की भूमि नहीं है। खाते में काश्त की भूमि न लिखी होने से, उसको अलॉट नहीं की गई और कहते है कि इसकी कार्यवाही अलग से करो। उसका समय निर्धारित कर दिया कि 2032 से पहले का कब्जा है उसको जमीन अलॉट कर दी जायेगी बाकी को नहीं की जायेगी। मैंने यहां तक देखा कि 2025, 26, 27 और 28 का रेकार्ड है 32 का नहीं है, 36 का है उसको जमीन अलॉट नहीं की गयी है। 2025 से तो रिकार्ड में है बीच में कहीं चूक गया या पटवारी मौके पर नहीं गया तो उसको अलॉट करने में क्या तकलीफ है। इस तरह की भावना चलती है। हम भी चाहते हैं कि आदिवासियों की सेवा करें, आप और सरकार भी चाहती है कि आदिवासियों की सेवा करें तो यह सेवा कहां हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

पदासीन व्यक्ति द्वारा विरोध चिन्ह धारण करने का औचित्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि आसन पर जो व्यक्ति बैठे हैं वह काली पट्टी बांध कर बैठ सकते हैं क्या? और वह आसन पर काली पट्टी बांध कर क्यों बैठे हुए हैं। यहां कानून मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस बारे में कानून की क्या स्थिति है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: आसन से आपने व्यवस्था चाही है आसन को व्यवस्था देनी होगी। इसमें हमारे मंत्रीजी कोई राय प्रकट नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आसन चाहे तो सत्ता पक्ष से राय ले सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: सभापति महोदय, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बाद में राय दे सकते हैं। कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आपको शब्दों के जाल में फंसाना चाहते हैं।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, ऐसा है कि शरीर पर जो भी कपड़े होते हैं उनका कुछ न कुछ तात्पर्य होता है। जैसे जाकिट सर्दी से बचाव के लिये होती है। इसी तरीके से काली पट्टी किसी की नजर न लग जाय इसलिये है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : उनकी नजर नहीं लगेगी आपको।

श्री **घनश्याम तिवाडी** : फिर तो पट्टी प्रद्युम्नसिंह जी को बांधनी चाहिये उनको नजर लग सकती है।

श्री **सभापति** : आप उनकी सुन्दरता की तारीफ करते हैं। माननीय भैरूंलाल जी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं कुछ सिंचाई के बारे में निवेदन करूं, मेरे क्षेत्र में बारापाल में हमने बान्ध बनाने के लिये आवेदन किया था। सरकार ने मंजूरी भी दे दी। बाद में मैंने पूछा कि तालाब पूरा होगा या नहीं, तो मुझे जवाब मिला कि यह अकाल राहत कार्यों के तहत बनाया जा रहा है और ज्यों-ज्यों पैसा आयेगा इसे पूरा किया जायेगा और यह पैसा योजना व्यय के फण्ड से आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्यों के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है, चुकारा राहत कार्यों के हिसाब से हो रहा है और पैसा योजना फण्ड से आ रहा है तो हम मांग करते हैं कि मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिये। राज्य सरकार ने कह दिया कि 9 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिये। जब योजना का पैसा खर्च होता है तो उस मजदूर को कम से कम मिनिमम वेज तो मिलना चाहिये और योजना के हिसाब से उस काम को पूरा किया जाना चाहिये। यह तो एक तरह का अपव्यय हो गया। मंजूरी भी कराओ, पैसा भी इकट्ठा करो और ऊपर से अहसान करते हैं कि उनको राहत कार्य दिया और कार्य पूरा भी नहीं हुआ। अब कहते हैं वापस नींव भर जायेगी नहीं तो तालाब टूट जायेगा। गांव वालों को पीने के पानी की आशा थी वह भी बेकार गई। तो इस प्रकार योजना का होना और न होना बराबर है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जहां भी छोटे-बड़े बान्ध बनाने की योजना है उसको योजना के हिसाब से पूरा किया जाय। मैंने राजमार्ग नं. 8 का जिक्र कल भी किया था और परसों भी किया था उसके संबंध में भी इस मौके पर कुछ कहना चाहूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा। जैसा मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब मिला कि अन्य जगहों से वास्तव में आदिवासी की ज्यादा जमीन ली गयी है। जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो रोड़ बनाई, उसमें आदिवासियों की जमीनें ली गयी हैं। उनकी जमीन में पेड़ लगा दिये गये हैं और उनकी झोंपड़ी को एक किनारे पर कर दिया गया है। उस जमीन का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। जहां पर वे काश्त करते थे वहां पर पेड़ लगा दिये और जो वीरान जमीन थी वहां पर पेड़ नहीं लगाये गये। उनकी जो खेती की जमीन थी वहां पर ही पेड़ लगाये गये हैं और आदिवासियों को बेकार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति

(श्री भैरूलाल मीणा)

में यह जो प्रोग्राम है "पिछड़े को पहले" वाला, मैं समझता हूं कि यहां पर उसका उल्टा हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखा जाय। इसी प्रकार आदिवासी को जो आगे बढ़ाने के बजाय वापस पीछे ले जाने की बात की जा रही है यह उचित नहीं है। आशा है, सरकार इस पर ध्यान देगी। मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जरूर कार्यवाही करेंगे। राष्ट्रीय राज मार्गों पर जो ज्यादा जमीन ली गयी है उसको वापस दिलाने पर विचार करेंगें। जो जमीन ज्यादा ली गयी है उसको मौका देख कर वापस देंगे।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में उदयपुर में पेस्टीसाइड की एक फैक्ट्री है जो कि जहरीली दवाई बनाती है उसके बारे में जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर आया था कि वह फैक्ट्री बस्ती में नहीं है बस्ती के बाहर है। इस तरह का उत्तर ठीक नहीं है। वहां जाकर देख लें कि वह फैक्ट्री बस्ती के बीचों बीच है या नहीं है। उससे ऐसा भयंकर धुआं निकलता है जो जहरीली है और मानव के स्वास्थ्य के लिये नुकसान दायक है। उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मजदूर घर जाकर मर जाते हैं। एक बार एक मजदूर बीमार हो गया था उसको जब घर ले जाया गया तो वह वहां जाते ही मर गया। उसको बिच्छू ने काट खाया है, यह कहकर जला दिया गया। इसी प्रकार से दो तीन मजदूर और घर जाकर मर गये हैं। उस जगह पर होता यह है कि बंद कमरे में पड़े के पड़े रह जाते हैं। जब आप उदयपुर के स्टेशन से गुजरेंगे और देबरी साइड में जब आयेंगे तो बोलेंगे कि बदबू आ रही है। यह उसी फैक्ट्री का गैस का धुआं है जिससे कि यह बदबू आती है यह उससे साबित हो जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि उस फैक्ट्री को अलग स्थान पर ले जाया जाय।

सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि मकान बना दिये गये हैं। यह ऐसी भूमि पर है जिस पर काश्तकार काश्त भी कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर अपने मकान बना लिये हैं लेकिन अब उनको मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है और काश्त नहीं करने दी जा रही है। कहते हैं कि वहां पर मास्टर प्लान बीच में आ गया है। एक तरफ गरीब लोग जिन्होंने मेहनत से जमीन निकाल कर काश्त की है और वहां सब्जी फल, गेहूं आदि उगा कर अपना पेट भरते हैं और शहर में बेचते हैं, उन काश्तकारों की जमीन जो अच्छी जमीन है, पर जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं वे प्लाट काट-काट कर बेच रहे हैं, बराबर मकान बन रहे हैं और इधर गरीब को कहते हैं कि आपको जमीन अलाट नहीं की जा सकती है क्योंकि यह जमीन मास्टर प्लान में आ चुकी है। किस तरह का यह कानून है? प्लाट काट कर बेचे जा रहे हैं। एक तरफ तो मास्टर प्लान आता है, मास्टर प्लान बन गया है या प्रस्तावित है दूसरी तरफ लोग मकान बना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आखिर उदयपुर और उसके ग्रामीण क्षेत्र के आसपास कारखाने लग रहे हैं और आबादी भी बढ़ती जा रही है। वहां मेरे ख्याल से आज से 100 वर्ष पहले के ही बांध बने हुए हैं और झीलें बनी

(श्री भैरूंलाल मीणा)

हुयी हैं, जो महाराणा के जमाने की बनी हुयी हैं। उनके अलावा केवल एक नयी और देवास योजना बनी है और बांध बनाया गया है। इसके अलावा और कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है। बढ़ती हुयी आबादी और बढ़ते हुए उद्योगों को देखते हुए उदयपुर में कुछ समय के बाद पीने के पानी की समस्या आने वाली है। उसके लिये सरकार क्या योजना बना रही है जिससे कि उदयपुर को पीने का पानी बराबर मिल सके और ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

एक योजना सरकार ने बनायी है कि वृक्षारोपण के लिये सरकार आदिवासी को जमीन अलॉट करती है उन लोगों को जो वृक्षारोपण करते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, खड़े खड़े बातें न करें।

करौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया खड़े-खड़े बातें न करें।

श्री भैरूंलाल मीणा : दूसरी तरफ जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, 10-12 साल से जिस जमीन पर वे काबिज है, जिनके नाम पर वह जमीन अभी अलॉट नहीं है वहां पर उन्होंने वृक्ष लगा रखे हैं, उससे वह एक अच्छा खासा जंगल नजर आता है। उनको सरकार कहती है कि यह जमीन तुम्हारे नाम पर अलाट नहीं होगी दूसरी ओर जंगलात की जमीन लेकर कहते हैं पेड़ लगाओ। यह दोहरी नीति कैसी है? इस तरह से जिन्होंने पेड़ लगा रखे हैं और जो पेड़ को काटते नहीं हैं उनको भी अवसर दिया जाय जिससे कि उनको वहां से घास-फूस मिल जाये और पेड़ भी बचे रहें। जंगल को बढ़ाने के लिये इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तरफ तो जिन्होंने अच्छा खासा जंगल बना रखा है उनको कह रहे हैं कि तुमको यह जमीन अलॉट नहीं हो सकती है और दूसरी तरफ पेड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित की जा रही है। यह गलत नीति है, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि उस योजना में स्थानीय लोगों को जंगल लगाने का मौका दिया जाय, तो जंगल में काफी वृद्धि हो सकती है।

एक मैं जिक्र करूंगा, जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना का। जितना पैसा जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में आता है अगर उस पैसे का मात्र 25 प्रतिशत भी आदिवासी पर या जिन लोगों के लिये वह पैसा आता है उन पर खर्च किया जाय तो उनका काफी भला हो सकता है। अभी उदयपुर के अन्दर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो आफिस बना है उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ होगा पक्का तो नहीं कह सकता हूं देखने लेकिन बिल्डिंग देखने से ऐसा लगता है कि वहां पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। उसमें एक आदिवासी व्यक्ति और एक आदिवासी लड़की का फोटो भी लगा रखा है उसको ऊपर टांग दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी आदिवासी को वहां जाने का मौका भी नहीं मिला होगा वह तो उस बिल्डिंग को देखकर ही डरता है कि इतनी शानदार बिल्डिंग है..

श्री सभापति : आप तो अन्दर गये होंगे।

श्री भैरूंलाल मीणा : देखा है, जब यहां पर आ सकता हूं तो वहां पर तो जा ही सकता हूं।

श्री महाराम चौधरी : अगर चला भी गया तो वहां पर उसका पैर फिसल जायेगा।

श्री भैरूंलाल मीणा : आप भी उन्हीं के पक्ष में बोलना चाहते हैं जिनके पक्ष में मैं बोल रहा हूं, फिर क्या फायदा है ? एक प्रश्न पूछा था कि माही डेम पर जो पैसा खर्च हुआ है उसमें क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का पैसा नहीं खर्च हुआ है, तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं हुआ है फिर दुबारा उसका उत्तर दिया गया कि हुआ है। यह क्या है ? अगर हुआ है, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है यह तो विकास का काम है। दूसरी तरफ एक डेयरी का फार्म है, बहुत होंगे लेकिन मेरी जो जानकारी में है, उदयपुर में जो डेयरी का आफिस बना हुआ है उसमें भी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का पैसा लगा हुआ है। इसका कितना लाभ आदिवासियों को मिलता है ? इस विभाग कितने गजेटेड आफिसर हैं आर.ए.एस के और अन्य क्लर्क हैं और कितने ऐसे आदमी हैं जो चपरासी हैं, जो कि आदिवासी हैं ? सारी दुकानदारी चल है आदिवासियों के नाम से। मैं समझता हूं कि यह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग छोटे लोगों के विकास का विभाग है, उनको आगे ले जाने का विभाग है। तो जहां तक मैं समझता हूं पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने वाला विभाग है। किन्तु देखा जाये तो पिछड़ों को चपरासी की जगह भी नहीं मिलती है। यह कौनसा तरीका है ? इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार हमारी बातों का ध्यान रखे। हम जो जन प्रतिनिधि हैं वह उन्हीं के बीच में से आते हैं। जितनी खराब हालत उनकी है वह हम जानते हैं। आप लोग जाकर उनको कहते हैं तो वह आपके पीछे हो जाते हैं। लेकिन हम उनके बीच में पैदा होकर आये हैं हम सुझाव देते हैं, जिस तरह की बातें हम जानते हैं वह कहते हैं लेकिन उनसे आपके ऊपर वजन नहीं पड़ता है। मैं इस मौके पर चाहूंगा कि हमारा भी एक कोने में सुझाव मान लिया जाये तो कहीं न कहीं रुपये में चार आना नहीं तो एक पैसा भर तो आदिवासियों का फायदा हो जायगा। मैं चाहूंगा इस तरह आदिवासियों के नाम से जो घपले होते हैं वह कुछ कम किये जायें ताकि आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आता है उसका सही उपयोग हो, सही तरीके से उनका विकास हो।

इसके साथ ही मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं····

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: सभापति महोदय, कोई मन्त्री नहीं है। उनको ताड़ना दीजिए

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

(3.05 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसे राज्य परिवहन निगम है। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा क्षेत्र को माना गया है कि यह जन जाति क्षेत्र है, आदिवासियों का

(श्री भैरूलाल मीणा)

क्षेत्र है, इस निगम के अन्दर जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें कितने कर्मचारियों के पद ड्राइवर, कंडेक्टर या खलासी हैं. जिस रूप में भी हों, उनमें से कितनों पर आदिवासियों को रोजी दी है ? मैं समझता हूं मेरे जिले के 2-4 आदिवासियों को छोड़कर और नहीं होंगे । इस तरह कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन साक्षात् रूप से कुछ होता नहीं । इसलिए हमारी आत्मा दुखी होती है । जो कहा जा रहा है वह पूरा नहीं होता है इसलिये या तो कहना छोड़ देना चाहिये, आदिवासियों का नाम छोड़ देना चाहिये या फिर जैसा चलेगा, चलता रहेगा । अगर वास्तव में आदिवासियों की सेवा करना चाहें, पिछड़े वर्ग की सेवा करना चाहें, तो मैं समझता हूं 50 प्रतिशत इन्ट्रेस्ट लेकर भी सरकार, हम सब जन प्रतिनिधि, जो कह रहे हैं, सब मिलकर करेंगे तो उनका उत्थान होगा ।

राहत कार्यों के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में वैसे बहुत काम हो रहा है, सड़कें, पक्की सड़कें बन गयीं, सब कुछ हुआ है । उदयपुर ग्रामीण शहर से पास में पड़ता है । हम जानते हैं शहर के लोग होशियार होते हैं । मेरे से भी काम करा लेते हैं, दूसरों से भी करा लेते हैं । उदयपुर में हैण्ड पम्प भी खूब लग गये । जब पहले गया था तो कच्ची सड़कें थीं । आज डामर रोड है । घर घर में, गांव गांव में, गली-गली के अन्दर हैण्ड पम्प लग गये । लेकिन सही आदिवासी इलाका मेरे उसी ग्रामीण क्षेत्र में है । वहां पर तो हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं । हैण्ड पम्प जो लगाये गये हैं वह सड़कों के किनारे लगाये गये हैं । ठीक है, जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती वहां पर जो पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिये । वहां पर तो कुए खुद सकते हैं । कुए के अलावा और कोई पानी का सोर्स वहां हो नहीं सकता । मेरा निवेदन है कि वहां कुए खोदे जायें जहां गाड़ी नहीं जा सकती, जहां हैण्ड पम्प नहीं लग सकते; तब तो समझ में आता है दूर-दराज गांव में रहने वाले सुखी हैं । सरकार गांवों की ओर जा रही है, यह समझ में आने वाली बात है । मैं चाहूंगा उन दूर दराज गांवों के अन्दर रहने वाले नागरिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिये । कुओं की व्यवस्था होनी चाहिए । जंगल की बरबादी को रोकने की बात हम बराबर करते हैं । कहते हैं, जंगल मत काटो । जंगल बरबाद होने से वर्षा कम होगी अकाल पड़ेंगे, रेगिस्तान बन जायेगा, पहाड़ी इलाका हो जायेगा । हम भी यह कहते हैं । मैं भी खूब समझाता हूं, जो भी जाता है उनको कहता है कि जंगल मत काटो मगर मजबूरी है । वहां आदिवासियों की हालत यह है कि यदि वह एक दिन लकड़ी बेचकर के जो कुछ दाना मिले, वह नहीं ले जाय तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे । सरकार के सामने यह समस्या है, पैसा नहीं है । इतने मजदूर हम नहीं लगा सकते । यह सारी बातें हैं किन्तु प्राथमिकता उनको नहीं देनी चाहिये । वास्तव में आज जिनको कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है । लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको प्राथमिकता देनी चाहिये, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा, उदयपुर ग्रामीण एवं उदयपुर नगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर

(श्री भैरूंलाल मीणा)

आदिवासी ज्यादा रहते हैं । जिस-जिस इलाके में आदिवासी जिनके पास खाने को दाना भी नहीं है, उसकी तरफ सरकार को राहत कार्य योजनाबद्ध रूप से खोलने चाहिये । सड़कों पर धूला डाल दिया वह बहकर चला जाता है । ऐसा काम होना चाहिये, जैसे तालाब का काम है । ऐसे काम हो, जिससे पानी उपलब्ध हो सकता हो, उस पानी से जंगल की व्यवस्था हो सकती है । पानी उस जगह पर भरा रहेगा तो जंगल को भी पानी मिलेगा, जंगल बड़े होंगे । उससे नीचे के लोगों को पानी मिलेगा । पानी कुओं में ऊपर होगा तो अकाल की समस्या का हल स्थायी हो जायेगा । आस-पास वालों के सिंचाई के काम पानी आयेगा । मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्य किये जायें जो स्थायी हो। अस्थायी सड़कों के काम करते हैं तो धूला उड़ कर चला जाता है । मैं चाहूंगा, मैंने पहले भी मांग की थी, उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर जिले का सामूहिक सर्वे कराया जाये । जहां-जहां एनीकट बांध बांधे जा सकें वहां एनीकट बनायें, बांध बांधें ताकि जंगल से निकलने वाला पानी रुक जाये । मैं समझता हूं, डूंगरपुर, उदयपुर के आने वाले माननीय सदस्य सबने यह मांग की होगी कि पानी को रोका जाये जिससे जंगल की भी रक्षा हो जाय और आदिवासियों को पानी की सुविधा मिल जाय, उनको रोजी भी मिल जाय । किन्तु आज दिन तक उसका, मेरे हिसाब से कुछ हुआ नहीं । मैं चाहूंगा, इस विधान सभा सत्र के बाद या विधान सभा सत्र के बीच में ही इस कार्य को चालू किया जाये । राहत कार्य के जरिये से या योजनाबद्ध काम के जरिये से इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करते हुए निवेदन करूंगा, सवेरे मैंने जिंक स्मेल्टर का जिक्र किया था । मैं उसी में कार्यरत था । उस माइन्स को बनाया वहां के निवासियों ने, जमीन के अन्दर जाकर काम करते थे, हाथों से काम करते थे, आज वह काम मशीनरी से होने लग गये क्योंकि वैज्ञानिक युग है, नयी-नयी मशीनें आ गयीं, मशीनें लग जाने से उससे अच्छी धातु निकलने लगी, माल निकलने लगा । इससे देश को भी फायदा हुआ । ज्योंही आम का पेड़ लगा, सबकी नजरें उधर लग गईं, अच्छा है, देश का कारखाना है, देश का पैसा है, सबको फायदा मिलना चाहिए, सबको रोजी मिलनी चाहिए लेकिन जिन्होंने इस कारखाने को जमाया, जिन्होंने कारखाने को शुरू से आज दिन तक जमाने में लाइफ खतम कर दी, सिलिकोस नाम की बीमारी से बहुत से श्रमिक मर गये, आज की हालत में अब अच्छा लाभ मिलने वाला है, श्रमिकों के जो बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हुए हैं जिन श्रमिकों ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, आज के जमाने में वह मैट्रिक या आई. टी. आई. हों तो उन्हें नौकरी में लेवें वरना लेवें नहीं श्रमिक ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के पढ़ा लिखाकर मैट्रिक, आई.टी.आई. करवाया अब आप चाहते हैं यह स्मेल्टर अन्य जगह चला जाये । जब खाने की चीज आयी, तो चाहते हैं अन्य जगह चला जाये। मरने तक तो हमने काम किया उसमें । मैं यह चाहूंगा सुपर स्मेल्टर उदयपुर में लगे,

(श्री भैरूंलाल मीणा)

जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति है, सही हो यदि सही मायने में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं तो स्मैल्टर उदयपुर में लगाने से उन आदिवासियों को फायदा होगा। उनमें से काफी लोग रोजगार में लगेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा, 1981-82 में मैंने इस प्रश्न को उठाया है। वहां केसरिया जी में मन्दिर है· · ·

(व्यवधान)

उस मंदिर में आदिवासी कर्मचारी खास कर के सुरक्षा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों को आज भी 160/- रुपये तनख्वाह दी जाती है और 24 घंटे की नौकरी है। बिना परमीशन के वह मंदिर के बाहर नहीं जा सकते। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न का जवाब मिला कि 7 लाख रुपये की आमदनी होती है 3 लाख रुपये के करीब खर्चा होता है और 4 लाख रुपये के करीब पैसा बचता है। मैं चाहूंगा कि इस बचत का जो ब्याज होता है उससे मेरे खयाल से सुरक्षा कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सकेगी उसमें कोई घाटा नहीं होगा या ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जो पैसा बचता है और उसका जो ब्याज होता है उस पैसे से उन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा सकती है।

मैं चाहूंगा कि विधान सभा के हम सदस्यगण यहां पर विधान सभा की बैठक में आते हैं और 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा बैठते हैं तो 51/- रुपये डी.ए. लेते हैं और तनख्वाह हमारी अलग है लेकिन उन कर्मचारियों को 160/- रुपये पूरे महीने भर के मिलते हैं जब कि आमदनी ज्यादा होती है। आमदनी नहीं हो तो अलग बात है। आमदनी होते हुये भी क्या यह आदिवासियों का शोषण नहीं है? यदि सही बात है कि जो बोले उसका बूरा बिके और नहीं बोले उसका गेहूं भी पड़ा रहे। चाहे आदिवासी चिल्लाते रहें, धरना देते रहें और चाहे कुछ भी करते रहें कुछ नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि उन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दिया जाय और उनको वेतनमान कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर तो दिया जाना चाहिये· · ·

श्री मेघराज तावड़ : सरकार किसकी।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल मीणा : सरकार जरूर हमारी है परन्तु सच बात को विधान सभा के अन्दर कहने से नहीं चूकना चाहिये क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं।

मैं इस मौके पर एक बात और कह देना चाहूंगा कि हम कुल 400 विधायक यहां पर चुन कर आते हैं· · ·

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आगे का प्लान बना रहे हैं क्या ?

श्री भैरूंलाल मीणा : (Sorry) 200 विधायक चुनकर आते हैं· · ·

(व्यवधान)

(श्री भैरू लाल मीणा)

जनता ने वोट दिया। कांग्रेस (आई) की सरकार बनी राजस्थान में अभी जो चुनाव हुये आन्ध्र और कर्नाटक में वहां पर जरूर कांग्रेस (आई) की हार हुई। हम जानते है, गांव के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, अनपढ़ और अंगूठा छाप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन शहर के लोगों के हम वोट नहीं ले सकते। इसी प्रकार सामने बैठे हुये सदस्यगण शहरों से आते हैं और शहर के लोग उनको वोट देते हैं....

श्री मघराज तावड़ : मैं गांव से चुन कर आया हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : हम गांव वालों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल मीणा : अब रहा सवाल, अभी जो चुनाव हुये उसके नतीजे आये तो अपना मन भी थोड़ा घबराया लेकिन उसका जवाब दिल्ली वालों ने दे दिया, जिसको हम सबके समझने की बात है। मेरे समझ की यह बात है कि कर्नाटक में दूसरी पार्टी का राज्य है, आन्ध्र मे दूसरी पार्टी का राज्य है, मद्रास में दूसरी पार्टी का राज्य है, बंगाल में दूसरी पार्टी का राज्य है, अकाली अपना अलग झंडा लेकर घूमते हैं। इस देश के टुकड़े होते हुये देखकर दिल्ली में जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, सभी समझदार हैं, दिल्ली में गांव के लोग नहीं रहते हैं इसलिये 32 वर्षो में मेरे खयाल से 2 बार ही कांग्रेस का राज्य वहां पर रहा बाकी वहां पर जनसंघ का राज्य रहा। इस वक्त क्यों बदला, इसको हमको समझने को बात है जब कि केरल, बंगाल, आन्ध्र, कर्नाटक में, अलग-अलग राज्यों में प्रांतीय पार्टियों को विजय मिली। आज देश के टुकड़े होने की बात हो रही है। इस देश के टुकड़े होने से बचाने के लिये दिल्ली वालों ने कहा, हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। अगर टुकड़े होंगे तो हमारा भारत नहीं रह सकता इसलिये उन्होंने जवाब दिया कि भारत में कोई जिम्मेदार पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस (आई) है। उन्होंने कांग्रेस (आई) को जिताया और देश के टुकड़े होने से बचाया। हम लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश के टुकड़े नहीं हों, जो वायदे कर के हम जनता से आये हैं और जो आश्वासन दिये हैं उनको पूरा करें और इस किताब में जो लिखा हुआ है वह मात्र कागजों में लिखा हुआ न रहे। हम गांवों की वास्तविकता को जानें और गांवों के लोगों की सेवा करें तो हमें आगे और आने का मौका मिलेगा।

मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुये अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपाल महोदय के जिस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है, जैसा कि कांग्रेस सरकार का हमेशा से रवैया रहा है, उसी प्रकार एक पुलन्दा तैयार किया है जिसमें आंकड़ों का जाल है, उस जाल में फंसा कर प्रान्त की जनता

(श्री मेघराज तावड़)

को गुमराह करने का यह एकमात्र तरीका है।

अध्यक्ष महोदय, इस किताब में, पुलन्दे में सबसे पहले पैरा में सबसे बड़ी तारीफ जिसकी लिखी गई है वह है "बीस सूत्री प्रोग्राम" माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पास करने के लिये कुछ है नहीं सिर्फ अलग-अलग नारे देकर या अलग-अलग लुभावने नारे लगाकर जनता को भ्रमित करने के लिये यह इसमें दर्शाया गया है। बीस सूत्री प्रोग्राम 1975 में भी हमने देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 में जो बीस सूत्री प्रोग्राम इन्दिरा गांधी का था उस प्रोग्राम को लागू करने के लिये यह कांग्रेस वाले कभी आगे नहीं आये। मैं एक ज्वलन्त उदाहरण बताना चाहता हूं, एक तरफ इन्दिरा गांधी का फोटो था और दूसरी तरफ सरकार के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी का फोटो था। गांवों में गरीबों की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे थे। जिनकी जमीन गिरवी रखी हुई थी उनको समाप्त करने के लिये जब हम लोग बाहर निकले तो इसी कांग्रेस के लोगों ने साथ नहीं दिया। उस समय मालूम पड़ा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग-अलग हैं। मेरी बात का समर्थन माननीय सदस्य, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले ने भी किया है कि सरकार के मन, कर्म और वचन अलग-अलग हैं। यह बात तब साबित हुई जब बीस सूत्री प्रोग्राम को लागू कराने के लिये हमने जोरदार आन्दोलन शुरू किया तो हम लोगों को मीसा में जाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इसमें लिखा है कि "लोकतांत्रिक लोग हैं या प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं"। आप देख लीजिये 26-27 जिलों की जिला परिषदों में अकाल राहत समिति की मीटिंग होती हैं, उसमें सिवाय विधान सभा सदस्यों के, लोक सभा सदस्यों के और किसी को शामिल नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले से विरोध पक्ष के कम सदस्य चुनकर आये है तो उस जिले में उनकी पार्टी के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, केवल अपने अपने ही लोगों को उसमें रख कर अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो यह लोकतांत्रिक लोग हैं यह नाम मात्र का इसमें भ्रम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे गांवों के गरीबों को ऊपर उठाने की बात इसमें बहुत जोर से कही गई है। राजस्थान में गांव के 1 लाख 42 हजार लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, यह बात इसमें सरकार ने आंकड़ों के साथ कही है कि 1 लाख 9 हजार लोगों को लाभान्वित करेंगे, किन्तु इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि लाभान्वित किस चीज से किया गया, क्या प्राप्त हो गया, क्या चीज मिल गई? क्या उनको धन मिल गया, चारा मिल गया, गाय मिल गई, भैंस मिल गई, जमीन मिल गई, क्या मिल गई? क्या लाभान्वित हो गये? इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन करोड़ जनता में गरीब नहीं रहे। गरीबी की रेखा से नीचे 1 लाख 42 हजार लोगों में से केवल मात्र 35 हजार और बाकी रह जाते हैं। 1 लाख 9 हजार को गरीबी दूर हो गयी, गरीब नहीं रहे। माननीय

(श्री मेघराज तावड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सामने बैठने वाले मन्त्रियों की, इनकी तो गरीबी मिट गई। अगर यही गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं तो और गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया गया तो गरीबी मिट गई तो मेरे को कुछ कहना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भाषण में राज्यपाल महोदय ने इसको गरीबों के विकास का वर्ष कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय सदस्य बहुत ज्यादा ट्राइबल इलाके की बात करते हैं। वहीं से मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं। मैं ट्राइबल इलाके की बात करूंगा और आम जनता की बात, सर्वहारा की भी बात करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों के नाम से ट्राइबल डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार ने बनाया है वह एक ढकोसला है, शीशमहल की तरह उनका ऑफिस पड़ा हुआ है। आदिवासी कितने हैं मैं कहना चाहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को कोई नोट नहीं कर रहा है, मन्त्रीजी बात कर रहे हैं, मैं बोलना चाहता हू, लेकिन बोल कर क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप, मैं ध्यान रख रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब क्या देगी ? आदिवासी का नाम आया और सरकार को नींद आ गई। उनके आधार पर तो यहां जीत कर आते हैं लेकिन याद रखिये प्रद्युम्नसिंह जी, अब आदिवासी भी जाग गये हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपके पाइन्ट को डिस्कस कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : नहीं नहीं वह तो मुझे मालूम है।

आज आपका यह डिपार्टमेन्ट है, हमारे माननीय सदस्य दुलाराम जी यहां हैं नहीं। मेरे इस पाइन्ट को नोट किया जाय। उस डिपार्टमेन्ट में जो आफिसर लोग बैठे हैं, एडीशनल कमिश्नर बैठे हैं वह एक नम्बर के भ्रष्ट हैं। आज जो एडीशनल कमिश्नर हैं उनको आदिवासियों से कोई लेना-देना नहीं है। आदिवासयों के नाम से उनको चिड़ है। तो आज जो अच्छी पोस्ट पर जा करके बैठे हैं और एडीशनल कमिश्नर बने बैठे हैं वे आदिवासियों की भलाई की क्या बात करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे वहां क्वालिफाइड लड़के हैं। अभी एक पोस्ट निकली, उन्होंने देखा कि इस पर ट्राइब का आदमी आ जायगा तो एडवर्टाइजमेन्ट रद्द कर दिया और निर्णय किया, भर्ती आगे की जाय। एक नया एडवर्टाइजमेन्ट निकाला है। बाहर ट्राइब और कास्ट के जितने लोग बैठे हुए हैं जो अम्बेडकर मंच है, माननीय नानारामजी आप भी सुनिये, आपको भी उठाकर फैंक देंगे। आज कास्ट और ट्राइब के लोग यहां बैठे हैं, ट्राइब और

(श्री मेघराज तावड़)

कास्ट के नाम पर जीतने वाले ट्राइब ग्रौर कास्ट के एम. एल. ए. को मैं कहना चाहता हूँ, क्या ग्रापमें इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि ग्रापकी सरकार को कुछ कह सकें ? ग्राज लोग डाक्टर ग्रम्बेडकर मंच को लेकर बैठे हैं ग्रौर वहां पर जो डिपार्टमेन्ट है उसमें रोस्टर को लागू नहीं किया गया है। जो क्वालिफाइड थे, जिनका सीनियोरिटी में नम्बर था, जिनको रोस्टर रजिस्टर के ग्राधार पर प्रमोशन मिलना चाहिये था उनको प्रमोशन नहीं मिला इस बात को लेकर वह लोग ग्राज हड़ताल पर बैठे हुए हैं । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह सरकार बात किस मुंह से करती है कास्ट ग्रौर ट्राइब के लोगों की। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि ग्रादिवासियों को रोजगार दिलाने की बात नहीं कर सकते। ग्राज जंगल व्यापार मण्डल के जरिये राजस्थान की सरकार इन जंगलों को कटवा रही है। कई ट्रक पकड़े गये, धरियावद से लेकर गुजरात के बोर्डर में जाते हैं ट्रक भर कर के उनके लोग, वन विभाग के लोग लेकिन उनको नहीं पकड़ते हैं ग्रौर चोरी करते हैं। एक ट्रक पकड़ा गया उससे पांच हजार रुपये लेकर उसको छोड़ दिया गया। क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की ? तो, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक ग्रादिवासी पूली लेकर ग्रायेगा सर पर, उसको तो पकड़ करके रख देंगे, शेर को पिंजड़े में बन्द कर देंगे। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा ग्रौर ग्रत्याचार क्या हो सकता है, ग्रादिवासी लकड़ियां ले करके ग्राया उदयपुर में उसे वन विभाग के लोगों ने पकड़ करके शेर के पिंजड़े में बन्द कर दिया, उनको जेल मिली। शेर के पिंजड़े में बन्द कर दिया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात ग्रौर क्या हो सकती है। यदि मैं गलत हूं तो ग्राप पता लगा लीजिये वहां जाकर के कि शेर के पिंजड़े में ग्रादिवासी को रखा या नहीं।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रकाल राहत कार्यों में एक लाख लोगों को काम देना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है इससे कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की सरकार ग्रसफल रही है रोजगार दिलाने में। चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे डूंगरपुर हो वहां के ग्रादिवासी गरीब लोग गांवों को छोड़ कर मजदूरी करने बाहर चले गये, गुजरात में चले गये, मध्य प्रदेश की तरफ चले गये, जहां भी उनको नौकरी या धन्धा मिला वहां चले गये। ग्राज उनके पास खाने के लिये कोई चीज नहीं है, न कोई रोजगार है, न धन्धा है, न खरीदने की सामर्थ्य है, ग्रौर न खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था उन गांवों में है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ग्रकाल राहत कार्यों का नाम ले करके राजस्थान की सरकार क्या 31 मार्च तक तीन लाख लोगों को रोजगार दिलाने की बात करती है ? माननीय ग्रकाल राहत मन्त्रीजी यहां नहीं हैं, क्या वह जनता को जिन्दा रख सकेंगे ? क्या यह सरकार लूट खसोट ग्रौर मारपीट को रोक पायेगी ? राजस्थान की सरकार जनता, मजदूर ग्रौर किसानों को रोटी ग्रौर रोजी देने में ग्रसफल होती है, नाकामयाब होती है तो फिर लूट-खसोट मचेगी। वह काम करना चाहते हैं, वह हाथ ग्रौर पांव से काम करके जिन्दा रहना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं लेकिन ग्रापकी सरकार निकम्मी है जो उनको रोजगार नहीं देती है। तो यह डकैती, चोरी ग्रौर लूट खसोट ज्यादा ग्रौर शुरू होगी। मैं ग्रापसे

(श्री मेघराज तावड़)

कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लें, यदि राज्य में शान्ति कायम करनी है विशाल पैमाने पर काम खोलें चाहे कहीं से भी पैसा लें। केन्द्र सरकार को आपने टाइम पर रिपोर्ट नहीं भेजी। एक समिति आई थी वह थोड़े से हिस्से में गंगानगर या वाड़मेर की तरफ जाकर चली गई। उसने पूरे राजस्थान का जायजा नहीं लिया जहां पीने के लिए पानी नहीं।

और तो और, अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है, बहुत बड़ी बात है, यह अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया न्यूनतम वेतन मजदूरी का, कहीं कोई घास भी काटे, गोबर डाले तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम सात रुपये होगी। राजस्थान की सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी की नीति बनायी है उसके अनुसार पैसा उनको नहीं मिलता। आपको ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में एक श्रीमती लता स्वामीनाथन ने उच्चतम न्यायालय में एक केस किया कि माही परियोजना में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वतन नहीं मिलता; यह उन्होंने केस कर रखा है।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। जो जो सुनने वाले हैं वह तो सुन नहीं रहे हैं। मन्त्री महोदय बात बाद में कर लें तबादलों की, पहले पब्लिक की बात सुन लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं राजस्थान का फेमिन कोड लागू करके मजदूरों का विकास करना चाहते हैं। आप नाश्ते में कितना पैसा खर्च करते हैं, एक कुत्ते के लिए जो बड़े पैसे वाले हैं पांच सौ रुपया महीना खर्च करते हैं, उसके दूध के लिए, लक्स का साबुन उसके लिये और गदेला उसके लिये किन्तु राजस्थान के इन्सान, गरीब इन्सान के लिये खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। फेमिन कोड लागू करके मजदूरों को कहते हैं कि भाई अब 7 रुपये दिन पर काम लिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, किसी भी मन्त्री की टेबल पर कितना काम आया, कितना निपटा दिया गया, यदि आप घण्टे के हिसाब से निकालेंगे तो लगेगा कि ये बेकार की तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये, अध्यक्ष महोदय, या फिर इनका भत्ता छीना जाना चाहिये, या फिर कुर्सी छीनी जानी चाहिये क्योंकि ये भी काम नहीं करते हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फेमिन कोड को लागू करने के बारे में मजदूर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि मजदूरों को अधिकार है पैसा लेने का, मजदूरों को मिनीमम वेज देना चाहिए। यह शर्म की बात है, डूब कर मरना चाहिए, राजस्थान की सरकार इस फैसले के खिलाफ रास्ता निकालने को तैयार है और मजदूरों को पैसा नहीं देना चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या मजाक है।

इससे आगे राजस्थान की सरकार ने कह दिया कि यह विकास का वर्ष रहा है। आज एक तरफ राजस्थान जल रहा है बाहर हजारों की तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगें हैं? बिजली दीजिए, पानी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय कमलेन्द्र जी

(श्री मेघराज तावड़)

और राजबहादुर जी ने कहा था, यह सही है, यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीवाद की हामी है । गरीबों को बिजली नहीं मिले, उस किसान को बिजली नहीं मिले जो देश का अन्नदाता है, जो धरती मां के पेट से अनाज पैदा करता है और हम लोगों, यहां पर बैठने वालों का पेट भरता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसकी क्या वजह है ? क्या राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया है कि किसान कैसे खाद लाता है, खाद का क्या भाव है ? वह महंगी खाद लाकर फसल बोता है किन्तु उसे बिजली नहीं मिलती है, समय पर पानी नहीं मिलता है । इससे उसकी फसल खराब हो जाती है । किसान को छोड़ दीजिये, राजस्थान में छोटे-छोटे करीब एक लाख उद्योग हैं, उनको भी बिजली नहीं दी जाती । इसके पीछे वजह क्या है ? बिजली का बहाना करके कोटा में जे. के. सिंथेटिक मिल्स में साढ़े चार हजार मजदूरों की छंटनी कर दी गई । क्या सरकार की हिम्मत है कि वह इस पर अपना कब्जा करे, इस छंटनी को बन्द करे ? मैं कहना चाहता हूं, विधान सभा के पिछले बजट सत्र के दौरान राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल हुई । लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? मुख्य मंत्री जी कभी मजदूरों के नेताओं ....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मंत्री महोदय, ये बोल रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं...

श्री मेघराज तावड़ : करने दीजिए। यह बहरी सरकार है, XXX यह कोई सुनने वाले नहीं हैं ।

मैं यह कह रहा था कि आज यह सरकार करने क्या जा रही है, मजदूरों की छंटनी हो रही है उसको बंद कराने की ? आज जो हड़ताल होती है उसका पहले एक नोटिस दिया जाता है, हमारी यह मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो हम बन्द का आह्वान करेंगे और हड़ताल करेंगे । उस समय तो मुख्य मंत्री जी, जो सामने वाले दल के सेनापति हैं, सरदार हैं, को चाहिए कि सबसे पहले मजदूर नेताओं को बुलाकर बात करें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इनमें बात करने की हिम्मत नहीं है तभी हड़तालें इतनी लम्बी चलती हैं । यह बात तो करते नहीं जो बाबू हैं, क्लर्क हैं उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या जवाब दें । फिर फाइल ऊपर से नीचे, पिरामिड की तरह आती है । जब आन्दोलन हो जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है तब आई. ए. एस. अफसर बात करते हैं, उनसे जाकर समझौता करते हैं । समझौता करने के बाद यह सरकार XXX जाती है । ऐसी सरकार से क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यह राजस्थान के विकास के लिये काम कर रही है ? 57 दिन तक बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चली । राज्य के मुख्य मंत्री ने लिखित में दिया कि बिना किसी शर्त के, बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और आपकी मांगें मानी जायेंगी । ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसफर किये जा रहे हैं । आज बिजली कर्मचारियों ने फिर से हड़ताल करने की तैयारी कर ली है । बिजली कर्मचारियों की यह हड़ताल इसलिए इतनी लम्बी चली कि एक तरफ तो वार्ता होने से पहले यहां बृज सुन्दर शर्मा, जो इन्टक के नेता भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ने चाहा कि लड़ाई कोई करे, झगड़ा

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मेघराज तावड़)

कोई करे और लड्डू कोई और खा ले। इसीलिए झगड़ा बढ़ा। आपने देखा होगा, अध्यक्ष महोदय, कल यहां इन्टक का आन्दोलन हो रहा था, उनको प्रेरित किया गया। राजस्थान कैनाल और पी. डब्ल्यू. डी., सिंचाई के जितने भी मजदूर हैं उन्होंने कहा कि सीटू ने इतना जबर्दस्त आन्दोलन किया इसलिए तुम भी साथ चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इन लोगों को राजनीति का अंग बनाकर यह लोग चलते हैं, मजदूरों की बात लेकर नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : आपका इशारा मैं समझ गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ आपने देखा होगा, यह वायदा करते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी जहां जाते हैं वायदा करते हैं, घोषणायें करते हैं। थर्मल प्लांट, कागज मिल, कितनी ही घोषणायें करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन के समय भी घोषणा की और वह समाप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय, वायदे तो करते हैं किन्तु वायदा कभी निभता नहीं है। श्री देवेन्द्र सिंह, जो भीलवाड़ा के हैं, जब मंत्री बनकर पहली बार भीलवाड़ा के दौरे पर गये, वहां पर हैंड पम्प का मामला उठा था, जिसे माननीय सी. पी. जोशी जी ने यहां उठाया था कि 240 रुपये की जो रेट दी गई उसके आधार पर यह कोर्ट में चैलेंज हुआ, इस सारी गड़बड़ी को देखकर के इन्होंने वहां पर एक भाषण दे डाला कि पी. एच. का एक बोर्ड कायम किया जायेगा। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है! राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह छपा है, लेकिन यह उनके अभिभाषण से पहले ही घोषणा कर आये। आपको याद होगा, हनुमान जी वहां गये। उनसे पूछा गया कि यह क्या गजब करना रहे हो, बोर्ड का गठन करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि मंत्री जिम्मेदार होता है, मंत्रिमण्डल में जिम्मेदार लोग होते हैं। एक मंत्री जाकर इस प्रकार घोषणा कर आये तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुख्य मंत्रीजी भी हैं। आज जहां मुख्य मंत्रीजी जाते हैं उनके पीछे XXX भ्रष्ट लोग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, वह तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिये मैं सचेत करना चाहता हू कि आप अपने मंत्रिमण्डल से भ्रष्ट लोगों को निकालें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नलकूप के भ्रष्टाचार के बारे में सुना होगा। आज डेढ़ साल हुआ शिवचरण जी माथुर को मुख्य मंत्री बने। जिला परिषद्, चित्तौड़ में सांसद श्री गिरधारीलाल व्यास ने कहा था, अखबारों में पढ़ा होगा कि तुम सब चोर हो और सरकारी खजाना लुटाते हो। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी ऐसी जुबान नहीं है, यह आपकी पार्टी के लोगों ने कहा है। यह बात सच है तो मुख्यमंत्री जी जवाब दें। क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री के लड़के की दुकान में छापा पड़ा था जिस पर एक स्थगन प्रस्ताव आया और एक अखबार ने चैलेंज किया था कि आप अगर सही हैं तो मैं चेतावनी देता हूं कि आप उसका जवाब दें। क्या यह बात सही नहीं है कि जो जिला प्रमुख भीलवाड़ा

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)
जिले के हैं उन्होंने एटलस कम्पनी से खुदाई की मशीन खरीदने के लिए दलाली नहीं ली ?

मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नाकाबिले बरदाश्त बात है कि मंत्रीजी बात करें। माननीय ताम्बीजी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी वकालत कर रहा हूं, दखल न करें मेहरबानी करके।

देवेन्द्र सिंह, जो राज्य मंत्री हैं, भीलवाड़ा से हैं, बतायें कि एक साल के दरमियान में एक मशीन नल खोदने की जिसे रिग मशीन कहते हैं, उनकी कहां से आई ? ड्रिलिंग मशीन कहां से आई ? दो मशीन हाफिज मोहम्मद की आई हैं जो जिला प्रमुख हैं भीलवाड़ा के। उनका कहां से पैसा आया ? कौन से बैंक से पैसा लिया ? कौनसी कम्पनी से खरीदी ? क्या मुख्य मंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं ? जब हम यह बात कहते हैं तो चर्चा होती है, हम क्या करें, हम अकेले नहीं हैं, हमारी तो सारी मन्डी है। भ्रष्टाचार का और क्या आरोप लगायें ? इसी मंत्रि-मण्डल के साथी, मुख्य मंत्री के परिवार के लोग हैं, मैं खुले तौर से आरोप लगाना चहाता हूं कि गत वर्ष मैंने यह सवाल रखा था, पी. एन. माथुर, इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर हैं, माथुर साहब के साढ़ू, उन्होंने अपने ही सिगनेचर से प्रमोशन ले लिया था चीफ इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर के पद पर। अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही की उनके खिलाफ ? एक साल बाद उनको रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट करना कोई सजा नहीं है। उनको सजा क्या दी ? यही नहीं, दीनबन्धु वर्मा.....

व्यवस्था का प्रश्न

सदनेतर व्यक्ति का भाषण में नामोल्लेख

श्री नानूराम कुमावत : पाइंट आफ ऑर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : आप बैठ जाइए, आपको अगर जलन लगती है तो मेरी बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ ऑर्डर आ गया।

श्री नानूराम कुमावत : माननीय सदस्य ने अभी एक सवाल उठाया था। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य हो उसका नाम ले सकते हैं लेकिन जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम कैसे ले सकते हैं ? जो जिला प्रमुख हैं, भीलवाड़ा के जिला प्रमुख का नाम लिया गया, नाम से पुकारा गया हाफिज मोहम्मद के नाम से। यह गलत है, इसको प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए।

श्री मेघराज तावड़ : काहे को निकाला जाए, सही बात कही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

भाषण में मानहानिकारक, अपमान-जनक, आरोपित करने वाली बातें नहीं की जा सकतीं लेकिन चर्चा में नाम कई तरह के आते रहते हैं उस पर बंदिश नहीं लग सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको तो नाम और पक्का करना था कि नाम दुबारा आ जाए।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मेघराज तावड़ : यही नहीं, उदयपुर में आदिवासियों की जमीन बेचकर खाने वाले का सवाल लास्ट ईअर इसी सदन में उठाया था। पुराना छात्रावास लड़कियों का था। वह बंद कर दिया गया और जमीन बेच दी गई। कटारियाजी ने स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न भी रखा था, मैंने भी रखा था, उसका जवाब नहीं दिया और कहा गया कि बेची नहीं। छोटी सी जगह वापस छोड़ कर कहते हैं कि हम चला रहे हैं। यही नहीं। उदयपुर जिले में दूजा गनेशजी ब्रह्मपोल, वहां कुछ जमीन है। उस जमीन को खुले आम बेच रहे हैं। हम लोगों, जो आदिवासी हैं, ने आदिवासियों की जमीन के लिये भूमि रूपान्तरण कानून बना, उसके तहत आदिवासियों की सोसाइटी बनाई और काश्तकारों से जमीन लेकर हम लोगों ने सोसाइटी के जरिए वहां प्लाट्स लिए। लेकिन सवर्णों को यह बात नहीं भाई, यू.आई.टी. को भी अच्छा नहीं लगा कि ये शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोग ऐसी बस्ती में रहें। सदन में भी मसला उठा और सरकार भी कोर्ट में गई हमसे प्लाट्स छीनने के लिए ताकि हम उनमें नहीं रह सकें। एक तरफ सरकार कहती है कि कच्ची बस्तियों को बसायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, दूसरी तरफ वह यह सहन कर नहीं सकती। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। 700 बीघा जमीन क्या माथुर साहब के परिवार के, घर के किसी के नाम से थी? वह एक्वीजिशन में जा रही थी। उसे बचाया गया, एक्वायर करने से रोका गया। इस बात का भी जवाब दें। लेकिन जवाब नहीं दे सकते।XXX . . . .

राजस्थान नहर का जहां सवाल है, राजस्थान नहर को पूरा कराने के लिये आप और हम सब चिंतित हैं, पश्चिमी राजस्थान के किसान भी चिंतित हैं। लेकिन इसमें जितना पैसा लगा वह क्यों लगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ। राजस्थान का मंत्रि-मण्डल भी वहां गया और 250 इंजीनियरों के खिलाफ बात आई कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मौका आएगा तो नाम लूंगा। इस सदन में भी कितने मंत्री हैं जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे सदन के सामने आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने की आप बात करते हैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जब भी विधायक बन कर आएं, मंत्री बनने के पहले और विधायक बनने तक उनकी प्रापर्टी की जांच की जाए कि उनके पास कितनी प्रापर्टी थी, उसके बाद प्रापर्टी कहां से आई। मुख्य मंत्री इस बात का जवाब देने को तैयार हों। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इसका जवाब दें। यही नहीं, औद्योगिक विकास की बात इसमें कही गई। आज जयपुर स्पिनिंग मिल बन्द पड़ी है। जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स का कारखाना भी बन्द पड़ा है। उसको पहले सरकार ने लिया। पहले आई.ए.एस. आफिसर लगाए थे। उस आई.ए.एस. आफिसर से उसका मैनेजमेंट खतम हो गया। आज घाटे की तरफ जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प का घोटाला तो आ ही गया। अब मैं आपका ध्यान

श्री अध्यक्ष : समय बहुत हो गया, समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : दो मिनट और लूंगा।

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

शिक्षा की लम्बी चौड़ी बात की लेकिन आदिवासियों के छात्रावास जो बनने चाहिये वह नहीं बने। नए छात्रावासों की बात इसमें नहीं है। आज गांवों में जाकर कहीं भी देखो, शिक्षा मंत्री श्रीमती कमला का बयान है कि भवन नहीं हैं। स्टेट की कैबिनेट मंत्री कह रही हैं कि शिक्षा के लिए मकान नहीं है, भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लड़के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं, हमको बहुत कुछ करना है। तो, एक जिम्मेदार मंत्री यह बात कहे तो इसका मतलब है, यह राज्य सरकार कमजोर है, कांग्रेस सरकार कमजोर है जो भवन नहीं दे सकती और आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है।

इस साल हायर सैकण्डरी स्कूल कहीं-कहीं दो-दो खोले गए, कहीं-कहीं एक एम. एल. ए. को एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं दिया गया। यही नहीं, बिल्डिंग नहीं है। मेरे गोगुन्दा इलाके में, गए साल भी मैंने प्रश्न किया था, आज जिस किराए के भवन में लड़कियों का स्कूल चल रहा है उसके लिए पी. डब्ल्यू. डी. की रिपोर्ट है कि कभी भी वे बच्चियां वहां दबकर मर सकती हैं लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती है कि कुछ करे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार यदि चाहे तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण तैयार किया गया है वह सेठों का है, सरकार सेठों के सामने झुक चुकी है, ×××यही नहीं अभी मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था, उद्घाटन हुआ था....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : समाप्त करने वाला हूं।

हमारे राजस्थान के 5 मंत्री वहां पहुंचे और 22 सेठ स्पेशल प्लेन से अहमदाबाद से यहां आए। ×××मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। ×××इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। यह पूंजीपतियों की हामी, पूंजीपतियों का पोषण करने वाली सरकार है। यह गरीबों की सरकार नहीं है, यह पैसे वालों की हामी है। इसलिए इन पैसे वालों और आई. ए. एस. अधिकारियों ने ये झूंठे आंकड़े तैयार किए हैं।

प्रशासन गांव की ओर की बात तो दूर है। फागी तहसील में हाफिज मोहम्मद एक अन्धा आदमी गया था। उसने कहा कि प्रशासन गांव में आया है तो मुझे पेंशन मिल जाये वह केवल 100 रुपए नहीं दे सका इसलिए उसका पेंशन में नाम नहीं आ सका। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सरकार सिर्फ हमको भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है। इनके अधिकारी लोग जो लिख करके देते हैं वह यहां पर आकर पढ़ दिया जाता है। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं, कठोर शब्दों में इसका विरोध करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देने में असमर्थ हूं। बस इतना ही निवेदन करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री द्वारका प्रसाद बैरवा।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 17 तारीख को इस सदन में जो अभिभाषण दिया मैं उसका

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)
हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसी भी कार्यक्रम को हाथ में लेकर उसको क्रियान्वित करने में विश्वास रखती है। हमारे देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे देश को दिया, वह पिछड़े, दलित, हरिजन, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिये दिया। मैं यह मानकर चलता हूं कि उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष रूप से राहत पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गांवों के लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उन समस्याओं को समाप्त करने के लिये, गांव के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये प्रशासन गांवों की ओर अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे भी मौका मिला। मेरे क्षेत्र के हर पंचायत हैड क्वार्टर पर जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने वहां पाया कि प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम से लोगों को बहुत भारी राहत मिली और इसकी बहुत भारी उपलब्धियां हुईं। जहां जहां भी हम गये वहां पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता हजारों की तादाद में उपस्थित थी और इस बात के लिये आतुर थी कि उनकी राजस्व सम्बन्धी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के तहत 81237 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये, 3,43,132 लोगों के नामान्तरण स्वीकार किये गये, 50,657 लोगों को जमीन आवंटित हुई और सम्पूर्ण वर्ष में 75 हजार लोगों को 2 लाख 29 हजार एकड़ भूमि आवंटित की गई जिसमें 48 प्रतिशत लोग अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के शामिल थे। इसके लिये मैं सरकार को बधाई का पात्र मानकर चलता हूं। अब हमारी सरकार को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम हर साल चलना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है कि अदालतें गांवों को ओर जावें, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि गांवों के किसान और निम्न वर्ग के लोग अदालतों और कलक्टोरेट के चक्कर काट कर परेशान हो जाते थे और उनके पैसे खर्च होते थे। उनको इस कार्यक्रम से बहुत भारी राहत मिलेगी और इससे ग्रामीण जनता को बहुत भारी लाभ होगा।

(3.55 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

तीसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे प्रदेश में कई वर्षों से निरन्तर अकाल पड़ रहा है, हर साल अकाल की विभीषिका छायी रहती है। अभी भी एक जिले को छोड़कर बाकी राजस्थान, के 26 जिलों में अकाल की विभीषिका छायी हुई है। हमारी सक्षम सरकार ने सहानभूतिपूर्वक इस पर विचार कर अब तक 3126 अकाल राहत

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

कार्य स्वीकृत किये जिनमें अभी तक 94 हजार 233 श्रमिक कार्यरत थे ।

इसके अलावा सन् 1983 के प्रत्येक माह में 3 लाख 16 हजार लोगों को नियोजित किया जायेगा । चालू वर्ष में 76 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिचाई की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जिसमें 46 हजार हैक्टेयर जमीन राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित की जायेगी और माही परियोजना, जिसका कार्य जून, 83 में पूर्ण होने की सम्भावना है, से 1983 में 24 हजार हैक्टेयर भूमि को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव होगा । चालू वर्ष में 25 हजार हैक्टेयर भूमि का कुओं, पम्प सैटों, नल कूपों से सिचाई का लक्ष्य रखा है । मैं यह मानकर चलता हूं कि काश्तकारों को इससे बड़ी भारी सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

चौथी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चालू वर्ष में सड़कों एवं पुलों के निर्माण में 10 करोड़ 50 लाख रुपये तथा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 6 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपये रखकर हमारी सरकार 574 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करने में कार्यरत है। सभापति महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि इससे भी हमारे प्रदेश में विकास होगा और हमारे प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा ।

पांचवीं बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे प्रदेश में अभी तक जनसंख्या काफी बढ़ रही थी । इस विषय में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोग अनपढ़ थे, गरीब थे। उनके जब बच्चे अधिक हो जाते हैं तो वह अपने बच्चों का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति बन गयी है कि हमारा किसान आज चाहे अनपढ़ जरूर हैं लेकिन हमारी ग्रामीण जनता अब बेवकूफ नहीं है । सभापति महोदय, आपको पता होगा कि सन् 77 में हमारी पार्टी को गांवों की जनता ने नसबन्दी के आपरेशन को खराब मानकर दुत्कार दिया था पर बाद में उन्हें समझ में आ गया कि यह कार्यक्रम अच्छा है। अतः चालू वर्ष में हमारे प्रदेश में 1 लाख 10 हजार आपरेशन ट्यूबकटॉमी के कराये गये। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार ने की है। इसके लिये हमारी राज्य सरकार बधाई की पात्र है ।

सातवीं बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि हमारे देश में नवम् एशियाड खेलों का जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में उसकी नौकायन प्रतियोगिता हमारे राजस्थान में जयपुर जिले के जमवारामगढ़ में हुई। उसके लिये हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही बधाई की पात्र हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त किये थे। यह एक बहुत बड़ी भारी उपलब्धि है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर एक खेल डिपार्टमेंन्ट अलग से बनाया गया और उसके मन्त्रीजी भी हैं जो कि इस प्रकार के खेलों में भाग लेने वाले लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। यह भी एक उपलब्धि है। इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि खेल जगत की ओर ध्यान दिया।

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)

आठवीं बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जयपुर में जे. डी. ए. की स्थापना की। इसके अन्तर्गत गरीब लोगों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। इसके अलावा आवासन मन्डल के माध्यम से भी आवास समस्या को हल करने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। 90 हजार भू-खण्ड जनवरी माह तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित किये जा चुके हैं। यह भी एक उपलब्धि है।

नवीं बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी, वर्तमान शिक्षा मन्त्री और हमारे मुख्य मन्त्री जी इस बात के लिये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि जिन जगहों पर स्कूलों की कमी थी वहां पर स्कूल खोले गये। मेरे क्षेत्र में भी दो मिडिल स्कूल खोले गये और एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोला गया जिसके लिये मैं सरकार की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं। हमारी सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है। इसके अलावा प्रदेश में चालू वर्ष में 232 प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, 212 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया और 228 नये विषय खोले गये। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

दसवीं बात, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनतन्त्र में विश्वास रखती है और वोट कराने की नीति में विश्वास रखती है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुखों तथा नगरपालिका आदि के चुनाव कराकर जनतन्त्र की नींव मजबूत की है। गांवों में पंचायती राज को इससे बड़ा भारी बल मिला है। लोगों को जयपुर के जो चक्कर लगाने पड़ते थे वह इससे काफी हद तक बन्द हो गये और गांवों में जो समस्या थी, तहसीलों में जो समस्यायें थी और जिलों में जो समस्यायें थीं उनका हल हो गया है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से चुनाव कराकर हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार कानून-व्यवस्था में विश्वास रखती है। इसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति की है उसके लिये हमारी सरकार के प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार ने बहुत प्रशंसा की है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में जो इलेक्शन हुए थे उनमें हमारी पार्टी हार गयी थी। लोगों ने समझा था कि कांग्रेस पार्टी में अब वापस जनता का विश्वास नहीं है। लेकिन अभी जब दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के चुनाव हुए तो वहां हमारी पार्टी को बहुमत मिला। आज जनता बहुत ही जागरूक हो गयी है। जनता ने हमारे कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया और हमें दिल्ली में मैजोरिटी दी। इसी तरह अभी जब आसाम में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी को दो तिहाई से अधिक बहुमत मिला। मेघालय में भी हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।

(श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा)
इस तरह हमारी पार्टी की सरकार ने जो जो भी कार्य किये हैं उसके लिये वह बधाई की पात्र है ।

अन्त में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पुनः धन्यवाद व समर्थन देता हूं और अभिभाषण का स्वागत करता हूं ।

श्री सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 7 को महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया, जिसके लिये श्री हरिसिंहजी कुम्हेर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और डाक्टर हरिसिंहजी ने जिसका समर्थन किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साफ साफ कह दो आज तो पंडित जी ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: जब मैं साफ-साफ कह दूंगा तो आप लोग चिन्तित होंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चिन्तित नहीं होंगे ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: यदि आप चिन्तित नहीं होंगे तो मैं आपसे यह कहूंगा कि जितने भी लोगों ने विरोध पक्ष में कोई बात बोली है उन्होंने केवल विरोध ही किया है । इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी शानदार बिल्डिंग क्यों न बनाई जाये अगर आप उसका उद्घाटन करो जाकर, उसमें गटर ही देखो । गटर के बारे में कोई बात करो तो क्या उस महान प्रासाद की कोई भव्यता कम हो जायेगी ? गटर देखने वाला तो गटर की चाहे कितनी ही बात करे तो भी उसकी बात गलीज ही होगी । गटर चाहे बड़ा हो लेकिन गटर बिना प्रासाद के कोई भी महत्व नहीं रखता है ।

यह तो बीच में बात आ गयी । मैं निवेदन यह कर रहा था, सभापति महोदय, जिन लोगों ने यह बात उठाई कि महामहिम का जो अभिभाषण था वह असंवैधानिक था । इसलिए असंवैधानिक था कि वह दूसरी लिपि में लिखा हुआ था और हिन्दी भाषा के अन्दर नहीं पढ़ा गया । बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग बहिष्कार करके चले गए उस अभिभाषण का, जिन्होंने उसका बहिष्कार किया और उसको सुना नहीं, बहिष्कार के बाद में यद्यपि उन्होंने उसको पढ़ा होगा लेकिन पढ़ने से यह बात ज्ञात नहीं हो सकती है कि उसकी स्क्रिप्ट क्या थी और किस प्रकार से बोला । बोलने में चाहे स्क्रिप्ट कोई भी हो, स्क्रिप्ट से संबंध नहीं होता है । क्या वेदों के मंत्र रोमन लिपि में नहीं लिखे जा सकते ? लिखे जा सकते हैं । लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए लिपि और भाषा को देखें तो भाषा तो वह है जो कि बोली जाती है । उन्होंने जैसे बोल करके सदन को सम्बोधित किया है हाउस उससे संबंधित है । इसलिए उन लोगों का यह कहना कि यह असंवैधानिक था क्योंकि लिपि दूसरी थी, ठीक नहीं है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : भाषा वह है जिसका व्याकरण हो । जो हम बोलते

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

हैं यह तो बोली है। भाषा वह है जिसका व्याकरण हो।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : इसमें भी कोई सन्देह नहीं। लिपि वह है जो लिखी जाती है। लेकिन लिपि में भाषा दूसरी भी लिखी जा सकती है। किसी एक विशेष लिपि में भाषा दूसरी या तीसरी भी लिखी जा सकती है। मेरा मन्तव्य, पंडित जी, व्याकरण से नहीं है क्योंकि जिस भी भाषा में अभिभाषण पढ़ा गया उसका व्याकरण वही है जो कि हिन्दी भाषा का है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता कि उसका व्याकरण दूसरा है। अगर उसका व्याकरण दूसरा रहा हो तो मैं माननीय सदस्य का लोहा मान सकता हूं। इसलिए उसको व्याकरण की दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आपने यह कहा कि भाषा वह है जो बोली जाती है।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य को भाषण देने दीजिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बोली तो कोई भी हो सकती है लेकिन भाषा वही है जिसकी व्याकरण है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : लेकिन जो पढ़ा गया वह उसी भाषा से संबंधित है जिसे हिन्दी भाषा कहते हैं।

अब प्रश्न यह नहीं है कि भाषण पढ़ाया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाषण पढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, यह तो एक संवैधानिक स्थिति है। कोई भी क्या यह कह सकता है, यह सदन या आज से पहले का भी कोई सदन क्या यह कह सकता है कि जो भाषण यहां पढ़ा गया है वह पढ़ाया गया है। उसको तो पढ़ा हुआ ही माना जाता है। अभिभाषण दिया हुआ ही माना जाता है, ऐसी संवैधानिक स्थिति है। उनके समय में जो भी महामहिम राज्यपाल रहे हैं क्या वह एक्सटेम्पोर बोले ? आज तक कोई भी एक्सटेम्पोर नहीं बोले, इसलिए यह कहना कि महामहिम ने अभिभाषण पढ़वाया गया है, सही नहीं है क्योंकि पढ़वाया जाना या बोला जाना तो बोलने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो स्पष्ट यह था कि उन्होंने भाषण दिया।

अब प्रश्न यह होता है कि कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो इस संवैधानिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे माननीय राजबहादुर साहब स्वयं इस कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली में बिराजते थे जिसने इस संविधान को बनाया। बड़ी चिन्ता का विषय है, वह यह समझते थे कि यह सब फार्मेलिटीज ही हो रही हैं तो उन्हें संविधान में कोई ऐसा क्लॉज रखना था, ऐसी बात उनको रखनी थी जिससे महामहिम एक्सटेम्पोर बोलते या हमारे राष्ट्रपति एक्सटेम्पोर बोलते। तो यह जो बात कही जा रही है यह कोई भी महत्व नहीं रखती।

अब प्रश्न इस बात का रहा कि यदि हम इसको निष्पक्ष रूप से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष में हमारे जो बंधु बैठे हैं मैं उनकी इस राय से सहमत हूं that there are so many lapses. इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह लेप्सेज हैं लेकिन उन लेप्सेज का मतलब यह नहीं होता

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

that the particular Chief Minister has left any stone unturned. इस बात को नहीं माना जा सकता है। हम इस चीज को देखें। हम इसका एनेलेसिस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने अपने प्रयास किये हैं या नहीं किये हैं। कहा गया है—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन: । यह बात कही गयी है। मैं यह कहता हूं कि हमें उनके एफर्ट्स देखने होंगे जो एफर्ट्स हमारी गवर्नमेन्ट ने किये। अगर एफर्ट्स सच्चे दिल से नहीं किये और वह अगर इस बात को प्रमाणित करें तो मैं इस बात का कायल हो सकता हूं या इस बात को मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए लेकिन एफर्ट्स सच्चे नहीं किये तो बात चिन्ता की है। आप किन्हीं भी परिस्थितियों को देखें, एक तरफ तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि साम्यवादी सीना खोलकर कहते हैं कि हम सरमायेदारों को खा जायेंगे हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। यह इसी सदन में कहते हैं। दूसरी जगह तो जब एक्चुअली उनका राज्य होगा तब तो खा जायेंगे या क्या करेंगे यह तो ईश्वर ही जाने। लेकिन जब खुल्लम-खुल्ला इस सदन में कहते हैं तो उनका जो व्यवहार है, क्या यह चिन्ताजनक बात नहीं है? यह एक सोचने की बात है। एक तरफ खामियों की बात कह देंगे। हम क्यों उस बात से पीछे हटेंगे? जब आपने सारी बुराइयों की बात कह दी तो खामियों की बातें हम पीछे क्यों रखेंगे? इसलिए मुझे वह खामियों की बात कहनी है लेकिन मुझे उस परिप्रेक्ष में कहनी है कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो लीगल पोजीशन को चाहते हैं। हो सकता है रूस हमको हड़प ले। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो खुल्लमखुल्ला तैयार हो गये हैं विद्रोह करने के लिये? ऐसी हालत में हमें क्या करना है? वैसे यह हमारा विषय नहीं है, हमारे पूज्य नेता का है जिसके हाथ में राष्ट्र मजबूती से चल रहा है और चलेगा, हमें इस बात की आशा है? अब हमारी परिस्थितियां क्या हैं? हमारे ऊपर ऋण है, हमारे ऊपर ओवर ड्राफ्ट है। हमारी हालत यह थी कि हमारे बिजली के जो साधन हैं जहां से हमें बिजली मिल सकती है, जो साधन हैं वे केन्द्र के हाथ में हैं, दूसरों के हाथ में हैं, हमारे हाथ में नहीं हैं अथवा ऐसे साधन हैं जैसे हमारी जो दो इकाइयां कोटा में लगी हुई हैं उन्हें छोड़िये, दूसरी जगह से भी हमें बिजली प्राप्त होती है वह भी दूसरों पर ही आश्रित है जहां से कन्ट्रोल होती है। यह हमारी परिस्थिति है।

इसके साथ सबसे विषम और सबसे खराब परिस्थिति रही है तो वह यह रही है कि तीन-तीन साल से और कहीं-कहीं तो पांच-पांच साल से अकाल इस सारे प्रान्त को घेरे हुए है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यह कौन कह सकता है कि हमारी इस सरकार ने कोई भी अपना कर्तव्य नहीं किया या पालन नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने रात-दिन एक करके इस प्रान्त की बागडोर सम्भाली है और उसको ले करके चल रहे हैं। हमें आशा करनी चाहिये ऐसे गौरव पूर्ण और ऐसे भले आदमी से। हम उनको इतना आगाह जरूर करना चाहेंगे। मैं उनके स्वयं के व्यक्तित्व की बात नहीं करता हूं लेकिन जो दूसरों के व्यक्तित्व की बात करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि मैं मेरे बेटे के द्वारा किये गये जुर्म का सजावार नहीं हो सकता हूं, मैं मेरी औरत के द्वारा किये गये जुर्म का सजावार नहीं हो सकता हूं लेकिन

Page No.103

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)
मेरे पर अंगुली तो उठाई ही जा सकती है। इसलिये यह तो देखना ही चाहिये, हमें हमारे बच्चों को, हमें हमारी औरत को और सम्बन्धियों को आगाह कर ही देना चाहिये।

so far as I am in chair, nothing shall take place, nothing damaging my prestige shall take place. इतना उन्हें कह देना चाहिये। बाकी उनकी तरफ से हम इस बात का विश्वास रखते हैं, जिस ईमानदारी और जिस हौसले से उन्होंने काम चलाया है उससे हमारे इस प्रान्त का गौरव निश्चित रूप से बढ़ा है।

श्री अनंग कुमार जैन : पैसा बटोर रहे हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यदि पैसा बटोर रहे हैं तो वह तो आप लोगों के कहने की बात है। हम क्या कह सकते हैं?

मैं बात कर रहा था अकाल की..।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : आपकी आज्ञा हो तो मैं बीच में ही समाप्त कर सकता हूं। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं में से एक महानुभाव ने कहा है, हम समाप्त कर सकते हैं। मैं सभापति महोदय की आज्ञा को निश्चित रूप से मान सकता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : बीच में समाप्त नहीं करना है, अभी चलाना है दो साल और।

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये आपको।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं अकाल के प्रयत्नों के बारे में कह रहा हूं। चार-चार सालों के अकालों के प्रयत्नों के बाद भी..

(व्यवधान)

हो, वही इलाका है जिसमें हम पीड़ित हैं। फिर समय आ जायगा कि पूरा कर दो। मैं यह कह देना चाहता हूं, सरकार के प्रयत्न वहां अच्छे हैं लेकिन मैंने महामहिम से भी कहा था कि अब 40 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट में हमारे यहां काम होने को बकाया ही नहीं है। हमसे तो चाहे सवेरे खड्डा खुदाइये और शाम को बुराइये, हमें तो 9) रु. दे दीजिये। क्या इसके लिये आप रेडी हैं? सरकार इसके लिये रेडी नहीं है तो हम काम कहां से बतायें? नालियां हमने खोद लीं, सड़कें हमने बना लीं और कोई जगह हमने काम छोड़ा नहीं। वन में पौधे खोद-खोद कर घणे ही लगा दिये। अब हमारे पास काम नहीं है। हमने उन्हें समझाया कि अब स्थिति यह आ गई है कि आप 25-25 रुपये हमको प्रति आदमी दे दीजिये हम इससे सन्तोष कर लेंगे। आपको केवल इन्तजाम देखना होगा और हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन सरकार का जो ढांचा बना हुआ है, इनका जो सिस्टम बना हुआ है, इससे भी मैं दुखी हूं। सिस्टम से कभी आप इधर-उधर डाइवर्ट हो नहीं सकते हैं। तो आप सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं या मशीन हैं, you are simply a machine a moving machine, like a machine. तो हम जब उस पर बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, उसको चलाने वाले व्यक्ति बैठे हैं तब हमें उस सिस्टम को इधर-उधर से पलटना चाहिये। मैं उसके फ्रेम वर्क से अलग नहीं हटना चाहता

Page No.104

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

हूं लेकिन आप जोरा मर्जी, झक मार करके 15–20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, आप 10–12 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था, हमें नौ करोड़ रुपया उधार दें। नहीं दिया। अभी मैं कहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको 15–20 करोड़ रुपये इस जिले में खर्च करने पड़ जायेंगे। लेकिन हम 9 करोड़ मांगते हैं और वह 9 करोड़ रुपया भी हम उधार मांगते हैं। हम आपको वापस दे देंगे। किन्तु वह भी नहीं देते हैं। उनकी दलील है, कहां तक उधार देंगे? आप कहां तक उधार देंगे? आपके अकेले सी.सी. बैंक ने 11 करोड़ रुपया उधार दिया है। उनके खाते देख लीजिये। फिर वहां पर चार बैंक और हैं। एक-एक करोड़ और बाकी बैंकों ने भी दिया है। हम यह कहते हैं कि बैंकों से पैसा आप इस आधार पर दिलवायें, गवर्नमेन्ट इस बात की श्योरिटी दे कि वह पैसा आ जायगा। हमने पिछली बार जो पैसा लिया था उसका 99 प्रतिशत पैसा भर दिया। कोई क्रिटिसाइज भी करे तो मैं कहता हूं, चलिये। 95 प्रतिशत पैसा भर दिया। गवर्नमेन्ट श्योरिटी दे कि जो पैसा आयेगा हम लौटा देंगे। तीन साल का ब्याज गवर्नमेन्ट दे। जहां पर इतना खर्च उठायेंगे, ब्याज का इसका करीब दो करोड़ रुपया होगा, वह भी नहीं देना चाहते हैं। बैंक देने को तैयार है लेकिन आप उनसे निगोसियेट नहीं करना चाहते हैं। कौनसी आपकी दुर्बलता है, कौनसी आपकी मुसीबत है, कौनसी ऐसी चीज है जिसके लिये आप विवश हैं कि इस पैसे को पानी में उड़ायें? फिर आप यहां वहां करके जांच कमीशन बिठा देते हैं कि इन लोगों की जांच करो। हमारी क्या जांच करोगे? हमने तो आपके कहने से पैसों को उड़ा दिया। तुमने कहा और हमने उड़ा दिये। हमारे पास एक कान्ट्रेक्टर था। उसको इंजीनियर ने कहा, इस चूने में बजरी मिला दो। कान्ट्रेक्टर चतुर था। उसने कहा, आपने ही तो कहा था कि कोरा चूना ही लगा देते। कोरा चूना लगाने वाले थे। हम को फिर कहा, कोरा चूना मत लगाओ, इसमें कुछ मिट्टी डालो, कुछ बजरी मिलाओ। अब उसने कितनी बजरी मिलाई, कितनी मिट्टी डाली, अब क्या सारे दिन देखता रहूं? तीन क्विन्टल, पांच क्विन्टल, जितनी चाही डाल दी। आप बैठते हैं सारे घंटे यहां, बता दीजिये। इसलिये मेरा इतना ही कहना है कि अकाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहां क्या सारी जगह कर रहे हैं लेकिन एक बात और बता देता हूं, अकाल की घोषणा करने में और अकाल को समाप्त करने में बहुत ज्यादा पक्षपात बरतते हैं। वह पक्षपात यह बरतते हैं कि हमारे यहां बरसात होती है और काम बन्द कर देते हैं। जहां दो साखें हों, अभी जैसे यहां बरसात तो रात को भी हो गई लेकिन वहां अकाल राहत काम बन्द नहीं होंगे। पानी बरसने से अकाल बन्द होता है। वर्षा होती है तो सर्दियों की फसल बढ़ाने के लिये हो जाती है तो इस प्रकार यह जो...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य: बोलने दीजिये।

श्री सभापति: और बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री देवदत्त तिवाडी : ठीक है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अकाल राहत की बात मैंने कह दी। दूसरा मैं यह कहता हूं कि आप सक्षम हैं इन अफसरों को आप इस सैक्रेटेरियट को संभालिये। In the Secretariat, there is no responsibility on anybody. There must be some body who should be responsible. कोई भी आदमी किसी के प्रति जवाबदार ही नहीं है। जो जवाबदारी का मामला है Nobody is responsible. This I say. आप चले जायें। एक सैक्रेटरी बैठा था। जब मैं चेयरमैन था तब कहीं उसका पेपर तैयार हो गया था। सैक्रेटरी साहब से बोला जाये ? वह बोला, No, No, Chairman Sahib, you know the law of the Secretariat, लेकिन थोड़ा यह बता दूं। Send the paper and send a chaser एक तो पेपर भेजिये उसके पीछे एक आदमी और भेजिये। तब इस चैन से निकलेगा वरना चैन से निकलने वाला नहीं है। बाद में वह अप्रेल में जाकर काम हुआ। मैं यह भी निवेदन कर दूं, सबसे पहले हमारे यहां जो कुछ भी सिलसिला है वह क्या हमारे लिये आदर्श है ? आदर्श किशोर जी सैक्रेटरी बैठे हैं, वह ईमानदार हैं। लेकिन वे आफिसर्स के प्रति दयालु हैं। यह दयालुता किसी काम की नहीं है। इनकी बागडोर खींचिये। आज जिस तरह से सैक्रेटरियट में काम होता है, "Work while you work, and play whileyou play and roam while you roam" जब आपको रोम करना है तो रोम करिये, काम के वक्त काम करिये। चाय वाय आप बन्द कर दें। चाय के टाइम चाय पीजिये। When the time is finished, go to your work. उसके सिवाय नहीं। न बड़े आफिसरों के चाय आये, न छोटे आफिसरों के चाय आये।

एक बात और कह देना चाहता हूं। वह इसलिये कहता हूं कि सारे काम बिगड़ते हैं तो रिश्वतखोरी से बिगड़ते हैं...

एक माननीय सदस्य : उधर कहो।

श्री देवदत्त तिवाडी : उधर किसको कहूंगा ?

श्री सभापति : जो भी कहेंगे आसन को कहेंगे।

श्री देवदत्त तिवाडी : यह बात सही है। मैं आसन को कहूंगा।

सबसे बडी शिकायत यह है, रिश्वत घर कर गई है। हमारे आदमियों को कहते हैं, हाजरी लगाई। पैसा हाजरी का लेते हैं। काम सारा हम करते हैं काम के पैसे तो अलग है। यह हाजरी 'P' लगाते हैं इस बात के पैसे लेते हैं। एक तरीके से यह बात हो रही है। छोटे से छोटे आफिसर को, छोटे से छोटे आदमी को यह अधिकार है कि वह पैसा ले। कम से कम इसे तो मिटाओ। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था कि हम इसको मिटा देंगे। रोज एक धमाका करेंगे। धमाका हुआ। मैं समझता हूं, धमाका यह हुआ कि वे गिर पड़े। बेचारे सही थे। वह खुद तो मिट गये रिश्वत को नहीं मिटा सके। लेकिन हम इसे नहीं मिटा सकते। It is a challenge. हम इसको नहीं मिटा सकते। इसको नहीं मिटा सकते

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

We can only minimise it. It can be minimised even to one percent, but it cannot be eradicated from the system because the system has become so unruly. Why : Because of irresponsibility. मुझे क्षमा करेंगे, आप लोगों ने उनको बहुत ज्यादा निर्भीक बनाया है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमीशन उनको खिलाकर बैठाये जिससे उन ग्राफिसर्स के दिल से यह चीज निकल गई। परन्तु देखिए, कहीं गोली चलानी है, अगर सुपरिन्टेन्डेन्ट यह कहें कि पहले लिख कर दो फिर मैं गोली चलाऊंगा तो गोली चल गई। आफिसर्स के अन्दर जो विश्वास था वह इस तरह की बातों से खो दिया गया है। वह विश्वास इस सिस्टम ने खो दिया है। मैं यह चाहता हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वे इस तरह का विश्वास उनके अन्दर पैदा करें। वे कुछ आदमियों, जिनका नाम नहीं लेना चाहता, को बैठा भी रहे हैं देख देख कर के पोस्टों पर जिससे यह बीमारी निकले। जो अच्छे ईमानदार आदमी हैं उनकी तारीफ करके उनको इनाम दीजिए। ईमानदारों से यह दुनिया खाली नहीं हो गई है। इस सिस्टम में ईमानदार भी बैठे हुए हैं। Let it be understood that he will be praised for it, not that he will be kicked for it.

तो उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। मैं आशा करता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी करेंगे।

अन्त में मुझे कहना तो बहुत था.......

एक माननीय सदस्य : कोई बात नहीं, कहिए।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : सभापति की आज्ञा मानूंगा, आपकी आज्ञा मानना अनिवार्य नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह सच्ची नेक नीयति से दिया है, सारे इलाके में घूम-घूम कर दिया है and it was from the bottom of the heart. मैं इनके इस सम्भाषण की बहुत ही प्रशंसा करता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री बहादुरसिंह जी।

श्री बहादुरसिंह (...नपुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान मैं भी अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। 18 तारीख से आज 24 तारीख तक माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अपने वक्तव्य दिये। राजस्व अभियान के बारे में इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है, यह बात लिखी गई है कि राजस्व अभियान में गरीबों को सब कुछ दे दिया। इस राज में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में शहर में प्रशासनिक अधिकारी गांवों में पहुंचते हैं। वह जैसे गरीबों के लिए पोटलियां बांध कर पहुंचते हैं और गरीबों को दे देते हैं। ऐसी बातें दर्शाई गई हैं। मैं कहता हूं, आदिवासी इलाका भी है। बांसवाड़ा जिले के आदिवासी गरीब लोगों के साथ जो व्यवहार उन लोगों ने किया है वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपने राजस्व अभियान की जो पुस्तिका निकाली कलेक्टर साहब के माध्यम से, उसमें 1 लेकर 21 तक बातें दिखाई गई है। उन

(श्री बहादुर सिंह)

21 बातों में से सबसे बड़ी बात 19 नम्बर की थी। वह गरीब आदमी का शोषण करने वाले थे उनके खिलाफ थी, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात थी। कुछ व्यापारी हैं जो लोगों का शोषण करते हैं। कई लोग ब्याज पर ब्याज लेते जा रहे हैं, पैसा भी पूरा हो गया फिर भी वह रकम नहीं, दे रहे हैं। कई ऐसी शिकायतें आदिवासी काश्तकारों ने, कई सेठों की कीं किन्तु एक भी बात किसी गरीब की इन अफसरों ने नहीं मानी। ऐसे ऐसे कई आइटम हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय की पुस्तिका में लिखा है कि राजस्व अभियान और प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में गांवों में जा करके गरीबों को खातेदारी हक दिया। क्या खातेदारी देने का काम है ? गांव में रहने वाला, ग्राम पंचायत का रिकार्ड रखने वाला एक पटवारी भी खातेदारी हक दे सकता है। तो उसमें एस. डी. एम. को जाने की क्या आवश्यकता है ? उस कैम्प में एस. डी. ओ. तहसीलदार, बी. डी. ओ. और दूसरे विभाग के अफसर जाते हैं तो कितना खर्चा होता है ? क्या बिना भत्ते के वहां पहुंच जाते हैं ? तो यह तो एक छोटी सी बात थी। उन्हें खातेदार हक देना, नामांतरण खोलना, यह तो पटवारी लेवल का काम है, सरपंच लेबल का काम है, ग्राम पंचायत की बैठक में यह बात तय हो जाती है, उसमें खातेदारी खोल देते हैं। छोटी-छोटी बात, दो आइटम सारे, राजस्थान में डेढ़ महीने तक अभियान चलाया गया और करोड़ों रुपये का जो खर्च किया गया, यह बेकार किया गया है। यह विधिवत ढंग से नियम के अनुसार अगर पटवारियों के माध्यम से कराया जाता, ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाता तो इतना खर्च नहीं होता। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की पुस्तिका में यह दर्शाया गया है कि हमने सब कुछ कर दिया है। यह गरीब लोगों के लिए धोखा है। अखबारों में देने के लिए, सरकारी रिकार्ड में लाने के लिए प्रशासन गांवों की ओर बात कही जाती है। यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी बातें भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के तहत कही गयी हैं। शिक्षा के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के शिक्षा मन्त्री महोदय ने राजस्थान के सभी जिलों में, सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में एक-एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी। दूसरी बात यह भी कही थी कि राजस्थान में पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल देंगे या तहसील स्तर पर देंगे। क्या यह भी था उसमें कि राजस्थान के ट्राइबल इलाके, जहां-जहां आदिवासी लोग बसते हैं, जो बच्चे दूर दराज कस्बों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां उनके रहने की सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पर भी ट्राइबल सब-प्लान की तरफ से हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का भी प्रावधान रखा है ? बांसवाड़ा जिले के घाटोल चुनाव क्षेत्र को 5 हायर सैकण्डरी मिले। यह बात सही है। बाकी जहां कस्बे हैं, जहां-जहां सड़कें हैं जहां गैर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां उनकी सुविधा के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं। राजस्थान में जो सबसे पहली पंचायत समिति है जहां ट्राइबल लोग अधिक से अधिक मात्रा में रहते हैं, शत-प्रतिशत, वह पीपलखूंट पंचायत समिति है। वह

(श्री बहादुर सिंह)

सारा बैकवर्ड इलाका है। कोई रास्ता नहीं है, कोई और साधन नहीं है। उस पंचायत समिति को राजस्थान में सबसे पिछड़ी हुई पंचायत समिति मानते हैं, पीपलखूंट में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला था। वहां के विधायक महोदय ने, वहां के प्रमुख महोदय ने यह शिकायत करके कि यह लोकदल का इलाका है, यह आदिवासियों का इलाका है, कभी हमारे लोगों को वोट नहीं देते हैं, कभी हमारे लोगों को वोट नहीं देते हैं, इस हायर सेकण्डरी स्कूल को वहां से हटाकर घाटोल पंचायत समिति, जिसे पहले ही एक हायर सेकण्डरी स्कूल मिल गया था, में दूसरा हायर सेकण्डरी स्कूल नरवाली गांव में खोल दिया। उसमें लड़के भरने शुरू कर दिये थे, पढ़ाई चालू हो गयी थी, सारा स्टॉफ पहुंच गया था किन्तु एक महीने के बाद में उन माननीय सदस्य, जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो घाटोल से जीत करके आये हैं, ने बांसवाड़ा के प्रमुख महोदय ने शिकायत करके पीपलखूंट से हटाकर नरवाली गांव में शिफ्ट कराया। यह कहां का न्याय है? यह राजस्थान में गरीब लोगों की हामी भरने वाली सरकार, आदिवासी क्षेत्र का उत्थान करने वाली सरकार, शिक्षा में वृद्धि करने वाली सरकार का नमूना है। यह पीपलखूंट पंचायत समिति से घाटोल पंचायत समिति के गांव नरवाली में हायर सेकण्डरी स्कूल ले जाने वालों का न्याय है। सारे बांसवाड़ा जिले में अधिक से अधिक हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, सेकण्डरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं हैं। किन्तु जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां बहुत कम हैं। बांसवाड़ा के इर्द गिर्द जो सवर्ण लोग रहते हैं, वह आदिवासियों का फायदा उठा रहे हैं। तो गरीबों को, आदिवासियों को कब फायदा मिलेगा शिक्षा का?

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिले में 1200 से ऊपर गांव अकाल में आये हुए हैं, अकाल ग्रस्त घोषित किये हैं राज्य सरकार ने, किन्तु वहां के लिये बहुत कम काम सेंक्शन किये, जिसमें एनीकट भी हैं, खेतों की मेड़बन्दी भी है और थोड़ी सड़कें भी हैं। राजस्थान सरकार ने एक क्राइटेरिया बना लिया है, अमुक काम पर इतने लोग काम पर जायेंगे। पूरे आदिवासी इलाके, पूरे जिले में 1200 से ऊपर गांव के लोग अकाल की चपेट में हैं किन्तु वहां 14 हजार मजदूरों को काम पर लगाने की घोषणा की। आज करीब-करीब 2 लाख से कम लोग नहीं जो घर छोड़ कर बाहर काम करने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश में चले गये हैं, गुजरात में लोग मजदूरी करने के लिए गये हैं, माही डेम की नहरों पर भी गये हैं। भीड़ होती है जैसे कहीं मेला लगा हो, कहीं हाट लगा हो। ऐसे लोग डिब्बे लेकर, पोटलियां लेकर जाकर 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते हैं, किन्तु माही नहरों पर अधिकारी लोग, ओवरसियर लोग कहते हैं कि आज नहीं कल लगायेंगे, कल नहीं परसों लगायेंगे। प्रत्येक मजदूर से एक हफ्ते के 10 रुपये भी रिश्वत के रूप में लेते हैं मेट के माध्यम से, तब जाकर के कहीं काम पर लग पाते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अकाल की चपेट में आये हुए उन लोगों से भी माही के अधिकारी लोग पैसा वसूल करने की बात करते हैं। या तो पहले पैसा लेते हैं नहीं तो फिर उनको 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद जब भी

(श्री बहादुर सिंह)

पेमेण्ट होता है उसमें से पहले पैसा काट लिया जाता है। फिर उनको काम पर लगा दिया जाता है। बांसवाड़ा माही परियोजना में काम करने वाले मजदूरों के सामने इस प्रकार की दिक्कतें हैं। कौन नहीं जानता ? सब जानते हैं। वहां के अधिकारियों को शिकायत करते हैं, कलेक्टर साहब को शिकायत करते हैं तो कलेक्टर साहब बोलते हैं, भइया, यह तो होता रहता है, क्या करें, किसको कहें किसने देखा। बस गरीबों को इस प्रकार से आश्वासन दे दिये जाते हैं। नरम नरम बातें करके उनको विश्वास दिया जाता है..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर उन लोगों को कैसे तुम लोग जिन्दा रख सकोगे, यह सारी बातें अकाल की वजह से हो रही हैं। वहां के किसानों के लिए इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने जितने अकाल राहत कार्य खोले हैं, उन अकाल राहत कार्यों में हर राहत कार्य पर कम से कम 500 से लेकर 1 हजार मजदूर लगाये जाते होते तो आज उन लोगों का शोषण माही के अधिकारी नहीं करते। माही परियोजना अलग बात है और अकाल की बात अलग है। परियोजना सीधी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। उस परियोजना की बात नहीं करते हुए मैं सीधे अकाल राहत कार्यों की बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले बांसवाड़ा जिले की जनता को देखिये, उन लोगों के बीच जाइये और उनसे पूछिये। जब कभी भी वहां जाने का मंत्री महोदय का प्रोग्राम बनता है,' बांसवाड़ा के बड़े-बड़े डाक बंगलों में जाकर ठहरते हैं। माही डैम देखने के लिए, पांच नम्बर का पावर हाउस देखने के लिए, किसी अच्छे काश्तकार, सक्षम काश्तकार का फार्म देखने के लिए, कोई पंचायत समिति की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, आप गांव से आते हैं, गांव की जनता के वोट लेकर आते हैं और मन्त्री बनने के बाद गांवों को देखना नहीं चाहते ? अफसरों ने जैसे घुमाया वैसे घूम लेते हैं। किसी मंत्री ने आज दिन तक यह नहीं कहा कि मैं इण्टीरियर गांव में जाना चाहता हूं, वहां देखना चाहता हूं जहां झुग्गी झोंपड़ी हो, जहां नदी नाले हों, रास्ता नहीं हो, वहां मैं पांच माइल पैदल चल कर जा करके गरीबों को देखना चाहता हूं। कभी किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री बहादुरसिंह : मुझे दो मिनट और दीजिए। कभी नहीं बोलता हूं। बड़ी मुश्किल से आपकी मेहरबानी से समय मिला है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। फिर माननीय अध्यक्ष ने...

श्री बहादुरसिंह : मुझे दो पार्टी का..

श्री सभापति : यह सब का आ गया।

श्री बहादुरसिंह : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जन जाति विकास विभाग का करोड़ों रुपया आता है, बांसवाड़ा के लिए करोड़ों का बजट बड़ी बड़ी परियोजनाओं में दिया जाता है। वह सीधे न दिया जाकर इस जनजाति विकास के माध्यम से ही खर्च किया जाते तो अति उत्तम रहेगा।

(श्री बहादुरसिंह)

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जनजाति विकास विभाग में न तो कोई इन्जीनियर है, न कोई प्लानिंग है। खाली प्लानिंग आफिसर है, बाकी प्लानिंग अधिकारियों के माध्यम से कोई काम होने वाला नहीं है। जितना भी पैसा वन विभाग को दिया जाता है अगर वाकई डिपार्टमेंट अपना पैसा समझकर काम करे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। सिचाई विभाग में जितना पैसा जाता है वह सिचाई विभाग के अफसरों को, इंजीनियरों को नहीं देकर अगर जनजाति विकास विभाग में इन्जीनियर रखकर सिचाई विभाग से काम करवाया जाता तो अनेक प्रकार के नालों पर बांध बन जाते और आदिवासियों, काश्तकारों को पानी मिलता होता। यह नहीं करते हुए वह सारा पैसा इन लोगों को दे देते हैं। वह तो टैक्नीकल मामलों में जो भी उनके नियम बने हुए हैं किसी रेशो के, उन नियमों का पालन करते हुए बहुत सारे नालों का सर्वे करने के बाद में एकाध नाला पास करते हैं। नहीं तो जहां सिफारिश करते हैं वहीं पास कर देते है। वह अधिकारी बिके हुए हैं। जनजाति विकास के लिए केन्द्र का जो बजट है उसके सही उपयोग के लिए, सही काम पर लगाने के लिए बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ के तहसील के आदिवासियों के काम में अगर लिया जावे तो यह जनजाति विकास विभाग कुछ कर सकता है, अन्यथा केन्द्र का पैसा व्यर्थ जा रहा है। आज दिन तक एक फूटी कोड़ी गरीब किसानों के काम में नहीं आई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा समय और भी आपका लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री बहादुरसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो कि विस्थापितों से संबंधित है। जो मुझे सबसे पहले कहनी थी वह मैं सबसे बाद में कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप संक्षेप में कह दीजिए।

श्री बहादुरसिंह : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

माही डेम। जब माही डेम बना तब साढ़े चार हजार के ऊपर काश्तकार विस्थापित हुए। जो साढ़े चार हजार के ऊपर काश्तकार विस्थापित हुए, पुनर्वास विभाग ने बांसवाडा जिले के ठेठ कोने में उन लोगों के रहने के लिए व्यवस्था नही की। यह सबसे बड़ा नमूना है। अलग-अलग जमीन के कागजों में पट्टे बना करके विस्थापित काश्तकारों तक पहुंचाए। भाई, कैसे काश्तकार वहां जाकर रहेंगे? किसी ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। जो पथरीली जमीनें हैं, कोई टेकरी है, कोई नदी नाले हैं, कोई गांव के बीच में जहां मवेशी खड़ी रहती हैं, वहां जमीन अलाट की है इन काश्तकारों को। यहां कैसे रहेंगे वे लोग, कैसे कब्जा उनको मिलेगा? किसी अधिकारी ने आज दिन तक इन काश्तकारों के पास, इन विस्थापितों के पास जाकर के मौके पर उनको हक नहीं दिया है। उनको मौका नहीं बताया गया है। इस प्रकार की भूल वहां का पुनर्वास विभाग कर रहा है। अब मैं यह चाहता हूं, माननीय वन मन्त्री महोदय यहां विराजमान हैं, बांसवड़ा के इर्द गिर्द गांवों में वन विभाग की जो जमीन थी, उन विस्थापितों ने वहां से झोंपड़ियां हटाकर के वन

(श्री बहादुर सिंह)
विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। आज भी वह विस्थापित के नाते वन विभाग की जमीन पर विराजे हुए हैं। कल यह वन विभाग अगर बदल जाएगा तो इन गरीबों को, इन विस्थापितों को डण्डे मार-मार कर के हटायेंगे, झोंपड़ियां जलायेंगे तो उनकी क्या हालत होगी ? जब वहां से डिपार्टमेंट हट जाएगा, सारा सब कुछ-पानी भी रोक लिया जाएगा, सब होने के बाद उन गरीबों को, उन विस्थापितों को, उन आदिवासियों को जमीन नहीं मिलेगी तो वन विभाग वाले झोंपड़ियां जलायेंगे, डण्डे मार-मार कर हटायेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है ?

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों ने नाजायज कब्जा वन विभाग की जमीन पर किया है उस जमीन को वहीं मौके पर देख कर के रेगुलराइज कर दें। कोई इमारती लकड़ी नहीं है, कोई वन उतरे जैसी जमीन नहीं है और काबिल काश्त जमीनें हैं इसलिए जिन काश्तकारों ने, विस्थापितों ने जमीनें घेर ली हैं वह उनके नाम से रेगुलराइज की जायं। नियमों में कोई भी परिवर्तन करना पड़े, केन्द्र से भी अगर आदेश लेना पड़े तो वह लें और उन विस्थापितों ने जो भी वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जे किये हैं उन काश्तकारों को वहीं जमीन दी जावे। मेरा इतना ही निवेदन था।

आपने मुझे जो समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह राठौड़।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने जो कार्य किये हैं वह बहुत ही जनकल्याणकारी हैं और बहुत ही सराहनीय हैं। इस एक वर्ष में इन्होंने जो भी उपलब्धियां की हैं वह गरीबों और किसानों की सेवा करने को राज्य सरकार ने खास तौर से यह ध्यान रखते हुए की हैं कि गरीबों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का जो विरोध करने का तरीका है उसको छोड़कर अगर वह रचनात्मक विरोध करते तो हमें बेहद खुशी होती। लेकिन विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों का रचनात्मक सोचने का तरीका नहीं है। उनकी राजनैतिक विचार-धारा कुण्ठित हो चुकी है। ये मात्र विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की उपलब्धियां इन्हें बरदाश्त नहीं होती हैं। ईर्ष्या की वजह से विरोध करते हैं। तीन चार दिन से कोई भी रचनात्मक विरोध नहीं आया है। या तो व्यक्तिगत लांछन लगाए गए या वही घिसी पिटी बातें कही गईं या भ्रष्टाचार की बातें कही गईं। मैं विरोध पक्ष से यह पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार थी तब भैरोंसिंहजी शेखावत ने यह कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा कर छोड़ूंगा किन्तु भ्रष्टाचार ही आपने सौ गुना बढ़ा दिया था। गांवों के अन्दर सेठ, साहूकार, जागीरदार प्रतिक्रियावादी तत्व, अधिकारी थे। उनका आपके राज्य में इतना जुल्म और भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि कोई कानून और कायदा नहीं रह गया था। बिल्कुल कोई भी व्यवस्था नहीं थी। हमें बेहद खुशी होती अगर आप

Page No.112

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

रचनात्मक विचार रखते। हमें खुशी होती और सरकार भी विचार करती।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : गरीबों के साथ क्या हो रहा है, यह आपको पता है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है।

श्री शिवदान सिंह राठौड : आप थोड़ा धैर्य रखिये। मैं उसी बात पर आ रहा हूं....

श्री हीरालाल आर्य : गरीबों के साथ क्या हो रहा है यह आपको पता क्या है ?

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री शिवदान सिंह राठौड : आप थोड़ा धैर्य रखिये। इन बातों में क्या धरा है। आप थोड़ा सुनने का माद्दा रखें।

श्री हीरालाल आर्य : आपको पता नहीं है कि गरीब आज कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शिवदान सिंह राठौड : विरोध पक्ष ने केवल एक विरोध किया है कि राज्यपाल का अभिभाषण केवल आंकडों का मायाजाल है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौनसा तरीका है जिसके अन्दर आप यह जान सकते हो कि इसमें सफलता हुई या नहीं ?

श्री अनंगकुमार जैन : मुख्य मंत्रीजी ने सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की हां भर ली है शायद।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी ने कोआपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की हां भर ली है क्या ? अरे, कोआपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की हां भर ली है क्या मुख्य मंत्री जी ने ?

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री अनंगकुमार जैन : मुख्य मंत्री ने हां, भर ली होगी। एम. आई. रोड़ पर...

श्री सभापति : कृपया आप इण्ट्रप्ट मत कीजिए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय।

श्री शिवदान सिंह राठौड : मैं कहता हूं कि आपके सोचने का तरीका रचनात्मक नहीं है। आप कोई सच्ची बात सुन नहीं सकते। आपको सच्ची बात बर्दाश्त होती नहीं है। जो सच्ची बात, कड़वी बात है उसे सुनिये। कभी आपका मौका आये तो उस पर ध्यान देना। तो मैं यह निवेदन रहा था कि आज चार दिन से विरोध कर रहे हैं कि आंकड़ों को मायाजाल है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है कि आप बिना आंकड़ों को उपलब्ध कराये पता लगा सकें कि हमने क्या कार्य किया, कैसा किया ? बिना आंकड़ों के इस दुनियां में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप यह जान सकें कि हमने क्या किया। एक साल पहले

Page No.113

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

हम कहां थे, अब कहां हैं और आगे जा करके हमें क्या करना है। आंकड़ों के द्वारा ही यह जाना जा सकता है और आंकड़े देने में वे लोग हिचकिचाते हैं जिन्होंने काम नहीं किया हो। आप कहते हैं, हमने बहुत सारे काम किए। बहुत क्या किए, आप बतलाइये। आप कहते हैं, हमने यह किया, जनता पार्टी के टाइम में यह किया। आपने यह तो जरूर किया या जागीरदारों को बढ़ाया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : गांवों में प्रत्यक्ष बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : गांवों में प्रत्यक्ष बोल रहे हैं वह काम तो।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : तभी तो आप हार गए वरना हारते नहीं। आपके आंकड़े नहीं थे इसलिए गांवों में आप हार गए वरना आपकी सरकार इधर बैठी होती। अभी आप उधर बिराजे हो।

तो, आंकड़ों के अलावा, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे हम यह जान सकें कि हमने क्या काम किया या नहीं किया। भाषण बहुत से दे सकते हैं कि हमने यह किया। क्या किया आपने, यह बताइये आंकड़ों में। आंकड़े ही नहीं हैं। काम किया हो तो बतायें। केवल इस बात पर विरोध किया है, आप कोई लांछन इस सरकार पर नहीं लगा सके हैं। सरकार ने बहुत प्रगति की बीस सूत्री कार्यक्रम के मामले में जो प्रशासन गांव की ओर गया उसमें सरकार ने सब तरफ काम किये हैं, गरीबों को लोन दिया है, रहने के मकान के लिए जमीन दी है, सब्सिडी दी गई है, खाद बिकवाया गया है, शिक्षा के लिए स्कूल खोले गये हैं, अध्यापक लगाए गए हैं सड़कें बनाई गई हैं। आपने ढाई साल में विद्युत् उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने विद्युत् उत्पादन बढ़ाने का सोचा। आपने कनेक्शन दे दिये लेकिन विद्युत् उत्पादन बढ़ा नहीं सके। जिसका दुःख आज किसान को भुगतना पड़ रहा है। आज आप चाहते हो, किसान दुःखी है। दुःखी आपकी वजह से है। आपने ढाई साल में खूब गांव इलेक्ट्रिफाई कर दिये, आपने गांवों में कुओं पर खूब कनेक्शन दे दिये लेकिन बिजली उत्पादन पर आपकी नजर नहीं गई। जिसका नतीजा यह हुआ आज किसान तकलीफ पा रहा है। फिर भी हमारी सरकार, बहुत ज्यादा अपना बजट इस पर लगा रही है कि पावर जनरेशन हमारा कैसे बढ़े, और सरकार ने काम किये हैं। क्या आप चाहते हैं कि गरीबों को लोन नहीं मिले? क्या आप चाहते हैं, उनको रहने के लिये मकान नहीं मिले? क्या आप चाहते हैं, उनको छप्पर के लिये पैसा नहीं मिले? क्या आप चाहते हैं; उनको सब्सिडी नहीं मिले? यह काम गलत किया है सरकार ने निश्चित तौर पर, अगर आप यह मानते हैं; सरकार ने यह काम गलत किये हैं तो इसका मतलब है, आप किसानों का, गरीबों का फायदा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हो कि जागीरदारों, राजाओं को पैसा दिया जाये, जिन सेठ साहूकारों के पास

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

हवेली है, उनको पैसा दिया जाये। उनके लिये सरकार काम नहीं कर सकती है। हमारी सरकार किसानों और गरीबों के लिये काम करती है। उनके लिये उसने काम किया है। अगर आप यह नहीं चाहते हो और यह मानते हो कि इनको दिया है वह गलत काम किया है तो हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री तेजपाल यादव : यह तो आर.एस.एस. के लिये पैसा चाहते हैं, वह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आर. एस. एस. किसी से पैसा मांग कर नहीं चलता।

श्री **सभापति** : कृपया माननीय सदस्य को भाषण देने दीजिये।

श्री **शिवदानसिंह राठौड़** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष के सदस्यों को दस गिलास पानी के मंगवा दें आप।

सभापति महोदय, राजस्थान में चार साल से अकाल की स्थिति चल रही है। पैसे की सरकार के पास कमी है। फिर भी सरकार ने फेमिन कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है, किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया। रोजगार चलाये। जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी, उनको रोजगार दिया। फेमिन के कार्य खोले। उसमें यह भी देखा कि भ्रष्टाचार नहीं हो, साथ ही विकास के काम हों, स्थायी तरीके के काम हों। सरकार ने जो कुछ कार्य किये हैं, मैं उनकी बहुत-बहुत सराहना करूंगा।

उसके साथ-साथ मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारा जो प्लान का तरीका आज तक चला आया है, सरकार उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रही है और बहुत अच्छी तरह से उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब समय आ गया है जिस यथास्थितिवाद में चल रहे हैं उसको छोड़कर कुछ क्रांतिकारी कदम उठायें। हमारी योजना का जो लक्ष्य है उससे शहरों का बेहतर विकास हो चुका है। शहरों में करोड़ों रुपया लग रहा है। In Comparision to city गांवों में पैसा नहीं लगा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अब जो प्लान के बारे में सोचा जा रहा है, या सरकार का जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह गांवों, किसानों और गरीब लोगों पर मुख्य तौर से खर्च हो। सरकार का सारा पैसा, सारी योजना किसानों, गांवों के मजदूर, गांवों की तरक्की में लगना चाहिये सिटीज का विकास बहुत हो चुका है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आप साल दो साल के लिये सिटी का विकास रोक दें। हमारे सोचने का तरीका है, जिस प्रकार हम प्लान बनाते हैं, उसमें बेसिक चेंज कीजिये, बिल्कुल डिफरेंट कीजिये। आप खुद प्राथमिकताएं तय कीजिये। गांव के लोग आज तक यह चाहते हैं, हालांकि 30 साल में पहले जो जमाना था, उससे कांग्रेस के शासन ने गांवों में बहुत तरक्की की। आज गांवों के लोग काफी खुशहाल हैं, चार साल से फेमिन पड़ने के बाद भी आज हमारे मारवाड़ के लोगों को गांव छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले एक दफा फेमिन पड़ जाता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज गांवों में रोजगार, यातायात के साधन, बिजली के साधन इतने बना दिये हैं कि लोगों को गांव छोड़ कर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। चार साल से फेमिन होते हुए भी इस साल गांव के

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

लोगों ने गांव खाली नहीं किये हैं, वहीं बैठे हैं, उनको वहां साधन मिल रहे हैं। जिनके पास साधन नहीं उनको सारे साधन उपलब्ध कराये हैं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा अपनी सारी योजना को गांवों की ओर, किसानों, मजदूरों को लक्ष्य करके सारा पैसा वहां ले जायें। कुछ इस प्रकार की योजना हैं जिनसे गांव, किसान और मजदूरों को फायदा नहीं मिलता है। उनमें निश्चित रूप से आप कटौती कीजिये, मेरा यह सुझाव है। गांवों में आज हमारे स्कूल चल रहे हैं, दूसरे शहरों में स्कूल चल रहे हैं, यह सारा काम आप दो साल के लिये बंद कर दीजिये। हम चाहते हैं, गांवों में सबसे पहले बिजली उपलब्ध करायें। आपका जनरेशन बढ़, मैक्जिमम पैसा आप उसमें खर्च कीजिये कि गांवों को बिजली पहुंचे। जब बिजली पहुंचेगी तो किसानों को फायदा होगा, वहां इण्डस्ट्रीज बढ़ेंगी, उद्योग बढ़ेंगे, उनसे गांव वालों की माली हालत बहुत इम्प्रूव होगी। हमारे लोगों की हालत अपने आप इम्प्रूव हो जायेगी। सबसे पहले हमारे गांवों की आवश्यकता है बिजली। इसलिये बिजली पर भयंकर कंसनट्रेट कीजिये।

मैं यह कहना चाहूंगा, हमारे कार्पोरेशन राज्य सरकार ने खड़े किये हैं। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? जितने भी हमारे कार्पोरेशन हैं इनको खड़ा इसलिए किया गया, सरकार ने सोचा जब इस प्रकार का धंधा करके प्राइवेट सैक्टर नफा कमा सकता है तो क्यों नहीं सरकार भी यह धंधा करके पैसा कमाये ताकि गरीबों पर टैक्स कम हो। रिजल्ट यह हुआ, जितने भी हमारे कार्पोरेशन हैं, अनुभव यह कहता है, सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं, उनमें करोड़ों के लासेज हो रहे हैं। वह लॉस पूरा करने के लिये हमें आम लोगों पर टैक्स लगाना पड़ता है। जो हमारी विचारधारा थी, हम कार्पोरेशन खड़े करके इससे पैसा कमाकर लोगों से टैक्स कम लेंगे, इस के बजाय यह हुआ कि इन कार्पोरेशनों को चलाने के लिये इन सफेद हाथियों के घाटे को पूरा करने के लिये आम लोगों पर टैक्स लगाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे 10-20 साल के तजुर्बे के आधार पर कार्पोरेशन कामयाब नहीं हो पाये, या हम इम्प्रूव नहीं कर सके, या इनको प्रोफिट में नहीं ला सके हैं, तो इनको आप बंद कीजिये। लोगों पर टैक्स लगाया जाता है, इन कार्पोरेशन के घाटे को पूरा करने के लिये। वह इनडायरेक्टली जाकर पड़ता है गांव के गरीब, किसान और मजदूरों पर, इसलिए इन कार्पोरेशनों को आप बंद करा दीजिये एक साल के लिये। मैं तो कहूंगा, आप शिक्षा को बंद कर दीजिये, स्कूलों में छुट्टी कर दीजिये। सारे मास्टरों और पटवारियों को बिजली जनरेशन के काम में लगा दीजिये जिससे गांव की आर्थिक उन्नति हो, हमारे गांवों के लोगों के पास पैसा आ जाय। आप आज शिक्षा पर 120 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। एक साल के लिए स्कूल बन्द कर दें तो हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सब कर लेंगे यह 120 करोड़ रुपया आप बिजली पर लगा दें। रोडवेज के घाटे को पूरा करने के लिये टैक्स लगाते हैं उसका पैसा आप बिजली पर लगा दीजिए। दूसरे जितने भी कार्पोरेशन्स घाटे में जा रहे हैं हटाइये उन को, प्राइवेट सैक्टर को दे दीजिये ठेके पर और इस पैसे को गांवों में, गांवों के विकास पर लगाइये। सबसे

Page No.116

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

पहले अगर बिजली मिलती है तो किसान और मजदूरों की माली हालत सुधरेगी, उनके पास पैसा होगा, गांवों में उस पैसे का रोटेशन होगा, और मजदूर को भी मिलेगा। हर आदमी को पैसा मिलेगा। कोई मकान बनायेगा, कोई फर्नीचर बनायेगा। गांव में पैसे का रोटेशन बढ़ जायगा, माली हालत बढ़ेगी। उसके बाद आप पीने के पानी की व्यवस्था कीजिये। तीसरे नम्बर पर शिक्षा, सड़क और चिकित्सा है। आप इन सारी योजनाओं को मेहरबानी करके साल दो साल ताक में रख दीजिये। आप पांच चीजों की प्रायोरिटी तय कीजिये। पहली बिजली, दूसरी पीने का पानी, तीसरी यातायात के साधन, चौथी शिक्षा और पांचवीं चिकित्सा। बाकी योजना एक दो साल के लिए बन्द कीजिये। उसके बाद वापस शुरू कीजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये और बढ़ा दी जाय।

श्री सभापति : सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (यातायात राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, आधे घंटे के लिये सदन की कार्यवाही का समय और बढ़ाया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक घंटे के लिये बढ़ाओ, बढ़ाना है तो।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आधा घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय आधा घंटे के लिये बढ़ाया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले प्रस्ताव मेरा आया था। पहले मैंने रखा था प्रस्ताव, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आधा घंटे के लिये है फिर और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दिया जायगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की यह सराहना करूंगा कि गत वर्ष जो 340 करोड़ रुपये का हमारा प्लान था उसे इस साल 410 करोड़ रुपय का रख रहे हैं जो करीब 25-30 प्रतिशत आगे बढ़ा है। मेरा निवेदन है कि इस पैसे को जो मैंने आपको प्राथमिकताएं निवेदन की हैं, उन प्रायोरिटीज पर खर्च कीजिये ताकि गांव के लोग, किसान और मजदूरों की माली हालत बढ़े, ताकि राजस्थान का विकास हो सके।

इसके साथ ही मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। गांवों में एग्रीकल्चर सीलिंग लागू कर दी गयी, किसान के पास ज्यादा जमीन थी, तो राज्य सरकार ने ले ली। मैं उस कदम की सराहना करता हूं कि वह जमीन लेकर आपने गरीबों को

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

आवंटित की लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार का खास तौर से इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस प्रकार किसान की इनकम की सीलिंग की है, क्यों नहीं शहरों में अरबन प्रापर्टी सीलिंग लागू करें? आपका अरबन सीलिंग का एक्ट इतने वर्षों से लागू किया हुआ है, लेकिन आज तक अरबन प्रापर्टी सीलिंग के बहुत कम निर्णय किये गये हैं। शहरों में करोड़ों रुपयों की लोगों के पास प्रापर्टी है, करोड़ों रुपये की जमीन लिये हुए बैठे हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन पर कोई सीलिंग नहीं है। आज तक अरबन सीलिंग लागू नहीं की गई। मैं खास तौर से राज्य सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार किसान के एग्रीकल्चर लैण्ड सीलिंग लागू की गई, उसी प्रकार शहरों के रहने वाले लोगों पर अरबन प्रापर्टी सीलिंग लागू कीजिये। जिन लोगों के पास फालतू जमीन पड़ी है, उस सारी जमीन को लेकर जो गरीब झोंपड़ियों में बैठे हैं उनको बांटें। मेरा यह निवेदन है कि यह भेदभाव एग्रीकल्चर लैण्ड और अरबन प्रापर्टी के अन्दर क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है, जो गांवों के रहने वाले लोग हैं उनकी लाबी नहीं है, उनका लाबिंग नहीं हो रहा है और शहरों के जो बुद्धिजीवी लोग आ गये हैं वह लगातार रोड़े अटकाये हुए हैं। मैं साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार सहन नहीं हो सकता। जिससे 20 रुपये की आमदनी नहीं उस पर भी सीलिंग और जहां 50 करोड़ की जमीन है उस पर कोई सीलिंग नहीं। कानून बनाने के बाद भी उन बदमाशों की जमीन आज नहीं ली जा रही है। जो कानून गांव के लोगों के लिये लागू है वही शहर में रहने वाले लोगों के लिये भी हो।

इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन के जो कार्य चल रहे हैं उनमें कुछ छोटी नगरपालिकाओं के क्षेत्र हैं जो 2-4-5 साल से बनी हैं और जिनकी 10-15 हजार से ज्यादा आबादी नहीं है, जो सी श्रेणी की हैं। इस प्रकार की बहुत सारी नगरपालिकाएं, जो गांवों की तरह हैं के क्षेत्र के ज्यादातर लोग मजदूरी, खेती करते हैं, कोई दूसरा धन्धा उनका नहीं है। जैसे मेरे क्षेत्र में जैतारण, नीम्बाज आदि नगरपालिका हैं, जो छोटी नगरपालिका है जहां 70 प्र.श. लोग खेती मजदूरी करते हैं वहां इसलिये फेमिन कार्य नहीं खोले जा रहे हैं कि वह नगरपालिका क्षेत्र है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र में फेमिन कार्य स्वीकृत करें ताकि लोगो को रोजगार मुहैया हो सके।

सभापति महोदय, एक और निवेदन है कि तीसरी श्रेणी की सारी की सारी नगरपालिकाओं को एक ही श्रेणी में ले लिया है। उनके क्षेत्र में कच्ची बस्ती वालों के लिये भी रेगुलराइजेशन दर 5 रुपये कर रखी है। इसका क्लासिफिकेशन और किया जाय। जिन जमीनों की एक सी वेल्यू नहीं है आज सादड़ी, सुमेरपुर और रायपुर के नगरपालिका क्षेत्र में जमीन का भाव एक नहीं है। सुमेरपुर में जमीन 500 रुपये गज है और रायपुर में 50 रुपये

Page No.118

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

गज़ से भी लेने को तैयार नहीं । तो यह डिफ़रेन्स है । आपने नगरपालिकाओं का वर्गीकरण किया है इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां की कच्ची बस्ती वालों के रेगुलराइजेशन के लिये भी इसी प्रकार का वर्गीकरण किया जाय और उन गरीब लोगों को राहत दी जाय ।

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कन्वर्शन के बारे में । यह सारे नगरपालिका क्षेत्र से प्राब्लम आ रही है कि आज जो कन्वर्शन की रेट है उसके अनुसार कोई पैसे जमा कराना चाहता है तो आपके राजस्व अधिकारी एक पर्टिकुलर डेट के बाद उसकी फाइल नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने फ़ाइल जमा कराने की तारीख निश्चित कर दी है । वह डेट जा चुकी है इसलिये फाइल नहीं लेते । तो एक तरफ तो सरकार ने कानून बना रखा है कि कन्वर्शन का पैसा जमा करा दिया जाय तो सरकार कन्वर्शन कर देगी दूसरी तरफ कन्वर्शन अधिकारी कहते हैं कि डेट जा चुकी है । अगर कानून में खामी है तो इस खामी को निकालें और तारीख निश्चित कर दी है उसे हटायें । आप तो यह रखिये कि आज की डेट में जो भी पैसा जमा करता है उसकी फाइल कन्वर्शन के लिये ली जायेगी और नियमानुसार कन्वर्शन किया जायेगा । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

मुझे जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा । इसको पढ़ने और देखने से लगता है कि राज्यपाल महोदय ने इसे पढ़ा ही नहीं । राज्यपाल महोदय भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं । आपको याद होगा कि दिसंबर, 1982 में, दो महीने पहले ही भूतपूर्व सैनिक लीग की मीटिंग हुई । इसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर श्री लखपतसिंह ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि

(5.5 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति पदासीन)

वह दो लाख भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्य करने में असमर्थ रही है । उनका कहना है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो नियम बने हुए हैं 18 प्र. श. नौकरियों में रखने और 70 प्र. श. आर. ए. सी. में रखने के लिये, उनको राजस्थान सरकार पूरा नहीं कर रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है । उन्होंने चेतावनी भी दी है कि राजस्थान सरकार भूतपूर्व सैनिकों के इस असंतोष के रुख को समझे । वह भी राजस्थान की जनता के अभिन्न हिस्से हैं । उन्होंने यह भी कहा कि यह बड़ी दयनीय स्थिति है कि उनके सम्मेलन के उद्घाटन तक के लिये कोई मंत्री आने नहीं आते । यह दो साल से हो रहा है । तो, सभापति महोदय, यह स्वाभाविक है । भूतपूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते वह यह बात कभी अपने मुंह से नहीं कह सकते थे । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं है ।

Page No.119

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति और भी खराब है। जयपुर जिले के गांव रोपाड़ा में सन् 1970-71 से भू.पू. सैनिक ने जमीन, जबकि वह जमीन फ्री की थी, के अलाटमेंट के लिये एप्लाई किया। वह लैण्डलेस शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है। जब से दरख्वास्त देना शुरू की, एक आदमी ने उसे भूमि पर एन्क्रोचमेंट किया। उसको हटाया गया पुनः दूसरे ने एन्क्रोचमेंट किया। यह मैं रोपाड़ा की बात बता रही हूं। कोई अधिकारी या मंत्री महोदय चाहें तो नोट कर लें। परन्तु वह जमीन भूतपूर्व सैनिक शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को अलाट नहीं की गई। वर्तमान में एक अधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, वह भी भूतपूर्व सैनिक हैं–श्री जालिमसिंह। अधिकारियों की खींचातानी और स्थानीय राजनीति के कारण उनको अपाइन्टमेंट नहीं मिला। जब मिला तो जोइन नहीं कराया। 11-11-82 को उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। आज तक उसके वेतन का निर्धारण नहीं हुआ और वह कहां जोइन करे, उसको कोई जानकारी नहीं दी।

पोकरण में, आपको मालूम है, कुछ शूटिंग एक्सरसाइजेज चान्दमारी की होती है, जो प्रोटेक्टेड क्षेत्र होना चाहिये। राज्य सरकार कम से कम उस एरिया को तार से प्रोटेक्टेड कर देती ताकि बच्चे, महिलाएं, दूसरे लोग वहां पहुंचते रहते हैं उनके खतरे की आशंका से भी राज्य सरकार बेखबर है।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले जनगणना के माध्यम से जनसंख्या के आंकड़े आये हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के बहुत से नागरिक हमारे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस गये हैं। जनसंख्या के आंकड़े देखेंगे तो जहां राज्य की जनसंख्या पिछले 10 वर्ष से 24 प्र.श. बढ़ी वहां हमारे बोर्डर एरियाज में, स्पेशली बाड़मेर और जैसलमेर में 37 प्र.श. बढ़ी है। यह भरोसे के काबिल बात नहीं है कि जनसंख्या बच्चे पैदा होने के कारण से बढ़ी होगी। वहां निश्चित अवैध रूप से सीमा पार से लोग आकर रह रहे हैं और भावी आशंका है कि बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। उनकी वजह से यह जनसंख्या बढ़ी है पर सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने अन्दाज लगाया है कि करीब 400 लोग प्रतिवर्ष औसतन बोर्डर क्रास करके पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आ रहे हैं और राजस्थान में बसते जा रहे हैं। आसपास के बोर्डर एरिया के दूसरे प्रोविन्सेज से भी राजस्थान आ कर बस रहे हैं। इसके अतिरिक्त धौलपुर आदि दूसरी जगह उनको बसाया जा रहा है या वे स्वयं ही बस रहे हैं। न केवल पाकिस्तान से, यहां तक कि बंगला देश के लोग भी राजस्थान में आकर बस रहे हैं और हमारी सरकार बेखबर है।

आज आसाम पर आंसू बहाते हैं, बहाने की बात भी है। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, अगले 10 वर्षों में राजस्थान आसाम नहीं बन जायेगा उपरोक्त परिस्थिति में, इसकी क्या गारन्टी यह सरकार दे सकती है? यदि सरकार अपने प्रदेश की सुरक्षा तक के लिये ध्यान नहीं देती, जबकि अधिकारियों ने बहुत निवेदन किया है कि हमारे पास सिपाही नहीं है, प्रोपर फोर्स नहीं है, पूरी मात्रा में सामग्री नहीं है।

(श्रीमती विद्या पाठक)
मगर इसके प्रति सरकार बिल्कुल बेखबर है। यह आज हमारी सुरक्षा और राष्ट्र का बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर आज के दिन विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों की ओर की बड़ी चर्चा की, बहुत बड़े बड़े आंकड़े बताये गये हैं। सामने वाले माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं वे उसी किताब के आंकड़े हैं उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग क्षेत्रों में गये हैं और हमारा अनुभव है। मैं तो कहती हूं कि यह राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ इतना बड़ा धोखा है, फ्राड है जिसको देखकर ये लोग चाहे स्वयं अपने मन में प्रसन्न हो लें लेकिन वास्तव में क्या हुआ है; इसकी जानकारी इनको हम ही दे सकते हैं। ये स्वयं भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इनके अधिकारी भी इनको देने वाले नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी और पुलिस जनता के लिये सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस राजस्व अभियान में इन्हीं लोगों की चांदी हुयी है। निश्चित मानें, माननीय सभापति महोदय, जैसा राजस्व अभियान किया गया है, जयपुर जिले के ग्राम लूणीयावास में लोगों ने मुझे कहा, एम. एल. ए. साहब, आप क्या कर सकते हैं? यहां तो रेट तय हो गयी है। यहां पर सब पहले ही तय हो गया है, यह कुछ भी नहीं होने वाला है। जो अधिकारियों ने स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मिलकर आंकड़े, कागज तैयार करवा लिये हैं उसी पर सरकारी अधिकारियों ने उन्हीं इर्रेगुलेरिटी पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गयी है, सरकारी मोहर लगा दी गयी है। उसी को कन्फर्म कर दिया गया है। गांवों में जो रिकार्ड जाना चाहिए था वह रिकार्ड कम्प्लीट नहीं था, इसके लिये समय ही नहीं दिया गया था। जहां पर रिकार्ड ले भी जाया गया था तो वह वहां पर पहुंचा नहीं। जहां पर पहुंचा दिया गया था वहां पर अधिकारी ही नहीं गये। यह मैं अपने क्षेत्र की भी बात बता रही हूं। मुझे ऐसे बहुत से केसेज का पता है। प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में रिकार्ड ही पूरा नहीं ले जाया गया था, पहुंचा ही नहीं और अगर पहुंचा तो अधिकारी नहीं पहुंचे। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो गरीब कल रो रहा था वह तो आज भी रो रहा है। प्रशासन गांव की ओर जाय या व्यक्ति प्रशासन की ओर जाय पर कोम्बीनेशन आफ पेटर्न तो वही है ना? वही पटवारी है, वही पुलिस का आदमी है। सभापति महोदय, जब तक इसके लिये पहले से ही पूरी तैयारी नहीं की जाती है, अधिकारी लोग रिकार्ड को तैयार नहीं करवाते हैं, रिकार्ड पूरा करके नहीं पहुंचते हैं तब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। जहां तक जन प्रतिनिधि को सूचना देने का सवाल है तो वह भी समय पर नहीं दी गयी है। मेरे स्वयं के पास में 8 फरवरी, 1983 को पहली बार पिछड़े को पहले वाली किताब पहुंची थी, लेटर अवश्य एक बी. डी. ओ. की तरफ से जारी किया हुआ आ गया था। लेकिन और विस्तृत जानकारी पहुंची 8 फरवरी को और 15 फरवरी को राजस्व अभियान समाप्त होने वाला था। इस कारण सूचना के अभाव में बहुत सी जगहों में जाना सम्भव नहीं हो पाया। अधिकारी प्रभावशाली लोगों की बातों को मानकर उनके ही पक्ष में निर्णय करते गये, यह जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। उस अभियान में गरीबों

(श्रीमती विद्या पाठक)

के केसों को डिसाइड नहीं किया गया क्योंकि वहां पर प्रभावशाली लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट हो गये थे। उन्होंने केस को अदालत तक अधिकारियों की मिली भगत से पहुंचाने की स्थिति में ला दिया। एस.डी.एम. भी यही कहता है कि यह मामला अदालत में चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि एस.डी.एम. की अदालत है और उसी की अदालत में केस चल रहा है, एस. डी. एम. स्वयं उपस्थित है, वहां पर विभाग का सारा रिकार्ड भी मौजूद है लेकिन यह निर्णय उसी कमरे में आकर करेंगे। ऐसा किसी राजस्व अभियान के नियम में लिखा हुआ था क्या ? नहीं। परन्तु ऐसा हुआ है। अब जो राज्य सरकार चाहती है उसके लिये मैं पुनः पहले से निवेदन करना चाहूंगी कि भगवान के लिए अदालतों को गांवों में न ले जायें। अगर गांवों में अदालतों को भेज दिया तो कोई रिड्रेस ही नहीं रहेगा। अभी तो प्रशासन से दुःखी होकर वह अदालतों में जा सकता है, अगर अदालतों को गांवों में भेज दिया तो कहीं रिड्रेस ही नहीं होगा। इसका भगवान ही मालिक है। फिर कहीं रिड्रेस मिलने वाला नहीं है।

मैं दो तीन छोटे-छोटे उदाहरण देना चाहूंगी कि यह राजस्व अभियान चलने से पहले भी गांव का गरीब रोता था और आज भी रो रहा है। आपके राजस्व अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ढाई या तीन साल हो गये, मेरे क्षेत्र में अजयराजपुरा एक बड़ी जगह है, उसके लिये स्कूल में एक प्ले ग्राउन्ड का अलाटमेन्ट हुआ था लेकिन वह केस आज तक तय नहीं हुआ है। टोडी रमजानपुरा जगतपुरा में सन् 1972 से जिसने कि पैसे भी जमा करा दिये हैं परन्तु उसको अलाटमेंट पत्र नहीं मिला है। उस महिला का नाम श्रीमती दुर्गा कुमारी है वह विधवा है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। चार साल में दो राजस्व अभियान हो गये मगर लूणीयावास में बगराना का रास्ता नहीं खुला। दो बार वहां पर अनेकों अधिकारी मौका देख करके आये हैं परन्तु वह रास्ता नहीं खुल सका है। यह है आपका राजस्व अभियान और यह है उसकी प्रगति। इसी प्रकार रोपाणा गांव का रास्ता खुलवाने के लिये वहां के लोग परेशान हो गये, दुःखी हो गये। जब भी रास्ते को खुलवाने की बात की गयी रास्ता और सकड़ा होता गया। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्व अभियान की तस्वीर है। हमारे राज में जो राजस्व अभियान चला था उसमें एक अलाटमेंट गलत हो गया। 2 अक्टूबर, 77 को अलाटमेंट दूसरी पंचायत का हुआ जबकि मामला दूसरी पंचायत का था। यह भी एक उदाहरण है कि उस गलत अलाटमेंट के केन्सिलेशन के लिये एस. डी. एम. ने कलेक्टर को 79 में लिखा परन्तु वह अलाटमेंट आज तक कैंसिल नहीं हो सका। अलाटमेंट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन गलत अलाटमेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं ? माननीय सभापति महोदय, पता नहीं किस तरह से सरकार इस राजस्व अभियान की सफलता का दावा करना चाहती है।

इसी तरह के बहुत सारे इस तरह के केस भी हैं। एक उदाहरण और देना चाहूंगी। एक पंचायत है जयसिंहपुरा जयपुर जिले में, वहां के सरपंच महोदय हैं अनुसूचित जाति के। पांच साल पहले उन्होंने एक जमीन, जब वहां के सरपंच थे लादूराम मीणा, एक अनुसूचित जाति वाला अपनी जमीन उसके यहां

(श्रीमती विद्या पाठक)

गिरवी रखना चाहता था पर सरपंच लादूराम ने उस व्यक्ति को बहकाकर के, धोखा देकर के उस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी अपने बेटे के नाम। अन्या बलाई उसको भी उस जमीन के पैसे देने को तैयार है। उस राजस्व अभियान में मैं भी गयी थी। कायदा तो यह था कि राजस्व अभियान के नियमों के मुताबिक मौके पर ही उसको जमीन वापस दिलवा दी जाती। अगर उसको अपना उधार दिया पैसा चाहिए था तो उसको पैसा दिलवा दिया जाता। हालांकि पांच साल उसने खेती उस जमीन पर की है इसलिये पैसा तो वह इस प्रकार से वसूल कर चुका है। मगर वह जमीन उस व्यक्ति को नहीं दिलवायी गयी। मेरे सामने का वाकया है। कलेक्टर महोदय ने उस शिकायतकर्ता को पूछा कि तुम्हारा इस जमीन में क्या इन्ट्रेस्ट है और अगर तुम ज्यादा बात करोगे, शिकायत करोगे तो मैं इसको सिवाय चक घोषित कर दूंगा, यह भ्रष्टाचार व मनमानी का सीधा और स्पष्ट केस है।

और यह है आपके राजस्थान के राजस्व अभियान की नंगी तस्वीर। सभापति महोदय, ये ही नहीं है इसी तरह के और भी गांवों में ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती का लगान खुद देते हैं, जिनकी पास बुक उनके पास है और जो बिजली बिल व अन्य फीस खुद देते हैं परन्तु गांव के कुछ दादा, गांव के एन्टी सोशल एलीमेंट्स, प्रभावशाली व्यक्ति और अधिकारियों के साथ मिलकर के उनके खेतों में खेती खुद कर रहे हैं, और गरीबों को बरबाद कर रहे हैं। उनकी शिकायतों को अगर नहीं सुना जाता है तो ऐसे प्रशासन का गांवों में जाने का क्या मतलब है? इसका कोई मायने नहीं है। एक जमीन बाढ़ मोहनपुरा में 729 खसरा नं. 194 बीघा दो बिस्वा एकही जाति के बड़े-बड़े भूमिधारी लोग उस पर काबिज हैं। ढाई साल से इस केस को मैं परश्यू कर रही हूं। सरकार ने कहा कि केबीनेट को गया हुआ है, सरकार को गया हुआ है। निर्णय कब होगा? जब हम इसे भूल जायेंगे या हम परश्यू करते-करते थक जायेंगे या फिर उनको बिलकुल चुपचाप अलॉट कर दी जायेगी। सभापति महोदय, सम्बन्धित अधिकारी बगरू और सांगानेर में तो राजस्व अभियान के अन्तर्गत पहुंचे हो नहीं आज भी मेरे को नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र में लिखा है वे आपकी पार्टी के हैं। बगरू में कोई भी अधिकारी तहसीलदार के अलावा गया ही नहीं। सांगानेर में राजस्व अभियान में कोई अधिकारी गया ही नहीं। सारे दिन लोग इन्तजार में बैठे रहे। ये लोग फिर जनता को समझाते क्या हैं? सारा दिन लोग इनकी इन्तजार में वहां पर बैठे रहे इसके बावजूद यह कहा जाय कि राजस्व अभियान बहुत सफल रहा और उसके यहां पर ये बड़े भारी आंकड़े पेश करते हैं?

मैंने राजस्व मंत्री महोदय से 31 दिसम्बर को निवेदन किया था कि आप राजस्व अभियान एक तारीख से चला रहे हैं लेकिन जे.डी.ए. के परिपेक्ष में आपने क्या तय किया मैंने उनसे पूछा कि जिन गांवों को जे.डी.ए. के अधीन दे देना चाहते हैं उन गांवों में नामांतरकरण की, अलाटमेंट की इन सब की क्या स्थिति होगी। मंत्री महोदय ने जवाब कोई स्पष्ट नहीं दिया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

मैंने उनको निवेदन किया कि कुछ समय के लिए इसको सस्पेण्ड करिये पर वह कार्यवाही नहीं की गयी, नतीजा यह हुआ कि अनेकों गांव में राजस्व अभियान में कोई नामांतरण, कोई अलाटमेण्ट नहीं हुआ, कोई काविज खाली नहीं हुआ......

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समय का ध्यान रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ में किसी ने यह सब नहीं कहा, मैं कोई बिन्दु रिपोट नहीं कर रही हूं। थोड़ा सा समय देने का कष्ट करें। अधिकारी फाइलों का पेटा भरते रहें और अधिकारियों का पेट ग्रामीण भरते रहें, यह एक ऐसी अनोखी बात है, विचित्र बात हुई है जो भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है। दारुएं पी गयीं, दावतें उड़ायी गयीं, गांव के लोगों को झूठ कहकर कि मौका मुआयना करने जा रहे हैं सीधे जयपुर आ गये वह अधिकारी लोग। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है, अखबारों में बॉक्स न्यूज बनी है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में 4 तारीख को भीलवाड़ा में एक केस सुलझाया गया जिस के सम्बन्ध में 56 पेशियां पड़ चुकी थीं। माननीय सभापति महोदय, 15 साल पुराना केस एस.डी.एम. के यहां चला हो, जिसकी 56 पेशियां पड़ गयीं, उसको राजस्व अभियान में सुलझाया गया। यह तो उस अभागे ग्रामीण का सौभाग्य है। पर मैं उस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उस अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की जिसने 15 साल उस केस को अटकाये रखा? यह कार्यवाही राजस्व अभियान की सार्थकता होती? यदि उस पर एक्शन लेते? परन्तु ऐसा नहीं किया गया। पेंशन की बातें हुई, लोगों को फार्म दिये गये उसके लिए पर फोटोग्राफर नहीं ले जाये गये। बॉण्डेड लेबर के लिए किसी ने अभियानों में पूछा नहीं। हर जागीरदार, बड़े किसान के यहां गरीब किसान बॉण्डेड लेबर है। पर उसके लिए कोई जानकारी नहीं की गयी। गरीबी की रेखा के नीचे के लोग छांटे गये। माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रजेंस में यह हुआ। 81–82 में छांटे 10 प्रतिशत लोगों को भी जो कि गरीबी की रेखा के नीचे वालों में से छांटे थे, उनको कोई लाभान्वित नहीं किया गया। 1982-83 में अब और छांटे जा रहे हैं मैंने जब पूछा, पुराने केस बताओ। आपने क्या लाभान्वित किया है। कहते हैं लोग लोन लेना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लोन लेना चाहते? कहते हैं वह लाभान्वित नहीं होना चाहते? जब लाभान्वित नहीं होना चाहते ऐसों का नाम ही क्यों छांटा। अगर नाम छांटा तो उनके लाभ की स्थिति बताओ। वह कहते हैं उन पर रिकवरीज निकल रही हैं। तो यह पहले क्यों नहीं नोट किया गया। यह क्या कोई कार्यवाही हुई जिसको कार्यवाही के नाम पर कुछ कह सकते हैं। करोड़ों की भूमि नगरपालिकाओं और पंचायतों में अनआथोराइज्ड ऑक्यूपेशन में पड़ी है। आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं। इस योजना के अन्तर्गत पेड़ लगाओ अभियान, इसकी बहुत चर्चा की गयी है। पर आपको मालूम है कि छबड़ा में कितने पेड़ पड़े-पड़े

Page No.124

(श्रीमती विद्या पाठक)

सूख गये। जो आपने सरपंचों को दिये हैं। अखबारों में बॉक्स न्यूज आयी है। माननीय सभापति महोदय, अभियान चलता रहा, पेड़ कटते रहे, जिसकी लोगों ने, ग्रामीणों ने शिकायत की कि बबूल के व इस तरह के पेड़ खेती को नुकसान करते हैं, पर वही प्लांट लगाये जा रहे हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि खेतों से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, दूसरों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, पुलिस को रिपोर्ट की जा रही है। कोई कार्यवाही नहीं। पेड़ों का संरक्षण आप करेंगे?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समय का ध्यान रखें।

श्रीमती विद्या पाठक : मेरी समझ में 5-10 मिनट में कोई दूसरा बोल नहीं पायेगा। मुझे समय देने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि गरीबों को छप्पर के नाम पर मेरे क्षेत्र में 40 मकान बनने थे और उन 40 मकानों के लिए जगह तक भी आइडेन्टिफाई 11-11-82 तक नहीं की गयी। जयपुर ग्रामीण विकास प्राधिकरण की यदि आप मिनिट्स उठाकर देखेंगे, आपको जानकर अफसोस होगा। इस वर्ष जयपुर जिला विकास के संदर्भ में 25वें नम्बर पर है। यह गणना 26 जिलों के आधार पर की गयी है। धौलपुर के आधार पर नहीं की गयी है। लोगों को रोजगार के लिये जानवर दिलवाये ताकि वह उन जानवरों से दुग्ध प्राप्त करें और उनसे अपनी आजीविका चलायें। पर हुआ क्या? जानवर किसी और को दिलवाये पेमेण्ट किसी और को उठवाया। इसमें साजिश कई अधिकारी व प्रभावी लोगों की है। ऐसे कई केसेज जयपुर जिले में रिपोर्टेड हैं। मेरे क्षेत्र का भी एक केस, मैंने इसके सम्बन्ध में टेक-अप कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, अलाटमेन्ट राजस्व अभियान में किसको हुए? बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के अधिकारी श्री राठौड़ को, जिन्होंने पिछले अभियान में भी जमीन अपने नाम अलॉट करायी थी, जिनके पास और भी जमीनें अलॉट होना बतायी जाती हैं? इस तरह से लोगों को जमीनें अलॉट की गयीं हैं। यह तस्वीर आपके राजस्व अभियान की है, मेरा चैलेंज है कि इसको कोई चैलेंज कर दे।

माननीय सभापति महोदय, पंचायतों के व अन्य चुनाव के बारे में बात हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे। हम डैमोक्रेटिक हैं। चुनाव पर खर्चा कितना हुआ, यह तो बताइये? कितना आपको केन्द्र से मिला और राज्य सरकार के हिस्से में से कितना खर्च हुआ? यह तो बताइये। उसमें कितने चुनाव जरूरी थे? कितना अधिक खर्च किया गया? क्या इसकी जानकारी रखी है? मैंने यह प्रश्न पिछली बार भी दिया था। इस बार भी दिया है। कोटपूतली का गांव जवर, उसमें पंचायतों के चुनाव हुए। अखबारों में तस्वीर छपी है। स्टाम्प लगे, मोहर लगे मत पत्र, उसकी तस्वीर अखबारों में छपी है। उसके बाद आपने क्या किया? क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? उस पर मैंने पिछले साल भी क्वेश्चन अवाइड किया, इस साल भी। उसको कोई कार्यवाही, मैं नहीं सोचती, आपने की जो होनी चाहिये थी। अखबार में देखते ही कार्यवाही होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। 30 जनवरी, 81 को बहुत बड़ा स्टण्ट हुआ....

श्री **सभापति** : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, अभी समाप्त करती हूं। 5 मिनट में कोई दूसरा नहीं बोल सकता।

श्री **सभापति** : नहीं, कई और माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट का ही समय है। मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, 30 जनवरी, 81 को पंचायत सम्मेलन, बीकानेर में बुलाया गया बहुत से अधिकारों की बात भी हुई। यहां जो जवाब दिया गया वह उचित नहीं था कि अधिकारों की घोषणा वहां नहीं की गयी। मिडिल स्कूल दिये जायेंगे, पंचायतों को अधिकार दिया गया है, डिस्पेंन्सिरीज का सारा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 5 हजार तक के इण्डस्ट्रीज की स्वीकृति की शक्ति उनको दी जायेगी। 5 हजार तक का चारा उनके डिस्पोजल पर होगा। सुनती हूं कि 2 लाख प्रति पंचायत समिति वहां लेके स्थानीय डवलपमेण्ट के लिए भी उनकी स्वेच्छा के लिये दिया जा रहा है। पर, माननीय सभापति महोदय, इनकी सबकी प्रशासनिक स्वीकृति का क्या हुआ? कितने सरपंच आज इसका उपयोग कर रहे हैं? हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो सरपंच लोग से जब बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले की व्यवस्था थी आज तक वह भी नहीं रही। क्योंकि आदेशों की किताब सरकार द्वारा निकाल दी गयी है और हम अपनी व्यवस्था कोई कर नहीं सकते। तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। उससे उस विषय में चल रही व्यवस्था थी उसी में आपने घोंचा मारा है। पर आप अपनी व्यवस्था भी तो कर नहीं पाये। आपने एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था की है। पंचायतों को देने की बात है। हैण्ड पम्प पंचायतों को हैण्ड ओवर कर दिये गये। उनमें से 80 प्रतिशत जयपुर में खराब हो गये। ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। पी.एच.ई.डी. कहती है हम नहीं कर सकते, सरपंचों को हैण्ड ओवर कर दिये हैं, सरपंच कहते हैं हमारे पास कोई टैक्नीकल नो हाउ या और किसी तरह की जानकारी नहीं है जो ठीक कर सके। यह जो स्थिति बनी हुई है इससे इन्होंने कन्फ्लिक्ट को ही प्रोवोक किया है। क्या बी.डी.ओ. प्रधानों का झगड़ा, अधिकारों का झगड़ा, कन्ट्रैक्ट का झगड़ा, कई कई मसलों का झगड़ा। नगरपालिकाओं में ई. ओ. और चेयरमैन, म्यूनिसपैलिटी का झगड़ा है, उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुलझाने की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है। जयपुर जिले में लोग 150 रु. प्रति खेती वसूल कर रहे हैं प्रति खेत के हिसाब से कि हम बिजली स्वीकृत करायेंगे। अरे, बिजली स्वीकृत करवाने की भी एजेन्सी बना ली है क्या? माननीय सभापति महोदय, इस बात को भी माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगी कि इसको भी नोट करें। जैसा अभी आपको बताया कि लास्ट बट वन नम्बर जयपुर जिले के विकास का है। राशि यूटिलाइज आप कर नहीं पाये। नवम्बर-दिसम्बर मंथ तक भी दो-दो महीनों में करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, यह स्वयं आपके सोचने की बात है। स्कूल स्वीकृत नहीं है, पर भवन बन रहे हैं। भवन और स्कूलें नहीं हुई मगर एफिलिएटेड स्कूलों के ना

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर स्कूल चल रहे हैं पर उनकी कोई नीति निर्धारण नहीं है ताकि उसका लाभ हम भी उठा सकें। यह तो आपाधापी चल रही है। किस तरह से चलेगा काम। जहां तक, जैसा मैंने अभी बताया, रिकवरीज का जहां तक प्रश्न है, बैंक भी रिलक्टैण्ट हैं, इन लोगों और इनके कहने से ग्रामीणों को लोन्स देने में क्योंकि रिकवरी की पोजीशन बहुत खराब है। इसी तरह गोबर गैस प्लांट, की बहुत चर्चा हुई है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ। जयपुर जिले में सैकड़ों प्लांट स्वीकृत हुए मगर 10 भी लगे हुए नहीं। पिछले 2 सालों में। धौलपुर की बात, जहां से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय आते हैं, 82-83 में 11 गोबर गैस प्लांट जब स्वीकृत हुए सरकार द्वारा 11 का पैसा चुका भी दिया गया है। मगर जब उसकी कभी जांच वहां की, यह पाया गया कि केवल एक चल रहा है। उसके यूटिलाइजेशन को क्यों नहीं सरकार ने देखा? कौन पैसा ले गया? गोबर गैस प्लांट क्यों नहीं लगे? सवाई माधोपुर में उसके लिये 378 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। 173 को स्वीकृत किया गया। 157 को ऋण दिलवाया गया। लगेंगे इनमें से कितने? सैंक्शन कितने हैं? 350 इनमें से एक्चुअली ऋण उपलब्ध करवाया गया है 157 को पर कितने लगेंगे? अगर धौलपुर के एक्जाम्पल को फॉलो करने लगे तो राज्य में कितने लगेंगे? यह विकास के नाम पर आपाधापी, अनुदान के नाम पर दान, जिसको आप के लोगों को दिलवाना चाहते हैं। इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, बीकानेर में इनकी पशु पालन की इन्स्टीट्यूशन चलती है उसमें बच्चे खरगोशों को स्वयं संस्था में मार दिया गया हाइड्स के लिए। अखबारों में आया है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रही। इसी तरह,–माननीय सभापति महोदय, कुओं के निर्माण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक मुझे भी शिकायत, मैं इस बात को भी पॉइन्ट आउट करना चाहूंगी। जब आप उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले सभी यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रेम्पेन्ट है। लोगों ने उदाहरण भी, दिये, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी परन्तु एक शब्द भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं भ्रष्टाचार के विरोध में। ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी को किस तरह से पनिश करेंगे? इसके बारे में कोई विचार नहीं है। क्या कारण है कि एफ. आई. आर. के लिए प्रस्तुत चन्दलाई सरपंच और लाखना सरपंच की रिपोर्ट आज भी 6 महीने से मंत्री महोदय के पास पड़ी है। क्या कारण है कि ए.सी.डी. से महापुरा सरपंच की रिपोर्ट पर आज भी बिना किसी तरह के एक्शन के लिए दबाई पड़ी हुई है ....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय माननीय सदस्या के भाषण समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, आठ बार जिसकी जांच सी.आई.डी. और पुलिस कर चुकी है। इसी तरह का खोघाटी बस्सी पंचायत समिति का एक गांव का एक केस, उसके बाद भी पुनः उस केस को खोला जा रहा है उसकी राजस्थान में मिसाल नहीं है, माननीय सभापति महोदय, जो केसेज

(श्रीमती विद्या पाठक)

पुलिस को रिपोर्ट किये जाते हैं वह आमेर की पुलिस तो इन्वेस्टीगेट करके चोरों को पकड़ सकती है, बस्सी की पुलिस भी सांगानेर में आकर के पकड़ सकती है परन्तु हमारे जयपुर जिले के सर्किल ऑफिसर, श्री मदन सिंह उनको पकड़ नहीं सकते। क्योंकि उनको सुनते हैं बड़ी पहुंच है। यह सिर्फ लोगों से ही सुना है किन्तु मेरी आशंका भी है।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार से सम्बन्धित रेकार्डों की फाइल का गायब होना कोई छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से भ्रष्टाचार से सम्बन्धित और सरकारी पर्चेज से सम्बन्धित फाइलें कितनी कितनी और कहां-कहां गायब हुई, अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी जे. डी. ए. में जो अवैध इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित फाइलें थी गायब हैं, माननीय सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सांगानेर में कितनी जमीन चरागाह की है और कितनी दूसरी जमीन है जो सरकार के आधिपत्य को है-उसकी सम्बन्धित फाइल गायब है। कितने प्लाटों को तोड़ने के आदेश दिये थे, यह भी मैंने प्रश्न पूछा था पर फाइलें गायब हैं। वह कहते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद की खरीद की फाइलें, डिसीप्लनरी एक्शन से सम्बन्धित फाइलें.....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये . .

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, फाइलें गायब हैं। माननीय सभापति महोदय मैं संक्षेप में अपनी बात अभी समाप्त करती हूं।

कुछ फाइलें बरकरार हैं और बहुत प्रोटेक्टिवली रखी जा रही हैं, मंत्री इच्छा की फाइल यह जरूर सुरक्षित बनी हुई है, उसमें शायद क्लर्क ही मारा जाय उसकी चिन्ता नहीं है, मंत्रियों द्वारा शासन सचिवों को ऐसे आदेशों की फाइल जो नहीं दिये जाने चाहियें थे ऐसी फाइलें जो मुख्य मंत्रीजी को भी पुट-अप की गई थीं। इस तरह की फाइलें बहुत सुरक्षित हैं। इसी तरह से पी.एस. सी. में सिफारिश कैसे हो सकती है? ऐसी भी फाइल इनके यहां सुरक्षित है। पी.एस. सी. को सिफारिश, केन्द्रीय मंत्री के लिखे पत्र; इस तरह के लेटर्स और डिजायर्स उनकी सभी फाइलें बहुत सुरक्षित हैं, पर गांव का आदमी, शहर का आदमी दु:खी है पर उससे सम्बन्धित फाइलें गायब करवा दी गई हैं, गायब नहीं हुई है अपने आप। तो, माननीय सभापति महोदय, न केवल ऑफिसर पिटवाये, जन प्रतिनिधि भी पिटवाये, पत्रकारों की पिटाई हो रही है, मजिस्ट्रेट हैरेश किये जा रहे हैं और यह सब सरेआम सड़कों पर हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि राज्य में गुण्डा एक्ट चल रहा है और पूरे स्टेट में चल रहा है, गुण्डा एक्ट के साथ साथ यह गुण्डाइज्म करवा रहे हैं इसके लिये सरकार नहीं तो कौन दोषी होगा, माननीय सभापति महोदय, सरकार इसका जवाब दे।

महिला हूं और महिलाओं की बात करना चाहूंगी वर्किंगवूमेन होस्टल की बात आज सदन में हुई। वह 71 से लेकर अब तक ; इस तरह के होस्टल जिन पर 55 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार ने खर्च किये जवाब दिया जा रहा यद्यपि एक भी नहीं चल रहा है और कहेंगे तो वह भी किसी पोस्टमैन को

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरह केन्द्रीय सरकार के आगे को पास कर देंगे केन्द्र को। क्यों नहीं सरकार यह सोच सकती कि जयपुर में वर्किंग वूमेन हॉस्टल होना चाहिये, कोटा में वर्किंग वूमेन हॉस्टल होना चाहिये ? क्या महिला विरोधी सरकार है यह, महिलाओं के वोट इनको नहीं चाहिये ? उनके वोट से नहीं जीते ? महिला सदन और मानसिक पीड़ित गृह आज जितने भी हैं वह भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, कितनी ही महिलाओं को मार डाला गया। एक काम उन्होंने जरूर किया है कि एक नियम बनाया कि 2 हजार रुपये अनुसूचित जाति और जन जाति की महिलाओं को देंगे जो बलात्कार की शिकार होंगी–शेम ऑन दी गवर्नमेंट, माननीय सभापति महोदय, अगर यह रेट्स लगाती है महिलाओं की तो सरकार और अनैतिक अड्डे चलाने वालों में क्या फर्क है ? 2 हजार रुपये और एक महिला पर बलात्कार की कीमत। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है।

श्री सभापति : समाप्त करिये, जो कुछ कहना था वह तो आपने कह लिया...

श्रीमती विद्या पाठक : अभी तो कहने को बहुत है पर मैं संक्षेप में ही अपना बात समाप्त करुंगी.....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने आधे घंटे से ज्यादा समय ले लिया है अब आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्रीमती विद्या पाठक : पर माननीय सभापति महोदय, आप विलोव करेंगे कि मैंने एक भी चीज रिपीट नहीं की है। फिर मुझे बोलने.....

श्री सभापति : आपकी विद्वता में तो कोई संदेह नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक: माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत मामूली हूं कोई विद्वता नहीं है। मेरी जानकारी में जो है वह सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं....

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त करिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही समाप्त करुंगी।

माननीय सभापति महोदय, एशियाड की बड़ी चर्चा हुई। पर माननीय सभापति महोदय, इसमें भी भ्रष्टाचार। जो काम पी. डब्ल्यू. डी. का होना चाहिये वह इरिगेशन करेगा और पी. डब्ल्यू. डी. ? वह केवल एक काम करेगा कि सिर्फ नाव के लिये शेड बनायेगा। जो काम जिसका है वह उस विभाग से क्यों नहीं करवाया जाता ? दिल्ली में यहां से लड़कियां भेजी गईं, खूबसूरत लड़कियां छांटके भेजी गईं––टेलेन्ट नहीं चाहिये। दिल्ली भेजी खेल के लिये व नाच के लिये भी भेजी बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है लड़कियों के साथ वहां क्या हुआ ? यह अखबार में और आप हमसे छुपा नहीं है। उनमें पता नहीं राजस्थान की कोई लड़की उन अभागों में थी या नहीं थी यह सरकार बताने की पोजीशन में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिये इन्होंने कुछ नहीं किया। जहां पोलोटेक्नीकल का सवाल है, जिसकी कई बार यहां पर चर्चा कर चुके हैं। महिलाओं के पोलोटेक्नीक है यहां पर शास्त्री कॉलेज में, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और कहीं

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरी से तीसरे कॉलेज में करते हैं और कोई ध्यान भवन या स्टाफ की ओर नहीं गया। मैंने स्वयं ने संस्था को देखा है। तो यह महिला विरोधी दृष्टिकोण जो सरकार का है। इसको निन्दनीय कहा जा सकता है। इससे ज्यादा हमें नहीं कहना है।

लेकिन, सभापति महोदय, जे. डी. ए. की बात 48 हजार मामले मंत्री महोदय ने यहां पर रूपान्तरण के बताये जिनकी एप्लीकेशन्स आई हैं, जो अन्डर कन्सीडरेशन हैं। छः महीने में कितने मामले सुलझाये जा चुके हैं, उनमें से कितने रेग्युलराईज हो चुके हैं यह बताने की पोजीशन में सरकार है। पिछले 6 महीने में जे. डी. ए. ने जिन ग्रामों की जमीन ले ली थी–उसका क्या किया यह बताने की पोजीशन में नहीं उनमें आज भी अतिक्रमण हो रहे हैं, आज भी गृह निर्माण सोसायटीज बन रही हैं। 1 फरवरी, 1983 को एक मीटिंग हुई थी मैंने भी उसे अटेण्ड की है। मैंने अपना नोट आॅफ डिसेन्ट भी भेजा है। मैं एग्री नहीं कर रही हूं कि जितनी एग्रीकल्चर लेण्ड है उसको आवासीय में, आवासीय को कामर्शियल में और कामर्शियल को आवासीय में, होटल व सिनेमा हॉल बिना स्वीकृति बन रहा है उसको रेगुलराइज कर रहे हैं ऐसा आपाधापी इस अंधी सल्तनत में हो रही है बहुत निन्दनीय है और मैं कहना चाहती हूं कि यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण स्वयं राज्यपाल महोदय पर फ्राड है, यह सरकार की तरफ से फ्राड है इसीलिये किसी भी स्थिति में इसे मेरी सहमति नहीं मिल सकती है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की बैठक कल दिनांक 25 फरवरी, 1983 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक म. प. 5 बजकर 38 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 1983 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची)

प्रपत्र (अ)

चकवार की गई सिंचाई का विवरण

क. सं. 1	नाम चक/वितरिका 2		सी. सी. 3 (सी. सी. ए.) 3	सिंचाई वर्ष 1981–82 एकड़ों में 4
	लिफ्ट नहर सीधे मोघे			
1.	1.750	आर	120	122.53
2.	1.835	एल	250	150.71
3.	8.300	एल	210	101.54
4.	13000	एल	140	56.71
5.	16400	आर	345	195.67
6.	16600	एल	30	21.50
7.	21000	आर	140	127.57
8.	28000	एल	205	69.44
9.	28000	आर	260	163.03
10.	35000	आर	350	55.80
11.	35000	एल	200	69.23
12.	64200	आर	502	317.12
13.	64200	एल	653	338.08
14.	79200	एल	656	100.42
15.	85300	आर	312	132.06
16.	85300	एल	273	100.22
17.	92600	आर	567	211.00
18.	92600	एल	302	195.25
19.	99125	आर	718	150.79
20.	103000	आर	622	107.75
21.	103000	एल	267	109.59
22.	110000	एल	205	79.75
23.	113340	आर	108	79.59
24.	117475	एल	205	136.62
25.	172200	एल	535	25.34
26.	196200	आर	406	153.53
27.	230000	आर	340	234.69
28.	232600	एल	560	203.06
29.	235000	आर	525	284.85
30.	239935	आर	360	218.69

1	2	3	4
31.	244000 आर	496	122.22
32.	244000 एल	500	61.47
33.	247000 आर	471	47.37
34.	247800 एल	400	91.25
35.	249200 एल	512	122.86
36.	251800 आर	504	112.51
37.	253000 आर	425	81.03
38.	258300 आर	480	25.09
39.	258300 एल	450	108.69
40.	263200 एल	371	140.44
41.	264030 आर	310	102.25
42.	266472 आर	604	145.63
43.	269600 एल	643	105.63
44.	272000 आर	646	185.25
45.	273150 एल	445	148.38
46.	274200 आर	772	171.38
47.	275500 आर	761	147.87
48.	276600 एल	722	430.63
49.	277600 एल	643	320.75
	278000 एल	—	127.88
50.	280500 एल	343	170.25
51.	282200 आर	608	218.00
52.	282600 एल	400	132.25
53.	286400 आर	750	193.25
54.	289850 एल	475	233.75
55.	290700 आर	790	260.3[illegible]
56.	291700 एल	584	173.95
	293400 एल		
57.	294500 आर	500	577.28
58.	295200 एल	417	157.50
59.	298800 आर	638	95.75
60.	299600 आर	370	116.25
61.	300700 एल	406	193.88
62.	301700 आर	432	389.88
63.	302000 आर	415	140.63
64.	303900 एल	818	290.00
65.	308200 एल	507	131.50
66.	346900 आर	163	45.88
67.	355100 आर	613	–
68.	355500 आर	270	–

1	2	3	4
69.	362000 एल	507	–
70.	381700 एल	735	167.75
71.	409150 ग्रार	505	44.75
72.	415250 ग्रार	265	25.63
73.	407500 एल	620	182.75
74.	417500 ग्रार	765	92.75
75.	425600 एल	953	172.13
76.	431100 एल	328	66.75
77.	433100 एल	300	7.50
78.	439000 ग्रार	791	7.38
			10902.64

फुलेजी माइनर

1	2	3	4
79.	1 पी. एच. एम.	312	152.21
80.	2 "	700	305.08
81.	3 "	720	348.66
82.	4 "	406	116.12
83.	5 "	422	168.51
84.	6 "	234	96.87
85.	7 "	422	131.22
86.	8 "	300	134.59
87.	9 "	256	97.95
88.	10 "	185	89.63
89.	11 "	256	74.54
90.	12 "	675	100.86
91.	14 "	393	46.00
			1861.44

चारण डिस्ट्रीब्यूटरी

1	2	3	4
92.	1 सी. एच. डी.	260	98.38
	2 "		
93.	3 "	315	62.87
94.	4 "	240	38.75
95.	5 "	416	60.25
96.	6 "	435	64.25
97.	7 "	412	44.13
98.	8 "	223	41.63
99.	9 "	410	23.00

1	2	3	4
100.	10 सी.एच.डी.	285	27.00
101.	11 ,,	551	31.63
102.	12 ,,	265	29.00
103.	13 ,,	440	17.00
104.	14 ,,	315	13.00
105.	16 ,,	135	28.00
106.	17 ,,	196	35.00
107.	16 ,,	387	–
			633.89
	चारण माइनर		
108.	1 व 2 सी. एच. एम.	194	42.50
109.	3 ,,	390	109.50
110.	4 ,,	150	46.75
111.	5 ,,	281	38.88
			237.63
	मलकीसर डिस्ट्रीब्यूटरी		
112.	1 एल. के. डी.	302	127.47
113.	2 ,,	517	109.81
114.	3 ,,	148	60.06
115.	4 ,,	530	82.81
116.	5 ,,	399	62.13
117.	6 ,,	801	157.00
118.	7 ,,	477	57.25
119.	9 ,,	422	34.88
120.	10 एम. के. डी.	593	112.88
121.	11 ,,	360	24.62
122.	12 ,,	312	27.13
123.	13 ,,	327	3.00
124.	14 ,,	365	55.22
125.	15 ,,	400	19.63
126.	16 ,,	525	40.06
127.	17 ,,	360	34.06
128.	18 ,,	242	2.00
129.	19 ,,	306	23.25
130.	20 ,,	480	16.94
			1050.10

1	2	3	4
	मलकीसर माइनर		
131.	1 एम. के. एम.	460	62.91
	2 ,,	—	
132.	3 ,,	227	46.94
133.	4 ,,	210	43.94
134.	5 ,,	490	97.88
			251.67
	लूनकरनसर डिस्ट्रीब्यूटरी		
135.	1 एल.के.डी.	366	36.38
136.	2 ,,	398	71.00
137.	3 ,,	457	144.94
138.	4 ,,	409	112.19
139.	5 ,,	335	136.38
140.	6 ,,	218	106.50
141.	7 ,,	295	118.53
142.	8 ,,	223	64.38
143.	9 ,,	324	94.63
144.	10व12 ,,	625	151.28
145.	11 ,,	588	119.21
146.	12 ,,	342	27.25
147.	13 ,,	509	29.44
			1262.14
	भाडेरा डिस्ट्रीब्यूटरी		
148.	1 बी. एच. डी.	500	90.50
149.	2 ,,	363	181.88
150.	3 ,,	372	60.00
151.	4 ,,	211.60	29.63
152.	5/6 ,,	729	129.62
153.	7 ,,	410	67.69
158.	8 ,,	646	165.75
159.	9 ,,	454	113.50
			838.57

1	2	3	4
	भाडेरा माइनर		
160.	1 बी. एच. एम.	722	92.50
161.	2 "	330	69.38
162.	3 "	644	57.13
163.	4 "	413	20.38
164.	5 "	248	24.63
165.	6 "	660	16.94
166.	7 "	185	–
167.	8 "	480	4.00
			284.96
	फूलदेसर माइनर		
168.	1 "	304	41.63
169.	2 "	422	68.25
170.	3 "	465	125.75
			235.63
	डेलाना डिस्ट्रीब्यूटरी		
171.	1 डी. एल.	425	143.75
172.	2 "	382.5	128.25
173.	3 "	720	253.25
174.	4 "	350	136.00
175.	5 "	447	122.38
176.	6 "	443	69.12
177.	7 "	493	72.63
			903.38
	डूलमेरा माइनर		
178.	1 डी. एल. एम.	170	43.00
179.	2 "	193	71.25
180.	3 "	330	49.88

1	2	3	4
181.	4 डी.एल.एम.	307	27.50
182.	5 "	128	38.12
183.	6 "	660	109.25
			339.00

जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी

184.	1 जे. एम. डो.	667	30.38
185.	2 "	469	9.00
186.	3 "	460	2.00
187.	4 "	420	19.00
188.	5 "	589	13.00
189.	6 "	595	36.63
190.	7 "	390	35.50
191.	8 "	642	30.88
192.	9 "	337	28.00
193.	10 "	537	27.13
194.	11 "	313	20.00
195.	12 "	693	22.50
196.	13 "	503	29.25
197.	14 "	635	29.63
198.	15 "	578	32.25
199.	16 "	541	69.25
200.	17 "	876	54.26
	18 "	843	96.50
201.	19 "	613	62.63
202.	20 "	578	5.00
203.	21 "	513	
204.	22 "	485	
205.	23 "	496	
206.	24 "	505	
207.	25 "	805	
208.	26 "	501	
209.	27 "	525	
210.	28 "		
			642.19

1	2	3	4
	खींचियां माइनर		
211	1 के. एच. एम.	467	5.88
212.	2 ,,	725	19.75
213.	3 ,,	492	6.88
214.	4 ,,	515	17.25
215.	5 ,,	233	
216.	6 ,,	892	
217.	7 ,,	531	
			49.76
	धोलेरा माइनर		
218.	1 डी. एच. एम.	386	4.00
219.	2 ,,	759	–
220.	3 ,,	627	–
	डूसंगसर माइनर		
221.	1 एच. एस. एम.	747	
222.	2 ,,	464	
223.	3 ,,	454	

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूचना)

राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास भवनों की स्वीकृति व निर्माण. प्रगति की सूचना

क्र.सं.	स्थान	संस्था का नाम जिसको स्वीकृति दी गई व वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि व वर्ष	वास्तव में भुगतान की गई राशि	माह दिसम्बर 82 तक का व्यय	भवन निर्माण की प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	बाल हित शिक्षा समिति, अलवर	6,13,900 1981	4,60,425	5,06,000	प्लास्टर होकर लकड़ी, बिजली, नल लगाने का कार्य शेष है।	चूंकि भवन अभी रहने योग्य नहीं हुआ है अतः छात्रावास प्रारम्भ नहीं हुआ है।
2.	श्रीगंगानगर	श्री गुरु नानक खालसा कालेज व स्कूल, श्री गंगानगर	7,17,748 1981	5,38,311	4,99,515	ग्राउण्ड फलोर का कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्श, सेनेटरी, बिजली फिटिंग आदि का कार्य शेष है तथा प्रथम मंजिल में भी यही स्थिति है।	"

3.	वनस्थली	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	11,35,500 1981	4,67,750	7,63,328	ग्राउण्ड फलोर का चूने मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम मंजिल का कार्य प्रगति पर है।	,,
4.	भुसावर	श्री आर्य विद्यापीठ सोसायटी, भुसावर	8,57,248 1982	4,28,624	5,00,000	कुल 3 ब्लाक बनाने थे एक ब्लाक पूर्ण हो गया दूसरे का प्लास्टर, सेनेटरी व बिजली का कार्य शेष है। तीसरे में पत्थर का कार्य प्रारम्भ हो गया है।	,,
5.	अजमेर	किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रैस्ट हाउस, सोसायटी, अजमेर	1,30,260 1971–72	1,30,260	1,65,000	---	भवन पूर्ण हो चुका है किन्तु प्रचार के बावजूद भी इस भवन के उपयोग हेतु कामकाजी महिलायें नहीं आई। अतः भारत सरकार की अनुमति से भारतीय बाल कल्याण परिषद् को उपयोग हेतु किराये पर दिया गया है।
6.	जयपुर	बाल मन्दिर, जयपुर	1,80,936 1976-77	1,80,936	--	—	संस्था ने 1,80,936 की पूर्ण राशि समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई-दिल्ली को दिनांक 18-11-80 को डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा वापस लौटा दी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
							इसका कारण यह रहा की निर्माण कार्य की कीमत बढ़ जाने के कारण संस्था ने अधिक राशि की मांग की जो स्वीकृत नहीं हुई ।
7.	सांगरिया	मीरा शिक्षा समिति, सांगरिया	12,47,516 --------- 1982–83	3,11,879	--	स्वीकृति माह नवम्बर, 82 के अन्त में प्राप्त हुई है, कार्य प्रारम्भ करने हेतु सामग्री जुटायी जा रही है ।	

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची)

क्रमांक	आगार का नाम	वाहन संचालन जो आगार में सामान्य रख-रखाव के अन्तर्गत आफ रोड है।
1.	हिण्डौन	4
2.	जयपुर	2
3.	नगर वाहन सेवा	4 (इसमें से 1 वाहन पुलिस संरक्षण में है।)
4.	द्रुतगामी	5
5.	उदयपुर	1
6.	डूंगरपुर	1
7.	चित्तौड़	1
8.	बीकानेर	2
9.	गंगानगर	4
10.	हनुमानगढ़	5
11.	सरदारशहर	4
12.	सिरोही	1
13.	जोधपुर	1
14.	बाड़मेर	1
15.	आबूरोड	1
16.	कोटा	3
17.	बून्दी	1
18.	टौंक	1
19.	सीकर	5
20.	झुन्झुनू	1
21.	खेतड़ी	5
22.	अजमेर	6
23.	ब्यावर	1
24.	नागौर	1
25.	अलवर	4
26.	धौलपुर	1
27.	कोटपूतली	6
28.	झालावाड़	1 (यह वाहन पुलिस संरक्षण में है।
		73

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

भरतपुर में न्यायालय परिसर में बार रूम में सुधार

126. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा जिला सत्र न्यायालय भवन परिसर में स्थित बार रूम के सुधार हेतु मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बंध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बार रूम में परिवर्तन एवं परिवर्धन करने हेतु रु. 57,000/- के खर्चे का तखमीना भेजा है परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण उक्त खर्च का वहन करना सम्भव नहीं है।

जिला मुख्यालयों पर राजकीय छात्रावास

127. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनके मुख्यालयों पर महाविद्यालयों के साथ राजकीय छात्रावास की सुविधा नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के साथ छात्रावास की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने छात्रावास भवन बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या, एवं छात्रावास भवन के लिए अनुदान कब तक मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्न चार जिले हैं जिनके मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालयों के साथ छात्रावास नहीं हैं:—

क्र.सं.	जिले का नाम	राज. महाविद्यालय का नाम
1.	अलवर	कला महाविद्यालय, अलवर जी. डी. कन्या महाविद्यालय अलवर
2.	बाड़मेर	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर
3.	नागौर	राजकीय महाविद्यालय, नागौर
4.	कोटा	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा

(जिला जोधपुर व झुन्झुनू में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है।)

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के अनुसार छात्रावास भवन बनाने के प्रस्ताव बनाकर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिये गये हैं। अनुदान आयोग से सहायता मिलने पर छात्रावास भवन बनाना संभव होगा।

केशोराय मन्दिर का जीर्णोद्धार

128. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केशोरायपाटन जिला बून्दी में श्री केशोराय भगवान के मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कितनी और कब, तथा अब तक इस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

उत्तर

जी हां। मंदिर श्री केशव राय जी, केशवराय पाटन जिला बूंदी के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1979-80 में 50,000 रुपये (पचास हजार रुपया) एवं वर्ष 1981-82 में 48,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। जिसका कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है।

जिला भरतपुर में खनिज पट्टों का आवंटन

129. श्री जगनसिंह (बयाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भरतपुर जिले में 1980 से दिनांक 31 जनवरी, 1983 तक कितने खनिज पट्टे दिये गये हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य सरकार की खानों के पट्टे देने की क्या नीति है?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रार्थना पत्रों पर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को खनिज पट्टे देने की नीति बनाई है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि में कुल 245 खनन पट्टे स्वीकृत हुए हैं। सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में सेण्ड स्टोन व बजरी के अलावा अन्य खनिजों को आवेदन पत्रों के द्वारा आवंटन करने की नीति है। सैण्ड स्टोन के खनन पट्टे नीलामी पद्धति से आवंटित किये जाते हैं व खनिज बजरी बाबत खनन पट्टा देने की नीति नहीं है।

(3) जी हां। कुछ अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे व रेन्ट कम रायल्टी पट्टों को हाथ से खनन कार्य करने वाले और अनुसूचित-जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर देने की नीति 12-2-76 से प्रभाव में है।

(4) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 3 के उत्तर के ही अनुरूप है।

Page No.144

भरतपुर जिले में वर्ष 1980 से 1983 तक स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

1.	श्री शिवचरण लाल शर्मा	200×100 मी. ग्रुप नं. 2 बयाना	सैण्ड स्टोन
2.	„ पूरणसिंह गूजर	200×50 मी. „	„
3	„ केशव देव अग्रवाल	200×50 मी. „	„
4.	„ अशोक कुमार वैश्य	200×50 मी. ग्राम चुलहेरा त. डीग	खण्डा गिट्टी
5.	„ ओम प्रकाश वैश्य	200×50 मी. घाटरी त. वैर	„
6.	„ शिवचरण लाल शर्मा	200×50 मी. घाटोली त. रूपवास	„
7.	„ सुरेश चन्द शर्मा	150×50 मी. घमरी त. डीग	„
8.	„ रामवीर सिंह ठाकुर	100×50 मी. ग्रुप नं. 7 प्लाट नं. 2 वंशीपहाडपुरा	„ सैण्ड स्टोन
9.	„ विनोद कुमार अग्रवाल	200×50 मी. राजपुरा त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
10.	„ गजेन्द्रसिंह ठाकुर	100×100 है. प्लाट नं. 2 वंशी पहाड़पुर	सैण्ड स्टोन
11.	„ प्रभु जाटव	200×50 मी. बोकोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
12.	„ शंभु सिंह ठाकुर	200×50 मी. परऊवा त. बयाना	सैण्डस्टोन
13.	„ कमरूद्दीन मेव	50×50 लेवडा त. कामां	खण्डा गिट्टी
14.	„ रामकिशन जाटव	100×60 मी. उमरैण त. वैर	„
15.	„ सतीशचन्द वैश्य	360×75 मी. मण्डोली त. भरतपुर	„
16.	„ रहमत खां	80×50 मी. डिगवोली त. डीग	„
17.	„ गंगाब्रिक्स फैक्टरी	80×50 मी. जघीना त. भरतपुर	ईंट मिट्टी
18.	„ मजीद खां	200×50 मी. भैसाडा त. डीग	खण्डा गिट्टी
19.	„ प्रेमकुमारसिंह ठाकुर	175×50 मी. परउवा त. बयाना	सैण्ड स्टोन
20.	„ „ „	300×50 मी. „	„
21.	„ रोशनलाल	360×90 मण्ढोनी त. भरतपुर	खण्डा गिट्टी
22.	„ नारायणसिंह गूजर	10000 व.मी. त. बयाना	सैण्ड स्टोन
23.	„ सुभान मेव	40,000 व.मी. मोरोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
24.	„ „	„ „	„
25.	„ डालचन्द जाटव	पूछरी त. नगर	„
26.	„ भूपेन्द्र कुमार शर्मा	400×100 मी. घाटोली त. रूपवास	„
27.	„ श्याम वैश्य	50×50 मी. खान खेड़ा त. भरतपुर	„
28.	„ „	„ वागरेण त. भरतपुर	„
29.	„ कैंडे जाटव	11000 व. मी. उमरैण त. वैर	„
30.	„ कुम्हारी उद्योग	98×54 व. मी. घना सेवा	ईंट मिट्टी
31.	„ चौबसिंह ठाकुर	200×100 मी. घाटोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
32.	„ परतापसिंह ठाकुर	200×100 मी. घाटोली त. रूपवास	„

33.	श्री धूरीया जाटव	100×100 मी. उमरैण	त. बैर	खण्डा गिट्टी
34.	,, धनपतराय शर्मा	100×50 मी. बंशी पहाड़पुर	,,	,, सैण्डस्टोन
35.	,, चिरमोली कोली	200×60 मी. सूखासीला	त. बयाना	खण्डा गिट्टी
36.	,, अजमत मेव	160×50 मी.	त. डीग	,,
37.	,, शम्भूसिंह ठाकुर	ग्रुप नं. 2	त. बयाना	सैण्ड स्टोन
38.	,, चिरगोली कोली	200×60 मी. सूखासीला	त. बयाना	खण्डा गिट्टी
39.	,, देवीसिंह गूजर	100×100 मी. दरबरहाना	त. बयाना	सैण्ड स्टोन
40.	,, भूपेन्द्र कुमार शर्मा	160×50 मी. दरबारहाना पल्ला	त. कामां	खण्डा गिट्टी
41.	,, धनपतराय शर्मा	100×60 मी. बंशी पहाड़पुर	,,	सैण्ड स्टोन
42.	,, रामस्वरूप माली	200×50 मी. अल्लापुरी	त. बयाना	खण्डा गिट्टी
43.	,, श्रीराम शर्मा	100×50 मी. सूपा	त. बयाना	सैण्ड स्टोन
44.	,, चन्दनसिंह गूजर	100×50 मी. अल्लापुरी	त. बयाना	खण्डा गिट्टी
45.	,, देवीसिंह गूजर	100×50 मी. दरबरहाना	,,	सैण्ड स्टोन
46.	सेन्चूरी ब्रिक्स फील्ड	5000 व. मी. भरतपुर	,,	ईंट मिट्टी
47.	श्री नानगा जाटव	50×50 मी. घाटोली	,,	खण्डा गिट्टी
48.	,, शिवचरण शर्मा	100×100 मी. घाटोली	त. रूपवास	,,
49.	,, जगदीश प्रसाद गुप्ता	50×50 मी. गोठरा	त. बयाना	सैण्ड स्टोन
50.	,, बिस्सी हरिजन	300×75 मी. डुमरिया	त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
51.	,, ,, ,,	150×60 मी. डुमरिया	त. बयाना	,,
52.	,, सूबेदारसिंह राजपूत	200×50 मी. घाटोली	त. रूपवास	,,
53.	,, ,, ,,	185×50 मी. घाटोली	त. रूपवास	,,
54.	,, सुरेश चन्द शर्मा	100×50 मी.	त. डीग	,,
55.	,, वृन्दावन ब्रिक्स फं.	7200 व. मी. बछामदी	त. भरतपुर	ईंट मिट्टी
56.	,, प्रतापसिंह	200×60 मी. घाटोली	त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
57.	,, ,, ,,	300×75 मी. घाटोली	त. रूपवास	,,
58.	,, लच्छी बढई	200×100 मी. घाटोली	त. रूपवास	,,
59.	,, मनोज कुमार राजपूत	80×60 मी. घाटोली	,,	,,
60.	,, गोयल रिफैक्टरी	250×70 मी. मो. घना जापोली	भरतपुर	ईंट मिट्टी
61.	,, कृष्णा ब्रिक्स	13950 व. मी. गोवरधन रोड, डीग		,, ,,
62.	,, रोशनलाल मित्तल	200×50 मी. नगला तुलसी का		खण्डा गिट्टी
63.	,, कैलाश चन्द वैश्य	200×50 मी. लखनपुर	त. रूपवास	,,
64.	,, ,, ,,	,, राजपुरा	त. रूपवास	,,
65.	,, भगवत प्रसाद वैश्य	,, राजपुरा	,,	,, ,,
66.	,, पूरण चन्द सिंघल	150×50 मी. ग्रुप नं. 2		सैण्ड स्टोन
67.	,, ,, ,,	100×50 मी.	त. बयाना	,,

Page No.146

68. श्री विनोद ब्रिक्स फै.	2009 व. मी.	धौलपुरा भरतपुर	ईंट मिट्टी
69. ,, शांति ब्रिक्स फै.		जगमोहनपुरा त. ,,	,,
70. ,, प्रेम शंकर गुप्ता	60×50 मी.	गोठरा त. बयाना	सैण्ड स्टोन
71. ,, ,,	160×50 मी.	गजनबा त. बयाना	,,
72. ,, मोती लाल खाती	100×80 मी.	त. डीग	खण्डा मिट्टी
73. ,, दौलतसिंह राजपूत	200×50 मी.	घाटा त. रूपवास	,,

1981

74. ,, लकजीराम वैश्य	100×50 मी.	सुखासीला त. बयाना	सैण्ड स्टोन
75. ,, ,,	,,	,,	,,
76. ,, ,,	60×50 मी.	सुखसीला ,,	,,
77. ,, रामजी लाल जाटव	200×50 मी.	महलपूरचूरा त. रूपवास	,,
78. ,, बूबसिंह कछवाया	60×60 मी.	घाटा त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
79. ,, द्वारकाप्रसाद कछवाया	17×60 मी.	घाटा त. रूपवास	,,
80. ,, रामभरोसी गूजर	60×50 मी.	सुखासीला त. बयाना	सेण्डस्टोन
81. ,, रामस्वरूप गूजर	60×60 मी.	,, ,,	,,
82. ,, प्रेम शंकर गुप्ता	60×50 मी.	,, ,,	,,
83. ,, राजेन्द्रसिंह राजपूत	200×50 मी.	घाटोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
84. ,, रामलाल कछवाया	70×50 मी.	घाटा त. रूपवास	,,
85. ,, सुभाष चन्द शर्मा	50×50 मी.	सुखासीला त. बयाना	सैण्ड स्टोन
86. ,, उमेश चन्द अग्रवाल	500×125 मी.	घाटोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
87. ,, छुट्टन लाल गूजर	105×150 मी.	बोडापुरा त. बयाना	सैण्ड स्टोन
88. ,, ,, ,,	100×60 मी.	,, ,,	,,
89. ,, ,, ,,	60×50 मी.	कोडापुरा त. बयाना	,,
90. ,, प्रेम शंकर गुप्ता	100×50 मी.	गजनूवा त. बयाना	,,
91. ,, अशोक कुमार	100×50 मी.	डीग	खण्डा गिट्टी
92. ,, विजय ब्रिक्स फै.	75×6 मी.	जबीना भरतपुर	ईंट मिट्टी
93. ,, रूपसिंह ठाकुर	100×50 मी.	वंशी पहाड़पुर	सैण्ड स्टोन
94. ,, प्रेमशंकर गुप्ता	150×125 मी.	सुखासीला त. बयाना	,,
95. ,, शिवसिंह जाटव	200×50 मी.	बनधूकरा त. बयाना	,,
96. ,, शैलेन्द्रसिंह	8930 मी.	घाटोली त. रूपबास	खण्डा गिट्टी
97. ,, धर्मसिंह जाटव	100×50 मी.	मोकोली त. रूपवास	,,
98. ,, बूटासिंह कछवाया	75×50 मी.	घाटा त. रूपवास	,,
99. ,, प्रेम कुमार गुप्ता	100×60	सुखासीला त. बयाना	सैण्ड स्टोन
100. ,, सोनी राम वैश्य	100×60 मी.	महरापुरछाछी त. रूपवास	खण्डा गिट्टी

Page No.147

101.	श्री लच्छीमल गुप्ता	150×50 मी. परडला त. बयाना	सैण्डस्टोन
102.	„ देवसिंह गूजर	80×50 मी. निदड़ बुडवार त. बयाना	„
103.	„ दौलतसिंह गूजर	100×50 मी. घाटोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
104.	„ अशोक कु. अग्रवाल	200×60 मी. ग्रुप नं. 2 त. बयाना	सैण्ड स्टोन
105.	„ अशोक कु. „	100×100 मी. „	„
106.	„ उस्मान खां	100×50 मी. लंवड़ा त. कामां	खण्डा गिट्टी
107.	„ राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	60×50 मी. बंशीपहाड़पुर	सैण्डस्टोन
108.	„ „ „	80×50 मी. „	„
109.	„ कृष्णवीर यादव	7500 व. मी. धमारी त. डीग	खण्डा गिट्टी
110.	„ ईस्तरायल मेव	150×100 मी. लंवड़ा त. कामा	„
111.	„ पूरण चन्द वैश्य	160×60 मी. सूखासीला बयाना	सैण्डस्टोन
112.	„ „	110×65 मी. „ „	„
113.	„ रामकिशन गूजर	300×80 मी. करमुका त. डीग	खण्डा गिट्टी
114.	„ गोविन्द सिंह	200×50 मी. „ „	„
115.	„ प्रेमचन्द कोली	200×50 मी बांगशपुरा त. बयाना	„
116.	„ लच्छीमल गुप्ता	125×100 मी बुडवार त. बयाना	सैण्डस्टोन
117.	„ नूर मोहम्मद	150×50 मी. हयातपुर त. डीग	खण्डा गिट्टी
118.	„ रहमत खां	200×50 मी. डिगचोली त. डीग	„
119.	„ बहादुरसिंह जाट	500×100 मी बंशी पहाड़पुर	„
120.	„ मजीद खां	200×50 मी. थेसोडा त कामां	„
121.	„ राजबहादुर गूजर	70×50 मी कानीकोठ त. बयाना	„
122.	„ लक्ष्मी ब्राह्मण	50×50 मी. बोकोली त. रूपवास	„
123.	„ पूरणचन्द बंसल	100×80 मी. सुखासीला त. बयाना	सैण्डस्टोन
124.	„ निरंजन जाटव	100×50 मी. राजपुरा त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
125	„ राम जाटव	150×50 मी धमारी त. डीग	„
126.	„ पूरण चन्द	100×50 मी. बंशीपहाडपुर त. रूपवास	सैण्डस्टोन
127.	„ धूली चन्द जाटव	200×100 मी घाटोली त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
128.	„ „ „	200×50 मी. घाटोली „	„
129.	„ ताराचन्द वैश्य	60×50 मी. तरसूमा त. बयाना	सैण्डस्टोन
130.	„ बैजनाथ शर्मा	75×50 मी. सुखासीला त. „	„
131.	„ भंवरी जाटव	60×50 मी. गोठरा त. बयाना	„
132.	„ अशोक कुमार	75×55 मी गुडवार त. बयाना	„
133.	„ „ „	55×50 मी. गुडवार त. बयाना	„
134.	„ दाऊजी वैश्य	55×50 मी. घमारी त. डीग	खण्डा गिट्टी
135.	„ दिनेश चन्द वैश्य	66×50 मी. घमारी त. डीग	„

Page No.148

136.	श्री लच्छी मल वैश्य	150×50 मी. ग्रुप नं. 2 त. बयाना	सैण्ड स्टोन
137.	श्री रामहेत जाटव	50×50 मी. घमारी त. डीग	खण्डा मिट्टी
138.	श्री बाबूलाल अग्रवाल	800×100 मी. कारवांन त. वैर	,,
139.	श्री राजेन्द्रसिंह रुदोरिया	500×125 मी. घाटोली त. रूपवास	,,
140.	श्री प्रभाती राम जाटव	290×6 मी. मेंहतपुर काछी	खड्डा मिट्टी
141.	श्री कमरूदीन मेव	200×100 मी. सैदड़ा म. कामां	,,
142.	श्री रामभरोसी गूजर	130×70 मी. सुगमता त. बयाना	सैण्डस्टोन
143.	श्री करीमखां	150×50 मी. गदड़वास त. डीग	खड्डा मिट्टी
144.	श्री रामजीलाल जाटव	80×60 मी. महलपुर पुरा	सैण्डस्टोन
145.	श्री रामसिंह जाटव	75×5 मी. बंशीपहाड़पुर	,,
146.	श्रीमती प्रभाती कुम्हार	60×50 घमारी त. डीग	खण्डा मिट्टी
147.	श्रीमती ईस्मान देवी	290×50 मी. इस्मान सिकन्दरा साईडिंग	,,
148.	श्री मोहनलाल कछावा	100×40 मी. घाटा	,,
149.	श्री रामभरोसी गूजर	120×50 मी. सूडासाला त. बयाना	सैण्डस्टोन
150	श्री भंवराराम गूजर	60×50 मी. गोटरा त. बयाना	,,
151.	श्रीमती भगवानदेवी खटीक	150×30 मी. घासीपुरा त. बयाना	खड्डा मिट्टी
152.	श्री हरेली जाटव	75×50 मी. महलपुरपुरा त. बयाना	सैण्डस्टोन
153.	श्री इलिदास मेव	106×50 मी. सेपड़ा त. कामां	खड्डा मिट्टी
154.	श्री रामप्रसाद जाटव	100×50 मी. बंशी पहाड़पुर त. रूपवास	सैण्डस्टोन
155.	श्री बाबूलाल जाटव	100×50 मी. बंशी पहाड़पुर	,,
156.	श्री महेश चन्द गर्ग	100×100 मी. हलपरपुरा	,,
157.	श्री लेखपालसिंह	1.90×90 मी. राजपुरा त. बयाना	,,
158.	श्री सोहनी राम जाटव	8690 व.मी. उमरेण त. वैर	खड्डा मिट्टी
159.	श्री गंगाराम जाटव	11000 व.मी. उमरेण त. वैर	,,
160.	श्री घनश्याम शर्मा	100×50 मी. फतेहपुर त. कामां	,,
161.	श्री आजीम गड्दा	75×5 मी. घोघोसी त. रूपवास	,,
162.	श्री मनोहरी जाटव	50×50 मी. त. रूपवास	,,
163.	श्री अशोक कुमार वैश्य	4000 व. मी. निक बुलेरा रा. डीग	गण्डा मिट्टी
164.	श्री न्यू गोयल ब्रिक्स फैक्ट्री जयोना हेरतपुर		ईंट मिट्टी
165.	श्री धरणीधर शर्मा	100×50 मी. त. रूपवास	खड्डा मिट्टी
166.	श्री उमेश चन्द वैश्य	109×50 मी. त. रूपवास	,,
167.	श्री अमरजी मेव	75×50 मी. सेपड़ा त. कामां	,,
168.	श्री मोती राम जाटव	240×60 मी ढाणा त. कामां	,,
169.	श्री गीता ब्रिक्स फैक्ट्री	गोलपुरा रोड भरतपुर	ई. मि.

170.	श्री रूमीई कुम्हारी उद्योग घना भरतपुर		ईं. मि.
171.	श्री चन्दनसिंह गूजर	100×50 मी. कमावर त. बयाना	खण्डा मिट्टी
172.	श्री सगसुद्दीन मेव	100×50 मी. मोहरा त. कामां	"
173.	श्री परमेश्वर शर्मा	100×50 मी. घाटोली	"
174.	श्री रवीन्द्रसिंह	80×50 मी. घाटोली	"
175.	श्री भगवानदास वैश्य	100×50 मी. बिलग त. कामां	"
176.	श्री रहमत मेव	200×50 मी. दुलोरा त. डीग	"
177.	श्री लेखराज कोली	100×50 मी. करौली त. रूपवास	"

1982

178.	श्री रामकिशन गूजर	200×55 मीकर गुवा त. डीग	"
179.	श्री गोविन्द सिंह गूजर	200×50 मी. गडरवास त. डोग	"
180.	श्री विजयसिंह	75×50 मी. घमारी त. डीग	"
181.	श्री त्रिलोकपालसिंह	240×60 मी. पहलपुरा त. डीग	"
182.	श्री रमेश कुमार खत्री	3400 व. मी. भैसोडा त. कामां	"
183.	श्री त्रिलोकपालसिंह	60×50 मी पहलपुरा त. डीग	"
184.	श्री अशोक कुमार	100×50 मी. त. डीग	"
185.	श्री अशोक कुमार	150×50 धुलहेरा त. डीग	खण्डा गिट्टी
186.	" अशोक कुमार	200×50 मी. धुलहेरा त. डीग	"
187.	" बृजवासी उद्योग	किनकटग्राम कामां	ईंट गिट्टी
188.	" अशोक ब्रिक्स भट्टी	10000 व. मी. डीग	"
189.	" रामगोपाल हरीजन	15080 मी. रायपुर त. वैर	खण्डा गिट्टी
190.	" रामबाबू शर्मा	50×50 मी कोथ्रोजी त. रूपवास	"
191.	" सुखीराम जाटव	70×50 मी. पल्ला त. कामां	"
192.	" मोतीलाल जाटव	5000 व. मील. मालीपुरा त. बयाना	"
193.	" भगवान दास वैश्य	100×50 मी. निलम क्षेत्र त. कामां	"
194.	" पुरुषोत्तमलाल वैश्य	6000 व. मी. अल्लमपुरी त. बयाना	"
195.	" रमाकान्त शर्मा	4875 व. मी. महलपुर काछी त. रूपवास	"
196.	" चन्दनसिंह गूजर	100×50 मी. कनावर त. बयाना	"
197.	" रहमन मेव	200×50 मी. विलग त. कामां	"
198.	" महेश चन्द	100×50 मी. बभारी त. डीग	"
199.	" रघुराज सिंह	179×78 मी. त. वैर	"
200.	" मोती लाल जाटव	100×50 मी. मालीपुरा त. बयाना	खण्डा गिट्टी
201.	" चन्दनसिंह	200×50 मी. कमावर त. बयाना	"
202.	" दिनेश चन्द जैन	50×50 मी. घमारी त. डीग	"

Page No.150

203.	श्री भानु प्रकाश	200×50 मी. घाटौती	खण्डा गिट्टी
204.	,, प्रकाश चन्द अग्रवाल	200×50 मी. घाटरी त. वैर	,,
205.	,, समनसिंह जाट	150×100 मीटर त. वैर	,,
206.	,, छिद्दीराम जाटव	140×50 मी. अल्लापुरी	,,
207.	,, भगवती ब्राह्मण	50×50 मी. सुशीला त. कामां	,,
208.	,, ओम प्रकाश	100×50 मी. विलग त. कामां	,,
209.	,, जगदीश प्रसाद वैश्य	50×50 मी. विलग त. कामां	,,
210.	,, ,, ,,	200×70 मी. कुलवाना त. कामां	,,
211.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	100×50 मी. धमारी त. डीग	,,
212.	श्री धनीराम	50×50 मी. धमारी त. डीग	,,
213.	,, विजयसिंह	100×50 मी. धमारी त. डीग	,,
214.	,, त्रिलोकपालसिंह	100×50 मी. पहल वाड़ा त. डीग	,,
215.	,, ,,	200×50 मी. ,,	,,
216.	,, विनोद मिश्र केसरी	13500 मी. गोलपुरा	ईंट मिट्टी
217.	,, पूरण मल कछवाया	100×70 मी. घाटा त. रूपवास	खण्डा गिट्टी
218.	,, कमलसिंह जाट	210×60 मी. पहलवाड़ा त. डीग	,,
219.	,, भगवानदास वैश्य	100×50 मी. बिलग त. कामां	,,
220.	,, कुंज बिहारी लाल	200×50 मी. वनकुकरा त. बयाना	मिल स्टोन
221.	,, रूपसिंह जाटव	मुरकी त. बयाना	खण्डा मि.
222.	,, मोती लाल जाटव	मालीपुरा त. बयाना	,,
223.	,, सराफ	50×50 मी. त. कामां	,,
224.	,, ताराचन्द	135×85 मी. अधीना परसपुर	ईंट मिट्टी
225.	,, राधा उद्योग कामां	100×75 मी. त. कामां	,,
226.	,, भगवान देवी खटीक	200×50 मी. विछकोरी त. बयाना	खण्डा गिट्टी
227.	,, गोपीराम ब्राह्मन	4700 व. मी. लक्सर त. कामां	,,
228.	,, चन्दनसिंह गूजर	150×50 मी. ग्राम उमरण त. वैर	,,
229.	,, रमजान	70×50 मी. लक्सर कामां	,,
230.	,, शेरमल	100×60 मी. ग्राम सहसर त.	खण्डा गिट्टी
231.	,, किशनसिंह जाट	200×50 मी. मालीपुरा त. बयाना	,,
232	,, नरेन्द्र शर्मा	200×50 व. मी. पहलवाड़ा त. डीग	,,
233.	,, कमलसिंह जाट	200×50 मी. पहलवाड़ा त. डीग	,,
334	,, बिजेन्द्र कुमार	200×50 मी. तह. तहलवाड़ा	,,
235.	,,	,,	,,
236.	,, छीतरराम जाटव	90×80 मी. उमरण त. वैर	,,
237.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	150×60 मी. घमारी त. डीग	,,

238.	श्री रमेश कुमार	60×60 मी. बीलवड़ा, त. कामां	खण्डा गिट्टी
239.	श्री गोपीराम	5435 व. मी. ग्राम लहसर, त. कामां	"

1983

240.	श्री हरबन्स लाल	4375 व. मी. गिरावली, त. कामां	"
241.	"	100×50 मी. गिरावली, त. कामां	"
242.	श्री ग्रामीन	100×50 मी. वोकोली, त. रूपवास	"
243.	श्री राजेश राठी	200×50 मी. धमारी, त. डीग	"
244.	श्री गंगाराम जाटव	100×50 व. मी. ऊमरेण, त. वैर	"
245.	श्री मिहाल सिंह गूजर	200×50 व. मी. सूबसीला, त. बयाना	"

रामसिंह जांच आयोग में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

130. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज), श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :—क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामसिंह जांच आयोग द्वारा राजस्थान नहर से सम्बन्धित कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की गयी थी? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों के विरुद्ध? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में अब सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) उक्त आयोग द्वारा जांच कब पूरी की जा चुकी थी तथा उसके पश्चात् जनवरी, 1983 तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

(4) उक्त मामले में जांच आयोग में दोषी अधिकारियों को कब तक दण्डित किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, जिन अधिकारियों का नाम श्री रामसिंह जांच आयोग की रिपोर्ट्स में आया है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को तफतीश करने के आदेश दिये गये हैं तथा उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही भी की जा रही है। राजस्थान नहर मण्डल को आगे ऐसी अनियमिततायें न होने देने के लिए विस्तृत आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) श्री रामसिंह जांच आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन विभिन्न भागों में अप्रेल, 1979 से मार्च, 1980 तक प्रस्तुत किये गये थे। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रश्नोत्तर भाग 2 के अनुसार कार्यवाही की गई।

(4) दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिनका श्री रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।

क्रम संख्या 1	अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम 2	श्रेणी 3
1.	श्री ए. डी. अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता
2.	श्री अरुण अग्रवाल	सहायक अभियन्ता
3.	श्री ए. सी. सांघी	अधिशासी अभियन्ता
4.	श्री ए. एस. कपूर	अति. मुख्य अभियन्ता
5.	श्री अमीर चंद	कनिष्ठ अभियन्ता
6.	श्री अनिल कुमार माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	श्री ए. के. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
8.	श्री ए. एस. कपूर	अधीक्षण अभियन्ता
9.	श्री बजरंग लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
10.	श्री बी. के. एस. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
11.	श्री भागीरथ	सहायक अभियन्ता
12.	श्री बी. एन. शर्मा,	कनिष्ठ अभियन्ता
13.	श्री बाबूलाल सांखला	सहायक अभियन्ता
14.	श्री बी. बी. शाह	मुख्य अभियन्ता
15.	श्री बी. के. मुकर्जी	अति. मुख्य अभियन्ता
16.	श्री बक्सीस सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
17.	श्री बी. एल. मनोचा	कनिष्ठ अभियन्ता
18.	श्री बलवन्त सिंह	कनिष्ठ अभियंता
19.	श्री बी. एल. वर्मा	कनिष्ठ अभियंता
20.	श्री बी. एल. जैन	अधिशासी अभियंता
21.	श्री भवानी सिंह	अधिशासी अभियंता
22.	श्री भोपाल सिंह	कनिष्ठ अभियंता
23.	श्री भंवरलाल जैन	अधिशासी अभियंता
24.	श्री बहादुर सिंह	कनिष्ठ अभियंता
25.	श्री भंवर लाल	अधिशासी अभियंता
26.	श्री सी. पी. त्यागी	सहायक अभियन्ता
27.	श्री बी. के. बराठी	अधिशासी अभियंता
28.	श्री सी. एम. सांखला	कनिष्ठ अभियन्ता
29.	श्री चतरा राम	कनिष्ठ अभियन्ता
30.	श्री सी. बी. एल. माथुर	अधिशासी अभियंता
31.	श्री सी. बी. शर्मा	अधिशासी अभियंता
32.	श्री सी. एल. अरोड़ा	अधिशासी अभियंता
33.	श्री डी. एस. नोला	अति. मुख्य अभियंता
34.	श्री डी. सी. चतुर्वेदी	अधिशासी अभियंता
35.	श्री दलीप सिंह	कनिष्ठ अभियंता
36.	श्री देबीलाल	कनिष्ठ अभियन्ता
37.	श्री डी. के. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
38.	श्री डी. सी. कोठारी	अधिशासी अभियन्ता

Page No.153

1	2	3
39.	श्री डी. पी. कौशिक	कनिष्ठ अभियन्ता
40.	श्री एफ. सी. मायुर	कनिष्ठ अभियन्ता
41.	श्री गुरुदयाल सिंह चौधरी	सहायक अभियन्ता
42.	श्री गोपीराम गोयल	अधिशासी अभियन्ता
43.	श्री गुरदीप सिंह	सहायक अभियन्ता
44.	श्री जी.एस. शास्त्री	मुख्य अभियन्ता
45.	श्री जी.एन. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता
46.	श्री जी. एल. नाहर	अधिशासी अभियन्ता
47.	श्री गुरमेल सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
48.	श्री गणपत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
49.	श्री जी. डी. महेश्वरी	सहायक अभियन्ता
50.	श्री गिरीश चतुर्वेदी	अधिशासी अभियन्ता
51.	श्री जी. एल. पी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
52.	श्री गणेशमल	अधीक्षण अभियन्ता
53	श्री गुरसेब सिंह	सहायक अभियन्ता
54.	श्री हरशरण सिंह	अधिशासी अभियन्ता
55.	श्री एस.एस. भाटिया	अधिशासी अभियन्ता
56.	श्री हंस राज	कनिष्ठ अभियन्ता
57.	श्री एच. एस. भाटिया	अधिशासी अभियन्ता
58.	श्री हरी भान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
59.	श्री हरी सिंह	मुख्य अभियन्ता
60.	श्री हेतराम डूडी	अधिशासी अभियन्ता
61.	श्री आइ.एस. जैन	सहायक अभियन्ता
62.	श्री आइ.एस. बोका	सहायक अभियन्ता
63.	श्री जगजीत सिंह	अधिशासी अभियन्ता
64.	श्री जे.सी. परिहार	सहायक अभियन्ता
65.	श्री जे. एस. तोमर	कनिष्ठ अभियन्ता
66.	श्री जे. के. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
67.	श्री जे. पी. श्रीवास्तव	कनिष्ठ अभियन्ता
68.	श्री जे. एन. मित्तल	कनिष्ठ अभियन्ता
69.	श्री जुगलकिशोर	कनिष्ठ अभियन्ता
70.	श्री जीतराम	कनिष्ठ अभियन्ता
71.	श्री जे. सिंह	अधिशासी अभियन्ता
72.	श्री जे. एम. खटवर	कनिष्ठ अभियन्ता
73.	श्री जगदीश सिंह अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता
74.	श्री के. एल. भाटिया	अधिशासी अभियन्ता
75.	श्री के. एस. गहलोत	सहायक अभियन्ता
76.	श्री के. एस. कंग	अधिशासी अभियन्ता
77.	श्री के. एस. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
78.	श्री के. एन. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
79.	श्री कश्मीरी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3
80.	श्री के. एल. चुग	कनिष्ठ अभियन्ता
81.	श्री के.के. माथुर	सहायक अभियन्ता
82.	श्री कस्तूरा राम	कनिष्ठ अभियन्ता
83.	श्री के. एस. घानी	कनिष्ठ अभियन्ता
84.	श्री के. एल. रावत	अधिशासी अभियन्ता
85.	श्री कृपाल सिंह शेखावत	अधिशासी अभियन्ता
86.	श्री के. एम. दानी	सहायक अभियन्ता
87.	श्री के. सी. जैन	अधिशासी अभियन्ता
88.	श्री लक्ष्मण सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
89.	श्री लाल चंद	सहायक अभियन्ता
90.	श्री महेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता
91.	श्री मुन्शी लाल सचदेवा	सहायक अभियन्ता
92.	श्री मुकेन्द्र गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता
93.	श्री एम. आर. सुथार	कनिष्ठ अभियन्ता
94.	श्री एम. आर. जैन	सहायक अभियन्ता
95.	श्री एम. पी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
96.	श्री एम. आर. भवानी	कनिष्ठ अभियन्ता
97.	श्री मनोहरलाल	कनिष्ठ अभियन्ता
98.	श्री मुकना राम	कनिष्ठ अभियन्ता
99.	श्री मुकट बिहारी लाल माथुर	सहा. अभियन्ता
100.	श्री एम. एल. गुप्ता	सहायक अभियन्ता
101.	श्री मूलाराम	कनिष्ठ अभियन्ता
102.	श्री एम. आर. कालरा	अधीक्षण अभियन्ता
103.	श्री माधोराम	अधीक्षण अभियन्ता
104.	श्री एम. एल. सिधाना	सहायक अभियन्ता
105.	श्री एम. सी. गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता
106.	श्री नगायच	सहायक अभियन्ता
107.	श्री एन. डी. जोशी	सहायक अभियन्ता
108.	श्री एन. आर. कालरा	कनिष्ठ अभियन्ता
109.	श्री एन. सी. गर्ग	कनिष्ठ अभियन्ता
110.	श्री एन. आर. भास्कर	कनिष्ठ अभियन्ता
111.	श्री एन. के. मित्तल	कनिष्ठ अभियन्ता
112.	श्री एन. के. तायल	कनिष्ठ अभियन्ता
113.	श्री नाहर सिंह	अधिशासी अभियन्ता
114.	श्री नन्द राम	कनिष्ठ अभियन्ता
115.	श्री ओ. पी. यादव	सहायक अभियन्ता
116.	श्री ओ. पी. वर्मा	सहायक अभियन्ता
117.	श्री ओ. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
118.	श्री ओ. पी. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
119.	श्री ओ. पी. बेदी	कनिष्ठ अभियन्ता
120.	श्री ओ. पी. सी. पाण्डे	सहायक अभियन्ता

1	2	3
121.	श्री पी. सी. माथुर	सहायक अभियन्ता
122.	श्री पी. सी. बतरा	अधिशासी अभियन्ता
123.	श्री प्रथम सिंह	सहायक अभियन्ता
124.	श्री रूप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
125.	श्री राम कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
126.	श्री आर. एन. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
127.	श्री आर. एल. माथुर	सहायक अभियन्ता
128.	श्री आर. सी. जैन	कनिष्ठ अभियन्ता
129.	श्री आर. सी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
130.	श्री आर. के. वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
131.	श्री आर. एस. चौहान	अधिशासी अभियन्ता
132.	श्री आर. एन. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
133.	श्री आर. सी. गोयल	वरिष्ठ लेखाधिकारी
134.	श्री आर. एन. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
135.	श्री आर. सी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
136.	श्री आर. एन. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
137.	श्री राम सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
138.	श्री रमेश मोर्य	सहायक अभियन्ता
139.	श्री रामजीलाल	कनिष्ठ अभियन्ता
140.	श्री आर. एन. धींगरा	कनिष्ठ अभियन्ता
141.	श्री राम लुभाया	कनिष्ठ अभियन्ता
142.	श्री रामूराम	कनिष्ठ अभियन्ता
143.	श्री आर. एस. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
144.	श्री आर. एन. चौधरी	मुख्य अभियन्ता
145.	श्री राम सिंह	मुख्य अभियन्ता
146.	श्री आर. पी. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
147.	श्री आर. एस. वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
148.	श्री सोहन लाल कटारिया	कनिष्ठ अभियन्ता
149.	श्री आर. सी. सिंघल	कनिष्ठ अभियन्ता
150.	श्री एस. सी. अडवानी	अधिशासी अभियन्ता
151.	श्री शिव सिंह	सहायक अभियन्ता
152.	श्री एस. एस. माथुर	सहायक अभियन्ता
153.	श्री एस. एल. सेठिया	सहायक अभियन्ता
154.	श्री एस. वी. बघेता	कनिष्ठ अभियन्ता
155.	श्री एस. के. आहूजा	कनिष्ठ अभियन्ता
156.	श्री सहरिया	मण्डलीय लेखाकार
157.	श्री एस. एन. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
158.	श्री एस. डी. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता
159.	श्री एस. के. बीसा	कनिष्ठ अभियन्ता
160.	श्री एस. एल. कौशल	कनिष्ठ अभियन्ता
161.	श्री एस. के. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3
162.	श्री सुखसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
163.	श्री शान्ती लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
164.	श्री सम्पत लाल माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
165.	श्री एस.पी. रावत	अधिशासी अभियन्ता
166.	श्री एस. सी. पाटनी	सहायक अभियन्ता
167.	श्री एस. एस. पुरोहित	सहायक अभियन्ता
168.	श्री तुलसी राम	सहायक अभियन्ता
169.	श्री त्रिलोक चंद	कनिष्ठ अभियन्ता
170.	श्री टी. आर. गर्ग	सहायक अभियन्ता
171.	श्री तुलसी राम टाक	सहायक अभियन्ता
172.	श्री टी. के. चड्ढा	सहायक अभियन्ता
173.	श्री उधाराम	सहायक अभियन्ता
174.	श्री उदय राम	सहायक अभियन्ता
175.	श्री यू. के. गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता
176.	श्री यू. एस. शर्मा	सहायक अभियन्ता
177.	श्री विशम्बर सिंह	सहायक अभियन्ता
178.	श्री वी. पी. गोयल	अधिशासी अभियन्ता
179.	श्री वी. के. भरद्वाज	अधिशासी अभियन्ता
180.	श्री वी. एन. दिवानी	कनिष्ठ अभियन्ता
181.	श्री वी. के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता
182.	श्री वी. एस. यादव	अधिशासी अभियन्ता
183.	श्री वी. एस. चौधरी	अधिशासी अभियन्ता
184.	श्री वाई. के. पाण्डे	कनिष्ठ अभियन्ता
185.	श्री विधानी	सहायक अभियन्ता
186.	श्री एस. पी. नारंग	कनिष्ठ अभियन्ता
187.	श्री एस. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
188.	श्री शोभालाल माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
189.	श्री सोहन रूप राय	अधिशासी अभियन्ता
190.	श्री एस. पी. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
191.	श्री एस. एल. चावला	सहायक अभियन्ता
192.	श्री सुरजीत सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
193.	श्री जे. के. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता

तहसील बहरोड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

131. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अलवर में दो अपर सत्र न्यायालय तथा एक जिला सत्र न्यायालय स्थापित है ?

(2) क्या सरकार तहसील बहरोड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कैम्प कोर्ट, को मुकदमों के आधार पर स्थायी तौर पर स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(विधि मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

ऋषभदेव मन्दिर के भण्डारों में गहनों का सत्यापन

1.32. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले के ऋषभदेव गांव में भगवान ऋषभदेव का मन्दिर देवस्थान के पास है? यदि हां, तो इसके भण्डार के गहनों का सत्यापन कब-कब किया गया तथा अंतिम सत्यापन कब किया गया ? कृपया अंतिम सत्यापन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि कई सोने के गहनें कम हैं एवं एक 38 तोला सोने के हार के बजाय चांदी के हार पर पॉलिश कर रखा गया जिसकी जानकारी सत्यापन के समय हुई और सत्यापन बन्द कर दिया गया ? क्या 24-4-1980 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो कृपया एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार एक बार पुनः सत्यापन कराना चाहती है ? यदि हां, तो क्या इस बार सत्यापन में स्थानीय नागरिकों के एक प्रतिनिधि को, जो ग्रामसभा तय करें, रखने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह सत्यापन कितने दिनों में पूर्ण कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम धुलेव जिला उदयपुर में स्थित मन्दिर श्री ऋषभदेव जी देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी का मन्दिर है। इस मन्दिर के आभूषणों एवं बहुमूल्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन दिनांक 9-9-71 से 19-9-71 तक 23-9-71 से 25-9-71 तक व 5-10-71 से 13-10-71 तक, दिनांक 11-10-79, 16-10-79 से 18-10-79, 25-10-79 से 27-10-79, 14-11-79 से 17-11-79, 13-12-79, 18 व 19-12-79, 7-2-80 से 8-2-80, 13 व 14-2-80, 22-6-82 से 8-7-82, 6-8-82 से 13-8-82, 26-8-82 से 31-8-82 एवं आखिर बार सत्यापन दिनांक 7-9-82 से 10-9-82 तक किया गया है। आखिर बार के सत्यापन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। दिनांक 15-11-79 को विशेषाधिकारी, देवस्थान व राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में मन्दिर के बन्द भण्डार का भौतिक सत्यापन व इन्वेन्ट्री का कार्य करते वक्त बन्द भण्डार के मुख्य दरवाजे के सामने वाली ओवरी में बक्सों के बाहर टांड पर लाल कपड़े की थैली में लिपटी हुई दो चांदी की हंसलिया, सोने का मुलम्मा चढ़ी हुई पाई गई। जिनका वजन 38 तोला है। इस जानकारी के बाद सत्यापन का कार्य जारी रखते हुये संपादित किया गया है। पुलिस में एफ. आई. आर. दिनांक 23-2-80 को दर्ज हुई है। एफ. आई. आर. की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) जी नहीं। वास्तव में भौतिक सत्यापन कार्य चालू है अतएव पुनः सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक सत्यापन के कार्य हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 25-3-80 को एक कमेटी गठित की है। सत्यापन कमेटी में स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रतिनिधित्व का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शीघ्र सत्यापन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचौर में गोचर भूमि का नियमन

133. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसीलदारों को गोचर भूमि के पट्टे देने के अधिकार है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि सांचोर में विभिन्न तहसीलदारों द्वारा गोचर भूमि का नियमन किया गया है? यदि हां; तो गत पांच वर्षों में कितनी भूमि नियमन की गई है? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नियमन कार्यवाही नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे गलत कार्य के लिए कोई कार्यवाही की है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, और कब तक?

(4) गत पांच वर्षों में नियमन के जरिये कितना गोचर रकबा कम हुआ है?

उत्तर

(1) जी हां। गोचर भूमि पर निर्मित अनधिकृत मकानों व बाड़ों को नियमन कर पट्टे देने के सीमित अधिकारी तहसीलदारों को राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प. 6(17) राज/(ख) 71, दिनांक 3-7-71 एवं एफ. 6 (10) राज/4/77 दिनांक 23-4-77 के अन्तर्गत है।

(2) जी हां। तहसील सांचौर में विभिन्न तहसीलदारों द्वारा गोचर भूमि का गत पांच वर्षों में वर्ष वार भूमि का नियमन निम्नानुसार किया गया है:—

वर्ष 1978	6679 वर्ग गज
वर्ष 1979	4676 ,,
वर्ष 1980	6360 ,,
वर्ष 1981	निल
वर्ष 1982	निल

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिन केसेज में नियमान्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई है उनके लिये संबंधित तहसीलदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(4) गत पांच वर्षों में नियमन के जरिये गोचर क्षेत्र में 9.3 बीघा की कमी हुई है।

तहसील सांचौर में तहसीलदार द्वारा गोचर पर नियमन किये गये रकबे व व्यक्तियों की सूची ।

क्र.सं.	नाम वल्दियत व पता	रकबा वर्ग गज	ता. फैसला
1.	श्री करमू पुत्र केसरा माली सा. सांचौर	679	31-12-78
2.	श्री मिश्रा पुत्र किस्तूरी जी सुनार सा. सांचौर	1000	14-8-78
3.	श्री मोहन पुत्र किस्तूरी जी सुनार सा. सांचौर	1000	"
4.	श्री बिठ्ठल पुत्र जावता " "	1000	"
5.	श्री गमण्डा पुत्र किस्तूरीजी सा. "	1000	"
6.	श्री रेवड पुत्र अरदा सुनार सा. सांचौर	1000	"
7.	श्री भगवाना पुत्र जोगा लुहार सा. सांचौर	1000	11-9-78
8.	श्री छगन पुत्र चिमनी दास सा. सांचौर	485	8-6-79
9.	श्री गोरी पुत्र लक्ष्मीधर सा. सांचौर	1185	"
10.	श्री पुखराज पुत्र पीराजी ओसवाल सा. सांचौर	485	24-4-79
11.	श्री मेघसिंह पुत्र पीरसिंह राजपूत सा. सिवाडा	776	"
12.	श्री कानसिंह पुत्र पीरसिंह राजपूत सा. सिवाडा	485	"
13.	श्री बाबूलाल पुत्र सिरेहमल ओसवाल सा. सांचौर	592	5-1-79
14.	श्री भोलराम पुत्र खज्जीराम ब्राह्मण सा. आमली	368	24-4-79
15.	श्री गेहरा पुत्र सदाकलसी सा. सांचौर	1000	25-4-79
16.	श्री घासीराम पुत्र रामशरण अग्र. सा. सांचौर	485	18-6-80
17.	श्री गोरी पुत्र चतरदास साद सा. सांचौर	1000	17-6-80
18.	श्री हरिदास पुत्र पीताम्बरदास साद सा. सांचौर	500	"
19.	श्री भंवरदास पुत्र आसराम साद सा. सांचौर	1000	20-6-80
20.	श्री सेवा पुत्र रामा कलवी सा. सांचौर	500	"
21.	श्री करणाराम पुत्र भामाराम रेवारी सा. सांचौर	1000	28-6-80
22.	श्री जनकीदास पुत्र परशराम साद सा. सांचौर	875	20-6-80
23.	श्री धनराज पुत्र जेठा जी ब्राह्मण सा. सांचौर	1000	16-7-80

तहसील राजगढ़ (चूरू) में भू-प्रबन्ध कार्य

134. श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला चूरू की राजगढ़ तहसील में भू-प्रबन्ध सम्वत् 2018 में हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध की अवधि नियमानुसार 20 वर्ष होती है वर्ष संवत् 2038 में पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तहसील राजगढ़ में दुबारा भू-प्रबन्ध का कार्य कब चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ की भू-माप एवं भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां सन् 1962 (सम्वत्-2018-19) में आरम्भ कराई गई थी ।

(2) जी हां । तहसील राजगढ़ के भू-माप तथा भू-प्रबन्ध का कार्य सम्वत्-

(राजस्व मंत्री)

2018 में प्रारम्भ किया आकर सम्वत्-2025 में समाप्त हुआ अतः इसकी अवधि सम्वत् 2044 तक है। अभी भू-माप एवं भू-प्रबन्ध पुनः कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इटावा (कोटा) में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलना

135. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवारों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या तथा जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु कोटा जिले के इटावा कस्बे में सहायक जिलाधीश का कार्यालय स्थापित करने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है?

(2) यदि हां, तो उक्त मामल की क्या स्थिति है?

(3) क्या राज्य सरकार जनहित को मद्दे नजर रखते हुए उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

ओपन कास्ट पद्धति द्वारा खनन कार्य

136. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना की संगमरमर की खानों में खनन कार्य ओपन कास्ट पद्धति द्वारा किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि इस पद्धति से संगमरमर बरबाद हो रहा है तथा खनन के पश्चात् दोनों ओर ओवर-हैंगिंग चट्टानें व मलवा पड़ा रहता है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतया अवांछित है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में संगमरमर की परत का झुकाव काफी अधिक है इस कारण खनन कार्य बहुत ही असुरक्षित हो गया है।

(4) मकराना की खानों के व्यवस्थित सुरक्षित एवं वैज्ञानिक खनन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि कुछ खानों में ओवर हैंगिंग चट्टानें व मलवा पड़ा है किन्तु यह सही नहीं है कि ओपन कास्ट पद्धति से संगमरमर बरबाद हो रहा है।

(3) यह सही है कि इस क्षेत्र में संगमरमर की चट्टानों का झुकाव अधिक है लेकिन झुकाव के ही कारण खनन कार्य असुरक्षित हो गया है, सही नहीं है।

(4) सरकार ने सुरक्षा एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य की दृष्टि से पूर्व की अपेक्षा

(खनिज मंत्री)
बड़े क्षेत्र आवंटन करने का निर्णय लिया है। आधुनिक मशीनों से खनन कार्य करने और अधिक बड़े क्षेत्र आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया है। पट्टाधारियों को मशीनरी के क्रय व खानों के विकास व ओवर बर्डन हटाने हेतु ऋण की सुविधा भी प्रदान की है तथा किराये पर उपकरण भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

जिलाधीश, जोधपुर द्वारा काश्तकारों की भूमि का हस्तान्तरण

137. श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बनाड़ तहसील जोधपुर में दिनांक 12-5-1976 को 14 खसरों की 560 बीघा भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए जिलाधीश, जोधपुर ने सैनिक विभाग को हस्तान्तरित कर दी जबकि उक्त भूमि बनाड़ के गरीब काश्तकारों की थी और जो उन्हें वर्ष 1966 से 1978 के बीच नियमन हो चुकी थी? अगर हां, तो इन काश्तकारों को उनकी नियमन शुदा भूमि का किराया/मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि इन 14 खसरों के अलावा जो भूमि अवाप्त की उसका किराया/मुआवजा संबंधित काश्तकारों को दिया गया? अगर हां, तो कब कब? यदि नहीं, तो क्यों और अब उक्त 14 खसरों के काश्तकारों को भूमि का किराया/मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। भू-अभिलेख में यह भूमि सिवाय चक दर्ज होने से सैनिक विभाग को नियमानुसार दी गई है। इस भूमि के कुछ क्षेत्रफल के काश्तकारों के हक में नियमन के आदेश अवश्य जारी किये गये हैं, किन्तु ये आदेश नियमों के विरुद्ध होने से निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। जब तक इन मामलों में न्यायिक रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को काश्तकारी अधिकार नहीं मान लिये जाते तब तक किराया/मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है।

(2) उपरोक्त वर्णित 14 खसरा नम्बरान के अलावा जो भूमि सुरक्षा विभाग को दी गई, उस भूमि से सम्बन्धित काश्तकारों को भूमि का मुआवजा/किराया दिनांक 8-6-82 तक की अवधि का भुगतान किया जा चुका है। उसके बाद का किराया भुगतान करना शेष है। सुरक्षा विभाग से किराये की राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जावेगा। कार्यवाही जारी है।

पंचायत लानेरी, सराड़ा क्षेत्र में निगम की बसेज चलाना

138. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत लानेरी सराड़ा, जिला उदयपुर में पलोदड़ा सराड़ा वेमारी श्यामपुर केशरियाजी मार्ग पर राजस्थान पथ परिवहन निगम को बस चलाने के परमिट दिये गये हैं? यदि हां, तो

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

अब तक इस मार्ग पर निगम की बस नहीं चलाने का क्या कारण है ?

(2) क्या निगम की बसेज चलाने हेतु सराड़ा की जनता की मांग है ? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त मार्ग पलोदड़ा, चावण्ड, सराड़ा सेमारी, कल्याणपुर केशरियाजी तक निजी वाहन स्वामियों का मार्ग है।

(2) जी हां। वर्तमान में निगम की नीति नये मार्गों पर मोटर गाड़ी अधिनियम के अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत कोई अनुज्ञापत्र न लेने की है। अतः वर्तमान में इसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

उच्च न्यायालय में अतिरिक्त वकीलों की नियुक्ति

139. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार ने उच्च न्यायालय में किन किन मामलों में पैरवी हेतु सरकारी वकीलों के अतिरिक्त किन किन अन्य वकीलों को लगा रखा है, और उन्हें कितनी कितनी फीस दी गई या देना तय किया गया है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी वकीलों के अतिरिक्त वकीलों को मुकदमें की पैरवी हेतु नियुक्त करने का क्या आधार था ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मामलों की पेचीदगी तथा उनमें महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं के निहित होने के कारण सरकारी वकीलों के अतिरिक्त अन्य अभिभाषकगण की नियुक्ति की जाती है।

सूची

उन मामलों की सूची जिनमें सरकार ने उच्च न्यायालय में मामलों की पैरवी हेतु अन्य वकीलों को लगा रखा है:–

(1) श्री मगराज कल्ला, अभिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर को वाद सं. 113/80 डा. रामावतार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य में दिये गये निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील में पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया तथा फीस अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(2) श्री एस. एल. जोशी, एडवोकेट को जयपुर होजरू बनाम राजस्थान राज्य के दीवानी वाद में द्वितीय अपील में पैरवी करने हेतु 4000/-रु. मेहनताने पर वित्त विभाग के अनुरोध पर नियुक्त किया गया है।

(3) डा. लक्ष्मीमल सिंघवी, वरिष्ठ अभिभाषक, सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि. द्वारा दायर की गई चार याचिकाओं में 5500/रु. प्रतिदिन के हिसाब से देय मेहनताने पर विद्युत विभाग के अनुरोध पर नियुक्त किया गया है।

Page No.163

(विधि मंत्री)

(4) श्री आर. एन. मिरोलिया, एडवोकेट जयपुर को उच्च न्यायालय में दायर फौजदारी अपील स्टेट बनाम एस. के. ऐरन की पैरवी हेतु 2700†-रु. मेहनताने पर विशिष्ट महानिरीक्षक, आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अनुरोध पर नियुक्त किया गया है।

(5) श्री एन. डी. मंत्री एडवोकेट को राजस्थान सरकार बनाम हरिशंकर शर्मा व अन्य संबंधित याचिकाओं में पैरवी हेतु प्रशासनिक विभाग के अनुरोध पर नियुक्त किया हुआ है। प्रथम याचिका का मेहनताना 2200/-रु देना तय किया है तथा शेष प्रत्येक याचिका के लिये मेहनताना 200/-रु. देना तय किया गया है।

कपूरड़ी (बाड़मेर) में लिग्नाइट कोयले का भण्डार

140. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में ग्राम कपूरड़ी के पास लिग्नाइट नाम का कोयला प्राप्त हुआ है जो अभी तक राजस्थान में पायी जाने वाली लिग्नाइट में सर्वश्रेष्ठ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि जिससे वह इस क्षेत्र में पाये जाने वाले पूरे लिग्नाइट का पता शीघ्रातिशीघ्र लगा सके ?

(3) क्या राज्य सरकार केन्द्र से सहायता लेकर इस लिग्नाइट क्षेत्र की पूरी जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो इस विषय में उसके क्या प्रयास रहे हैं ?

(4) अब तक कितनी-कितनी गहराइयों पर और कितनी लम्बाई-चौड़ाई में अनुमानित कितना लिग्नाइट प्राप्त होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर के कपूरड़ी क्षेत्र में लिग्नाइट की श्रेणी राजस्थान में अन्य स्थानों पर प्राप्त लिग्नाइट के अनुरूप ही है।

(2) हां, राज्य सरकार के पास लिग्नाइट के पूर्वेक्षण के उपयुक्त छिद्रण यंत्रों का सीमित होने से इस क्षेत्र में पूरे लिग्नाइट का पता शीघ्रताशीघ्र लगाने में कठिनाई है।

(3) छिद्रण यंत्रों एवं अन्य विशिष्ट तकनीकी यंत्रों के अभाव में राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार के भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग तथा खनिज गवेषण निगम द्वारा सहायता लेकर लिग्नाइट क्षेत्र की पूरी जांच की जा रही है। इस कार्य हेतु केन्द्रीय ऊर्जा विभाग से एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई है।

(4) कपूरड़ी क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डार 40 से 100 मी. गहराई में 3.50 कि. मी. लम्बे तथा 2 कि. मी. चौड़े क्षेत्र (7.50 वर्ग कि. मी.) में अब तक 1 करोड़ 60 लाख टन लिग्नाइट भण्डार मिलने का अनुमान है।

मारवाड़ जंक्शन में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

141. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सोजत (पाली) में कितने न्यायालय हैं ?

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

(2) उक्त न्यायालयों में तहसील मारवाड़ जंक्शन व सोजत के कितने-कितने मामले वर्ष 1980, 1981 व 1982 में प्रस्तुत हुए ?

(3) क्या सरकार तहसील मारवाड़ जंक्शन में एक मुंसिफ न्यायालय खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सोजत (पाली) में दो न्यायालय हैं—एक मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का एवं दूसरा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश का।

(2) सोजत के दोनों न्यायालय में सन् 1980 में 1276, सन् 1981 में 1741 और सन् 1982 में 1265 मुकदमें लम्बित थे। इनमें से क्रमशः 674, 782 व 669 मुकदमें तहसील मारवाड़ जंक्शन के हैं एवं 602, 782 व 669 सोजत के मुकदमें हैं।

(3) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये वर्तमान में कोई न्यायालय तहसील मारवाड़ जंक्शन में स्थापित करना सम्भव नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के छात्रों से विभिन्न शुल्कों की वसूली

142. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में अध्ययनरत छात्रों से प्रतिवर्ष अन्य शुल्कों के साथ निम्न शुल्क भी वसूल किया जाता है:—

(क) पत्रिका एवं बुलेटिन शुल्क रुपये 8/- प्रति छात्र

(ख) आंतरिक परीक्षा शुल्क रुपये 8/- प्रति छात्र

(ग) विकास शुल्क रुपये 12/- प्रति छात्र

(घ) चिकित्सा शुल्क रुपये 3/- प्रति छात्र

(ङ) विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि छात्रों से विशेष पत्रिका शुल्क रुपये 4/- प्रति छात्र

(2) शैक्षणिक सत्र 1981-82 एवं 1982-83 में इन मदों के विरुद्ध कुल कितनी-कितनी राशि वसूल की गई ?

(3) जिन प्रयोजनों हेतु यह शुल्क वसूल किये गये उन पर शैक्षणिक सत्र 1981-82 एवं 1982-83 में कुल कितना-कितना खर्चा किस रूप में किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शैक्षणिक सत्र 1981-82 एवं 1982-83 में इन मदों में वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सूची

शैक्षणिक सत्र 1981–82 एवं 1982-83 में वसूल की गई राशि ।

मद	सत्र 1981–82	सत्र 1982–83 (31-1-83 तक)
1. पत्रिका बुलेटिन	33,660.00	33,900.00
2. आन्तरिक परीक्षा शुल्क	33,660.00	32,116.00
3. विकास	50,490.00	42,009.00
4. चिकित्सा	12,622.50	12,231.00
5. विशेष पत्रिका		
विज्ञान	5,468.00	5,541.00
वाणिज्य	4,748.00	4,692.00
विधि	2,284.00	1,872.00

सूची

शैक्षणिक सत्र 1981-82 एवं 1982-83 में खर्च की गई राशि का विवरण

मद	1981-82	1982-83 (31-1-83 तक)	
1. पत्रिका एवं बुलेटिन	49,796.60	1,788.00	
2. आन्तरिक परीक्षा शुल्क	13,723.81	1,452.85	
3. विकास मद	42,913.21	26,328.33	
4. चिकित्सा शुल्क	459.84	शून्य	
5. विशेष पत्रिका			
विज्ञान	3,690.72	शून्य	अभी सत्र
वाणिज्य	शून्य	शून्य	चालू है ।
विधि	3,733.50	शून्य	

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का विवरण)

जामसर वितरिका के विभिन्न चकों में की गई सिंचाई का विवरण

(सभी आंकड़े एकड़ों में)

क्र.सं.	नाम चक	सी.सी.ए.	रबी 1981-82	खरीफ 1982
1	2	3	4	5
1.	1 जे एम डी	667	16	18
2.	2 जे एम डी	469	9	4
3.	3 जे एम डी	460	2	—
4.	4 जे एम डी	420	14	21
5.	5 जे एम डी	589	3	1
6.	6 जे एम डी	595	26	—
7.	7 जे एम डी	390	18	32
8.	8 जे एम डी	642	19	18
9.	9 जे एम डी	337	28	12
10.	10 जे एम डी	537	9	9
11.	11 जे एम डी	313	20	9
12.	12 जे एम डी	693	20	15
13.	13 जे एम डी	503	18	13
14.	14 जे एम डी	635	14	20
15.	15 जे एम डी	578	26	—
16.	16 जे एम डी	541	48	32
17.	17 व 18 जे एम डी	876	28	8
18.	19 जे एम डी	843	84	18
19.	20 जे एम डी	613	57	17
20.	21 जे एम डी	513	—	—
21.	22 जे एम डी	578	5	4
22.	23 जे एम डी	485	—	—
23.	24 जे एम डी	496	—	—
24.	25 जे एम डी	505	—	—
25.	26 जे एम डी	805	—	—
26.	27 जे एम डी	501.25	—	—
27.	28 जे एम डी	525	—	—
	योग	15109.25	464	251

1	2	3	4	5
	खीचियां माइनर			
28.	1 के एच एम	467	4	–
29.	2 के एच एम	723	16	1
30.	3 के एच एम	492	7	16
31.	4 के एच एम	515	6	–
32.	5 के एच एम	233	–	–
33.	6 के एच एम	892	–	–
34.	7 के एच एम	591	–	–
	योग	3913	33	17
	धोलेरा माइनर			
35.	1 डी एच एम	386	–	–
36.	2 डी एच एम	759	–	–
37.	3 डी एच एम	627	–	–
	योग	1772	–	–

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

क्र. सं.	अपीलान्ट का नाम	अपील पेश करने की तारीख	स्वीकार करने का आधार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री रघुवीर सिंह, निवासी-केलवा	24-3-81	अपील का निर्णय दिनांक 15-7-81 इस आधार पर दिया गया कि आवेदित क्षेत्र में संगमरमर का पाकेट डिपोजिट है व क्षेत्र का डेलीनियेशन प्लान नहीं बनाया जा सकता।	संविदा निष्पादन पर अभी काउन्टर सिगनेचर्स नहीं हुए हैं।
2.	श्री फूलचन्द कोठारी, निवासी-केलवा	6-1-81	अपील दिनांक 28-9-81 को इस आधार पर स्वीकार की गई कि आवेदित क्षेत्र के पास 3 खनन् पट्टे पूर्व में स्वीकृत थे एवं शेष क्षेत्र के लिये डेलीनियेटेड प्लान नहीं बनाया जा सकता।	संविदा पर अभी प्रतिहस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
3.	श्रीमती चन्द्रा बापना, निवासी-केलवा	11-5-81	अपील निर्णय दिनांक 6-8-81 इस आधार पर दिया गया कि अपीलान्ट द्वारा जिस क्षेत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके आस-पास कोई डेलीनियेटेड प्लान नहीं बनाया गया है और न डेलीनियेटेड प्लान बन सकता है, चूंकि इसमें छितराया हुआ इलाका है	संविदा का निष्पादन 5-1-82 को होकर पंजीयन हो चुका है।
4.	श्री हरीओम सिंह, निवासी-केलवा	4-2-81	अपील का निर्णय दिनांक 7-8-81 को इस आधार पर हुआ कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित क्षेत्र डेलीनियेटेड प्लान में	संविदा का निष्पादन दिनांक 9-9-81 को किया जाकर पंजीयन हो चुका है।

			में शामिल करने योग्य नहीं था इसलिए वह शामिल नहीं किया गया है एवं यह क्षेत्र डेलीनियेटेड प्लान से दूरी पर छितराई हुई अवस्था में है इसके अलावा और कोई प्लॉट नहीं है।	
5.	श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़, केलवा	3-2-81	अपील निर्णय दिनांक 22-5-82 इस आधार पर दिया गया कि केलवा डेलिनियेटेड क्षेत्र के पास में गढ़ के अन्दर जो पूर्व में क्षेत्र छोड़ा गया था, उसमें पुनः डेलीनियेशन नहीं किया जा सकता एवं राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 29-10-79 के अनुसार है। केवल "कम्पेक्ट" क्षेत्र में ही डेलीनियेशन करना है, इसके अलावा बचा हुआ क्षेत्र पहाड़ी व छितराया हुआ क्षेत्र है, वहां पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति देने की कार्यवाही करनी चाहिये।	संविदा निष्पादन हो चुका है।
6.	श्री हरी सिंह राठौड़, केलवा	6-1-82	,, ,,	
7.	श्री ख्याली लाल कोठारी, केलवा	11-1-82	निर्णय दिनांक 30-9-82 इस आधार पर दिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-10-79 केवल बाबरमाल, राजसमंद व आमेट क्षेत्र पर ही लागू होता है, तहसील कुम्भलगढ़ का नाम उक्त आदेश में नहीं है।	संविदा निष्पादन की कार्यवाही लम्बित है।
8.	श्री प्रहलाद पालीवाल, जावद	23-12-81	,, ,,	संविदा निष्पादन हो चुका है।
9.	श्री प्रकाश चन्द्र मेहता, राजसमंद	5-8-82	,, ,,	,,
10.	श्रीमती कंचन देवी मेहता, राजसमंद	5-8-82	,, ,,	,,
11.	श्री विनोद कुमार कोठारी, केलवा	28-8-82	,, ,,	संविदा निष्पादन की कार्यवाही लम्बित है।
12.	श्रीमती कमला देवी समदानी, कांकरोली	5-8-82	,, ,,	,,

1	2	3	4	5
13.	श्री रामेश्वर लाल प्रसावा, केलवाड़ा	5-8-82	निर्णय दिनांक 30-9-82 इस आधार पर दिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-10-79 केवल बावर माल राज समंद व आमेट क्षेत्र पर ही लागू होता है । तहसील कुम्भलगढ का नाम उक्त आदेश में नहीं है ।	संविदा पंजीयन होकर प्राप्त नहीं हुआ ।
14.	श्री हेमसिंह राजपुरा, दोवास	5-8-82		„
15.	श्री रमण लाल सुथार, राजसमंद	12-7-82	अपील निर्णय दिनांक 21-12-82 इस आधार पर दिया गया कि "राज्यादेश" दिनांक 29-10-79 में छितराये क्षेत्र की कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई केवल मात्र निदेशालय के ये निर्देश हैं कि जहां 100X100 मीटर के 6 से कम प्लाट बनते हों और जो किसी डेलीबियेटेड क्षेत्र से एक कि. मी. के अन्दर नहीं आता हो उसको छितराया हुआ माना जावे । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-10-79 में एक कि. मी. दूर होने का कहीं उल्लेख नहीं है ।	संविदा निष्पादन हो चुका है ।
16.	श्री प्रताप सिंह मेहता, आमेट	28-7-82	„	संविदा पंजीयन हो चुका ।
17.	श्री प्रताप सिंह मेहता आमेट	28-7-82	„	
18.	श्री गोपाल जोशी, सरदारगढ़	28-7-82	„	„
19.	श्री सरदार मोहम्मद, कुंआरिया	10-8-82	„	„
20.	श्री हनीफ, मोहम्मद, राजनगर	11-8-82	„	„
21.	श्री जीवन सिंह बारहठ, सोनियाना	26-7-82	„	„
22.	श्री ओमप्रकाश, सोनियाना	26-7-82	„	„
23.	श्री फतहलाल मेहता, आमेट	15-6-82	„	„

1	2	3	4	5
			अपील निर्णय दिनांक 21-12-82 इस आधार पर दिया गया कि राज्यादेश दिनांक 29-10-79 में छितराये क्षेत्र की कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई केवल मात्र निदेशालय के ये निर्देश हैं कि जहां 100×100 मीटर के 6 से कम प्लाट बनते हों और जो किसी डेसिनियेटेड क्षेत्र से एक किलोमीटर के अन्दर नहीं आता हो, उसको छितराया हुआ माना जावे, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-10-79 में एक कि. मी. दूर होने का कहीं उल्लेख नहीं है	
24.	श्री कौशल प्रकाश, आमेट	15-6-82	ऐजन	संविधान पंजीयन हो चुका है
25.	श्रीमती विमला देवी, राजनगर	11-1-82	"	"
26.	श्री किशनलाल चपलोत, केलवा	29-10-82	"	संविदा निष्पादन की कार्यवाही लम्बित है।
27.	श्री चतरसिंह राजपूत, आगरिया	31-7-82	"	
28.	श्री रोशनलाल जैन, आमेट	5-7-82	"	"
29.	श्रीमती प्रेमलता, आगरिया	26-7-82	"	संविदा निष्पादन हो चुका है।
30.	श्री नारायणदास वैष्णव तासोल	13-9-82	अपील निर्णय दिनांक 4-10-82 इस आधार पर दिया गया कि वास्तव में अपीलान्ट द्वारा आवेदित क्षेत्र सघन मार्बल डिपोजिट की रेंज में नहीं आता है और उक्त क्षेत्र छितराये हुए क्षेत्र की परिभाषा में आता है, जिसमें पुनः विचार किया जाना उचित है।	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का विवरण)

टौंक जिले में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 83 से 15 फरवरी, 83 तक की अवधि में भूमि आवंटन एवं अतिक्रमण के मामलों का निम्न प्रकार नियमन किया गया है :—

उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटन :—

क्र. सं.	नाम तहसील	अनु. जाति		जनजाति		अन्य		योग	
		सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र
1	2	3		4		5		6	
1.	टौंक	65	89	49	42	233	222	347	353
2.	उनियारा	19	27	73	97	120	244	212	368
	योग:—	84	116	122	139	353	466	559	721

सिवाय चक भूमि का आवंटन

1.	टौंक	393	527	265	357	1680	2040	2336	2924
2.	निवाई	392	853	318	503	1351	2206	2061	3562
3.	उनियारा	233	525	438	868	700	1488	1371	2881
4.	देवली	418	951	821	1874	1233	2273	2472	5103

5.	मालपुरा	544	885	89	116	1158	1633	1791	2634
6.	टोडारायसिंह	145	209	41	47	615	863	801	1119
	योग:-	2125	3950	1970	3765	6737	10508	10832	18223

सीलिंग नियमों के अन्तर्गत प्रवाप्त भूमि का आवंटन

1.	टोंक	66	75	—	—	82	177	148	252
2.	निवाई	4	19	24	137	2	10	30	166
3.	उनियारा	66	122	26	75	80	206	172	403
4.	देवली	09	17	38	93	35	101	82	211
5.	मालपुरा	--	—	-	—	2	2	2	2
6.	टोडारायसिंह	—	—	---	—	3	8	3	8
	योग :-	145	233	88	305	204	504	437	1042

कुल मदवार योग

	मद								
1.	उपनिवेशन क्षेत्र	84	116	122	139	353	466	559	721
2.	सिवायचक	2125	3950	1970	3765	6737	10508	10832	18223

1	2	3		4		5		6	
3.	सीलिंग	145	233	88	305	204	504	437	1042
	योग :—	2354	4299	2180	4209	7294	11478	11828	19986

नाम तहसील	निर्णय मामलों की संख्या
1. टोंक	81
2. निवाई	7
3. उनियारा	23
4. देवली	564
5. मालपुरा	--
6. टोडारायसिंह	9
योग:—	684

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

वे स्थान जहां आवासन मण्डल द्वारा नया पंजीकरण होना है :—

क्र. सं.	शहर/कस्बे का नाम	नाम जिला
1	2	3
1.	कोटपूतली	जयपुर
2.	दौसा	"
3.	चौमूं	"
4.	सांगानेर	"
5.	जोधपुर	जोधपुर
6.	फलौदी	"
7.	बिलाड़ा	"
8.	पीपाड़	"
9.	नाथद्वारा	उदयपुर
10.	कांकरोली	"
11.	राजसमन्द	"
12.	फतेहनगर	"
13.	सलूम्बर	"
14.	अलवर	अलवर
15.	भीलवाड़ी	"
16.	अजमेर	अजमेर
17.	विजय नगर	"
18.	नसीराबाद	"
19.	केकड़ी	"
20.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
21.	गुलाबपुरा	"
22.	मांडलगढ़	"
23.	शाहपुरा	"
24.	गंगानगर	गंगानगर
25.	हनुमानगढ़	"
26.	सूरतगढ़	"
27.	नोहर	"
28.	अनूपगढ़	"
29.	गडसाना	"
30.	रेवाला	"
31.	बीकानेर	बीकानेर

Page No.176

1	2	3
32.	बेरियोवाली	बीकानेर
33.	लूनकरणसर	"
34.	गंगाशहर	"
35.	नोखा	"
36.	हिन्डौन	सवाई माधोपुर
37.	मानटाउन	"
38.	गंगापुरसिटी	"
39.	करौली	"
40.	श्री माधोपुर	सीकर
41.	रामगढ़	"
42.	लक्ष्मणगढ़	"
43.	नीम का थाना	"
44.	फतेहपुर	"
45.	नवलगढ़	झुंझुनू
46.	चिड़ावा	"
47.	पिलानी	"
48.	बिसाऊ	"
49.	मन्डावा	"
50.	झुंझुनू	"
51.	बून्दी	बून्दी
52.	नैनवा	"
53.	केशोरायपाटन	"
54.	लाखेरी	"
55.	नागौर	नागौर
56.	डीडवाना	"
57.	कुचामन	"
58.	मकराना	"
59.	मेडता सिटी	"
60.	लाडनूं	"
61.	चूरू	चूरू
62.	सरदार शहर	"
63.	रतनगढ़	"
64.	राजगढ़	"
65.	सुजानगढ़	"
66.	डूंगरगढ़	"
67.	पाली	पाली
68.	सुमेरपुर	"
69.	सोजतसिटी	"
70.	जैतारण	"
71.	बाड़मेर	बाड़मेर
72.	सिवाना	"

Page No.177

क्र. सं.	नाम शहर/कस्बा	नाम जिला
73.	बालोतरा	बाड़मेर
74.	डीग	भरतपुर
75.	बयाना	"
76.	बाडी	"
77.	कामां	"
78.	बारां	कोटा
79.	सांगोद	"
80.	सिरोही	सिरोही
81.	आबूरोड	"
82.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
83.	निम्बाहेड़ा	"
84.	भीनमाल	जालौर
85.	जालौर	"
86.	धौलपुर	धौलपुर
87.	डूंगरपुर	डूंगरपुर
88.	जैसलमेर	जैसलमेर
89.	झालावाड़	झालावाड़
90.	टोंक	टोंक
91.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
92.	पीलीबंगा	श्री गंगानगर
93.	रावतसर	"
94.	भादरा	"
95.	रायसिंहनगर	"

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

परिवहन निगम के कोटा-बून्दी-झालावाड़ आगारों में गत 2 वर्षों में निलम्बित किये गये परिचालकों की सूची :—

क्र. सं.	वर्ष	आगार का नाम	परिचालकों के नाम
1	2	3	4
1.	1981	बून्दी	श्री शिवदास शर्मा
2.			,, पूरनचन्द शर्मा
3.			,, हितेन्द्रसिंह हाड़ा
4.			,, ओंकारनाथ शुक्ला
5.			,, श्रवण लाल शर्मा
6.			,, गिर्राज प्रसाद शर्मा
7.			,, भंवरसिंह हाडा
8.			,, शिवदयाल लखेरा
9.			,, भोपाल सिंह (प्रथम)
10.			,, भंवरलाल नागर
11.			,, रामसहाय चौधरी
12.			,, महावीर सुवालका
13.			,, देवलाल कारपेन्टर
14.			,, राजेन्द्र सिंह फौजी
15.			,, मुरारी लाल यादव
16.			,, हीरालाल जाट
17.			,, मोतीलाल प्रथम
18.			,, सत्यनारायण लाखेरा
19.			,, गोविन्दराम
20.			,, जगदीश नरूका
21.			,, गम्भीरसिंह
22.			,, शम्भूलाल नायक
23.			,, नन्द किशोर खाती
24.			,, भगवानसिंह द्वितीय
25.			,, भंवरलाल दरोगा
26.			,, गोपालसिंह द्वितीय
27.			,, बजरंगलाल सोलंकी
28.			,, लज्जाशंकर
29.			,, भूरालाल परिहार
30.			,, जगदीश यादव
31.			,, मूलगिरी गोस्वामी

Page No.179

1	2	3	4
32.			श्री राधाकिशन
33.			,, द्वारका प्रसा
34.			,, सम्पतलाल
35.			,, रूपनारायण शर्मा
36.			,, प्रेम चन्द जैन
37.			,, श्रवण लाल शर्मा
38.			,, अ. हकीम
39.			,, भंवरलाल नागर
40.			,, अलीमुद्दीन
41.			,, राम सहाय चौधरी
42.			,, श्री भंवरलाल जाट
43.		कोटा	,, मदन सिंह
44.			,, बलदेव सिंह
45.			,, सुरेन्द्र प्रकाश
46.			,, शिवदयाल शर्मा
47.			,, दुर्गाशंकर मीणा
48.			,, भाबीर खां
49.			,, ओम प्रकाश (चतुर्थ)
50.			,, गिर्राज
51.			,, जगदीश उपाध्याय
52.			,, दुर्गासिंह
53.			,, नवरत्नमल
54.			,, लक्ष्मण जौहरी
55.			,, कन्हैयालाल मीणा
56.			,, अहमद हुसैन
57.			,, नयूम अली
58.			,, सुरेश कुमार
59.			,, मिल्की राम
60.			,, जगदीश प्रसाद
61.			,, भगवान सिंह
62.			,, अख्तर हुसैन
63.			,, हरिराम राठौड़
64.			,, श्रवण सिंह
65.			,, घनश्याम
66.			,, मनोहर लाल सैनी
67.			,, तुलसीराम
68.			,, श्याम बिहारी शर्मा
69.			,, कमलेश पूनिया
70.			,, हकीकत शर्मा
71.			,, राजेन्द्र कुमार शर्मा
72.			,, रामलाल बैरवा
73.			,, रघुवीर सिंह हाड़ा

Page No.180

1	2	3	4
74.			श्री सुमेरसिंह
75.			,, मूल चन्द दाधीच
76.			,, कैलाश चन्द शर्मा
77.			,, धन्ना लाल
78.			,, गोकुल चंद माली
79.			,, ज्ञान चन्द
80.			,, रघुनाथ सिंह
81.			,, रामस्वरूप तृतीय
82.			,, रामकिशोर
83.			,, मोहनसिंह
84.			,, मो. ईशाक
85.			,, लक्ष्मण राम
86.			,, अहमद हुसैन
87.			,, जाहिद हुसैन
88.			,, लीलाराम आर्य
89.			,, गफ्फार खां
90.			,, कर्ण सिंह
91.			,, मदनसिंह
92.			,, रमेश चन्द
93.			,, बालूराम मेहर
94.			,, शिवराम नागर
95.			,, हेमराज भील
96.			,, राजेन्द्र प्रसाद
97.			,, रामस्वरूप (चतुर्थ)
98.			,, अलीमुद्दीन
99.			,, पीर मोहम्मद
100.			,, घनश्याम चौता
101.			,, जगदीश उपाध्याय
102.			,, जगदीश सैनी
103.			,, जगदीश चन्देल
104..			,, कैलाश गोबारा
105.			,, राजेश चौहान
106.			,, नन्द सिंह
107.			,, छोटूलाल
108.			,, बने सिंह नागर
109.			,, ओम प्रकाश (चतुर्थ)
110.			,, रामवतार जोशी
111.			,, केशर सिंह
112.			,, सुरेश कुमार पारीक
113.	झालावाड़		,, लक्ष्मीनारायण नागर
114.			,, गोपीवल्लभ

Page No.181

1	2	3	4
115.			श्री रिखबचन्द
116.			,, अ. वहीद द्वितीय
117.			,, शिवनारायण छीपा
118.			,, निजामुद्दीन
119.			,, जगवीर सिंह
120.			,, अभय कुमार
121.			,, घासीलाल
122.			,, गजानन्द
123.			,, चन्द्रमोहन शर्मा
124.			,, फूलचन्द पाण्डे
125.			,, अंजनी कुमार
126.			,, मुरारी लाल
127.			,, अब्दुल सईद
128.			,, कृष्ण गोपाल
129.			,, महावीर कुमार जैन
130.			,, रामप्रसाद
131.			,, दिनेश कुमार जायसवाल
132.			,, रामगोपाल सिंह
133.			,, सत्यपाल गुप्ता
134.			,, मदनलाल यादव
135.			,, मनोती राम
136.			,, असराउद्दीन
137.			,, राधाकिशन
138.			,, अलीमुद्दीन
139.			,, पूरणमल
140.			,, शोकत अली
141.			,, चम्पालाल
142.			,, शिव प्रकाश गालव
143.			,, अ. वहीद द्वितीय
144.			,, बहादुर सिंह
145.			,, बद्रीलाल मीणा
146.			,, अ. रफीक
147.			,, नंद सिंह खिची
148.			,, चन्द्रशेखर शर्मा
149.			,, द्वारका प्रसाद
150.			,, रफीक
151.			,, शम्भूदयाल शर्मा
152.			,, सखावत हुसैन
153.			,, सुरेन्द्र सिंह
154.			,, अशफाक पठान

Page No.182

1	2	3	4
155.			श्री मो. इस्लाम
156.			,, कमलेश आर्य
157.			,, मोतीलाल मीणा
158.			,, गम्भीर सिंह
159.			,, वहीद खां
160.			,, शकूर मोहम्मद
161.			,, बनवारी लाल शर्मा
162.			,, अ. रशीद द्वितीय
163.			,, राम कुवार
	1982 कोटा आगार		
1.			श्री घनश्याम चीता
2.			,, सतार मोहम्मद
3.			,, अम्बिका कुमार
4.			,, नन्द लाल गुजर
5.			,, महेश चौधरी
6.			,, मांगीलाल अंसारी
7.			,, बृज मोहन सिंह
8.			,, पदम चन्द जैन
9.			,, महेन्द्र कुमार सोनी
10.			,, सुशील कुमार
11.			,, रामस्वरूप प्रथम
12.			,, रामस्वरूप तृतीय
13.			,, अ. वहीद द्वितीय
14.			,, केशर सिंह
15.			,, खलील मोहम्मद
16.			,, मन मोहन
17.			,, रघुनाथ सिंह हांडा
18.			,, सुभाष भाटिया
19.			,, प्रमोद गालब
20.			,, रामेश्वर लाल पारीक
21.			,, मोहन लाल जैन
22.			,, रईस अहमद
23.			,, राजेश चौहान
24.			,, कैलाश तृतीय
25.			,, मूल चन्द सेन
26.			,, महावीर प्रसाद मंडावत
27.			,, मोहन लाल बैरवा
28.			,, विष्णु शर्मा
29.			,, श्री बलदेव सिंह
30.			,, रामरतन पारीक
31.			,, सुरेन्द्र कुमार विजय

Page No.183

1	2	3	4
32.			श्री रमेश चन्द शर्मा
33.			,, बहादुर सिंह
34.			,, गोपाल लाल जाट
35.			,, जगदीश प्रसाद प्रथम
36.			,, किशन चन्द शर्मा
37.			,, मोहन लाल मीणा
38.			,, विजेन्द्र चौधरी
39.			,, अ. अजीज
40.			,, मोहन लाल छीपा
41.			,, राम नरेश
42.			,, श्रवण लाल
43.			,, पूरण मल गोचर
44.			,, नवरत्नमल
45.			,, महीपाल सिंह
46.			,, चन्द्र शेखर द्वितीय
47.			,, बाल चन्द मीणा
48.			,, पुरुषोत्तम माली
49.			,, महेन्द्र वैष्णव
50.			,, मो. ईस्माइल
51.			,, बाबूलाल
52.			,, रतनलाल चौधरी
53.			,, ताज मोहम्मद
54.			,, निसार मोहम्मद
55.			,, बाबूलाल लुहार
56.			,, छीतर लाल जैन
57.			,, फूल चन्द पाण्डे
58.			,, रामप्रकाश वर्मा
59.			,, हरिश्चन्द यादव
60.			,, निरन्जन सिंह
61.			,, सेडूराम
62.			,, अ. हकीम
63.			,, चन्द्रशेखर प्रथम
64.			,, सुरेन्द्र कुमार पारीक
65.			,, भोलाराम
66.			,, सम्पतलाल
67.			,, केदार मल
68.			,, गिर्राज प्रसाद
69.			,, श्याम बिहारी शर्मा
70.			,, प्रहलाद चौधरी
71.			,, कन्हैयालाल नागर
72.			,, विक्रम सिंह
73.			,, चन्द्र शेखर द्वितीय

Page No.184

1	2	3	4
74.			श्री किशनलाल यादव
75.			,, रमेश बाबू
76.			,, धर्मवीर
77.			,, फैजवअल्ला खां
78.			,, रामलाल मीणा
79.			,, सोभागमल कीर
80.			,, विक्रम सिंह
81.			,, श्रवण लाल
82.			,, इम्तयाज खां
83.			,, बाबूलाल मीणा
84.			,, असफाक पठान
85.			,, चम्पालाल शर्मा
86.			,, सूरजमल रेगर
87.			,, राजेन्द्र माथुर
88.			,, सुरेन्द्र सिंह
89.			,, गोविन्दराम शर्मा
90.			,, भगवान सिंह द्वितीय
91.			,, गुलाब चन्द
92.			,, मनोहर गोस्वामी
93.			,, भंवरलाल शर्मा
94.			,, बाबूलाल मीणा
95.			,, बैजनाथ जाट
96.			,, केशर सिंह
97.			,, नरवर सिंह
98.			,, मोतीलाल मीणा तृतीय
99.			,, कैलाश स्वर्णकार
100.			,, गोपाल मीणा
101.			,, सोहन राठौड़
102.			,, महावीर सवालका
103.			,, हितेन्द्र सिंह
104.			,, सत्यपाल गुप्ता
105.			,, चन्द्र शेखर
106.			,, भोला शंकर
107.			,, रमेश बाबू
108.			,, चम्पालाल
109.			,, महावीर प्रसाद शर्मा
110.			,, लल्लूराम
111.			,, बनेसिंह
112.			,, कैलाश दीक्षित
113.			,, शम्भुदयाल नागा
114.			,, बाबूलाल तेली
115.			,, पन्नालाल धाकड़

Page No.185

1	2	3	4
116.			श्री रामप्रसाद राठौड
117.			„ सखावत हुसैन
118.			„ मांगीलाल अंसारी
119.			„ सुभाष शर्मा
120.			„ रामनिवास राठौड
121.			„ महावीर गुप्ता
122.			„ गोपाल तेली
123.			„ अ. गफ्फार खां
124.			„ वहीद खां
125.			„ चतर सिंह
126.			„ कल्याण सहाय कुमावत
127.			„ भगवान सिंह द्वितीय
128.			„ राधेश्याम चौहान
129.			„ भवानी शंकर प्रथम
130.			„ पदम कुमार जैन
131.			„ रामस्वरूप शर्मा
132.			„ राजेन्द्र सिंह फौजी
133.			„ विरेन्द्र सिंह
134.			„ रूप सिंह
135.			„ भोलाशंकर
136.			„ विमल कुमार जैन
137.			„ देवेन्द्र कुमार शर्मा
138.			„ खलील मोहम्मद
139.			„ फूल चन्द पाण्डे
140.			„ ओंकार नाथ शुक्ला
141.			„ कलाश चन्द शर्मा
142.			„ मूलगिरी गोस्वामी
143.	झालावाड		„ प्रेम सिंह
144.	झालावाड		„ राधेश्याम टाक
145.			„ सुरेश चन्द जैन
146.			„ बालमुकन्द गुप्ता
147.			„ कृष्ण गोपाल पंवार
148.			„ महावीर कुमार जैन
149.			„ दिनेश कुमार जायसवाल
150.			„ सत्यपाल गुप्ता
151.			„ रतन लाल
152.			„ अलीम हुसैन
153.			„ नंद सिंह खिंची
154.			„ चन्द्रशेखर शर्मा प्रथम
155.			„ सखावत हुसैन
156.			„ शम्भूदयाल शर्मा
157.			„ सुरेन्द्र सिंह

Page No.186

1	2	3	4
158.			श्री असफाक अहमद
159.			,, मोहम्मद इस्लाम
160.			,, मोतीलाल मीणा
161.			,, कमलेश कुमार पूनियां
162.			,, बनवारी लाल शर्मा
163.			,, गम्भीर सिंह
164.			,, वहीद खां
165.			,, शकूर मोहम्मद
166.			,, अ. रसीद द्वितीय
167.			,, रामकंवार
168.			,, राजेन्द्र कुमार शर्मा
169.			,, गफार खां
170.			,, कर्ण सिंह
171.			,, अन्जनी कुमार
172.			,, बरकत खां
173.			,, सत्यनारायण लखेरा
174.			,, जगदीश राठौड
175.			,, भगवान सहाय पारीक
176.			,, हरिलाल जाट
177.			,, जगदीश उपाध्याय
178.			,, मूलगिरी गोस्वामी
179.			,, अनिल कुमार ठाकुर
180.			,, प्रेम चन्द शर्मा
181.			,, शिवराम नागर
182.			,, गोविन्द राम शर्मा
183.			,, सत्यनारायण जांगीड
184.			,, राजेन्द्र सिंह द्वितीय
185.			,, जगवीर सिंह
186.			,, बजरंग लाल सोलंकी
187.			,, भूरालाल परिहार
188.			,, रामलाल बैरवा
189.			,, जटाशंकर पालीवाल
190.			,, माधोलाल
191.			,, सत्तार मोहम्मद
192.			,, रमेश पंवार
193.			,, गिरीश जैन
194.			,, छोटेलाल
195.			,, भंवरलाल दरोगा
196.			,, बजरंगलाल सोनी
197.			,, लादूलाल धाकड
198.			,, अब्दुल रफीक द्वितीय
199.			,, रामप्रसाद पारीक

1	2	3	4
200.			श्री मो. अशरफ खां
201.			,, सतीश पाठक
202.			,, अशोक कुमार शर्मा
203.			,, अ. हनीफ
204.			,, ताराचन्द बारोलियां
205.			,, दीपचन्द गुप्ता
206.			,, पन्नालाल
207.			,, तेजमल बैरवा
208.			,, देवेन्द्र कुमार शर्मा
209.			,, अजीजुर रहमान
210.			,, दिनेश कुमार टेकवानी
211.			,, मुन्नालाल
212.			,, लीलाराम आर्य
213.			,, बजरंगलाल पारीक
214.			,, ईश्वर लाल मीणा
215.			,, ब्रह्मप्रकाश
216.			,, रामस्वरूप मीणा
217.			,, भंवरसिंह शक्तावत
218.			,, भंवरलाल तेली
219.			,, ओम प्रकाश टेलर
220.			,, छीतरमल जाट
221.			,, अ. हमीद द्वितीय
222.			,, राजेन्द्र सिंह प्रथम
223.			,, श्रवण लाल
224.			,, महफूज अली
225.			,, यासीन शाह
226.			,, सूरजमल नागर
227.			,, अ. रफीक द्वितीय

परिवहन निगम के कोटा (बारां यूनिट सहित) बून्दी एवं झालावाड़ आगारों में गत 2 वर्षों में निलम्बित किये गये परिचालकों में से वर्षवार सेवा पृथक् किये गये व जांच विचाराधीन वाले परिचालकों की सूची––

क. सं.	आगार	वर्ष	सेवा पृथक् किये गये परिचालक	जांच विचाराधीन वाले परिचालक
1	2	3	4	5
1.	बून्दी	1981	1. श्री रामसहाय चौधरी 2. श्री मुरारी लाल यादव 3. श्री हीरालाल जाट	1. श्री शिवदास शर्मा 2. श्री पूरणचन्द वर्मा 3. श्री हितेन्द्र सिंह हाडा

1	2	3	4	5
			4. श्री जगदीश यादव	4. श्री ओंकारनाथ
			5. श्री राधाकिशन	5. श्री श्रवण लाल शर्मा
			6. श्री प्रेमचन्द	6. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा
			7. श्री अलीमुद्दीन	7. श्री भँवरसिंह हाडा
				8. श्री शिवदयाल लखेरा
				9. श्री गोपाल सिंह प्रथम
				10. श्री भंवर लाल नागर
				11. श्री महावीर सुवालका
				12. श्री देवलाल कारपेन्टर
				13. श्री राजेन्द्र सिंह फौजी
				14. श्री मोतीलाल प्रथम
				15. श्री सत्यनारायण लखेरा
				16. श्री गोविन्दराम
				17. श्री जगदीश नरूका
				18. श्री गम्भीर सिंह
				19. श्री शम्भूलाल नागर
				20. श्री नन्दकिशोर
				21. श्री भगवानसिंह द्वितीय
				22. श्री भँवरलाल दरोगा
				23. श्री गोपाल सिंह द्वितीय
				24. श्री बजरंगलाल सोलंकी
				25. श्री लजा शंकर
				26. श्री भूरा लाल
				27. श्री मूलगिरी गोस्वामी
				28. श्री सम्पतलाल
				29. श्री द्वारका प्रसाद
				30. श्री रूपनारायण शर्मा
				31. श्री श्रवण लाल शर्मा
				32. श्री ए. हकीम
				33. श्री भँवरलाल नागर
				34. श्री रामसहाय चौधरी
				35. श्री भंवरलाल जाट
2. कोटा	1981		8. श्री मदनसिंह	36. श्री सुरेन्द्र प्रकाश
			9. श्री बलदेव सिंह	37. श्री दुर्गाशंकर मीणा
			10. श्री शिवदयाल शर्मा	38. श्री शबीर खां
			11. श्री अयूबअली	39. श्री ओमप्रकाश चतुर्थ
				40. श्री गिरराज
				41. श्री जगदीश उपाध्याय
				42. श्री नवरतनमल
				43. श्री लक्ष्मण जौहरी
				44. श्री कन्हैया लाल मीणा
				45. श्री अहमद हुसैन

Page No.189

1	2	3	4	5
				46. श्री सुरेश कुमार
				47. श्री मिलकीराम
				48. श्री जगदीश प्रसाद
				49. श्री भगवान सिंह
				50. श्री अखतर हुसैन
				51. श्री हरिराम राठौड़
				52. श्री श्रवण सिंह
				53. श्री घनश्याम
				54. श्री मनोहरलाल सैनी
				55. श्री तुलसीराम
				56. श्री श्याम बिहारी शर्मा
				57. श्री कमलेश पूनिया
				58. श्री हकीकत शर्मा
				59. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
				60. श्री रामलाल बैरवा
				61. श्री रघुवीर सिंह हाडा
				62. श्री मूलचन्द दाधिच
				63. श्री कैलाश चन्द शर्मा
				64. श्री धन्ना लाल
				65. श्री गोकुल चन्द माली
				66. श्री ज्ञानचन्द
				67. श्री रघुनाथ सिंह
				68. श्री रामस्वरूप तृतीय
				69. श्री रामकिशोर
				70. श्री मोहन सिंह
				71. श्री मोहम्मद ईशाक
				72. श्री लक्ष्मणराम
				73. श्री अहमद हुसैन
				74. श्री जाहिद हुसैन
				75. श्री लीलाराम आर्य
				76. श्री मदन सिंह
				77. श्री रमेश चन्द्र
				78. श्री कालूराम मेहर
				79. श्री शिवराम नागर
				80. श्री हेमराज भील
				81. श्री राजेन्द्र प्रसाद
				82. श्री रामस्वरूप चतुर्थ
				83. श्री अलीमुद्दीन
				84. श्री पीर मोहम्मद
				85. श्री घनश्याम चीता
				86. श्री जगदीश उपाध्याय
				87. श्री जगदीश सैनी

Page No.190

1	2	3	4	5
				88. श्री जगदीश चन्देल
				89. श्री कलाश गोदारा
				90. श्री राजेश चौहान
				91. श्री नन्द सिंह
				92. श्री छोटूलाल
				93. श्री बनेसिंह
				94. श्री ओमप्रकाश चतुर्थ
				95. श्री रामावतार जोशी
				96. श्री केसर सिंह
				97. श्री सुरेश कुमार पारीक
3.	झालावाड़	1981	12. श्री रामगोपाल	98. श्री गोपी बल्लभ
			13. श्री मदनलाल यादव	99. श्री लक्ष्मी नारायण
			14. श्री मनोतीराम	100. श्री रिखबचन्द
			15. श्री असरारुद्दीन	101. श्री अब्दुल वहीद द्वितीय
			16. श्री राधाकिशन	102. श्री शिवनारायण छींपा
			17. श्री शौकतअली	103. श्री निजामुद्दीन
			18. श्री शिवप्रकाश	104. श्री जगवीर सिंह
			19. श्री बद्रीलाल मीणा	105. श्री अभय कुमार
				106. श्री घासीलाल
				107. श्री गजानन्द
				108. श्री चन्द्र मोहन शर्मा
				109. श्री अन्जनी कुमार
				110. श्री अब्दुल शहीद
				111. श्री कृष्ण गोपाल
				112. श्री महावीर कुमार जैन
				113. श्री रामप्रसाद
				114. श्री दिनेश कुमार जायसवाल
				115. श्री अलीमुद्दीन
				116. श्री पूरण मल
				117. श्री नन्द सिंह खींची
				118. श्री चन्द्रशेखर शर्मा
				119. श्री द्वारका प्रसाद
				120. श्री रफीक
				121. श्री शम्भूदयाल शर्मा
				122. श्री शखावत हुसैन
				123. श्री सुरेन्द्र सिंह
				124. श्री अशफाक पठान
				125. श्री मोहम्मद इस्लाम
				126. श्री कमलेश आर्य
				127. श्री मोतीलाल मीणा
				128. श्री गम्भीर सिंह

1	2	3	4	5
				129. श्री वहीद खां
				130. श्री शकूर मोहम्मद
				131. श्री बनवारी लाल शर्मा
				132. श्री अब्दुल रसीद द्वितीय
				133. श्री राम कंवार
1.	बून्दी	1982	1. श्री भंवरलाल शर्मा	1. श्री बैजनाथ जाट
			2. श्री मोती लाल मीणा	2. श्री केसरसिंह
			3. श्री गोपाल सिंह मीणा	3. श्री नरवर सिंह
			4. श्री हितेन्द्र सिंह	4. श्री कैलाश स्वर्णकार
			5. श्री सत्यपाल गुप्ता	5. श्री मोहन राठौड़
			6. श्री विमल कुमार जैन	6. श्री महावीर सुवालका
				7. श्री चन्द्रशेखर
				8. श्री भोला शंकर
				9. श्री रमेश बाबू
				10. श्री चम्पा लाल
				11. श्री महावीर शर्मा
				12. श्री लालू राम
				13. श्री बने सिंह
				14. श्री कैलाश दीक्षित
				15. श्री शम्भू दयाल
				16. श्री बाबूलाल तेली
				17. श्री पन्ना लाल धाकड़
				18. श्री रामप्रसाद राठौड़
				19. श्री शखावत हुसैन
				20. श्री मांगी लाल
				21. श्री सुभाष शर्मा
				22. श्री रामनिवास राठौड़
				23. श्री महावीर गुप्ता
				24. श्री गोपाल तेली
				25. श्री गफारखां
				26. श्री वहीद खां
				27. श्री चतर सिंह
				28. श्री कल्याण सहाय कुमावत
				29. श्री भगवानसिंह II
				30. श्री राधश्याम चौहान
				31. श्री भवानी शंकर I
				32. श्री पदमकुमार जैन
				33. श्री रामस्वरूप शर्मा
				34. श्री राजेन्द्र सिंह
				35. श्री विरेन्द्र सिंह

Page No.192

1	2	3	4	5
				36. श्री रूप सिंह
				37. श्री भोला शंकर
				38. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
				39. श्री खलील मोहम्मद
				40. श्री फूल चन्द पाण्डे
				41. श्री ओंकार नाथ
				42. श्री कैलाश चन्द शर्मा
				43. श्री मूल गिरी गोस्वामी
2.	कोटा	1982	7. श्री घनश्याम चौता	44. श्री सत्तार मोहम्मद
			8. श्री बृजमोहन सिंह	45. श्री अम्बिका कुमार
			9 श्री पदमचन्द जैन	46. श्री महेश चौधरी
			10. श्री रामस्वरूप I	47. श्री महेन्द्र कुमार सोनी
			11. श्री मोहन लाल जैन	48. श्री रामस्वरूप III
			12. श्री बलदेव सिंह	49. श्री अब्दुल वहीद II
			13. श्री पुरुषोत्तम माली	50. श्री रघुनाथसिंह हाडा
			14. श्री ताज मोहम्मद	51. श्री सुभाष भाटिया
			15. श्री फैजाउल्ला खां	52. श्री प्रमोद गालब
				53. श्री रामेश्वर लाल पारीक
				54. श्री रईस अहमद
				55. श्री राजेश चौहान
				56. श्री कैलाश III
				57. श्री महावीर प्रसाद
				58. श्री रामरतन पारीक
				59. श्री बहादुर सिंह
				60. श्री जगदीश प्रसाद I
				61. श्री मोहन लाल छीपा
				62. श्री नवरतन मल
				63. श्री चन्द्रशेखर II
				64. श्री बालचन्द मीणा
				65. श्री महेन्द्र वैष्णव
				66. श्री मोहम्मद इस्माइल
				67. श्री बाबू लाल
				68. श्री रतन लाल चौधरी
				69. श्री निसार मोहम्मद
				70. श्री बाबूलाल लोहार
				71. श्री हरीश्चन्द यादव
				72. श्री निरन्जन सिंह
				73. श्री सेडूराम
				74. श्री अब्दुल हकीम
				75. श्री चन्द्रशेखर I

1	2	3	4	5
				76. श्री सुरेश कुमार पारीक
				77. श्री भोखाराम
				78. श्री सम्पतलाल
				79. श्री गिरजि प्रसाद
				80. श्री श्यामबिहारी शर्मा
				81. श्री प्रहलाद चौधरी
				82. श्री कन्हैया लाल नागर
				83. श्री विक्रम सिंह
				84. श्री चन्द्र शेखर II
				85. श्री किशन लाल यादव
				86. श्री रमेश बाबू
				87. श्री धर्मवीर
				88. श्री रामलाल मीणा
				89. श्री सोभागमल कीर
				90. श्री श्रवणलाल
				91. श्री इम्तियाज खां
				92. श्री बाबूलाल मीणा
				93. श्री अशफाक पठान
				94. श्री चम्पा लाल शर्मा
				95. श्री सूरज मल रेंगर
				96. श्री राजेन्द्र माथुर
				97. श्री सुरेन्द्रसिंह
				98. श्री गोविन्दराम शर्मा
				99. श्री भगवान सिंह II
				100. श्री गुलाबचन्द
				101. श्री मनोहर गोस्वामी
3. झालावाड़		82	16. श्री प्रेमसिंह	102. श्री सुरेशचन्द जैन
			17. श्री राधेश्याम टांक	103. श्री दिनेश कुमार जायसवाल
			18. श्री बालमुकन्द गुप्ता	104. श्री रतनलाल
			19. श्री कृष्णगोपाल पंवार	105. श्री अलीमहुसैन
			20. श्री महावीर कुमार जैन	106. श्री चन्द्रशेखर I
			21. श्री सत्यपाल गुप्ता	107. श्री शखावत हुसैन
			22. श्री नन्दसिंह खींची	108. श्री शम्भूदयाल शर्मा.
			23. श्री बनवारी लाल शर्मा	109. श्री सुरेन्द्रसिंह
			24. श्री अब्दुल रसीद II	110. श्री असफाक अहमद
			25. श्री बरकत खां	111. श्री मोहम्मद इस्लाम
			26. श्री सत्यनारायण लखेरा	112. श्री मोतीलाल मीणा
			27. श्री मुलगिरी गोस्वामी	113. श्री कमलेश कुमार पूनिया
			28. श्री प्रेमचन्द शर्मा	114. श्री गम्भीर सिंह
			29. श्री सत्तारमोहम्मद	115. श्री वहीद खां
			30. श्री तेजमल बैरवा	116. श्री शकूरमोहम्मद

1	2	3	4	5
		31.	श्री अजीजुर रहमान	117. श्री रामकंवार
		32.	श्री श्रवणलाल	118. श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा
				119. श्री गफार खां
				120. श्री करण सिंह
				121. श्री अन्जनी कुमार
				122. श्री जगदीश राठौड
				123. श्री भगवान सहाय पारीक
				124. श्री हरिलाल जाट
				125. श्री जगदीश उपाध्याय
				126. श्री अनिलकुमार ठाकुर
				127. श्री शिवराम नागर
				128. श्री गोविन्दराम शर्मा
				129. श्री सत्यनारायण जांगिड़
				130. श्री राजेन्द्र सिंह II
				131. श्री जगवीर सिंह
				132. श्री बजरंगलाल सोलंकी
				133. श्री भूरालाल परिहार
				134. श्री राम लाल बैरवा
				135. श्री जगशंकर पालीवाल
				136. श्री माधोलाल
				137. श्री रमेश पंवार
				138. श्री गिरीश जैन
				139. श्री छोटेलाल
				140. श्री भंवरलाल दरोगा
				141. श्री बजरंगलाल सोनी
				142. श्री लादूलाल धाकड़
				143. श्री अब्दुलरफीक II
				144. श्री रामप्रसाद पारीक
				145. श्री मोहम्मद असफाक
				146. श्री सतीश पाठक
				147. श्री अशोक कुमार शर्मा
				148. श्री अब्दुलहनीफ
				149. श्री ताराचन्दबारोलिया
				150. श्री दीप चन्द गुप्ता
				151. श्री पन्ना लाल
				152. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
				153. श्री दिनेश कुमार टेकवानी
				154. श्री मुन्नालाल
				155. श्री लीलाराम आर्य
				156. श्री बजरंगलाल पारीक
				157. श्री ईश्वरलाल मीणा
				158. श्री ब्रह्मप्रकाश

Page No.195

1	2	3	4	5
				159. श्री रामस्वरूप मीणा
				160. श्री भंवरसिंह शक्तावत
				161. श्री भंवरलाल तेली
				162. श्री ओमप्रकाश टेलर
				163. श्री छीतरलाल जाट
				164. श्री अब्दुल हमीद II
				165. श्री राजेन्द्रसिंह I
				166. श्री महफूज अली
				167. श्री यासीन शाह
				168. श्री सूरजमल नागर
				169. श्री ए. रफीक I
2. कोटा		1982		170. श्री विक्रम सिंह

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 110 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

1. मार्ग का नाम:--चौमूं से हस्तेड़ा, बधाल, दांतारामगढ़।

क्रमांक	नाम अनुज्ञापत्रधारी	वाहन संख्या	दिनांक जब तक परमिट वैध है।
1.	श्री धर्मपाल जैन	आर जे वी 923	19-11-84
2.	श्री कानाराम	,, 1970	14-1-88
3.	श्री चिरंजी लाल	,, 1971	14-1-88
4.	श्री मोहम्मद अकिल्त	आर जे पी 1694	1-1-88
5.	श्री रामेश्वर लाल रामचन्द्र	आर जे वी 1558	17-12-87
6.	श्री रमाकान्त खेतान	,, 1631	19-1-85
7.	श्री निजामुद्दीन	आर जे एफ 2012	21-1-85
8.	श्री सलामुद्दीन	आर जे वी 2498	27-2-84

2. मार्ग का नाम:--चौमूं से खेजरोली दिवराला अजीतगढ़

1.	श्री मोहन लाल माधेनी	आर जे एल 8507	1-8-84
2.	श्री मोहन लाल गोयल	आर जे एल 7772	14-5-87
3.	श्री रामेश्वर लाल रामचन्द्र	आर एस आर 3461	13-5-87
4.	श्री मुरलीधर भागीरथमल	आर आर एम 2360	13-5-87
5.	श्री भागीरथमल	आर आर एम 2360	3-5-85
6.	श्री जगदीश प्रसाद माधानी	आर आर एल 997	15-5-82

3. मार्ग का नाम:--चौमूं से खेजरोली, मण्डरू जोरावर सिंह की ढाणी

1.	श्री महेश प्रसाद शर्मा	आर जे एल 9907	25-7-83
2.	श्री सीताराम शर्मा	आर जे ए 1749	26-3-87
3.	श्री दामोदर प्रसाद	आर आर एल 923	28-5-83
4.	श्री रामचन्द्र अग्रवाल	आर जे जी 879	25-10-83
5.	श्री महेश प्रताप	आर जे पी 3164	20-12-84

परिशिष्ट "ब"

दुर्घटनाओं में मृतकों की सूची :--

1.	श्री माली	वाहन संख्या आर जे वी 1970
2.	श्री बजरंग लाल	
3.	श्री गनी	
4.	श्री मन्ना राम	
5.	श्री सूरज मल	आर जे वी 2498

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न सं. 111 की सूची

अलवर जिले में सन् 1981-82 एवं 1982-83 में अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलते हुए परिवहन निगम के उड़न दस्तों द्वारा पकड़ी गई निजी वाहनों की सूची :—

क्र. सं.	वर्ष	वाहन संख्या		मालिक का नाम	जुर्माना राशि
1	2	3		4	5
1.	1981-82	आर. जे. ए.	4666	श्री सुर्वेसिंह, रामपालसिंह	450.00
2.		,,	4615	,, पलटूराम	1500.00
3.		,,	4689	,, नैनूखां	450.00
4.		,,	3924	,, अब्दुल शकूर	अनिर्णीत
5.		,,	3257	,, जयसिंह	,,
6.		,,	839	,, कमलकिशोर, अर्जुन चन्द	,,
7.		,,	5173	,, गिरधारी	1000.00
8.		,,	4652	,, जवरू खां	500.00
9.		,,	6821	,, रामस्वरूप	200.00
10.		,,	8464	,, रामानन्द	200.00
11.		,,	1293	,, बाबूलाल	1000.00
12.		,,	4197	,, टीकमचन्द, बालूराम	800.00
13.		,,	2832	,, उदयसिंह, भगवतीदेवी	1000.00
14.		,,	4689	,, दुर्गासिंह, गोविन्दसिंह	1400.00
15.		,,	8988	,, बुदाराम	200.00
16.		,,	3367	,, रामसिंह, प्रकाशचन्द	2000.00
17.		,,	247	,, राधेश्याम, रामसिंह	2000.00
18.		,,	247	,, पूर्णसिंह, राधेश्याम	1200.00
19.		,,	247	,, राधेश्याम, रामसिंह	1800.00
20.		,,	2131	,, वंशीलाल	800.00
21.		,,	2101	,, कालूराम	300.00
22.		,,	6933	,, श्यामलाल	150.00
23.		,,	2865	,, घासीराम, किशनसिंह	1200.00
24.		,,	3060	,, अप्पासिंह, राजेश, पूरण	600.00
25.		,,	1425	,, जगदीश, ग्यारसीलाल	400.00
26.		,,	7105	,, ताराचन्द।छाजूसिंह, रामकरण	1500.00
27.		,,	4888	,, बद्रीनारायण, जयसिंह	200.00
28.		,,	9755	,, प्रीतमसिंह, किशनसिंह	500.00
29.		,,	1822	,, मैसर्स दुर्गानारायण, जसवन्तसिंह	500.00
30.		,,	1681	,, दीनदयाल, सूरजसिंह	500.00

Page No.198

1	2	3	4	5
31.	आरजेए	2157	श्री सुवालाल मोदन	600.00
32.	"	1681	" दीनदयाल, महेशचन्द्र	500.00
33.	"	4776	" नेमीचन्द, यादराम	1500.00
34.	"	3253	" विनोदकुमार, प्रकाश	900.00
35.	"	3253	" विनोद कुमार, प्रकाश	900.00
36.	"	3134	" कैलाशचन्द, कपूरचन्द	1400.00
37.	"	1509	" गोपाल, राधेश्याम	1200.00
38.	"	1293	" राधेश्याम, बाबूलाल	1200.00
39.	"	2681	" रतनलाल, बलवीरसिंह	अनिर्णीत
40.	"	2787	" ओंकार, बजरंगलाल	1200.00
41.	"	2832	श्रीमती भगवतीदेवी, उदय सिंह, सुरेश	1500.00
42.	"	2787	श्री सुन्दर, चन्द्रप्रकाश	600.00
43.	"	1819	" प्रभुलाल, रामप्रसाद	2100.00
44	"	2777	" रामकुमार	200.00
45.	"	247	" राधेश्याम, मनीराम	1600.00
46.	"	2832	श्रीमती भगवतीदेवी, भंवरसिंह	2000.00
47.	"	1749	श्री सीताराम, आनन्दीलाल	अनिर्णीत
48.	"	7543	" राजेश्वर दयाल	अनिर्णीत
49.	"	4131	" फूलसिंह, रतनलाल	"
50	"	3060	" मुरारीलाल, राजेश	"
51.	"	2975	" रामजीलाल, बाबूलाल	400.00
52.	"	1615	" जौहरीलाल	400.00
53.	"	2808	" हरिदत्त, लहनासिंह	150.00
54.	"	8188	" नानगराम, बुदाराम	400.00
55.	"	9717	" हेतराम, अर्जुन, मुकन्दा	अनिर्णीत
56.	"	1819	" रामप्रसाद, मोहन	1500.00
57.	"	1762	" मदनगोपाल	अनिर्णीत
58.	"	3324	" पन्नालाल	600.00
59.	"	2887	" भवानीसिंह	2100.00
60.	"	2887	" हरिकिशन, त्रिलोकचन्द	2100.00
61.	"	2070	" ताराचन्द, द्वारकादास	500.00
62.	"	2070	" ताराचन्द, द्वारकादास	300.00
63.	"	1491	" शिवकुमार	300.00
64.	"	1925	" भंवरसिंह, रामलाल	1000.00
65.	"	1757	" खेमचन्द, भगवानदास	600.00
66.	"	1717	" नरोत्तम	बरी किया गया
67.	"	3367	" प्रकाशचन्द, किशनलाल	खारिज किया
68.	"	8766	" महेन्द्र	बरी किया गया
69.	"	7723	" मोहनलाल, पूर्णसिंह	अनिर्णीत
70.	"	1295	" दर्शनसिंह	1000.00

Page No.199

1		2	3	4	5
71.		आर. जे. ए.	3253	श्रीमती विमलादेवी	अनिर्णीत
72.		"	1260	श्री मोतीलाल, नाथूलाल, रामस्वरूप	"
73.		"	2981	" चन्द्रकला, नन्दू खां	1800.00
74.		"	8382	" सुभाषचन्द, लक्ष्मी-नारायण, राधेश्याम	75.00
75.		"	1006	" करोड़ीमल, निरंजन	300.00
76.		"	1925	" गिर्राज, हफीज खां	400.00
77.		"	1295	" बक्शीसिंह, हरभजन सिंह	300.00
78.		"	205	" रामकिशन, रघुवीर, मदनमोहन	500.00
79.		"	1887	" सुलोचन्द	300.00
80.		"	2991	" महेश, अल्लादीन	अनिर्णीत
81.		"	1814	" हरिशचन्द	400.00
82.		"	1757	" खेमचन्द	600.00
83.		"	2887	" हरिकिशन	1500.00
84.		"	8566	" महेन्द्र	बरी किया गया
85.		"	1925	श्रीमती प्यारी देवी	800.00
86.		"	839	श्री कमल किशोर	अनिर्णीत
87.		"	7917	" रामनिवास	"
88.		आरएसए	276	" राधेश्याम	150.00
89.		"	1822	मैसर्स दुर्गा जनरल स्टोर, जसवन्तसिंह	500.00
90.		"	1681	" दीनदयाल, सूरजसिंह	500.00
91.		"	1681	" दीनदयाल, महेशचन्द	500.00
92.		"	2777	" रामकुमार	200.00
93.		"	2070	" ताराचन्द	300.00
94.		"	1295	" दर्शनसिंह	1000.00
95.		"	2070	" ताराचन्द, कालूराम	400.00
96.	1981-82	"	1681	" दीनदयाल, मदनलाल	500.00
97.		"	2103	" ताराचन्द, यादराम	400.00
98.		"	2925	" गिर्राज।हफीज खां	400.00
99.		"	1295	" बक्शीसिंह, दर्शनसिंह	300.00
100.		"	1187	" दुलीचन्द	300.00
101.		"	2991	" महेशचन्द, अलादीन	अनिर्णीत
102.		"	1881	" अमरसिंह	"
103.		"	1819	" हरिश्चन्द्र	400.00
104.		आरजेबी	3951	" ख्यालीराम, अमरसिंह	अनिर्णीत
105.		आरएसएल	1787	" छगनसिंह	"
106.		"	4455	" हीरालाल	"

Page No.200

1	2		3	4	5
107.		आरएमडी	2207	श्री बदनसिंह	अनिर्णीत
108.		आरआरएल	5607	,, घासीराम	,,
109.		आरजेडी	3211	,, हरचरणसिंह	1200.00
110.		,,	4975	,, मदनसिंह	600.00
111.		आरएसएल	9615	,, सन्तपालसिंह	अनिर्णीत
112.		आरजेडी	4917	,, मेघराज	350.00
113.		,,	2325	,, छज्जूसिंह	अनिर्णीत
114.		आरआरजो	5477	,, राजेन्द्रकुमार	,,
115.		आरजेडी	4385	,, शंकरलाल	,,
116.		आरएनडी	2335	,, सत्यनारायण	,,
117.		आरआरएल	7077	,, बलवीरसिंह	,,
118.		आरएमएम	2825	,, किशनलाल	,,
119.		आरजेपी	2034	,, प्रकाशचन्द	,,
120.		आरएसडी	2725	,, रामबाबू	,,
121.		आरजेए	2887	,, हरिकिशन, त्रिलोकचन्द	,,
122.		,,	2808	,, हरदत्त, लक्ष्मणसिंह	300.00
123.		,,	63	,, भगतराम, हजारीलाल	अनिर्णीत
124.		,,	7088	,, राजेन्द्रप्रकाश, रमेश	200.00
125.		,,	5683	,, हरचरणसिंह, गजेन्द्र	800.00
126.		,,	2157	,, खेमचन्द, बोदमराम	अनिर्णीत
127.		,,	2832	,, सुरेशचन्द, रघुनाथ	900.00
128.		,,	1822	,, दुर्गा जनरल स्टोर एवं जसवंत	300.00
129.	1981-82	आर जे ए	6891	,, सुगनचन्द जैन, जगमालसिंह	अनिर्णीत
130.		आर जे ए	3367	,, पूरण	,,
131.		आर एल ए	1017	,, शिवसेन, लल्लूराम	1600-00
132.		आर जे ए	5531	,, बनवारी लाल, रामवतार	1000-00
133.		,,	4197	,, टीकमचन्द, रामधन	अनिर्णीत
134.		आर जे ए	2113	,, ताराचन्द यादव	800-00
135.		आर एस ए	2621	,, सुरेशकुमार, रतनलाल	300-00
136.		आर एल ए	3452	,, श्यामनदास, नारायण दास	600-00
137.		,,	3329	,, दासराम, प्रजापत राम	225-00
138.		,,	6891	,, नयना नन्दन जैन, जगसिंह	130-00
139.		,,	306	,, योगेशचन्द, मोटाराम	150-00
140.		आर जे ए	8166	,, लल्लूराम, रामस्वरूप	300-00
141.		आर जे ए	21	,, प्रभुदयाल, मानसिंह	300-00
142.		आर एस ए	21	,, गोपाल	300-00
143.		आर जे ए	2353	,, उम्मेदसिंह, अन्ताराम	अनिर्णीत
144.		,,	7917	,, हेतराम, फूलचन्द, मेतराम	,,
145.		,,	3452	,, श्यामदास, महिपाल	,,

1	2		3	4	5
146.	1981-82	आर जे ए	2887	हरिकिशन, छज्जूसिंह	अनिर्णीत
147.		,,	8766	महेन्द्र यादव, जीतराम	,,
148.		,,	6072	छज्जूराम बब्बड़	,,
149.		,,	1925	प्यारीबाई, कंवरसिंह, रामदयाल	1800-00
150.		,,	4654	प्यारेलाल, मुन्नालाल	अनिर्णीत
151.		,,	4215	अमरसिंह	,,
152.		,,	2843	लालसिंह, मुन्ना	100-00
153.		,,	1360	रमेश, रज्जो	अनिर्णीत
154.		,,	3060	रघुनाथसिंह	300-00
155.		आर जे ए	3367	किशनसिंह	1400-00
156.		आर एस ए	2977	बुधराम	अनिर्णीत
157.		आर जे ए	9509	मदनमोहन	,,
158.		,,	891	रामसिंह	150-00
159.		आर एस ए	3388	हरि, बलवीर	400-00
160.		आर जे ए	7081	ज्ञानप्रकाश, भगवानदास, ओमप्रकाश	अनिर्णीत
161.		आर जे ए	1528	सन्नूखां, दर्शनसिंह	250-00
162.		आर जे ए	8505	रामसिंह	200-00
163.		आर एस ए	2777	रामकुमार	150-00
164.		आर एस ए	2777	रामकुमार	खारिज
1.	1982-83	आर जे ए	1293	बाबूलाल, द्वारकानाथ	अनि.
2.		,,	1844	रामावतार	,,
3.		,,	1725	नवल किशोर।मथुराप्रसाद चौथमल	,,
4.		,,	6415	भगवान राम।दुल्लीचन्द	,,
5.		आर एस ए	3121	ओमप्रकाश	400।-
6.		,,	2067	महेशचन्द	300।-
7.		आर जे ए	7645	दौलतराम शर्मा	अनि.
8.		,,	2353	दौलतराम	,,
9.		,,	1725	नवल किशोर	,,
10.		,,	6790	श्रीचन्द।सुरेश	,,
11.		आर एस ए	1323	अशोककुमार	,,
12.		आर जे ए	7144	दुर्गा प्रसाद	,,
13.		,,	1819	प्रभुदयाल	,,
14.		,,	1844	रामअवतार गुप्ता	,,
15.		आर एस ए	1295	बख्शीसिंह।दर्शनसिंह	500।-
16.		आर जे ए	3060	मुरारीलाल	अनि.
17.		,,	3060	मुरारीलाल।रघुनाथ।बृजेन्द्र	,,
18.		आर एस ए	3507	ओम प्रकाश सुरेशचन्द	300।-

1	2	3		4	5
19.	82-83	आर जे ए	3105	ओम प्रकाश।ताराचन्द। रामकरण	900।-
20.		"	1819	प्रभुदयाल।रामप्रसाद।धर्मवीर	450।-
21.		आर एस ए	1909	रमेश चन्द।सेवा सिंह	100।-
22.		आर जे ए	5993	रामचन्द्र।बद्रीप्रसाद एवं अन्य	200।-
23.		"	7659	जगदीश प्रसाद।छीतरमल	150।-
24.		आर एस ए	1822	जसवन्तसिंह	400।-
25.		"	2811	बाबू सिंह	300।-
26.		आर जे ए	8505	रामसिंह।जगदीश	अनि.
27.		आर एस ए	3828	केदारनाथ	600।-
28.		आर जे ए	7088	राजेन्द्र प्रसाद	अनि.
29.		"	6739	रामदयाल।वदनसिंह	300।-
30.		"	1819	प्रभुदयाल।राम प्रसाद	450।-
31.		आर एस ए	27	राधेश्याम।हरिनारायण	225।-
32.		"	3273	रामचरण।शिवकुमार	300।-
33.		"	1314	ठाकुरदास।ताराचन्द	500।-
34.		आर जे ए	4776	मांगी लाल।मक्खन लाल	अनि.
35.		"	2832	भगवती देवी।रघुनाथप्रसाद	1400।-
36.		आर एस ए	3718	कन्हैयालाल।हुकमचन्द	अनि.
37.		आर जे ए	9509	मदन मोहन	"
38.		"	3060	रूपसिंह।रघुनाथसिंह	"
39.		"	4131	सत्यपालसिंह	"
40.		आर एस ए	67	सईद	"
41.		"	1819	हरिश चन्द	"
42.		"	1114	रामजीलाल	"
43.		आर जे ए	999	अशोक कुमार।छोटेलाल	400।-
44.		"	5008	जगदीश प्रसाद	अनि.
45.		"	4015	पल्टू राम।सुखराम	1500।-
46.		"	2887	राधेलाल।छाजू सिंह	अनि.
47.		आर एस ए	3452	श्यामनदास।नारायणदास	500।-
48.		आर एस ए	4093	दर्शनसिंह।सतीश कुमार	200।-
49.		आर एस ए	3718	कन्हैयालाल।बाबूलाल	अनि.
50.		"	3071	खैरातीलाल।हरदयाल	375।-
51.		आर एस ए.	3936	तेजकरण।अर्जयसिंह	250.00
52.		"	8988	नानग राम।पूरणमल	375.00
53.		आर जे ए	7368	गिर्राज प्रसाद	100.00
54.		"	9755	केदारनाथ।मंगलसिंह	300.00
55.		आर एस ए	3507	ओम प्रकाश।प्रकाश चन्द	300.00
56.		आर जे ए	4654	प्यारेलाल। ज्वाला प्रसाद	अनि.
57.		"	4776	नारायण।मक्खन	"
58.		आर एस ए	2964	संतोष कुमार।दिनेश	250.00

1	2	3		4	5
59.	82-83	आर एस ए	1826	भूरामल	अनि.
60.		"	1681	दीन दयाल।मदनलाल	450.00
61.		आर जे ए	2350	गोपीराम	अनि.
62.		आर एस ए	1006	करोड़ीमल	200.00
63.		आर जे ए	6733	छुट्टन मेव।पलटूडा	अनि.
64.		आर एस ए	3701	सुन्दर सिंह।बुद्धा राम	300.00
65.		"	1909	रमेश चन्द।सेवासिंह	150.00
66.		आर जे ए	4689	गोविन्द सिंह।प्रभु सिंह	1400.00
67.		"	2843	लाज सिंह।प्रकाश चन्द	400.00
68.		"	7592	शिव कुमार।जवाहर लाल	अनि.
69.		आर एस ए	2991	महेश चन्द	"
70.		आर जे ए	3417	योगेश चन्द।यज्ञदत्त	300.00
71.		आर एस ए	1213	वेद प्रकाश	अनि.
72.		"	1345	राधे श्याम।सन्तोष कुमार	250.00
73.		आर जे ए	7242	रामस्वरूप।इमाम बख्स	300.00
74.		आर एस ए	3367	प्रहलाद राय।बादूराम	अनि.
75.		आर जे ए	9755	केदारनाथ।भगत सिंह	"
76.		"	4035	गोदावरी।गिरधारी	300.00
77.		आर एस ए	7375	डालचन्द।हीरालाल	400.00
78.		"	2472	हुसैन खां।नारायण	600.00
79.		"	1822	जसवन्त।नन्द किशोर	200.00
80.		आर जे ए	8018	भगवान सिंह।पारस राम	अनि.
81.		"	5156	सुबहान खां।नसीम खां। फतेह खां	"
82.		"	2455	रामेश्वर	"
83.		"	1513	सोफिया।अशफाल।गोपाल	900.00
84.		"	2106	बनवारी	अनि.
85.		आर एस ए	2964	दिनेश	100.00
86.		आर जे ए	9819	रतन।भारतेन्द्र	700.00
87.		"	1675	सागर मल	अनि.
88.		आर एस ए	1491	शिव कुमार	150.00
89.		आर जे ए	7344	दुर्गा प्रसाद।राम सिंह	200.00
90.		"	749	जुगल किशोर।जगन	अनि.
91.		"	7121	मूल चन्द।माधो	"
92.		आर एस ए	1959	राम अवतार	350.00
93.		"	3321	राम चन्द्र।छोटे लाल	अनि.
94.		आर जे ए	8915	केदार नाथ	300.00
95.		"	6739	महेश चन्द।दुली चन्द	200.00
96.		आर एस ए	3895	भूरामल।कन्हैयालाल	300.00
97.		"	2811	ओम प्रकाश।भोपाल सिंह	500.00
98.		आर जे ए	3785	प्यारेलाल। किशन लाल	अनि.
99.		"	2957	प्रभुदयाल	"
100.		आर एस ए	2777	राम कुमार	"

Page No.204

1	2	3		4	5
101.	82–83	आर जे ए	3417	यज्ञदत्त।सूबेसिंह	400।–
102.		आर एस ए	3544	मनोहर लाल	200।–
103.		आर जे ए	3739	बाबू सिंह।जुगल किशोर	300।–
104.		आर एस ए	3791	रामबाबू।गोपाल	250।–
105.		आर एस ए	3718	कन्हैयालाल।अशोक कुमार	अनिर्णीत
106.		आर एस ए	2877	राम कुमार	500।–
107.		आर जे ए	8717	गुरबचनसिंह।कमलसिंह	300।–
108.		आर एस ए	3273	जवाहर	500।–
109.		आर एस ए	3355	हेमचन्द	अनिर्णीत
110.		आर जे ए	2071	केसरसिंह	200।–
111.		आर जे ए	2981	चन्द्राकान्त।रामजीलाल	1800।–
112.		आर ए स ए	3718	––	अनिर्णीत
113.		आर जे ए	1725	सुरेश कुमार	800।–
114.		आर जे ए	7659	जगदीश	100।–
115.		आर जे ए	2973	हरिराम	अनिर्णीत
116.		आर जे ए	4007	कुलदीपसिंह।जगदीश सिंह	"
117.		आर जे ए	8988	नानगराम	700।–
118.		आर जे ए	8587	जी. एन. शर्मा	300।–
119.		आर जे ए	1292	ग्यारसी।डालचन्द	500।–
120.		आर जे ए	7146	बिहारीलाल	अनिर्णीत
121.		आर एस ए	934	ओम प्रकाश	"
122.		आर एस ए	3795	दीपचन्द।ओम प्रकाश	"
123.		आर जे ए	8863	योगेशचन्द्र।हेमचन्द्र	"
124.		आर जे ए	3712	नारंगसिंह।महेन्द्र	"
125.		आर एस ए	3936	बेरजीत सिंह	200।–
126.		आर जे ए	4652	हेमचन्द	600।–
127.		आर एस ए	1819	हरीशचन्द	अनिर्णीत
128.		आर एस ए	4282	फूलचन्द।चरणसिंह	250।–
129.		आर एस ए	1006	ओम प्रकाश	अनिर्णीत
130.		आर एस ए	3507	ओमप्रकाश	300।–
131.		आर जे ए	1293	राधेश्याम।बाबूलाल	अनिर्णीत
132.		आर एस ए	2867	हरिओम।डालचन्द	200।–
133.		आर जे ए	8587	गोपाललाल।दुर्गाप्रसाद	अनिर्णीत
134.		आर जे ए	4659	राजाराम।जसवन्तसिंह	अनिर्णीत
135.		आर एस ए	3883	श्यामलाल।चिरंजी	1200।–
136.		आर जे ए	2973	बाबूलाल।हरिराम	अनिर्णीत
137.		आर एस ए	1819	हरिशचन्द्र।मूलचन्द	अनिर्णीत
138.		आर एम ए	3895	भूगडामल।सन्तनदास	700।–
139.		आर एस ए	4282	मूलचन्द।चरणदास	350।–
140.		आर एस ए	1687	दीनदयाल।मदनलाल गोरखा	550।–
141.		आर एस ए	4017	चुन्नीलाल।निहालसिंह।रूपसिंह	अनिर्णीत

1	2	3		4	5
142.		आर जे ए	5177	रामअवतार।मदनलाल। बंजरंगलाल ..	225.00
143.		आर एस ए	4412	बाबूलाल।बाबूलाल	150.00
144.		आर जे ए	3875	जमालसिंह।महिपाल	अनिर्णीत
145.		आर जे ए	6739	रावसिन्धी।जगदीश	अनिर्णीत
146.		आर एस ए	3537	देवीसिंह।जैन रेडियो कं.	अनिर्णीत
147.		आर जे ए	7879	राजेन्द्र प्रसाद।बन्शीलाल	1400.00
148.		आर जे ए	4225	असलमअली।चिरन्जीलाल	400.00
149.		आर जे ए	1675	सागरमल।नारायण	अनिर्णीत
150.		आर एस ए	3261	रमेश।भोमसिंह	300.00
151.		आर एस ए	2629	हाकमसिंह।मदनलाल ईसा।	450 00
152.		आर एस ए	4036	प्रभुदयाल।रामप्रसाद भवानी	2400.00
153.		आर जे ए	7242	रामअवतार।अमरुदीन	150.00
154.		आर एस ए	2649	विशनकुमार।अमरजीतसिंह	450.00
155.		आर जे ए	1253	केदारप्रसाद।विजयसिंह	250.00
156.		आर एस ए	3828	केदारनाथ मिश्र	400.00
157.		आर एस ए	4412	बाबूलाल।जयनारायण	600.00
158.		आर एस ए	4282	मूलचन्द	300.00
159.		आर जे ए	7855	कृष्णमुरारी।प्यारेलाल	300.00
160.		आर एस ए	3507	ओमप्रकाश	200.00
161.		आर एस ए	2777	रामकुमार।हरदयाल	अनिर्णीत
162.		आर एस ए	4066	तुलसीराम।मोहनलाल।सीताराम	600.00
163.		आर जे ए	831	शम्भूसिंह।लालाराम	300.00
164.		आर जे ए	2865	घासीराम।मानसिंह	1000.00
165.		आर जे ए	1487	प्रकाशचन्द्र।चन्दा	अनिर्णीत
166.		आर एस ए	3883	श्यामलाल	अनिर्णीत
167.		आर जे ए	5673	हरचरण	अनिर्णीत
168.		आर जे ए	7801	जगदीश प्रसाद।पुरुषोत्तम	200.00
169.		आर जे ए	2832	गिर्राज	अनिर्णीत
170.		आर एस ए	1959	रामअवतार।जयराम	,,
171.		आर जे ए	6155	पांचुराम।विनोद कुमार	500.00
172.		आर एस ए	2808	हरिदत्त	अनिर्णीत
173.		आर जे ए	1819	विनोद कुमार।ओम प्रकाश। महेन्द्रसिंह	,,
174.		आर एस ए	3795	दीपचन्द।राम रात। सुरेशचन्द्र	,,
175.		आर एस ए	3909	रमेशचन्द।बलबीर	,,
176.		आर एस ए	1006	ओमप्रकाश।जवाहर	,,

Page No.206

1	2	3		4	5
177.		आर एस ए	4093	गुलाबचन्द/सतीशचन्द	100.00
178.		आर जे ए	7723	मोहनलाल/गिरधर दयाल	अनिर्णीत
179.		आर एस ए	1491	शिवकुमार	250.00
180.		आर एस ए	3514	गिराजजगन्नाथ	250.00
181.		आर जे ए	8527	रामअवतार	अनिर्णीत
182.		आर एस ए	21	प्रभुदयाल/मानसिंह	"
183.		आर एस ए	2945	समुन्दरसिंह/बनवारीलाल	300.00
184.		आर एस ए	3452	सामनदाल/कालूराम	अनिर्णीत
185.		आर एस ए	8687	कन्हैयालाल/लक्ष्मणप्रसाद	अनिर्णीत
186.		आर जे ए	8044	बनवारीलाल/सूबेसिंह	अनिर्णीत
187.		आर जे ए	2843	लालसिंह/वल्लाराम	अनिर्णीत
188.		आर एस ए	1314	ठाकुरदास/ताराचन्द	अनिर्णीत
189.		आर एस ए	3791	रामबाबू/पूरणसिंह	600.00
190.		आर एस ए	1925	प्रेमानारायण/गिर्राजप्रसाद नन्दकिशोर/लक्ष्मीचन्द	400.00
191.		आर जे ए	9819	रतनलाल/महेश	अनिर्णीत
192.		आर जे ए	8766	महेन्द्र/जीत राम	250.00
193.		आर एस ए	988	सुन्दरसिंह/नन्नूमल	200.00
194.		आर जे ए	3924	पन्नालाल	300.00
195.		आर जे ए	3075	तेजसिंह/साहिबराम	अनिर्णीत
196.		आर एस ए	4115	सुल्वासिंह/भगवानसिंह	"
197.		आर जे ए	3103	चिरन्जीलाल/रामखिलाड़ी	400.00
198.		आर जे ए	3352	प्रभुदयाल/बनवारी	400.00
199.		आर एस ए	366	निवाज खां/नसीबखां	अनिर्णीत
200.		आर जे ए	5673	हरचरण	1000.00
201.		आर जे ए	2832	भाग्यवन्ती/सुरेशचन्द	700.00
202.		आर एस ए	3853	मूलचन्द/ताराचन्द	300.00
203.		आर जे ए	4982	कालूराम/फजरुखां	400.00
204.		आर एस ए	1019	शिवरामसिंह	300.00
205.		आर एस ए	8941	सोहनसिंह/किशोर	300.00
206.		आर एस ए	3853	मूलचन्द/ताराचन्द	400.00
207.		आर जे ए	7723	मोहनलाल/गिरवरदयाल	अनिर्णीत
208.		आर जे ए	8679	किशनलाल/प्रहलाद	160.00
209.		आर जे ए	6555	शिवप्रसाद/नन्दलाल	अनिर्णीत
210.		आर एस ए	2964	सन्तोषकुमार/ओमप्रकाश	300.00
211.		आर जे ए	7242	रामस्वरूप/अम्मूखां	100.00
212.		आर जे ए	8755	बख्सीराम	150.00
213.		आर एस ए	4175	सुल्वासिंह/बाबूसिंह	अनिर्णीत
214.		आर जे ए	3242	घोसासिंह/शिवदाससिंह	"
215.		आर जे ए	7917	हेतराम/बलवीरसिंह	"
216.		आर एस ए	2522	भगवतराम/मदनलाल	"
217.		आर एस ए	3875	बुधदयाल/कुन्दनलाल	अनिर्णीत

1	2	3		4	5
218.		आर जे ए	4160	मंगलराम	200.00
219.		आर एस ए	5037	रतनलाल	अनिर्णीत
220.		आर एस ए	2574	इन्द्रसिंह।बदनसिंह। सुरजभानसिंह	210.00
221.		आर जे ए	515	जगदीश।फोजी	400.00
222.		आर एस ए	67	शहीद।कैलाश	400.00
223.		आर एस ए	3718	अशोक मीणा	अनिर्णीत
224.		आर एस ए	4776	मांगीलाल।मक्खनलाल	1400.00
225.		आर जे ए	2981	चन्द्रकला।राजेन्द्र कुमार	2000.00
226.		आर एस ए	3373	रामचरण	200.00
227.		आर जे ए	1360	रमाकान्त।मंगल	अनिर्णीत
228.		आर एस ए	3367	मूलचन्द।बाबूलाल	500.00
229.		आर एस ए	4017	चुन्नीलाल।जवाहरलाल	500.00
230.		आर जे ए	489	अशोककुमार।जगदीश	350.00
231.		आर एस ए	4070	गोकलराम।बालकिशन	300.00
232.		आर एस ए	2043		अनिर्णीत
233.		आर जे ए	63	हजारीलाल।मदनलाल	400.00
234.		आर एस ए	3147	लक्ष्मणसिंह	255.00
235.		आर एस ए	4036	भवानीसिंह।प्रभुदयाल। ओमप्रकाश	900.00
236.		आर जे ए	4654	प्यारेलाल।महेशचन्द	250.00
237		आर जे ए	3060	मुरारीलाल।समुन्द्रसिंह	700.00
238.		आर जे ए	4663	गोविन्दसिंह।रामचरण। घनश्याम	1500.00
239.		आर जे ए	2832	भाग्यवती।गिर्राज	1400.00
240.		आर जे ए	6933	श्यामलाल।अमरसिंह	300.00
241.		आर एस ए	4905	मोहनस्वरूप।नन्दलाल	अनिर्णीत
242.		आर जे ए	9911	ओमप्रकाश।पप्पूराम	275.00
243.		आर जे ए	9001	कस्तूरीलाल।शंकरलाल	अनिर्णीत
244.		आर जे ए	4776	मांगीलाल।मक्खन	अनिर्णीत
245.		आर जे ए	1509	गोपालपाण्डे।महेन्द्रकुमार। रूपनारायण	,,
246.		आर एस ए	4958	दीपचन्द	,,
247.		आर एस ए	4412	बाबूलाल।नरोत्तम	500.00
248.		आर एस ए	3895	भूगडामल।सनातनदास	300.00
249.		आर जे ए	1293	राधेश्याम।पूरण।श्यामलाल	750.00
250.		आर एस ए	3965	रामकुमार।शेरसिंह।भूपसिंह	अनिर्णीत
251.		आर एस ए	3895	कजोडमल।हीरालाल	300.00
252.		आर जे ए	7050	रघुनाथ।सुरेशप्रकाश	375.00
253.		आर एस ए	3501	हरिप्रसाद।मोतीलाल	250.00
254.		आर एस ए	1684	हमीरसिंह।पन्नालाल	अनिर्णीत

Page No.208

1	2	3		4	5
255.		आर एस ए	63	हजारीलाल।मदनलाल	300.00
256.		आर जे ए	7088	राजेन्द्र प्रसाद।रमेश	180.00
257.		आर एस ए	3473	अशोककुमार।रामप्रसाद। मंगाराम	150.00
258.		आर एस ए	276	ब्रजकिशोर।गुलाब।किशोरसिंह	120.00
259.		आर जे ए	7857	मोहनलाल।मांगीलाल।रामजीलाल	अनिर्णीत
260.		आर एस ए	3785	फूलसिंह/ढालसिंह	300.00
261.	ए	आर एस ए	4412	बाबूलाल/रमेशचन्द	300.00
262.	ए	आर जे ए	1509	गोपालराम/महेन्द्र	अनिर्णीत
262.	बी	आर एस ए	1491	शिवकुमार	अनिर्णीत
262.	सी	आर जे ए	4215	विजयकुमार	अनिर्णीत
263.		आर जे ए	2597	खेमचन्द/प्रभातीलाल	अनिर्णीत
264.		आर जे ए	1293	राधेश्याम/सोभाराम	"
265.		आर जे ए	7288	फरियादखां/अब्दुलगनी	250.00
266.		आर जे ए	8766	महेन्द्रसिंह/जीतराम	अनिर्णीत
267.		आर जे ए	1819	जितेन्द्रकुमार/प्रभुदयाल	"
268.		आर जे ए	4689	गोविन्दसिंह/रामजीलाल	1200.00
269.		आर एस ए	3077	रामखिलाडी/भवानीसिंह	250.00
270.		आर एस ए	3791	रामबाबू/निरंजनलाल	300.00
271.		आर जे ए	2832	भाग्यवती/मदनलाल	1200.00
272.		आर एस ए	5335	रामेश्वर/जगदीशप्रसाद	300.00
273.		आर जे ए	2832	भाग्यवती/गिर्राज/रामेश्वर	अनिर्णीत
274.		आर एस ए	1295	बख्शीसिंह/दर्शनसिंह	200.00
275.		आर जे ए	1725	नवलकिशोर/जगदीश/चोथमल	1500.00
276.		आर एस ए	1681	दीनदयाल/मदनलाल	425.00
277.		आर एस ए	5077	गिर्राजप्रसाद/बोधसिंह/ उमाचरण	600.00
278.		आर जे ए	7888	अशोककुमार/श्रीराम/हरनेक सिंह	अनिर्णीत
279.		आर जे ए	5673	हरचरण/श्यामसुन्दर	"
280.		आर जे ए	4838	रामप्रसाद/किशनलाल	300.00
281.		आर जे ए	7047	राजेन्द्रकुमार/कल्याण	160.00
282.		आर जे ए	839	खेमचन्द।ओमप्रकाश/किशन	अनिर्णित
283.		आर एस ए	3071	नन्दकिशोर	"
284.		आर एस ए	2945	सुन्दरसिंह/बनवारी	250.00
285.		आर एस ए	1116	मदनलाल/मरदानसिंह	250.00
286.		आर एस ए	4010	विष्णुकुमार/जवाहरलाल	अनिर्णीत
287.		आर एस ए	5095	जगमोहन	"
288.		आर एस ए	4412	बाबूलाल/जयनारायण	300.00
289.		आर जे ए	509	अनीलकुमार/विष्णुकुमार	अनिर्णीत
290.		आर एस ए	4066	तुलसीराम/रामेश्वरदयाल	"

1	2	3		4	5
291.	1982-83	आर जे ए	6951	देवकरण सैनी	अनिर्णीत
292.		आर एस ए	1875	घमण्डीलाल/सत्यनारायण/ जगदीश	,,
293.		आर जे ए	7146	बिहारीलाल/सफेद खां/बजरंग	अनिर्णीत
294.		आर जे ए	2349	सत्यनारायण/लालाराम	,,
295.		आर जे ए	3165	मदनलाल/पूरणसिंह	,,
296.		आर जे ए	2181	ओरीलाल/बदनलाल/कन्हैया लाल	,,
297.		आर एस ए	2122	रामरिछपाल/कैलाशराम/ रामनिवास	,,
298.		आर एस ए	3778	रमेशचन्द/हिम्मतसिंह	240.00
299.		आर एस ए	3405	रमेशचन्द/हिम्मतसिंह	125.00
300.		आर एस ए	4724	दीनमोहम्मद/जमाली/पप्पू	300.00
301.	,,	आर एस ए	5472	श्री जहूर खां/पवन कुमार /सुमेर खां	210.00
302.	,,	,,	4868	श्री नानक सिंह	200.00
303.	,,	आर जे ए	7659	श्री बिहारी लाल	100.00
304.	,,	आर एस ए	3077	श्री भवानी सिंह/ मुखत्यार-सिंह	150.00
305.	,,	,,	7723	श्री मोहनलाल गिरवरदयाल	400.00
306.	,,	,,	1491	श्री शिव कुमार	250.00
307.	,,	,,	1491	श्री शिव कुमार/विष्णुकुमार	400.00
308.	,,	,,	4679	श्री निवास किशोर	140.00
309.	,,	आर जे ए	4647	श्री रामअवतार/सुरेशचन्द्र	1600.00
310.	,,	,,	938	श्री बुन्दु खां	अनि.
311.	,,	आर एस ए	2887	श्री मोहनदास	300.00
312.	,,	आर जे ए	2981	श्री चन्द्रकला /राजकुमार/ राजेन्द्र	1500.00
313.	,,	आर एस ए	5061	श्री रहमत खां (सूबाव)	500.00
314.	,,	आर जे ए	2429	श्री पटवारी खां	250.00
315.	,,	,,	1949	श्री मुरलीधर /करणसिंह	400.00
316.	,,	आर एस ए	1925	श्री गिर्राज प्रसाद /प्रेम-नारायण	450.00
317.	,,	,,	3963	श्री गोविन्दसिंह/करणसिंह	500.00
318.	,,	आर जे ए	6382	श्री सुभाषचन्द	250.00
319.	,,	,,	6998	श्री रामनिवास/रामप्रसाद	80.00
320.	,,	,,	356	श्री अमरनाथ/रमेश	1600.00

Page No.210

1	2	3		4	5
321.	1982–1983	आर एस ए	5335	श्री रमेशचन्द्र /जगदीश	अनि.
322.	"	"	3895	श्री भूगड़ामल/सलमदास	"
323.	"	आर एस ए	3715	श्री आनन्दीलाल/रामचरण	"
324.	"	आर जे ए	9509	श्री मनमोहन	500.00
325.	"	"	8519	श्री दिनेशकुमार/श्री भगवान-सिंह	200.00
326.	"	आर एस ए	1061	श्री करोड़ीमल/चिरंजीलाल	अनि.
327.	"	आर जे ए	4679	श्री गोविन्दसिंह/रामजीलाल	900.00
328.	"	आर एस ए	1882	श्री दुर्गा जनरल स्टोर/जसवन्त	300.00
329.	"	आर एस ए	3388	श्री हरिसिंह/मूंडीलाल	अनि.
330.	"	"	3077	श्री भवानी सिंह/सतीशकुमार	"
331.	"	"	1491	श्री शिवकुमार	400.00
332.	"	आर जे ए	7244	श्री कैलाशचन्द/रामअवतार	500.00
333.	"	आर जे ए	8177	श्री प्रीतमपालसिंह/सुलतान	अनिर्णित
334.	"	आर एस ए	1006	श्री करोड़ीमल/ओमप्रकाश	"
335.	"	आर जे ए	1295	श्री बन्शीधर/दुर्जनसिंह	200.00
336.	"	आर एस ए	3818	श्री अशोककुमार	अनिर्णीत
337.	"	आर एस ए	5336	श्री हंसराज/बलवन्तसिंह	"
338.	"	आर एस ए	9509	श्री मनमोहन शर्मा	"
339.	"	आर जे ए	9457	श्री रामसिंह/हुकमचन्द	"
340.	"	आर जे ए	9707	श्री देवकरण/सुखाराम	"
341.	"	आर जे ए	3375	श्री बद्री/हरलाल/बाबूलाल	"
342.	"	आर जे ए	7237	श्री शान्तिदेवी/कन्हैयालाल	
343.	"	आर जे ए	4697	श्री खेम चन्द/राजेन्द्रप्रसाद	"
344.	"	"	891	श्री श्यामलाल/महावीर लाल	"
345.	"	आर एस ए	5335	श्री रामेश्वर/जगदीश	"
346.	"	"	7659	श्री जगदीश/छीतरमल	500.00
347.	"	"	649	श्री कमलकिशोर/रामजीलाल	150.00
348.	"	"	7070	श्री ताराचन्द/हरदयाल	अनिर्णीत
349.	"	"	649	श्री कमलकिशोर/रामजीलाल	"
350.	"	आर जे ए	2177	श्री चतुर्भुज/सुभाषचन्द्र	200.00
351.	"	"	7088	श्री राजेन्द्र प्रसाद	270.00
352.	"	आर एस ए	3729	श्री अनिल कुमार/हरिओम	150.00
353.	"	आर जे ए	1295	श्री बख्शीसिंह/दुर्जनसिंह	700.00
354.	"	आर एस. ए	1881	श्री अमरसिंह/सूरज	200.00
355.	"	आर जे ए	9795	श्री ओमप्रकाश/राधाकिशन	250.00
356.	"	आर एस ए	3838	श्री केदार मल/रूपनारायण	250.00
357.	"	आर जे ए	7851	श्री मोहनलाल/अमीलाल	200.00
358.	"	आर एस ए	1819	श्री हरिशचन्द्र/कुलदीपकुमार	अनि.
359.	"	आर एस ए	5065	मैसर्स वन्दना/पार्टस/गंगा राम	" 300.00

1	2	3		4	5
360.	1982-83	आर एस ए	2808	श्री हरदत्त/रघुवीरसिंह	अनि.
361.	,,	आर जे ए	3165	श्री नन्दकिशोर/मोहनलाल	
362.	,,	आर एस ए	3527	श्री भुवनेश कुमार	200.00
363.	,,	आर एस ए	7088	श्री राजेन्द्र प्रसाद	250.00
364.	,,	आर एस ए	5335	रामेश्वर, नवरत्न	अनिर्णीत
365.	,,	,,	3527	भुनेश्वरकुमार, महेश	,,
366.	,,	,,	5161	भगवानदास	,,
367	,,	,,	3674	बूटासिंह, इस्माइल, सुसा,	,,
	,,			फतूखां	
368.	,,	आर जे ए	7701	मुरारीलाल	,,
369.	,,	आर एस ए	21	प्रभुदयाल	400.00
370.	,,	आर जे ए	8519	नाथूराम	100.00
371.	,,	,,	4007	हुकमसिंह, राजसिंह	400.00
372.	,,	आर एस ए	3795	दीपचन्द, भूपसिंह	1000.00
373.	,,	आर एस ए	4115	बाबूसिंह	50.00
374.	,,	,,	5336	हंसराज, बाबूसिंह	200.00
375.	,,	,,	1684	हमीरसिंह, पन्नालाल	1200.00
376.	,,	आर जे ए	1360	भगवानदास/रमाकान्त,	600.00
	,,			बोदूराम	
377.	,,	,,	9608	निरेन्द्रकुमार, जगदीश	300.00
378.	,,	आर एस ए	3452	श्यामदास, महिपाल	अनिर्णीत
379.	,,	आर जे ए	1293	चन्द्रभान शर्मा	600.00
380.	,,	आर जे ए	3060	मुरारीलाल, समुन्द्रसिंह	700.00
381.	,,	,,	4697	खेमचन्द, राजेन्द्रप्रसाद	अनिर्णीत
382.	,,	,,	2649	विष्णुकुमार	,,
383.	,,	,,	465	किशनचन्द, मुरारीलाल	840.00
384.	,,	आर जे ए	63	मदनलाल, हजारीलाल	240.00
385.	,,	आर जे ए	5156	हरजीतसिंह, सुबदानखां	150.00
386.	,,	आर एस ए	3715	आनन्दीलाल, रामचरण,	अनिर्णीत
	,,			जयसिंह	
387.	,,	आर एस ए	3887	श्यामलाल, चन्द्रभान	,,
388.	,,	आर एस ए	4317	दीपकसिंह	,,
389.	,,	आर जे ए	3242	पुष्पामोदी, मालीसिंह	,,
390.	,,	आर जे ए	7050	रघुनाथ, सुरेशचन्द	,,
391.	,,	,,	9686	मैसर्स राधास्वामी,	,,
	,,			रामसहाय, नवल	
392.	,,	आर एस ए	509	अनीलकुमार, विष्णुकुमार	250.00
293.	,,	आर एस ए	5472	जहूरखां	20.00
394.	,,	आर एस ए	4215	विजयकुमार, रघुनाथ	अनिर्णीत
395.	,,	आर जे ए	4776	मांगीलाल, मखनलाल	,,

1	2	3		4	5
396.	1982-83	आर एस ए	3507	ओमप्रकाश, सुबहानखां	800.00
397.	,,	आर जे ए	515	शम्भूगुप्ता	अनिर्णीत
398.	,,	आर जे एल	6666	मुनिशकुमार	,,
399.	,,	आर आर एम	7077	शेरसिंह	,,
400.	,,	आर एस ओ	1857	दुर्गाप्रसाद	,,
401.	,,	आर आर एस	9167	ताराचन्द	,,
402.	,,	आर जे डी	4917	सुभाष	,,
403.	,,	आर एस बी	4947	जगदीश	,,
404.	,,	आर एस एल	4455	हीरालाल	,,
405.	,,	आर जे ए	3729	गनीराम	,,
406.	,,	आर जे ए	4654	प्यारेलाल, साहीबखां, रामवतार	,,

परिशिष्ट "अ

वर्ष 1981–82 व 1982–83 में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध रूप से चलने वाले वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा पकड़े जाने सम्बन्धी विवरण
वर्ष 1981–82

क्रमांक	वाहन (बस) का पंजियांक		वाहन मालिक का नाम	चालान करने का दिनांक	वसूल की गयी जुमनि की राशि
1	2		3	4	5
1.	आर जे ए	643	मैं. राठी एलाइड अलवर	19-11-81	विचाराधीन
2.	"	1844	श्री रामवतार, रामगोपाल, शाहपुरा	2-2-82	"
				5-2-82	
3.	"	2887	श्री हरीसिंह यादव, अलवर	29-2-82	"
4.	"	2986	श्री श्यामसुन्दर, करनोकोट	28-9-81	"
				8-9-81	
5.	"	3109	श्री ताराचन्द, बरखेड़ा	20-2-82	"
6.	"	3305	श्री सुलतान सिंह	3-9-81	677.00
7.	"	4215	मैं. भातलपुर रिफ्यूजी एसोसियेशन	23-6-81	विचाराधीन
8.	"	1481	श्री मोहन सिंह नागर	18-6-81	600.00
9.	आर आर एल	9914	श्री मूलचन्द, अलवर	16-7-81	301.00
10.	आर जे ए	2757	श्रीमती राममूरती देवी	20-2-81	729.00
11.	आर जे ए	4699	श्री नारायण लाल, महुआ	27-2-82	विचाराधीन
12.	"	4776	श्रीमती पेडोबाई, अलवर	30-11-81	विचाराधीन
13	"	4131	श्रीमान् फूलसिंह प्रताप सिंह, ताजपुरा	3-3-82	351.00

1	2		3	4	5
14.	आरजेए	9911	श्री प्रकाश चन्द जैन	19-11-81	विचाराधीन
15.	"	3176	श्री प्रेमचन्द नांगल लेडी, अलवर	11-5-81	1592.00
16.	आरएसए	1684	श्री रामस्वरूप दीपचन्द माच	"	535.00
17.	आरजेए	9505	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी हजारी लाल	3-10-81	250.00
18.	आरएसए	4455	श्री ग्यारसी राम, अलवर	16-7-81	406.00
19.	आरएसएल	9615		29-1-81	
20.	आरजेडी	2325	श्री हरीसिंह यादव, अलवर	27-8-81	941.00
21.	आरजेवी	1553	श्री रामकिशोर बनवारी लाल, कोटपूतली	5-5-81	411.00
22.	आरजेए	2909	श्री प्रेम प्रकाश, अलवर	16-7-81	946.00
23.	आरआरएल	5823	खेमचन्द, अलवर	27-7-81	1000.00
24.	आरजेए	1819	श्री प्रभुदयाल, अलवर	24-3-82	920.00
25.	आरएसएल	7871	श्री राजेश रामकिशोर	28-9-81	विचाराधीन
26.	आरआरएल	2491	मै. मेहताब सिंह ब्रदर्स	22-11-81	"
27.	"	8137	श्री बाबूलाल, बहरोड़	30-1-82/ 12-2-82	"
28.	"	9311	श्री कन्हैयालाल, गण्डाला	13-8-81	"
29.	आरएसएम	3287	श्री बाबूलाल शर्मा	21-8-81	"
30.	"	3985	श्री पांचूराम, खैरथल	28-5-81/ 16-5-81	"
31.	आरआरएम	7648	श्री सुन्दरलाल, कोटपूतली	29-8-81	"
32.	आरएसजी	8775	श्री पुशकल, कोटपूतली	5-2-82	"
33.	आरजेआई	746	श्री बहादुर सिंह, कालीपहाड़ी	29-12-81	"
34.	आरजेडी	2034	श्री हरीशचन्द्र, भरतपुर	8-11-81	"
35.	आरजेडी	3045	श्री सुनील कुमार, अलवर	2-2-82	"
36.	"	4379	श्री अजीत कुमार, मण्डावर	22-8-81	"

37.	आरजेडी 4385	श्री शंकरलाल नगर	27-12-81	विचाराधीन
38.	" 4975	श्री हेमचन्द, अलवर	3-12-81	"
39.	आरजेआर 7677	श्री होतीराम सुआलाल	1-5-81	"
40.	आरजेएफ 2355	श्री संतोष कुमार बनवारी लाल	1-12-81/ 9-6-81	"
41.	आरजेपी 2965	श्री दूलीचन्द कोटपूतली	18-3-8	"
42.	आरजेवाई 6937		12-9-81	"

वर्ष 1982—83

1	2	3	4	5
1.	आरजेए 2795	श्री घनश्यामसिंह	29-8-82	विचाराधीन
2.	आरजेए 2887	श्री हरीसिंह यादव	17-9-82	"
3.	आरजेए 2795	श्री होशियार सिंह पुत्र लहरी जाट, बहरोड़	29-8-82	351.00
4.	आरएसए 3965	श्री हरदयाल सिंह जाट बहरोड़	26-4-82	1050.00
5.	आरजेए 7879	श्री मोहनलाल, बानसूर	21-9-82	विचाराधीन
6.	आरजेए 8587	श्री पुश्कर मुरारीलाल	20-10-82	"
7.	आरएसएल 5126	श्री पुश्कर सूबेसिंह जाट, बहरोड़	22-10-82	"
8.	आरजेए 9215	श्री खैरातीलाल खैरथल	23-6-82	"
9.	आरएसए 3071	श्री सुभाषचंद नारायणपुर	16-5-82	"
10.	आरआरबी 2928	श्री सूरजभान, गलराना	12-11-82	"
11.	आरजेए 3792	श्री दीपचंद, बहरोड़	29-3-82	"
12.	आरएसए 3795	श्री भूंगड़ा मल, खैरथल	3-6-82	"
13.	" 3895	श्री सुबेसिंह जाट, बहरोड़	19-8-82	"
14.	" 4515	श्री महेन्द्रसिंह चौधरी जाट, बहरोड़	27-8-82	"

1	2		3	4	5
15.	आरएसएल	7347	श्री कन्हैयालाल, अलवर	12-11-82	विचाराधीन
16.	आरआरएल	9311	श्री महावीर प्रसाद, कोटपूतली	10-11-82	"
17.	आरजेएल	7725	श्री रंगबहादुर जाट, बहरोड़	7-11-82	"
18.	आरजेआई	919	श्री रामचंद्र, बहरोड	22-4-82	250,00
19.	आरजेए	4653	श्री पुश्कर, कोटपुतली	22-2-82	451,00
20.	आरआरएल	3585	श्री ठाकुरदास, खैरथल	7-10-82	विचाराधीन
21.	आरएसएल	5126	श्री पुश्कर, कोटपूतली	4-10-82	"
22.	आरजेए	3062	श्री जगदीश, महुआ	19-10-82	"
23.	आरएनबी	4447	मै. मेहताबसिंह	7-9-82	"
24.	आरआरएल	851		22-2-82	"
25.	आरएसएम	4825	श्री विनोद कुमार, अलवर	20-8-82	"
26.	आरजेए	891	श्री श्यामलाल, खैरथल	4-1-83	"
27.	आरएसबी	1596	श्री राफीद मोहम्मद, अलवर	29-7-82	"
28.	आरआरबी	2928	श्री चौथमल, कोटपूतली	20-5-82	"
29.	आरजेवाई	4997	श्री कुलदीप, अलवर	3-6-82	"
30.	आरआरएल	7119	श्री देवदास, तिगड़ी	17-12-82	"
31.	आरजेएल	6867	श्री सुभागचंद बनवारी	7-1-83	"
32.	आर एचएल	1943	श्री राजेन्द्र प्रसाद, मुण्डावर	1-12-82	"
33.	आरजेए	7879	श्री हनुमान सहाय, अलवर	1-12-82	"
34.	"	4007	श्री कुलदीप सिंह, चौधरी	6-12-82	"
35.	"	1725	श्री नवलकिशोर, कोटपूतली	6-12-82	"
36.	"	1819	श्री प्रभुदयाल, अलवर	7-10-82	"
37.	"	4056	श्री दौलतराम, अलवर	8-10-82	"
38.	"	1717	श्री सुगनसिंह यादव, बहरोड़	8-12-82	"
39.	आरएसएम	1511	मै. डीलक्स सोल्जर	8-12-82	"
40.	आरजेआई	746	श्री बहादुर सिंह, काली पहाड़ी	8-12-82	"